

**राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) छत्तीसगढ़ की 136वीं बैठक का कार्यबाही विवरण**

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) छत्तीसगढ़ की 136वीं बैठक दिनांक 09 / 01 / 2023 वो अपराह्न 12:00 बजे भी देवधीर दास, अमरा राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में गोपन हुई। बैठक में भिन्न राज्य प्रमित्रित थी—

1. डॉ. दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री जार्पी, लिखानी, सदस्य सचिव, राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक की प्रारम्भ में एकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अलग एवं शदृशी का व्याख्या किया गया। लटुपाटा एवं प्राचीनावार लाठीकर लिङ्गपुराण निर्णय किया गया।

**एवं प्राचीन आवेदन क्रमांक-1**

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की 135वीं बैठक दिनांक 19 / 12 / 2022 के कार्यबाही विवरण का अनुच्छेदन।

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की 135वीं बैठक दिनांक 19 / 12 / 2022 को आवोपित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा संवेदनाति से आवेदनी प्रियरण का अनुमोदन किया गया।

**एवं प्राचीन आवेदन क्रमांक-2**

राज्य सत्रीय विशेषज्ञ गूल्लाकन शमिल, छत्तीसगढ़ की 432वीं, 433वीं एवं 434वीं बैठक दिनांक 16 / 11 / 2022, 17 / 11 / 2022 एवं 18 / 11 / 2022 की अनुशंसा के आधार पर नीच/मुख्य लकिज्जी एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों में विवेच किया गया।

1. मेलमी मानपुर फौलोमाईट स्टोन (लौं यंड) क्षेत्री माईन (प्रौ - श्री भास्कर कुमार लिंग), डाम-मानपुर, लहसील-क्षेत्री, गिला-क्षेत्रीराम (साधिवालय का नमांक 2113)

ओकलाई आवेदन — प्राप्तान्त्र गम्बर — एसआईए / सीजी / एसआईए / 285680 / 2023, दिनांक 27 / 07 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्टॉकहिं द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्राप्तान्त्र लौ-ऐड फौलोमाईट (नीचे लिखा) लदान है। लदान डाम-मानपुर, लहसील-क्षेत्री, गिला-क्षेत्रीराम लिंग लदान डाम-मांक 79, 129 / 11 एवं 128 / 30, कुल क्षेत्रफल-2409 हेक्टेयर में प्रस्तुतिं है। लदान की आवेदित उत्तरान्तर समता — 53,802.79 टन (20,893.38 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण कर प्राधिकरण की दिनांक 01 / 09 / 2022 को गोपन 127वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट विचार करा कि परिवेशन्व प्रस्तावका द्वारा एसईएसी, छलीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2022 में किये गये अनुशासा के आधार पर पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने हेतु मुक्त और लालौर्ड जलवेदन की प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु तामच प्रदान करने का मनुरोध किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्त्वावध रखीशमिति की उनका प्रकरण को एसईएसी, छलीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में विषयानुसार लाइ जाने हेतु एसईएसी, छलीसगढ़ की तंत्र किये जाने का निर्णय लिया गया।**

#### **बैठको का विवरण –**

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20 / 09 / 2022-

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्त्वावध रखीशमिति से निर्णय लिया गया था कि परिवेशना प्रस्तावका को समाज सुरक्षा जानकारी / दस्तावेज गाँड़ित आगारी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परिवेशना प्रस्तावका को एसईएसी, छलीसगढ़ के द्वापन दिनांक 03 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16 / 11 / 2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुसार कृष्ण लिंग, प्रोप्रोटाइटर उपस्थित है। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय इवीकूलि संबंधी विवरण:- इस खाचन को पूर्व में पर्यावरणीय इवीकूलि जारी नहीं की गई है।
2. याम पंक्तावत का अनापलि प्रमाण चत्र - युगा पर्यावरणका की संबंध में याम पंक्तावत संस्कृते का दिनांक 03 / 10 / 2019 का अनापलि प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है।
3. चलनानन योजना - यामी प्लान, हुक्काहायोनेट मैनेजमेंट प्लान पृष्ठ पर्यावरणीय प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (विफल), जिला-जिलासंघर के पु. ज्ञापन का 1256 / 2 / खनि/ओलोमाईट/त.मो./2021 जिलासंघर, दिनांक 18 / 07 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 भीटर की परिधि में स्थित छादान - कार्यालय कलीडटर (छनिज जागा), जिला-कर्बीखाम के द्वापन ग्रामीक 682 / खालि/खनिज / उ.प. / 2022 कर्बीखाम, दिनांक 04 / 07 / 2022 के अनुसार आयोजित छादान से 500 भीटर की भीटर ढोलोन्डइट खादानी (संजातीय (Homogeneous Minerals)) की संरक्षा निर्देश है एवं अन्य युगा पर्यावरण की बुल 5 लादार्न, होत्रकल 4,844 हेक्टेयर है।
5. 200 भीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक छोड़ / सरपनाल - कार्यालय हुक्काहायोनेट (खनिज जागा), जिला-कर्बीखाम के यामन ग्रामीक 622 / खालि/खनिज / उ.प. / 2021 कर्बीखाम, दिनांक 03 / 08 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण चत्र अनुसार उस छादान से 200 भीटर की परिधि में कोई श्री सार्वजनिक छोड़ नहीं मंदिर, मरम्पट, स्कूल, लालौरात, पुल, बांध, एकिकृत राष्ट्रीय बैंजमारी, राष्ट्रीय एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित घंट्र निर्भित नहीं है।

६. एलओआई का विवरण — एलओआई की भारतीय कुमार सिंह के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (बैनिंग शास्त्री) विलास-कर्मीवाल के ज्ञानपुर जनांक ४५/बैनिंग/खंड/१०८/२०-३१ कर्मीवाल दिनांक ०७/०१/२०२१ द्वारा जारी की गई, जिसकी संघरा जारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक थी। एलओआई की खिला दृष्टि बाबत म्यामालप संचालक बैनिंग लज सुनिकले नवा रायपुर अटल नगर के पुस्तकालय प्रकरण दिनांक १९/२०२२ द्वारा जारी जारित आदेश दिनांक ०६/०८/२०२२ की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार “उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीकाल प्रकरण न्यौकार करते हुए, कह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बीज बैनिंग विकास २०१६ के नियम ४२(५) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में वर्करिक्त स्वीकृति प्राप्त होने वायरल उल्लंघन पद्धति रक्षीकृति की कार्यकारी पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, विला कर्मीवाल की पुस्तकालय किया जाता है।” होना चाहिए पाया है।
७. पू—स्वामित्व — न्यौम रायपुर जनांक ७० बी शिव कुमार एवं खासन जनांक १२९/११ एवं १२९/३० आवेदक ही नाम पर है। उल्लंघन हेतु भूमि रक्षी का वाहनति वाले प्रस्तुत जिया जाता है।
८. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
९. वन विवाद का अनावरित प्रमाण एवं — कार्यालय वनसंकलनविभाग, जकर्ह इनमठल, कलाली के ज्ञानपुर ८८/लक्ष्मीपुरी/१३६३८ कालां, दिनांक २६/१०/२०१७ से जारी अनावरित प्रमाण एवं के अनुसार अवैदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से ३५ किमी की दूरी पर है।
१०. भारतवृष्टि संरक्षनकारी की दूरी — निकटसम्म आवादी एवं शेषी ३२८ मीटर तक राष्ट्रीय—गान्धीजी २३० मीटर एवं अवपत्ताल कापां ५२ किमी की दूरी पर जिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ८६ विमी एवं राजमार्ग १०३५ किमी दूर है। तालाब ४०० मीटर एवं भारकुण्डा नदी ८०० मीटर दूर है।
११. परिस्थितिकीय/दीवारियिका शब्दनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० किमी की परियि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्बूल ग्रामपालय निवासण बोड द्वारा दीवारियिका पौल्युटेक परिया, परिस्थितिकीय संरक्षनक्षेत्र क्षेत्र वा दीवारियिका क्षेत्र जिया गही होना प्रतिवेदित किया है।
१२. खानन संघरा एवं खानन का विवरण — जियोलीपिल्लन रिजर्व १०,९६,९९५ हेक्टेक्टर वाहनेक्सन रिजर्व ५,३२,६६४ हेक्टर एवं रिक्क्लेवेल रिजर्व ५,११,७५० हेक्टर है। लैंड की ७.५ मीटर गोदी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल ६,२१७ वर्गमीटर है। ओपल वल्ट शेषी बैलनशील रिजर्व से उल्लंघन किया जाएगा। उल्लंघन येती प्रस्तावित अविवालन गहराई ५५ मीटर है। शीज शेषी में उपरी जिट्टी की गहराई ०.५ मीटर है तथा युक्त मात्रा ८,९३५.५ पर्याली है जिसमें से २,१४० पर्याली उपरी जिट्टी की ७.५ मीटर (वहाँ तीनमीटर) लैंड में विस्तार दृष्टालेपण की लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष ६,७९६.५ पर्याली उपरी जिट्टी को लैंड शेष के समीकरण विवरण की भूमि (वाला जम्बूल १२९/११) पर जारीकिया रखने हेतु अवारित किया जाएगा। वैयं की गहराई ३ मीटर एवं गोदी ३ मीटर है। खदान की संभावित आयु १० वर्ष है। लैंड क्षेत्र में उपर गवायिल किया जाएगा प्रस्तावित नहीं है। द्विसिंह एवं कट्टोल इसारिटा किया

जाएगा। उदान में ज्यु प्रसूत्य निवारण हेतु जल का नियन्त्रण किया जाएगा। अभी यह प्रशासनिक उत्तराधिकार का नियन्त्रण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रसाधित उत्तराधिकार (टन)	वर्ष	प्रसाधित उत्तराधिकार (टन)
पूर्वम	49,400.00	वर्ष	51,129.00
द्वितीय	51,252.60	तीसरा	51,306.84
तृतीय	53,802.78	आठवाँ	51,091.95
चौथा	51,129.00	चौथा	50,639.94
पंचम	51,269.79	दहाँ	50,728.86

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु अधिक जल की आवश्यकता 5.7 के बनाई प्रतिवर्ष प्रसूत्य की आवेदी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत एवं लोकोत्तम के साथ सहायता कर अनावृत्ति प्रमाण पत्र एवं संनुल ग्रामांड बीटर अधीनियम की अनुमति प्राप्त कर प्रसूत्य किया जाया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लौह दोत की भीमा में जारी और 7.0 लीटर जीव घटाई में 621 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रसूत्य प्रसाधित अनुसार भौमि के लिए राशि 6,250 रुपये लोकोत्तम के लिए राशि 1,05,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,525 रुपये, रक्ष-रखाव एवं सिद्धाई आदि के लिए राशि 1,75,000 रुपये। इस प्रकार कुल राशि 3,01,735 रुपये इस कार्य हेतु एवं रक्ष-रखाव हेतु कुल राशि 7,82,100 रुपये आवासी खाद वर्षों हेतु प्रदानकार रख्य का नियन्त्रण प्रसूत्य किया जाया है।
15. खादान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराधिकार – लौह दोत की भीमा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तराधिकार कार्य नहीं किया जाया है।
16. कॉर्पोरेट एरियल रिपोर्टिंग (C.E.R.) – परियोजना प्रसाधित द्वारा ग्रीन रिपोर्ट (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति को समझ दिया जाया उत्तराधिकार निम्नानुसार नियन्त्रण प्रसूत्य किया जाया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.72	2%	0.58	Following activities at Nearby Govt. Primary School Village-Gadhshetha	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	
			Supply Pipe	
			Pipeline Installation	0.451
			UV Water Filter (15 litre)	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	

		Water bank	
		Pipeline	8.
		Installation	0.178
		Total	0.626

17. सीईआर ने लाहौर प्रसारित स्थल के प्राचार्य (Principals) ने सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. उपरी विद्युत की स्थिरता की भूमि (लासन क्रमांक 129/17) पर भवारित कर संरक्षित रखने हेतु विश्वाय एवं अन्य कर्त्ताओं में उचित नहीं किये जाने एवं इस विद्युती का उपयोग पुनर्मार्य हेतु किये जाने लाया बन्धूलिंग और उपरी विद्युती का निरीक्षणार्थी/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भाग्य के दौरान निरीक्षण उत्तराधीन जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. माईनिंग लीज ईंव के छोटे एवं बाहर लाहौर क्षासेफा किये जाने एवं सीमित पौधी का वालाईवल रेट (Ground rent) 90 डिलिक्ट रूपीनिधि किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. एलीशावड़ आदानी गुलाबी गीति के लाहौर खानीय लीगों को लोग्या। एवं जापान एवं दोजावार में प्राचमिकता किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. लाहौर में व्यापक उत्क्षयन हेतु कम सीधता गुप्त स्लासिटिंग कर उन्हें श्रीजी एम एम द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लासिटिंग कियोगा। इस ब्लासिटिंग कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज ईंव में फ्युजिटिव डस्ट उत्क्षयन के साथ बिन्हूओ/स्थानीय करियोजना प्रसारक द्वारा नियमित गल फ्युजिकाव कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माईनिंग लीज ईंव में लग्निज लियमो के अनुकूल सीधाकाम उत्क्षयन लाहौर की सीमा में नियमित नियमित सामूहिक स्थापित कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माईनिंग लीज ईंव से जिसी प्रकार जा दूषित गल (यदि लासनके होता है तो) का प्रयाह प्राकूरीक रूप से नहीं नाला लालाब आदि में नहीं किया जाएगा। इस बावजूद शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित लाहौर के लाला में जिसी भी प्रकार जी जोई खायालकीन प्रकरण देख के लालामें जिसी भी खायालकी लाला में लग्निज नहीं है इस बावजूद शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक पर मालूम संकार बन और जलगाय दोरियाँन मालालय अधिकृता वा 2004(अ). दिनांक 14/03/2017 के अलाई जोई उत्क्षयन जब उत्क्षयन लघित न होने के बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. लग्निज का मत है कि सीईआर कर्त्ता एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में इसांगीपाल कर्त्ता के नियमितिंग एवं मार्गिन हेतु डि-पड़ीय समिति (प्रोपराइटर/प्राप्तिनिधि) द्वारा प्राप्ति के प्रकल्पितकारी/प्राप्तिनिधि एवं वित्त प्रशासन या हस्तीनगढ़ परावरण संस्थापन गण्डुल के प्रकल्पितकारी/प्राप्तिनिधि) लहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में

प्राकृतिक पर्यावरण का कारों द्वारा किये जाने के उपरांत गठित विषयालीय समिति हो सकती है।

28. मानवीय इनसाइटी, शिसिपल बैष, नई दिल्ली द्वारा संचयित पार्श्वेतद विस्तृत याता वारकर पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन संज्ञालय नई दिल्ली एवं अन्य (आग्रिमनल एप्लिकेशन नं. 186 नंबर 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को घोरित आदेश में नुच्छा संघ से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है।-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किमशी उपरांत सर्वसम्मति हो दिल्लानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यीत्व कर्तव्यकर्त (खणिज शाखा), विला-कर्मीसमाज के भाग में समाज 882/वा. वि. / अग्रिज / द.न. / 2022 की दिनांक 04/07/2022 के अनुसार आगेदित खदान से 500 मीटर की ओर समानीय (Homogeneous Minerals) खदानी की सख्ता लिखी है। आगेदित खदान (शाम-बन्धुर) पर रकम 2409 हेक्टेकर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की वर्तिति ने लीकूली/सचालिता खदानी का सून थोड़ासाह उंहेटेपन से कम होने के कारण यह खदान की-उ खदानी की मारी गयी।
2. समिति द्वारा विचार दिनांक उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसही मानपुर ढोतीभाईट स्टोन (लो फैट) कारों माईन (प्रो.— श्री मानसर कुमार सिंह) शाम-बन्धुर तड़कील-कारों, विला-कर्मीसमाज के स्वतंत्र द्वारा द्वारा 79, 129/11 एवं 129/30 में स्थित लो-फैट ढोतीभाईट (गोपी अग्रिज) खदान, खुल शेतकरन-उ.व.08 हेक्टेकर, समाज - 83,802 टन प्रतीपर्यंत हेतु पर्यावरणीय लीकूली दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा ऐलाक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को सम्पन्न 130वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती या अद्यतोकान किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमशी उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमति के अधीकार उत्तर द्वारा आवेदक — मेसही मानपुर ढोतीभाईट कटीन (लो फैट) कारों माईन (प्रो.— श्री मानसर कुमार सिंह) को निम्न असिद्धित जारी के अधीन एकीकरणीय लीकूली जारी करने का निर्णय लिया गया—

“लीज थोड़ जी जीमा में जारी और 7.5 मीटर की घट्टी के तहत जिवे जारी वाले प्रकृतिरोपण की जलनकारी पिंकेटेग (Geotag) फोटोप्राप्ति गहित अर्थवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए इस्तुत किया जाए।”

काम ही समिति द्वारा निहित किये गये इसी का यातन सुनिश्चित किया जाए।  
यातन नहीं किये जाने की स्थिति में नियित वैतानिक जायबाही की जाएगी।  
परियोजना प्रस्तावक को सजाती पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. नेतृत्व की विज्ञप्ति अधिकार लाईन रद्दीन कामकाजी (जो – की विधाय अधिकार), शाम-द्वुपरवीहकला, लाहसील व जिला-शब्दनादगाव (संकेतालय का नस्ती समाप्ति 1007)

ऑफिसलाईन आवेदन – पूर्व में प्रबोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43082 / 2017, दिनांक 07 / 11 / 2019 हासा टीओआर हेतु आवेदन भिजा गया था। बर्तमान में प्रबोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78682 / 2019, दिनांक 08 / 07 / 2022 हासा पर्यावरणीय व्योजने प्राप्त करने की जिए पाइंगल ई.लाई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रशासन का विवरण – यह अस्ता विकास का प्रकरण है। यह पूर्व से सार्वत्रिक बूना पत्थर (टीज खनिय) छाड़ान है। छाड़ान शाम-द्वुपरवीहकला, लाहसील व जिला-शब्दनादगाव विधि पर्व वर्ष वीक्षा वर्षारा क्रमांक 103 / 6 कुल देवघरन-048 हेतु देखा गया है। छाड़ान की आवेदित उत्तरानन अमल-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एमआईएसी. इलीमानगढ के ज्ञापन क्रमांक 849, दिनांक 15 / 06 / 2020 हासा प्रकरण की कंटेनरी का होने के कारण भासा सरकार पर्यावरण बूना और जलधारा परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पडॉक टम्सी ओपा विकसन (टीओआर) पौर ई.लाई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट जोर बोर्डकला/एसटीपीटीए. विकासरिंग इन्डस्ट्रीज इलीमानगढ वर्ष ई.लाई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित खेती १(ए) का नटीकहू टीओआर (लोक सुगवाह सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

जबानुसार परिवेशना प्रशासन को एमआईएसी. इलीमानगढ के ज्ञापन दिनांक 03 / 11 / 2022 हासा प्रस्तुतीकरण हेतु न्यूकित किया गया।

वैतक का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं वैतक दिनांक 18 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विभिन्न अधिकार अधिकृत प्रतिविधि एवं पर्यावरण संसाधनों के सम में मेत्रका यो एष्ट एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन अब्दुल्लाहीन उपरिक्त हुए। समिति हासा में प्रस्तुत जागकारी का अवलोकन एवं परिवेशना बनने पर निम्न विधि पाई गई-

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेशना प्रशासनक द्वारा बताया गया कि दुकान ई.लाई.ए. रिपोर्ट मेंसर्वे द्वारिकरण माईनर एप्ल बैनलटेट बैलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेंसर्वे द्वारिकरण नहींन एप्ल कम्पालटेट द्वारा अवरिहार्प करारों से आवेदित प्रकरण तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवासी कार्यवाही की जारी रखने में असमर्पित थक्का की गई। जबानुसार परिवेशना प्रशासनक द्वारा मेंसर्वे यो एप्ल एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की नियुक्ता किया गया। इस तात्पर उपरिक्त प्रशासनक द्वारा अन्वर्टरिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उत्पादन मेंसर्वे यो एप्ल एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विशेषण एवं सत्यापित (Anallysed and Verified) कर फाईनल ई.लाई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकारण में सर्वित सम्बन्ध तथा का उत्तरान्वयित्र मेंसर्वे यो एप्ल सील्युशन का हीना बताया गया।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेशना प्रशासनक द्वारा बताया गया कि सर्वित अनुमोदित मार्फतिन घोषन के उत्तरान्वयन प्राप्ति चुना। पत्थर उत्तरान्वयन 7,000 टन सालसेत्रित है। अतः उनके द्वारा अधिकात्म बूना पत्थर उत्तरान्वयन 7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु विधाय जिम्मे जाने काबल अनुसूचि किया गया है। जिसी समिति द्वारा मार्फतिन किया गया है।

## ३. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में घूना पश्चात खदान छान्हांक 103/६ कुल क्षेत्रफल-0.728 हेक्टेयर, क्षमता-10.125 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला संचाय पर्यावरण समिति नियोजित प्राधिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्थीरकृति दिनांक ०७/०३/२०१७ से लाई दी गई। वह स्थीरकृति जारी दिनांक से दिनांक ३१/०३/२०२० तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रवाहावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति के शर्तों के अन्तर्मन में की गई उपर्याप्ती की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्तों का बता है कि ऐसे कि यह धन्दा विश्वास का प्रत्यरूप है। अतः परियोजना प्रवाहावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय माला सहकार पर्यावरण वन एवं जलवाया परिवर्तन मञ्चलय, रायपुर से चूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति का अलग प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना लक्ष्यात्मक है।
- iii. नियोजित शर्तनुसार कूदासायां गही जिला गया है।
- iv. प्रस्तुतीकाल्य के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाताया गया कि विशेष रूप में किंतु यांच उत्तरानन की जानकारी इस जिले जाने हेतु दिनांक १०/११/२०२२ से उभिज जाता, जिला-राजनांदगांव की आवेदन किया गया है। समिति का यह है कि विशेष रूप में किंतु गए उत्तरानन की कालांकित जाऊ सी जानकारी उत्तरानन स्थिति में उभिज जिला से प्रमाणित जाऊकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. ग्राम पंचायत जल अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरानन के संबंध में ग्राम पंचायत अनुसन्धीकरण का दिनांक ३१/०७/२००६ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. उत्तरानन योजना – गोडिकाइड जारी खान (प्रदानी रूप इन्हाप्रोमेट मेंसेजमेट एकान) प्रस्तुत किया गया है, जो संकुल-संचालक (छप्र) संचालनालय भौमिकी रक्षा अभियान, नदा रायपुर झटक नवर के ज्ञापन नं २५३७/खमि००२/मा.प्ल.उन्नीयोदय/न.ल.०८/२०१७/२। नदा रायपुर दिनांक २४/०६/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।
7. ५०० मीटर की परिधि में विद्युत खदान – कार्यालय कलेक्टर (खानि जाता), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि आवेदित लीज दोष के खलस्टर में विद्युत उपयोग खदान (की जागाचाव जैन, पान-चौली, तहसील प्र जिला-राजनांदगांव) को कार्यालय कलेक्टर (खानि जाता), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खानि जाता)), जिला-राजनांदगांव का ज्ञापन अन्माक/१४०९/खलि००२/२०२३ राजनांदगांव, दिनांक १४/०७/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित ३० खदान, कोरकल ३६.७५७ हेक्टेयर) को ही आवेदित प्रकाशण हेतु मान्य किये जाने डेते अनुरोध किया गया है। यूके आवेदित खदान इस गलस्टर का भाव है। जिसके अनुसार आवेदित खदान (की विजय अद्यात) से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित ३० खदान, कोरकल ३८.२०२ हेक्टेयर होना चाहा गया है एवं इसके अंतिरिक्त ०१

जन्म सदान (की शिरोनंद सिंह बर्मा, ग्राम-कुमरकोलकला, तहसील विलास-वाजनांदगांव) लैंडफल 2.773 हेक्टेकर की एत ओड़आई, जारी की गई है। इस प्रकार कुल 31 खादाने के लैंडफल 41.216 हेक्टेकर है। एक हेक्टेर में साथ जहाजी व्यक्ति की गई।

7. 200 मीटर की परिधि में लिखत सार्वजनिक सीज़/सरबनाए - नायामन नायम तहसीलदाह द्विमाल-2] विलास-वाजनांदगांव के छापन क्षणक 4048/प्रया नाम/2018 राजनांदगांव दिनांक 01/10/2019 द्वारा पारी प्रमाण वाल अनुसार उक्त खादान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सीज़ जीस मटिर परिविहार, पर्यटन, अभ्यासाल, बकुल, पुल, घास, ऐरीकर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिविहित होने विभिन्न नहीं है।
8. चू-पदामित्त - चूमि श्रीमती विलास देवी के नाम पर है। उक्तलग हेतु चूमि विलासी का सहमति पर अस्तुत जिम्मा दिया गया है।
9. सीधा का विवरण - सीज़ भी विलास द्वामन अद्यापाल के नाम पर है। सीज़ सीज़ 5 वर्गी अर्धांश दिनांक 06/06/2012 से 05/06/2017 तक तीर्त अवधि हेतु दिया गया। नायामन सीज़ सीज़ 20 वर्गी अर्धांश दिनांक 06/06/2017 से 06/06/2037 तक विलासित की गई है।
10. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
11. बन विभाग का अनापरिश प्रमाण पत्र - बनायालय बनमण्डल अधिकारी वाजनांदगांव गमगण्डल, विलास-वाजनांदगांव के छापन त्रु/नामि/नम्बर 10-1/2020/1627 राजनांदगांव दिनांक 13/02/2020 वाले जारी अनापरिश प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित सीज़ बन दीज़ की सीमा से 8 किमी की दूरी पर है।
12. गठनवापूर्ण गांववानाओं की दूरी - विकासग अवलोकनीय ग्राम-ठेलवालीह 1.4 किमी, एवं असामाजन राजनांदगांव 16 किमी की दूरी पर विद्युत है। उद्योग राजमार्ग 18 किमी एवं राजमार्ग 100 मीटर दूर है।
13. पारिसेवित्तीय/जीवविधिवाला सावेदनमील बोक - पारिसेवित्तीय प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतिर्क्तीय सीमा, राष्ट्रीय राजन, अभ्यासारण, कंटीय प्रदूषण वियोक्ता योहि द्वारा घोषित विटिकली वॉल्कुटेक एरिया, पारिसेवित्तीय सेवदनमील सीज़ वा गोक्ता जीवविधिवाला सेव विभाल नहीं होगा प्रतिवेदित किया गया है।
14. खनन स्थान एवं खादान का विवरण - विकासग विलास रिजर्व 1,80,000 टन ग्रहीनीबल रिजर्व 31,215 टन एवं विकासग रिजर्व 34,571 टन है। सीज़ की 1.5 मीटर गोक्ता सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिविहित होता) का दीवाल 1,982 कोंडीहड़ दूर। औपन जास्ट सेमी गोक्ता गोहड़ 16 मीटर है। कमसी गोट्टी की लोटाई 1 मीटर एवं मात्र 1,000 परम्परीटर है। इन गोट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलावत दुश्मानीप्रय की लिए उपयोग किया जाता। बेत गोक्ता 3 मीटर दूर सीक्काहड़ 3 मीटर है। खादान की रोपावित आयु 5 वर्ष है। सीज़ सीज़ में जलसर ल्यापित नहीं है एवं इसकी ल्यापना का प्रस्ताव नहीं किया जाया है। गोक्ता हुएग गोक्तिलिंग एवं काट्टोल ल्यासिलिंग किया जाता है। खादान में गायु प्रदूषण नियंत्रण

हैं। जल का प्रिकाला किया जाता है। एकल प्रस्तावित उत्तरानन का शिवरप निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
प्रथम	7,000
द्वितीय	7,000
तृतीय	7,000
चौथ	7,000
पंचम	7,000

16. जल आपूर्ति - परियोजना हैं आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेल के बाह्य से ही होती है। ये जल ही एकल प्रस्तावित हैं संचालन आवश्यक बीटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाया है।

17. वृक्षारोपण कार्य - लौज दोड की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 479 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लौज दोड के भीतर अधिकारीय प्रक्रियम योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (लक्ष्य)	द्वितीय (लक्ष्य)	तृतीय (लक्ष्य)	चौथ (लक्ष्य)	पंचम (लक्ष्य)
निम्नानुसार वृक्षारोपण की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 479 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लौज दोड के भीतर अधिकारीय प्रक्रियम योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-					
वृक्षारोपण (90 दोषित वृक्षों की गणना के लिए इनमें से 90 हैं राशि) (479 नव)	36,500	3,572	3,572	3,572	3,572
वृक्षारोपण लाद हैनु राशि	40,800	—	—	—	—
वृक्षारोपण लाद हैनु राशि	360	360	360	360	360
सिलवर एवं रस्ते-रसायन हैनु राशि	2,56,000	2,56,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
<b>कुल राशि = 12,14,890</b>	<b>3,36,270</b>	<b>2,19,832</b>	<b>2,19,832</b>	<b>2,19,832</b>	<b>2,19,832</b>

18. 7.5 मीटर की चौड़ी रीमा घट्टी में उत्तरानन - लौज दोड के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल भास्तव्य 1,982 घनमीटर होता है। जिसमें से पूरे दिला में 630 घनमीटर दोड 6 मीटर की गहराई तक परिक्रमा दिला में 645 घनमीटर दोड 6 मीटर की गहराई तक उत्तरानन है। जिसमें उत्तरानन अनुमति नीकियाई जानी चाही जाना चाहिये ताकि यहां परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

19. उत्तराननीय है कि उत्तरानन नियमानुसार परियोजना गंभीरता नई डिल्सी द्वारा नील कोल माईनिंग और वेटर्स हैनु सामक अधिकारीय जारी जाती ही गई है। जारी करार जाना के अनुसार -

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जाता नामक शहर के अनुसार माइन लीज लैंड के ऊपर 15 मीटर ऊंचे सेपटी जोन में दुमासीपथ किया जाना अवश्यक है।

### 20. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण:-

- i. जल एवं वायु आदि गृहणकर्ता संबंधी जागरूकता — गोपिटरिंग कार्य सम्बूद्धता 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10-फिल्मोटार की ओराइंट 12 स्थानों पर परियोजीय वायु गृहणकर्ता जापन, 12 स्थानों पर भू-जल गृहणकर्ता जापन, 12 स्थानों पर छानि जल जापन, 2 स्थानों पर जल गृहणकर्ता तथा 12 स्थानों पर निकटी की जमीन एकत्रित जल विध्वंसा किया गया है।
- ii. मॉडिलिंग वरिष्ठाओं के अनुसार वीएम, एसओ, एनओ का सामूहिक सेवन—

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	21.39	40.45	60
PM <sub>10</sub>	42.65	66.33	100
SO <sub>2</sub>	5.09	9.87	80
NO <sub>2</sub>	9.46	15.89	60

- iii. परिवेशना रथ्यज के अनुसार जल स्रोतों की गृहणकर्ता— ई.आई.ए. की Chapter-3 Description of environment में इसी गये दृष्टिकोण से अनुसार वसीलडाक्स, बलोचाईट, नाइट्रोट, सल्फर, बाबीनेट्स, लेड, आसीनेक, मकरी, कैडमियम एवं अन्य स्वास्थ्यनिक तत्वों का सामूहिक नियन्त्रण किया जाना चाहिए।
- iv. परिवेशीय छानि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>dn</sub>	43.2	61.1	70
Night L <sub>dn</sub>	37.8	54.9	70

जो उपर लिखे गए नियन्त्रित नामक स्तर से अधिक है।

- v. वी.सी.यू. की मण्डना— भारी बहनों / गल्टीएक्सल इंडी वाहनों की समाहित करने हुये ट्रैफिक अव्याहन रिपोर्ट इस्तेवत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 वी.सी.यू. प्रतिघटा एवं वी.सी.अनुघात (V/C ratio) 0.03 है। इसाधित परियोजना उपरांत की वी.सी.यू. की गुणि होगी। लेपश्वात कुल 70 वी.सी.यू. प्रतिघटा एवं वी.सी.अनुघात (V/C ratio) 0.03 होगी। विस्तर के उपरांत वी.सी.मट्टीरियल / प्रोटक्ट्स के परिवहन हेतु गहक मार्ग की लोड रीटिंग जामता नियन्त्रित रहना (Excellence 0.0-0.2) के मीलर है।
- vi. राजगांडगांड राहगा गाँव मार्ग में सम्पूर्ण गलस्टर के भारी वाहनों / गल्टीएक्सल इंडी वाहनों को भी समाहित करने हुये ट्रैफिक अव्याहन रिपोर्ट (वी.सी.यू. प्रतिघटा) की मण्डना कर जागरूकी प्रत्यक्षता किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 217 वी.सी.यू. प्रतिघटा एवं वी.सी.अनुघात (V/C ratio) 0.1 है। अन्युपर्यान गलस्टर हेतु विस्तार के उपरांत भी वी.सी.मट्टीरियल / प्रोटक्ट्स के

परियोग में सहज कार्ग की सौन हीलिंग अभ्यास नियांसित नामक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

#### vii. जी.प्ल.सी. की गणना —

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM <sub>10</sub>					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) at downwind direction (Near village Deodhara)	Calculated GLCs ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Baseline Concentration GLCs ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Limit (Industrial, Rural and other area) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.	Overall Activities with control RCM	59.25	34	63.25	100

21. लोक सुनवाई विनांक 17 / 09 / 2021 दोपहर 12:30 बजे समय - झाम पंचापात मध्यन, झाम - शुमरदीहाड़ा, दाहसील व खिला - राखनांदगांव में शमन हुई। लोक सुनवाई दसरामेल सदस्य संविधि उत्तीर्णगढ पर्यावरण संबंधी अटल नवा वायपुर अटल नगर, खिला-लोकपुर के पक्के दिनांक 09 / 11 / 2021 हुआ दिया गया है।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान चरियोगा प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र की जागित कल्पी हूपे कल्टरर में कुल 32 खदाने आती है, जिसमें से आमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं दोष खदानों की पूर्व से ही पर्यावरणीय स्थीरता जारी हो चुकी है। कल कुल 17 खदानों द्वारा रामुडिक कम ही जनतानवाई छन्दोगा गया है। जनतानवाई के दौरान खुला कम से जिन सुआव/विवार प्रवक्तु दिये गये हैं—

- खदान से निकलने वाले निट्रो को नाले एवं सहक कियारे जाते दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर निट्रो कल दिया गया है। याप ने लोकियों के लिये याता नहीं बताता है।
- हीरी खासिटंग से घरों में दसरा आ जाती है। खासिटंग के गाम्य लोकों में घटना दुर्भाग्य होता है, खासिटंग करने के दौरान सहक घट कर दिया जाता है।
- खदान में काम करने वाले जगिलों की जलस्त की सुगमित्र प्रयान नहीं की जाती है। फलार सहक से लगा हुआ है, उसको बल्कि जो काम्प अवृ एजलोट ही चुके हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु ही चुकी है।
- गाय के पास गाम्यीय भूमि का अपील कम से उत्तमन दिया जाता है। युक्तारोपण लेक जल डिफरेंस का कार्य नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उदाये बदै विभिन्न नुद्दों के निराकरण की दिशा में वरिकीजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रस्तिभिति/कंसलटेट का कार्य नियानुसार है—

- खदान से निकलने वाले निट्रो को नाले एवं सहक कियारे नहीं जाएंगे। उसी खदान के 7.5 मीटर वी सीमा बदली में कैलालर तृकारीगम का कार्य किया जाएगा।

- ii. अनुमती कार्टेक्टर की नियमानुसारी में ही अटोल स्लॉटिंग किया जाएगा। स्लॉटिंग विषय पर विवाद जाना प्रस्तुतिलिख है। स्लॉटिंग के पूरी हूटर वर्णनकर सौचार्य को बूथना की जाएगी। विवादी शासीयों को काम नुकसान पा परेशानी नहीं होगी।
- iii. खदान में गठन करने वाले व्यक्तियों के लिए समय-समय पर कामया लिख लगाया जाएगा।
- iv. नार्डिनिंग घटान के अनुसार ही उत्थानन कार्य किया जाएगा। खदान के बाहुपक्षी लघा हील रीफ में बूथार्टिंग का कार्य लिखित रूप से किया जाएगा। बूथार्टिंग एवं घूल उत्थानन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन तार जल का फिल्टरार किया जाएगा।
23. यलस्टर हेनु कौमन इन्वायरोमेटल मेनेजमेंट घटान – परिवेशना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आर्केडिट खदान की आगित लारी हुई यलस्टर में घूल 32 खदानों जाती है। अब यलस्टर में रामिल खदानों द्वारा कौमन इन्वायरोमेटल मेनेजमेंट घटान प्रस्तुत किया जाया है। कौमन इन्वायरोमेटल मेनेजमेंट घटान के बाहर गिरने की व्यवस्था दिया जाएगा।

विवरण	प्रथम (कृपया)	द्वितीय (कृपया)	तृतीय (कृपया)	चतुर्थ (कृपया)	पन्थम (कृपया)
प्रदूषण गिरावण हेनु परियहन के द्वारा नालकों/पहुंच वार्ग की जापान मूल उत्थानन के नियंत्रण हेनु जल फिल्टरार, पहुंच वार्ग की यज्ञ लम्बाई से किया जाएगा।	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
पहुंच वार्ग के द्वारा नालकों (30 ग्राहित वीचन दर) हेनु राहि	4,05,308	40,508	40,508	40,508	40,508
कौमन हेनु राहि	42,68,400	—	—	—	—
खाद इनु राहि	38,990	3,990	3,990	3,990	3,990
सिधाई एवं रक्त- रक्तान हेनु राहि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सालकों / चहुंच मार्न के संधारण हेनु	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हेन्प चेकअप कैम्प	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राहि = 1,81,29,890	75,99,898	26,32,498	26,32,498	26,32,498	26,32,498

कौमन इन्वायरोमेटल मेनेजमेंट घटान में परिवेशना प्रस्तावक की सहभागिता निभानुसार होगी।

विवरण	कुलम् (लाखों)	हिस्तीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु परिषिक्तन के दीवान सड़कों/पहुंच गांव से उत्पन्न कुल उत्तरार्द्ध के नियन्त्रण हेतु यात्रा विभाग द्वारा यात्रा की दीवान तरह की कुल संख्या 260 मीटर सड़कों / पहुंच मार्ग के साथार्द्ध हेतु एवं इसके लिये बीमार्ग कीमि	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
पहुंच मार्ग के दीवानी गाला (30 वर्ष) कुल राशि	7,060	684	684	684	684
पर्सिक्तन वीथन दर) हेतु राशि	74,400	—	—	—	—
सावधान हेतु राशि	750	90	90	90	90
सिपाई एवं लड़काना हेतु राशि	23,340	19,893	19,893	19,893	19,893
<b>कुल राशि = 2,37,732</b>	<b>1,15,464</b>	<b>30,567</b>	<b>30,567</b>	<b>30,567</b>	<b>30,567</b>

24. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवाया परियोग संशालन, नई डिस्ट्रीक्शन द्वारा जारी हुआ है अधिकृतपत्र, 2006 (वन्य वासीनियत) को भारतीय एवं वानरीय एवं जीवी हात जारी कर्दा के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु जीवन इन्ड्याकरेंसेट नेटवर्क परान दीयार किया जाना आवश्यक है।

समिति आ चाहता है कि कलस्टर में शामिल रासी खदानों द्वारा छनन के पर्यावरणीय दुष्कर्त्ताओं की रोकथान हेतु खदानों की विलीनि एवं भौतिक सहायता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति यह मत है कि कलस्टर में आने वाले खदानों की उत्थनन गतिशीलियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथान हेतु कलस्टर में आने वाली हेतु समस्त खदानों की शामिल कर्त्ता हुए, कलस्टर हेतु कॉम्पनी इन्ड्याकरेंसेट नेटवर्क परान दीयार किये जाने तथा जब्ताई से कियानित जराये जाने हेतु कानूनक, संवालनालय, भौगोलीकी एवं खनिकर्म हस्तानी नवान, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला - राष्ट्रपुर (छिरलीसनका) के उपर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उपरित होगा।

25. कौरीरीट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रत्यावरण द्वारा नीति पर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति को समान प्रियतर की तरफ उपरान नियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46	2%	0.82	Following activities at nearby Village-Dumardihkala.	
			Plantation at Village Pond	12.11
			<b>Total</b>	<b>12.11</b>

26. रोड़ेइंड्राइव के छतरीनील तालाब पर (असम)। बढ़ पीपल, नीम, छान, अंजुन वैल आदि) कुलाठेपथ हेतु प्रस्तुत प्रकाश अनुसार 132 नव पौधों की लिए राशि 10,032 रुपये, चैम्पेन के लिए एकी 66,000 रुपये, लाघ के लिए एकी 990 रुपये, गिंगाहृ तथा रस्त-स्क्राव आदि के लिए एकी 2,66,000 रुपये, इस प्रकाश प्रथम पार्ट में कुल राशि 3,43,622 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,86,312 रुपये हेतु चाटक्कार लघु तथा विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रकाशक द्वारा यात्रा पर्यायक बुगल्सीहुकला के सहमति लघवाल यथावोध्य स्वतन्त्र (समान रामाक 804 कीपाल 0.267 हेक्टेयर में से 0.062 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
27. फलकटर हेतु कौमन इन्हायरेंसेट कैनेक्टमेंट फ्लान लैबार एवं समस्त छादानों को एक नवाले में दृष्टिकोण करते हुवे जानकारी प्रस्तुत की गई है। याथ ही फलकटर में आगे यात्रे समस्त छादानों द्वारा कौमन इन्हायरेंसेट कैनेक्टमेंट फ्लान के तहत लिये जाने याते कार्य हेतु अनुकूल बनावट जानकारी प्रस्तुत की गई है।
28. फलकटर में जाने वाले समस्त छादानों के लिए लैबार कौमन इन्हायरेंसेट सेनेक्टमेंट फ्लान हेतु सभी छादानों तो असाधा एवं देखावार लाइट भवतों में इकी दुर्दुष्टीकृति कर प्रस्तुत किया गया है।
29. एकीकृत शैक्षीय व्यायामस्थ मारुति सारकार गवर्नरशप वन एवं जलवायु परिवर्तन समाजसद, रायपुर से पूर्व में याती पर्यावरणीय स्वीकृति का यज्ञन प्रैसेप्रेसन द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
30. मार्च 2020 से जून 2020 एवं जुलाई 2020 के उपरान्त लिए गए उत्तराखण्ड की वास्तविक साज्जा की जानकारी अधिकारी विधियि में उनिज विभाग से प्राप्तिकृत बनावट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
31. बर्डिंग लैन कोंच के छान भवन कुलान्दाजा विद्ये जाने एवं सेपित पौलो का सरवाईफल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित लिये जाने बाबत राम एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिनरल्स कनसोलन विधि (Minerals Concession Rule) के तहत बाचपूर्णी विलासी द्वारा सीमावन का कार्य सुनिश्चित लिये जाने बाबत शपथ एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. कट्टोल स्वारिट्टन लिये जाने बाबत शपथ एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. जगदुनाथाई के बीचाल विगिन बुद्धी के नियन्त्रण की दिला में परिवर्तनका प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समझ दिये नये जारीयासन को जूरा करने हेतु राम एवं (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. उत्तीर्णगढ़ अदानी पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संजनार दिये जाने हेतु शपथ एवं (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटैकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उसके विलास इस परियोजना/छान से संबंधित कठोर व्यायामीय प्रकाश देख के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटैकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उसके विलास जारी सारकार, पर्यावरण वन और जलवायु

परिवर्तन भवालय की समिसूचना कार्या अधीक्षा 804(अ), दिनांक 14/03/2017 को जलागत बोर्ड द्वारा प्रत्यापन का द्रष्टव्य लिया गया है।

38. उपरोक्त निटटी को संबंध लेकर के बाहर निम्नलिखित और संलग्नित सभी जाने लेनु मिटटी का दृश्यप्रयोग न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस निटटी उपरोक्त पुनर्जीवन कार्यों में किये जाने वाले वायरल रामबाल पक्ष प्रस्तुत किया जाया आवश्यक है। साथ ही परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित निटटी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
39. कलमेलि का मत है कि सीईआर, कीमन इन्वेस्टरीमेटल मेनेजमेंट एवं कीमन इन्वेस्टरीमेटल मेनेजमेंट ज्ञान में परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सदृश्यों के सम्बन्ध-नियाम एवं दृश्यप्रयोग कार्यों के नियन्त्रित होने की विशेषज्ञता की विशेषज्ञता (प्रोपर्टीट्रॉफर/प्रतिविक्री शाम प्रदायात के पदाधिकारी/प्रतिविक्री एवं जिला प्राप्तान्तरण का उत्तीर्णगत परिवर्तन संरक्षण मर्केट के पदाधिकारी/प्रतिविक्री) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, कीमन इन्वेस्टरीमेटल मेनेजमेंट एवं कीमन इन्वेस्टरीमेटल मेनेजमेंट ज्ञान में परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता, ग्रामकों के रड-एवायर एवं दृश्यप्रयोग का कार्य पूरी किये जाने के उपरान्त विशेषज्ञता समिति से संस्कारित गरावा जाना आवश्यक है।
40. बानवीय एवं झीली द्विसिप्त बैष, नदी दिल्ली द्वारा सार्वजनिक पानीय विकल्प भारत राष्ट्रकार, पश्चीम राज, जन और जलवायु परिवर्तन भवालय, नदी दिल्ली एवं अन्य (जोनरिजनल एसिक्योरेन्स नं. 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परिवर्तन आदेश ने मुख्य द्वय के निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceeded 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विवार विभागी उपरान्त संविराजिती से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—
- आवोदित खदान (द्वारा-कुआरीहकला) को जिलाकर इस क्षेत्रकर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रकर 41.690 हेक्टेयर है। खदान यीं सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थैतिक, साथान्तर खदानों का कुल क्षेत्रकर 6 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान शी-1 क्षेत्री यीं मानी गयी।
  - मारत दारकार, भद्रकार, या लौर जलवायु परिवर्तन भवालय, नदी दिल्ली द्वारा जारी हुई ए. अधिसूचना 2006 (ज्ञान संरक्षित) के प्राप्तवानी द्वारा नामनीव एवं जी-1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्षेत्रकर में आने वाली खदानों की जाखानन वित्तियिती से कार्यपालीय घटकों पर प्रदूने क्षेत्र द्वारा की दीक्षाग्रंथ हेतु क्षेत्रकर में आने वाले समात खदानों को सामिल करते हुये, क्षेत्रकर हेतु कीमन इन्वेस्टरीमेटल मेनेजमेंट ज्ञान विवार विभागी उपरान्त नियन्त्रित कराने हेतु सामालक, संवालमालय, भौमिकी लक्ष्य विभिन्न, हाइवाटी भवन, नगा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (प्रातीकान्दा) के साथ से उपर्युक्त खदानोंही किये जाने हेतु नियन्त्रित किया जाए।
  - एस.ई.ए.ली. उत्तीर्णगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान याही यह वाहिल जानकारियों/दस्तावेजों/अनिलेन्सों (तरल कार्यक 29 से 38 तक) को एस.ई.ए.ली. द्वारा

जाईए, छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रसुत करने की जगह के लिए अधिकारीय रौपीकृति की सातां अनुशासा की जरूरी है।

4. नमिति हाता विद्यार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जाहेदक — बरसा भी गिरा अलगाल जाईन स्टोन कवारी (प्रो.—भी विजय कापुवाल) को याम—दूभालीहवाला लहरीला जिला—दारानगरगाँव के कट और छत्ता जलाक 103/१ से विकार गूना चाथर (जौग यानिक) बाड़ाग युत दंगपत्ता-०५८ इंकटेयर शम्पा—८,००० टन प्रतिक्रम हेतु यांविकरीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशासा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विकार — उपरीकल प्रत्यक्ष पर प्राधिकरण की दिनांक ०३/०१/२०२३ की सम्पन्न १३वीं बैठक में दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नली का बड़लीकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विद्यार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—**

१. नमिति की अनुशासा तो कीकार जलो हुये आहेदक — नीति भी गिरा अलगाल जाईन स्टोन कवारी (प्रो.—भी विजय कापुवाल) को गिरा असिंचित जारी हो अधिकारीय रौपीकृति जारी जलने का निर्णय लिया गया—

जीज कोर तो सीमा वे यारी ओर २३ मीटर की गट्टी तथा जो ईंआर के लला तिये जाने वाले दूखारीमण की आनकारी जिकोटेग (Geotag) फोटोप्राप्त लहिं अर्थविक लियोर्ट में समालित करते हुये प्रसुत लिया जाए।

साथ ही नमिति द्वारा लिहित लिये गये जाती का पालन सुनिश्चित लिया जाए। पालन नहीं लिये जाने की विधति से विदिवत दैवानिक जायगारी ही जाएगी।

२. एसडू.एसी, छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण की दीर्घ बाही गहु वाहिल जलनकारी/दस्तावेजी/विनियोगी (जरल जमांत २९ एवं ३१ से ३६ तक) को प्रसुत लिये जाने के उपरांत ही तथा जलन जमांत ३० से बाही गहु जलनकारी/दस्तावेज नियमानुसार यापं जाने पर एवं लिही भी प्रवाह का जललापन न होने की लिहित में ही विरिवोजना प्रस्तावक को सातां यांविकरीय रौपीकृति या जारी लिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित लिया जाए।

३. गेहारी भारकुहि रहीग कोंडार (जो—भी दुर्गंश पाठ्येग, जीटानपारा आर्द्धिनी इटीन जाईन), याम—जीटानपारा, लहरील—देकुप्पुर, जिला—कोरिया (साधिकालय का नमी क्षमांक २१०२)

अंगनवाईन आवेदन — ज्येष्ठल जन्मर — एसआईए / शीली / एसआईएन / २५२३०१ / २०२२, दिनांक ०८/०८/२०२२ हाता यांविकरीय रौपीकृति हेतु आवेदन लिया जाया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित जायगारण प्राप्ति (गोप्य यानिक) जादान की। जादान जाम—जीटानपारा, लहरील—देकुप्पुर जिला—कोरिया जलसरा जमांक ५२-५४, ५८ एवं ६५, युल दंगपत्ता-१४३ हुकटेयर में प्रस्तावित है। जादान जो आवेदित जलसरा जमांक—४१.२९७ टन प्रतिक्रम है।

लदानुसार विरिवोजना प्रस्तावक को एसडू.एसी, छत्तीसगढ़ के हाथ में दिनांक ०४/११/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित लिया गया।

बैठक का विवरण —



(अ) रायिति की 432नी बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वो दुर्विधा पाण्डेय प्रौद्योगिक उपरिक्षेत्र है। रायिति द्वारा जल्दी प्रस्तुत ज्ञानवाची पा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विषय विधियाँ पाई गईं—

1. गृह में प्रारंभी पर्यावरणीय स्थीरता संबंधी विवरणः— इस ज्ञानवाची पा में पर्यावरणीय स्थीरता जारी नहीं की गई है।
2. वाम पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन एवं जलान वाम पर्यावरण की प्रमाणपत्र ने यात्म प्रमाणपत्र जलानाल का दिनांक 31/01/2019 के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन घोषना — क्वार्ट इनान इनानर्लैट ऐनेजरीह इन एवं क्वार्ट क्वार्ट ऐनेजर इनान प्रस्तुत किया गया है, जो उग्रिया अधिकारी विला-कोरिया के ज्ञानवाची 243/विला/उत्तरानन/अनु/2022 कोरिया वैकुण्ठपुर दिनांक 17/06/2022 हात अनुसेदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित आवास — कार्यालय एवं घर (खणिया जाला), विला-कोरिया के ज्ञानवाची 263/विला/उत्तरानन/अनु/2022 कोरिया वैकुण्ठपुर दिनांक 01/07/2022 के अनुसार आवेदित आवास से 500 मीटर की ओर आविलाम 2 ज्ञानवाची शेअरकल 2.7 हेक्टेयर है।
5. 300 मीटर की परिधि में विला ज्ञावजागिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कालेक्टर (खणिया जाला), विला-कोरिया के ज्ञानवाची 264/विला/उत्तरानन/अनु/2022 कोरिया वैकुण्ठपुर दिनांक 01/07/2022 हात जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त ज्ञानवाची से 300 मीटर की परिधि में कोई भी ज्ञावजागिक क्षेत्र या संरचनाएँ नहीं हैं।
6. एलओआई, संवधी विवरण — एलओआई, गोपाली गालति फ्लॉट इनान का नाम यह है जो कार्यालय कालेक्टर (खणिया जाला), विला-कोरिया के ज्ञानवाची 130/विला/उत्तरानन/अनु/2022/कोरिया, वैकुण्ठपुर, दिनांक 18/05/2022 हात जारी की गई विवरणी विला जारी दिनांक से 1 दर्श की अवधि हेतु रहा है।
7. शू-स्वामित्व — गुमि खाना इनानका 62, 66 एवं 65 की डिवेन्च बूमार पाण्डेय एवं लिलाला इनानका 64 की सौहन जाल वाण्डेय को नाम पर है। उत्तरानन हात भूमि स्वामियों का सहभागी पत्र की विधि प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वर्ष विनाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कर्यालय वननायकलालिकाली कोरिया वनमण्डल, वैकुण्ठपुर के ज्ञानवाची 3079 वैकुण्ठपुर, दिनांक 01/10/2018 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र विकासपत्र क्षेत्र जी सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. गहरायाली संरचनाओं की दूरी — विकासपत्र जावादी इन-लीटान्याचा 850 मीटर, स्कूल इन-लीटान्याचा 700 मीटर एवं अस्पताल एनामुर 450 किमी की दूरी पर विद्युत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 193 किमी एवं राजमार्ग 1605 किमी दूर है। बाज 360 मीटर, तालाब 700 मीटर, नहर 740 मीटर, गोपाली गाला 2.2 किमी एवं हस्तदेव नदी 11.30 किमी दूर है।

**11. पारिस्थितिकीय/ जैविकियता संबंधनशील क्षेत्र – लौहोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतिरिक्तीय सौना, राष्ट्रीय उदान, अम्बायरपृष्ठ, कैन्डीय प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्कुलेशन एवं पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जैविकियता क्षेत्र सिध्यत नहीं होना प्रतिक्रिया किया गया है।**

**12. अन्य सम्पदा एवं स्थानग क्षय क्रियरक – जिवोलीडिकाल रिजर्व 8,36,040 टन नाइट्रोजन रिजर्व 2,35,620 टन एवं रिक्वलोरल रिजर्व 2,23,839 टन है। लौह की 7.5 मीटर गौदी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,370 वर्गमीटर है। औपन कास्ट गोमी में ज्वाहारी ज्वाहारी क्षेत्र की उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम वाहराई 15 मीटर है। लौज क्षेत्र में उपरी जिल्ही की गोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल गाड़ा 2,917.6 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,123 वर्गमीटर ऊपरी जिल्ही की 7.5 मीटर (नाईच बालागढ़ी) क्षेत्र में कैलायन युक्तारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा भैंस 794.5 वर्गमीटर ऊपरी जिल्ही क्षेत्र लील शोब्र के गैर भाँडिन द्वारा में संरक्षित किया जायेगा। औपर बहुन की गोटाई 2.75 मीटर एवं नाड़ा 32,092.5 पर्वमीटर है, जिसमें से औपर बहुन का उपयोग ऐसा एवं लैंड रोड में किया जायेगा। एवं शोब्र औपर बहुन की लौज क्षेत्र को बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित कर भवित्वित किये जाने पावत् गायत्र यज्ञ प्रस्तुत किया गया है। वैग की गोटाई 3 मीटर एवं गोटाई 3 मीटर है। लालान की आवायित अवयु 30 वर्ष है। लौज शोब्र में गायत्र रक्षायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हिमर से द्विलिंग एवं बट्टोल बसास्टिन किया जाएगा। उदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र जल का विकास किया जाएगा। वर्षाचार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-**

बर्ब	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
अल्प	40,898
डितीम	40,730
तृतीय	41,057
अन्य	41,177
प्राप्त	41,297

**13. जल आपूर्ति – करिहोजना हेतु आपूर्तक जल की गाड़ा 4,75 वर्गमीटर प्रतिवर्षित होगी। जल की आपूर्ति गाम पशाका एवं बोरोवेल की आवश्यक से की जायेगी। इस जल प्राप्ति प्रक्रिया का अनावरित प्रभाव पर एवं गोम्बुज गांवांच्छ गोटर अधीक्षिती औं अनुच्छेदी प्राप्त यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।**

**14. युक्तारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में खाली जल 7.5 मीटर की पट्टी में 636 गम युक्तारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत इसाय प्रक्रिया अनुसार गोमी के लिए रक्षा 7,935 लघुव, जैसिंग के लिए राशि 1,10,000 रुपये, खाय के लिए राशि 15,900 रुपये लिलाई है। इस रक्षा-रखाय आदि के लिए राशि 1,75,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 3,08,836 रुपये इसाय तर्फे हेतु एवं रक्षा-रखाय हेतु कुल राशि 7,88,933 रुपये अगामी वार वर्षी हेतु प्रदूषक्यात्र लाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। नाथ ही प्रदूषण नियन्त्रण हेतु परिवहन के दीर्घन अवधि/पहुंच जारी के उद्यम यूत उत्थानन के विवरण हेतु जल विकास के लिए राशि 50,000 रुपये प्रतिवर्ष आगामी पांच वर्षी हेतु विवरण प्रस्तुत किया गया है।**

**15. स्थानग की 7.5 मीटर की गौदी सीमा पट्टी में उत्थानन – लौज क्षेत्र की गाड़ी 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।**

16. गैर मार्किंग कोड़ - लीज कोड में नामीने होने की कारबा 860 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर मार्किंग कोड रखा गया है। जिसका सुलभता अनुमोदित मार्किंग स्थान में किया गया है।

17. कॉर्पोरेट एंवरेनमेंट रिपोर्ट (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष जिसका संचार वापर सिवाय अन्य सुलभता प्रक्रिया प्रस्तुत किया गया है।-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.45	2%	0.42	Following activities at nearby Village-Jagatpur Plantation with fencing in periphery of village pond area <b>Total</b>	1.60

18. नीहुआर की अलगत गांव के बासी जार (आन एवं जामुन) पूरानोपरां हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए जारी 1,000 रुपये, कौटिंग के लिए जारी 4,000 रुपये, जार के लिए जारी 1,000 रुपये, जिंदाबाई एवं रथ-रथावर जारी के लिए जारी 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 36,000 रुपये प्रस्तुत हेतु एवं रथ-रथावर हेतु कुल राशि 1,24,000 रुपये आगामी जार तरी हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाम फलायत जगहायर के सहायते लपत्रत अवधीन रखन (खाता जमांक 479) के राख्य में जामकारी प्रस्तुत की गई है।

19. औपर बढ़ेन की लीज कोड के अन्दर अप्पारिट करने हेतु जाम-जामानार, जामाना कमांक 747/2, मूस्यानी-बी गुरुद्वारन जिंह एवं जाम-लौटानपारा, जामाना जमांक 48, एवं 63, मूस्यानी-बी गुरुद्वारन जिंह एवं जाम-लौटानपारा, जामाना कमांक 68, मूस्यानी-बी जिंहेन्ट कुमार पाण्डेय जाम जापथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी की लीज कोड के अन्दर लीपटी जोन में । नीटर की जबाह तक तथा दीर्घ कापड़ी मिट्टी की लीज कोड के अन्दर गैर मार्किंग कोड में भवारित कर लिंगित रहने हेतु विवाद एवं अन्य बासी से ऊपरोक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्जारा हेतु किये जाने तथा भास्तुसित दीर्घ कापड़ी मिट्टी का निरीक्षण कारी/उद्धिकारी को उनके निरीक्षण/ध्वनि के द्वारा निरीक्षण कराये जाने वाला जापथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. मार्किंग लीज कोड के अन्दर एवं बाहर स्थान गुलारीपथ किये जाने एवं लैपिट भीड़ी का सर्वार्द्धवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु जापथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. ग्रामीणनार आदर्श पुनर्जारा नीलि के लहर स्थानीय लोगों को गोपनीय के आदर पर रोजगार में सामर्थित किये जाने हेतु जापथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. लाइन में जलधर उत्तराखण्ड हैंतु कम लीस्टा द्वारा ब्लास्टिंग का कार्य की तीव्र एवं इस द्वारा अधिकृत एवं पर्जीयोद्धा ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वायत् उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माईमिंग लीज लॉज में पचुलिटिव ब्लॉक उत्तराखण्ड के समस्त विन्दुओं / स्थानों पर वरिष्ठोंनुसार प्रस्तावक द्वारा निर्मित जल डिङ्गावाप बनाये जाने वायत् उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईमिंग लीज लॉज में सुनिज मिश्नी के उत्तराखण्ड सीमावान यात्राकर खाद्यान की लीस्ट में निर्मानानुसार स्थापित कराये जाने वायत् उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईमिंग लीज लॉज से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्तराखण्ड होता है तो) का प्रयाह प्राकृतिक जल स्तरों नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा (एवं बाबत उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. वरिष्ठोंनुसार प्रस्तावक पर प्रस्तावित खाद्यान के संबंध में किसी भी प्रकार की वर्गीकृत व्यायामकीय प्रकारण देख के अंतर्भूत किसी भी व्यायामक में लिपित नहीं है इस खाद्यान उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. वरिष्ठोंनुसार प्रस्तावक पर भारत राजकार, या और जलवायु परिवर्तन भवान अधिसूचना नां. 304(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्भूत योर्ड उत्तराखण्ड का एकलग लिपित न होने के बाबत उपर्युक्त (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. समिति का मत है कि नीट्सीआर लाई एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रशांतेपाल लाई के बैनिटिंग एवं चर्चेश्वर हैंतु वि-पहोच समिति (विवरहटर / वैलिनिटि) साथ प्रशांतेपाल के बैनिटिंग / वैलिनिटि एवं जिला प्रशांतेपाल छलीभागहृषि व्यवस्था उत्तराखण्ड गवर्नर की बैनिटिंग / वैलिनिटि) लिपित किया जाना आवश्यक है। साथ ही नीट्सीआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रशांतेपाल का कार्य गूम किये जाने के उपरान्त पठित वि-पहोच समिति हो उत्तराखण्ड कराया जाना आवश्यक है।
30. नवनीय एन.सी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरलद्ध भारत राजकार, पश्चीमवर्ष, या और जलवायु परिवर्तन भवान अर्द्ध पिल्ली एवं अन्य (अंतर्राजनय एकिवोशन नं. 186 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारिल आदेश गृहण रूप से निर्मानानुसार निर्देशित किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 in par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विवार किया उपरान्त सर्वसम्मति से निर्मानानुसार निर्धाय लिया गया—
- सार्वीत्य कलेक्टर (लगिया राष्ट्र) जिला-कोरिका के फलान जामक 363/उमिय/उप./2022 कोरिया वैकामपुर दिनांक 01/07/2022 के अनुसार अधिकृत खाद्यान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खाद्याने क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर है। आवेदित खाद्यान (याम-लोहागामा) का संतरफल 1.89 हेक्टेयर है।

इस प्रकार आवेदित खदान (याम-लौटानपारा) को मिलकर कुल खदानों का कोडफल 4.59 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर तक परिधि में स्थीकृत / संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर से ज्ञान होने के साथ इह खदान यो-इ श्रेणी की नामी नहीं।

2. समिलि हासा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मार्किट स्टोर प्रेसर (प्रो- श्री दुर्विज पाठ्डेप लौटानपारा ऑर्डिनेशन रस्टोर नामक) याम-लौटानपारा, तहसील-केकुप्पुर, जिला-जौराझिया के खदान अन्मान 62, 54, 56 एवं 65 में स्थित सभापति परधर (श्रीम खनिज) खदान कुल हेक्टेयर-1.85 हेक्टेयर क्षमता - 41,297 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रदूषकरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुरोद्धा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संबन्ध 136वीं बैठक ने दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती पर अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति शी निर्णय लिया गया—

1. समिलि की अनुरोद्धा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मार्किट स्टोर प्रेसर (प्रो- श्री दुर्विज पाठ्डेप लौटानपारा ऑर्डिनेशन रस्टोर नामक) को निम्न अतिरिक्त जली की अवधि प्रदान करनी व स्थीकृति जारी करने का निर्णय दिया गया।

“लैज फ्लै वर्ष की सीमा में जली ओप 7.5 मीटर की पट्टी रुधा शोईआर के तहत विन्य जाने वाले इकान्देय की जानकारी ग्लोबेट (Geotag) कोटोपापस सहित अविद्यार्थित लिंकेट में सम्हित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

साथ ही समिलि द्वारा विभिन्न किये गये तालीका वालन दुर्गमिति लिया जाए। पालन नहीं किये जाने की विधि ने विधिवत् वैधानिक कानूनकी की पहुँची।

परियोजना प्रताधिक को जानी प्रदूषकरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

4. मेसर्स चुनकट्टा लाईन रस्टोर जारी (प्रो- श्री कमल कुमार अवामाल), याम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्घ (संविधानसभा का नस्ती नामांक 1974)

जॉनलाईन आवेदन – प्रयोगल नम्बर – एसआई/ सीजी/ एनआईएन/ 34234 /2022, दिनांक 29/03/2022 द्वारा ईओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रताधिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियों होने से इनपन दिनांक 06 / 04 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट लिया गया। परियोजना प्रताधिक द्वारा जारी दिनांक 11/07/2022 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – इह प्रस्तावित घना परधर (श्रीम खनिज) खदान है। याम-चुनकट्टा तहसील-पाटन जिला-दुर्घ विधा खदान अन्मान 94/ 1, कुल कोडफल-1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधिन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार परियोजना प्रताधिक को एसईएसी, फलीसागढ़ के जामन दिनांक 03 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18 / 11 / 2022**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदर्श अवकाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नकारी प्रस्तुत जानकारी का अनापलित एवं प्रतीकृत करने पर लिमा सिमिटि पाई गई—

१. दूर्व में जारी पर्यावरणीय रक्षीकृति संबंधी विवरण— इस अवान को पूछे गये पर्यावरणीय रक्षीकृति जारी नहीं की गई है।
२. पात्र पंचायत का अनापलित प्रगाम पत्र— उत्तरानन के संबंध में पात्र पंचायत गुरुकुट्टा का दिनांक 19 / 06 / 2020 का अनापलित प्रगाम पत्र प्रस्तुत किया गया है।
३. उत्तरानन योजना— जारी इस प्रस्तुत किया गया है, जो उप-समाजक जिला—दुर्ग के ज्ञापन नमांक 1807 / लनि. अनु-०१ / 2022 द्वारा दिनांक 23 / 02 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
४. 500 मीटर की परिधि में विष्वत अवान— जारीतय कालेकटर (खानिय शास्त्र), जिला—दुर्ग के ज्ञापन नमांक 304 / खानि.लि.०२ / खानिय / 2022 द्वारा दिनांक 11 / 05 / 2022 अनुसार आवेदित अवान से 500 मीटर की ओर जारीत ३२ छद्मी, वीक्कल ५२०१९ हेक्टेयर है।
५. 200 मीटर की परिधि में विष्वत शार्कोनिक ढोक/लौरवनाए— जारीतय कालेकटर (खानिय शास्त्र), जिला—दुर्ग के ज्ञापन नमांक 304 / खानि.लि.०२ / खानिय / 2022 द्वारा जारी प्रगाम पत्र अनुसार एवं अवान से 200 मीटर की परिधि में ज्वेही की शार्कोनिक ढोक और गविर लैस्तियर भरवाट अस्पताल एवं रेल लाईन उड़िट प्रतिवर्षित होने किमित नहीं है।
६. भूमि एवं एलओआई. संबंधी विवरण— भूमि आवेदक को नाम पर है। इस श्री आई बी कमल गुप्तार अवकाल को नाम पर है, जो जल्दीतय कालेकटर (खानिय शास्त्र), जिला—दुर्ग के ज्ञापन नमांक 1824 / खानिय / ला.प. / 2022 द्वारा दिनांक 28 / 01 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवाद जारी दिनांक से १ वर्ष तक भी अवधि हेतु है।
७. किस्ट्रीवट आवेदन रिपोर्ट— वर्ष 2019 की किस्ट्रीवट आवेदन रिपोर्ट (Pesticide Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
८. बन विभाग का अनापलित प्रगाम पत्र— जारीतय कानूनव्यवस्थिति की, दुर्ग गवानपत्रक दुर्ग के ज्ञापन नमांक / लक.अदि./ 2021 / 4553 द्वारा दिनांक 30 / 10 / 2021 से जारी अनापलित प्रगाम पत्र अनुसार आवेदित होने विकटाम गम ढोक की सीमा से ३० किमी से अधिक की दूरी पर है।
९. बहलपूरी संरचनाओं की दूरी— विकटाम आवानी याम—कुमानद्वा १८० मीटर, रुद्रगंग पान—कुमानद्वा ३०० मीटर एवं अस्पताल याम—सेलुट ३ किमी की दूरी पर लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ११ किमी एवं राजमार्ग १५ किमी दूर है। राजमार्ग ३५० मीटर दूर है।
१०. पारिविष्वतीय/ जैवविविषता संबंधनशील ढोक— परियोजना प्रस्तावना द्वारा १० किमी जैव परिषद में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, जैवीय एवं ज्ञान विभिन्न ढोक द्वारा घोषित किटिकली वैल्युटेड एरिया, पारिविष्वतीय संवेदनशील ढोक द्वा घोषित जैवविविषता संबंधित कई होना प्रतिक्रिया किया गया है।

11. खनन संचयन एवं खदान का विवरण — जिलेजीजिकल रिपोर्ट 3,96,660 टन माईट्रेन डिली 1,30,820 टन एवं रिक्तहरेन डिली 1,17,738 टन है। लीज छोड़ 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (खदान के लिए प्रतिशेषित छोड़) एवं तोकतल 6.078 छोड़ीटर है। ओपन कास्ट तोनी मिक्सनाइकल मिटि से उत्थानन किया जाएगा। खदान की प्रसलायित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज छोड़ में कपड़ी मिट्टी की छोड़ 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,858 चनमीटर है। देख छोड़ 1.5 मीटर एवं छोड़ 1.5 मीटर है। खदान वर्ती स्थापित आबू 5 बर्ड है। लीज छोड़ में क्रांत्र रथापित लिया जाना प्रस्तावित नहीं है। लैक हाईर से ड्रिनिंग किया जाएगा एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण क्षिप्रकरण हेतु जल का डिफल्टर किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन में यह कियरण किमानुसार है—

बर्ड	प्रसलायित उत्थानन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	25,260
चतुर्थ	25,260
पाँचम	20,296

12. जल जागृति — नियोजनाना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 लीनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न शिकायतापूर्ण (जल ड्रिफ्टकाव, धुक्कावापर) हेतु जल की आवृत्ति आवश्यक विधिक लदानी में एकजित जल एवं फेनलन की आवृत्ति घोरदेह के नाप्तन से की जाएगी। मू—जल की एप्पलोगिंग हेतु गोमूल वापाप्स बोर्डर अवौंगिंगी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. बृक्षादीपन कार्य — लीज छोड़ वर्ती सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,260 नग पृक्षादीपन किया जाएगा।

14. गैर माझ्जिंग हेतु — लीज छोड़ में लीज छोड़ के समीप आवासीय जलन एवं रातक मार्ग होने के कारण 1,684 वर्गमीटर छोड़ की गैर माझ्जिंग लीज रुक्त करा दी जिसका उत्सैख अनुमतिलिए नव्वजिंग जलन किया जाता है।

15. प्रस्तुतीकरण के दोनों परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक संसारे की जिकास अदानत (लेक्का 3.06 हेक्टेयर एवं 1.06 हेक्टेयर) में जाने वाली समान सुदानी को जलस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन जाटा कलेक्टर का बार्ड अल्ट्रार 2021 से दिसंबर 2021 को खोल दिया गया था। तत्काल बेसलाईन जाटा कलेक्टर की सुविधा दी गई थी। अव्यासीय कलेक्टर (जिक्जित जाटा), जिता—कुर्च द्वारा जारी प्रभाग पञ्च में आवेदित खदान से 300 मीटर के गोतर अवौंगिंत लदानी में लाला खदान का उत्सैख है। अला अवौंगिंत खदान जारा कलेक्टर का भाग है। जिसके लिए ईआइए स्टडी पूर्व में की गई थी। नियोजना प्रसलायक द्वारा उक्त एकजित बेसलाईन जाटा का उपयोग कर ईआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अमुरीष किया गया है। उक्ता से समिति सहमता हुई।

16. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन — लीज छोड़ की मात्रे 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल कांडल 6.078 वर्गमीटर छोड़ है जिसमें से 980 वर्गमीटर छोड़ 11 मीटर की बहनाई तक उत्थानित है। जिसका उत्सैख आवृत्ति प्लान में किया गया है। अला प्रतिशेषित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय रक्षाकृति की जारी का उत्थान है।

17. उल्लेखनीय है कि मानक संरक्षण, पर्यावरण, वन एवं प्राकृतिक संसाधन गवाहाक, नई दिल्ली द्वारा नीन औल नाईनिय प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्ते पारी की गई है। इस कानूनक विवरण की अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide-safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उल्लंगन मानक शर्ते के अनुसार माइन लीज सीमा के छंदर 7.5 मीटर लैंडे संपर्की जीन में प्रकाशीय नियम लिया जावायक है।

18. माननीय प्रन.जी.टी., डिसिप्लिन बैच, नई दिल्ली द्वारा स्लैट यार्ट्टेप विस्तृत मानक संरक्षण, पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संसाधन गवाहाक, नई दिल्ली एवं अन्य (ओडिजनल प्रोजेक्ट्स) नं. 186 (क्रीफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आवेदन में गुणवत्ता की विभागानुसार निर्दीक्षित दिया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEPA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

पारित द्वारा विभाग विभागी उपरान्त संबंधित से विभागानुसार निर्णय लिया जाया—

- आर्थीलय क्लैबटा (अंग्रेज राज्य) विला-दुर्ग के ज्ञापन संख्या 201 / खानि.नि 02 / खानि.नि / 2022 द्वारा, दिनांक 11 / 05 / 2022 के अनुसार आवेदित स्थान से 500 मीटर के भीतर अपरिवर्ती रूप स्थान से उत्पक्ष 52/2018 हेतु दिया गया (प्राम-पुनर्वाट्टा) का रकमा 1.58 लैक्टोप है। इस प्रकार आवेदित स्थान (प्राम-पुनर्वाट्टा) को मिलकर कुल रकमा 53.508 हेतु दिया गया है। स्थान की सीमा से 500 मीटर की परिसीमे स्थीकृत/सामालित स्थानीय का कुल सेक्षकल 6 हेतु दिया गया है जिसका विवरण होने के बहाव यह स्थान बी। ऐसी की बनी नहीं है।
- माइन लीज सीमा के बारी क्लैबटा 7.5 मीटर लैंडे संपर्की जीन के बुझ नाम में किये गये उपरान्त के कारण इस सीमा के उपरान्ती उपायी (Remedial Measures) संबंध में तथा सीमा की अंदर नाईनिय विभागकर्ताओं के कारण उपरान्त प्रदूषण नियंत्रण हेतु अवश्यक उपायी यथा प्रकाशीय अधिकारी के लिये समुदाय उपायी को विभागित कराने वाला संसाधन, संघातनालय, भौमिकी लेल अनिकर्म, इडायरी प्रबन्ध नवा राज्युर अटल नायर, विला - राजपुर (अंग्रेजिसगढ़) को लेकर लिया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर लैंडे सीमा यट्टी में अंदर उल्लंगन लिया जाना यादे जाने पर जीय उपरान्त विभागानुसार अवश्यक कार्यकारी लिये जाने हैं। संघातक, संघातनालय, भौमिकी नवा उपायी की एक पर्यावरण की अभि विद्युताने हेतु उल्लीसमग्र पर्यावरण संस्कार मंडल, नवा राज्युर अटल नवार को विभागानुसार उपरान्त कार्यकारी लिये जाने हेतु सेवा लिया जाए।

a. समिति द्वारा लियार लिमिटेड उदासीन सर्वसम्मति से प्रकल्प की कठोरती का हमें के पहरण भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण बाधा अप्रैल 2015 में प्रकाशित रटेप्पुरी टम्सी ऑफ लिमिटेड (टीजॉडार) गवर्न इंजिनियर्स/एम.पी. लिपोर्ट पॉर्ट फ्लॉकट्रस/एकटीप्रिटीज रिक्यामारिंग इन्डियालोट तस्लीशरेल आमदार इंजिनियरिंग, 2006 में अप्रैल अंकी 1(ए) का रटेप्पुरी लिमिटेड (मोहा शुल्कार्ड एंडिंग) नींव खोल गाइडिंग फ्लॉकट्रस के नियम अधिकार द्वारा नियंत्रण की अनुशासा की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- v. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbed in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 904(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में लिया गया –** एप्पलेट प्रकरण पर प्राधिकरण ने दिनांक 09/01/2023 को सम्मान 136वीं बैठक में लिया गया। प्राधिकरण द्वारा भवती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा लिया गया सर्वसम्मति री प्रेस किया गया है सभी द्वारा अनुशासित उत्तराधिकार दोषोदात के बहु ने लिया संशोधन किया गया है।

- \* 4 (xi) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर 4 (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।
- \* 4 (xiv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 4 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है—

- (i) (i) सर्वेन हील शेत को गारी और 7.5 मीटर भीड़ भेष्टी जीव के कुप्रभाव से किये गए उत्तराधिकार के कारण इस शेत के उपचारी लागती (Remedial Measures) को सबूत ने तथा लीज दोष के बाहर नाईट्रिट फ्रियाक्सिनों के कारण सुखान प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक लागती रक्त त्रुपाठीय आदि की लिये रानुचित उपायी बाबत संवादक, संवादनालय, भीमिकी तथा गोपिनाथ

इंद्रायणी भवन, नवा राधपुर अटल नगर, जिला — राधपुर (छत्तीसगढ़) को पहले लिख किया जाए।

- (ii) परिवेशित ७.५ मीटर शीढ़ी सेवा पट्टी में छोड़ उत्थानन विषय जल्दी बारे बारे पर परियोजना प्रस्तावक के विलम्ब विषयमानुसार आवश्यक क्रियान्वयन लाईयाही किये जाने हेतु संबलक, संभालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म वाले घर लंस किया जाए।
- (iii) पार्श्वन लीज लोअर के चारों ओर ७.५ मीटर शीढ़ी सेवी जीव की बुझ नगर में किये गये उत्थानन से पर्यावरण को सांति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्यालय मंडल नवा राधपुर अटल नगर की विषयमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु पञ्च लंस किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशात् टम्पी ऑफ रेकर्ड्स (टी.ओ.आर.) (सोका सुनाहा है लिटिर) जारी किया जाए। सभा ही संभालक, संभालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रायणी भवन, नवा राधपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्यालय मंडल नवा राधपुर अटल नगर वाले घर लंस किया जाए।

6. भेदाल मुख्यपार लाईन कर्टोन बचानी (पो.— श्री कमल कुमार अध्यक्ष), गाम—मुख्यपार, लहरील—पाटल, जिला—दुर्ग (संविधानसभा का नस्ती छान्नाक २०२१)

ओनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए/ शीर्षी/ एमआईए/ ७७०८८ / २०२२ दिनांक १० / ०५ / २०२२ हुआ दी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक हुआ प्रस्तुत आवेदन में कार्रवाई होने से प्राप्त विनांक २७ / ०५ / २०२२ हुआ जानकारी प्रस्तुत करने हेतु विदेशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हुआ जानकारी दिनांक ११ / ०७ / २०२२ को ओनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित बूना पत्थर (गोल खनिज) खातान है। गाम—मुख्यपार, लहरील—पाटल, जिला—दुर्ग विधाया दासरा वर्षमास ६१० / १, ६१२, ६२३ / १, ६२३ / २, ६२४ / १, ६२४ / २, ६२५ / २, ६२६(पाटी), ६२७(पाटी), ६३१, ६३२, ६३३, ६३३ / १(पाटी), ६३६ / २, ६४०(पाटी), ६४१, ६४२ / १ एवं ६४२ / २, कुल होजड़ी—३७६ हेक्टेकर में प्रस्तावित है। जावेदान वाली आवेदित उत्थानन क्षमता—६०,००० टन द्वितीय है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक उल्लेखनीय एसईएसी, छत्तीसगढ़ की प्राप्त विनांक ०३ / ११ / २०२२ हुआ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैलक का विवरण —

- (अ) सामिति की ४३२वीं बैलक दिनांक १८ / ११ / २०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदानी अध्यक्ष, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिद्धि हुए। सामिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विनांक स्थिति पाई गई—

१. यूर्ब में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस खातान वाले यूर्ब में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
२. गाम पंचायत का जनाधिकार प्रभाग पञ्च — उत्थानन के सबूत में गाम पंचायत मुख्यपार का दिनांक २३ / ०३ / २०२१ का जनाधिकार प्रभाग पञ्च प्रस्तुत किया गया है।

1. उत्तराखण्ड मौजना — वयसी पद्धति प्रस्तुत किया गया है जो नव-मध्यालय जिला-दुर्ग के द्वायन जन्माक 109/खानि अनु-०१/2022 दुर्ग दिनांक 26/०४/2022 द्वारा अनुरोधित है।
2. 500 मीटर की परिधि में स्थित छावान — नव्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा) जिला-दुर्ग के द्वायन जन्माक 202/खानि लि०२/खानिज/2022 दुर्ग दिनांक 11/०५/2022 से अनुसार आंदोलित छावान से 500 मीटर के भीतर अपरिहार २३ छावानीं जीवनाल ४७४४८ लेक्टरपर हैं।
3. 200 मीटर की परिधि में स्थित शार्वजनिक होड़/हारचनाल — नव्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा) जिला-दुर्ग के द्वायन जन्माक 202/खानि लि०२/खानिज/2022 दुर्ग दिनांक 11/०५/2022 से अनुसार आंदोलित छावान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी शार्वजनिक होड़ नहीं परिवर्तनित भर्तवाल अस्पताल एवं रेल जाइन आदि जीववित्त क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
4. दल-ओ-आई, सबधी विवरण — दल-ओ-आई भी कमल कुमार अडवाल के नाम पर है जो नव्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा) जिला-दुर्ग के द्वायन जन्माक 26/खानिज/१०६/२०२२ दुर्ग दिनांक 06/०५/2022 द्वारा जारी दर्ता जाएं की नहीं पिस्ती वैष्णवा जारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक है।
5. मू—स्थापित्य — मूमि छावान जन्माक ६२२, ६२४/२, ६२५/२ श्रीमती सीमा एवं लेक लासल जन्माक आवेदक के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु मूमि स्थापित या सहमति यज्ञ की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — को २०१५ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. कव विभाग का अनापत्ति प्रगाच यज्ञ — नव्यालय उभायावलालीकारी दुर्ग जन्माल्ल, दुर्ग के द्वायन जन्माक/ताक अधि./2021/4653 दुर्ग दिनांक 30/०३/2021 से जारी अनापत्ति प्रगाच यज्ञ अनुसार आंदोलित क्षेत्र निष्कर्षण यज्ञ कोप भी सीमा से ३० किमी से अधिक की दूरी पर है।
8. बहत्यरुण मानवगान्धी की दूरी — गिकालम आवादी याच—शुहार २७० मीटर, स्कूल याच—मुहफर २३० मीटर एवं असालाल याच—सेसुद ३ किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ११ किमी एवं छावानी १.५ किमी दूर है। गालाव १५० मीटर दूर है।
9. पारिसंरक्षिकीय/जीववित्तिका स्वेदनशील होड़ — परियोजना प्रस्तावना द्वारा १० किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा साढ़ीय उषान अभ्यारण जीववित्तिका प्रदृशण विवरण होड़ द्वारा प्राप्ति किटिकली पौल्कुट्ट द्वारा, पारिसंरक्षिकीय स्वेदनशील होड़ का सांकेति जीववित्तिका हेतु मियत नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।
10. खनन संपर्क एवं स्थान का विवरण — जियोलोजिकल रिपोर्ट १८,७५,०३० एकड़ी ग्रामीणाल रिपोर्ट ६,८२,७५२ एकड़ी रिपोर्ट ५,५८,४७७ एकड़ी है। लीज की २.५ मीटर की सीमा पहाड़ी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिक्रिया होड़) का हीन्जल ७,६६२ कोलीटर है। शोयन जास्ट सेवी गैकनाइज्ड विति से स्थानगत किया जाएगा। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित अधिकारां २१ मीटर है। लीज होड़ में कमारी गिर्दी की मोटाई १ मीटर है तथा कूल जास्ट १३,६२७ मानीटर है। वेष्ट की ऊंचाई १.५ मीटर एवं लीकाई १.५ मीटर है। उषान की संभापित आयु ११ वर्ष है। लीज होड़ की क्षमत स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जोक हेतुर नो

ट्रिलिंग किया जाएगा एवं ब्लॉकेटर भी किया जाएगा। खदान में पानु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल या छिड़काय किया जाएगा। वर्षावार इसामिल उत्तराखण का नियन्त्रण निर्माननुसार है—

वर्ष	प्रभावात्मिक उत्तराखण (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	60,000
पंचम	60,000

13. जल आपूर्ति — चरिहोड़ा के जल आवश्यक जल की जाता है ब्लॉकेटर प्रतिदिन होती है। खदान में विधिन विद्याकरण (जल छिड़काय, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास विधिन खदानों ने एकजित जल एवं घेयजल की आपूर्ति बोर्डेल के नाम्यन से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राम्य बीटर अस्ट्रोरिटी से अनुमति लिया जाना प्रवत्तमित है।
14. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में जाहो और 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग पूर्णरूपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्तराखण — लीज क्षेत्र की जाहो और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तराखण कार्य नहीं किया जाता है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र — लीज क्षेत्र के निकट आवासीय मरम के कारण 4,968 ब्लॉकेटर क्षेत्र को एक लीज क्षेत्र के निकट ताजाव होने के बजाय 472 ब्लॉकेटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। शाव ली भीकाई कम कीने के कारण 8,920 ब्लॉकेटर क्षेत्र में 14 बीटर ली जहार्ह एवं उत्तराखण उपरांत 6 बीटर गहराई के खनिक उत्तराखण नहीं होने के दृष्टिगत गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। विसर्का उत्तराखण क्षेत्र जलांश ने किया गया है।
17. उत्तराखण के लीज क्षेत्र परियोजना प्रबल्लक्षण द्वारा जताया गया कि पूर्व में आवेदक मंसरों की विकास अवधार छिक्का 3.08 हेक्टेयर एवं 1.88 हेक्टेयर (एवं 1.88 हेक्टेयर) में आने वाली उत्तराखण खदानों की कलहटर में राखिल करते हुए बेसालाईन रहता कर्तृतावान का कार्य अनुकूल 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया था। उत्तराखण बेसालाईन खदान कलेक्शन की सूखना भी रही थी। कार्यकारी कलेक्शन (लगिंग इफेक्ट), लिल—टुर्ग द्वारा जारी प्रभाग पर में आवेदित खदान से 600 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उत्तराखण का उत्तराखण है। इतने आवेदित खदान उत्तराखण का भाव है, जिसके लिए इमाईए स्टडी पूर्व में भी रही थी। परियोजना प्रबल्लक्षण का द्वारा उक्त एक्सालाईन आदा का उपयोग काढ़ डू आईए ए विकेट रीपार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से समिति सहमत गई।
18. माननीय एन.जी.टी. प्रिसिपल बैच, नहु दिल्ली द्वारा सलॉन्ड व्हालॉप शिल्ड भारत सरकार, परिवर्तन, या और जलवाय वरिवाल मंत्रालय, नहु दिल्ली द्वारा 2016 (प्रोटोकॉल एप्लिकेशन नं. 100 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेत में शुल्क रूप से निर्माननुसार निर्दीक्षित किया गया है—
  - a) Proceeding for EIA, EIA<sup>P</sup> and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विधार विमाल सर्वसमानि से अनुशासन नियम लिया गया—

1. काशीलय कालेक्टर (समिति द्वारा), जिला-कुरुंग के शापन इलाज 202/उनि त्रि 02/समिति/2022 द्वारा दिनांक 11/05/2022 के अनुसार आवेदित भूदान ने 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदाने, कोडफास 49,848 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एम-बुझपार) का लकड़ा 3.73 हेक्टेयर है। इस खदान आवेदित खदान (एम-बुझपार) को जिलाध्य कुल लकड़ा 03,586 हेक्टेयर है। लकड़ा की गति ने 400 मीटर की परिधि ने स्थीरकृत/सम्बलित खदानों का लकड़ कोषण "5 हेक्टेयर से अधिक" का कलशटर नियम दीने के कारण यह खदान बी। ऐसी की गति नहीं।
2. समिति द्वारा विधार विमाल सर्वसमानि से प्रकाशन दी। लोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टॉचर्ड टर्मी ऑफ रिसोर्स (टीआईआर) द्वारा ईआईए /ईएमपी रिपोर्ट और प्रोटोकॉल/एक्टीविटीज रिव्यूयरिंग इन्वायर्मेंट एवीरेंस अलड़ा ईआईए नीटिक्षेपक्षन 2006 में वर्तीत बोर्ड 1(ए) का स्टॉचर्ड टीआईआर (तीका सुनावई सहित) भीन छोल गाहिंग प्रोटोकॉल द्वारा द्वारा जिम्म असिरिता टीआईआर की साथ जानी जिये जाने की अनुशन्ति दी गई—
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iii. Project proponent shall submit the copy of agreement for land owner.
  - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vi. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.
  - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - viii. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
  - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - x. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to

- Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- v. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to the project before any Court of Law in India.
  - vi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

**प्राधिकरण द्वारा ऐलक में विचार –** लकड़ीजल प्राप्तवर्ष यह प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 13लौटी ऐलक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विवरों उपरांत सर्वसम्मति री निश्चय किया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अनिवार्य ईस्टोवार के रूप में विचार किया गया है।

- 2 (x) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के रूपाने पर 2 (x) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।
- 2 (xi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 2 (xii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

परिपीक्षा इस्टोवार को सख्ती दम्भे और रेफरेन्स (Ref. No.) (लिख सुनवाई सहित) जारी किया गाए।

८. मेहराली लाईंग रहीन बवारी (प्रौ.- श्री नवीन गौतम), याम-दोदेकला, तहसील व जिला-रायपुर (साधियालय का संख्या क्रमांक 2107) जीवनसाफ़ेन आवेदन - प्रौदेशिक नंबर - एमआईए/ श्रीजी/ एमआईए/ ८०६९६/ २०२२ दिनांक १३/ ०७/ २०२२ द्वारा दी भी जारी हुए आवेदन किया गया है। यहां बताया का विवरण - यह प्रस्तावित दुनां पत्तर (वीम लगिंग) बहाल है। याम-दोदेकला, तहसील व जिला-रायपुर जिला क्रमांक १२९/ १, १२९/ २ एवं १३०, कुल दोषफल-२००४ हेक्टेकर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्रमांक-३२,२५० टन प्रतिवर्ष है।
- नदानुसार परियोजना प्रस्तावक जो एमआईएसी, जलीयासनक के द्वारा दिनांक ०५/ ११/ २०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।
- बैठक का विवरण -
- (अ) समिति द्वारा ४३२वीं बैठक दिनांक १८/ ११/ २०२२:
- प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमृल याम, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गतीय प्रस्तुता ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित खाते गए-
१. घूर्व में जारी बायोवर्बनीय स्थीकृति सारंभी विवरण- इस खदान की घूर्व में बायोवर्बनीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
  २. याम पंचायत का अनापालित द्रव्याण घञ - जलखनन की संकल में याम दोदेकला दोदेकला का दिनांक २४/ ०१/ २०१४ का अनापालित द्रव्याण घञ प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत याम पंचायत की अनापालित प्रमाण घञ में यासरा क्रमांक १२९/ २ का उल्लेख नहीं है। अतः सबसे सातांशी का उल्लेख हुए याम पंचायत का अनापालित प्रमाण घञ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  ३. उत्खनन दोजना - बवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघालक (व्याप्र), शोभालन्डलय, भौमिकी तथा खनिकाम, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा दृ.४३६/ खानि ०२/ नाम्बलन्डलय/ न.द्र.०४/ २०१९(३) नवा रायपुर दिनांक ०२/ ०२/ २०२२ द्वारा अनुमोदित है।
  ४. ५०० बीटर की परिधि में कियत सारांश - नवांलय कलेक्टर (खनिका शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक २०१७/ ख.लि/ तीन-६/ २०२२ रायपुर दिनांक १५/ ०३/ २०२२ के अनुसार आवेदित सारांश में ५०० बीटर के भीतर प्रतिवर्ष ८ सारांश द्वारा ९.७४८ हेक्टेकर है।
  ५. ३०० बीटर की परिधि में कियत सार्वजनिक बीच/ गांवगांव - कार्यालय कलेक्टर (खनिका शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक २०१७/ ख.लि/ तीन-६/ २०२१ रायपुर दिनांक १५/ ०३/ २०२२ द्वारा जलीय द्रव्याण घञ अनुसार यहां लगान से ३०० बीटर की परिधि गैर कोई भी सार्वजनिक बीच या भौदिर मकान, भवधट, झल्पताल एवं रेल लाईंग जादि प्रतिवर्षित संत्र निश्चित नहीं है।
  ६. एलओआई तांबंधी विवरण - एलओआई श्री नरेश गोव का नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिका शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक ८०५/ ख.लि/ तीन-६/ च.ल./ २०२१ रायपुर दिनांक ०५/ ०९/ २०२१ द्वारा जारी गैर कई विस्तरीय विवरण जारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक थी। अतः एलओआई की जाता हैं जूँड़ी तांबंधी दानाविल द्रव्याण किया जाना आवश्यक है।

7. गृ-पर्याप्ति - युग्मि लालसा जन्माक 129/2 की सुरेत पुस्तक एवं सुधी संस्कृती संस्कृती लालसा जन्माक 129/1 एवं 130 आयेदक के नाम पर है। उत्तमनन हेतु युग्मि स्वामियों का सहमति पड़ जी प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. बम विमान का अनापरिहित प्रभाव बन - लौज सीमा से निकटतम बम छोड़ की आस्तीनिक दूरी संबंधी जानकारी, बन विमान से जारी अनापरिहित प्रभाव पड़ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. भाइत्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटाम आवादी बाम-दोदेकला 880 मीटर एवं रुकुल बाम-दोदेकला 860 मीटर की दूरी पर स्थित है। शष्टीय बाजमार्ग 800 मीटर दूर है। कोलहन नाता 810 मीटर दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/ पौधविविचका भावेन्द्रशील छोड़ - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 मिली की वरिष्ठि में अलर्जीकीय बीमा, शष्टीय बाजान, अनापाल्य, छोटीय प्रदूषण विवरण बोले द्वारा पौधित विटिकाली पील्युट्रिव एवं पारिस्थितिकीय कांकेनशील छोड़ या पौधित उत्थानिकाता छोड़ किया जाती होना प्रतिवेदित किया गया है।

12. स्वनन संघर्षों एवं धनन का विवरण - जियोलीजिकल रिपोर्ट 13,62,700 टन, माहौलेश्वर रिपोर्ट 5,01,274 टन एवं रिकावरेश्वर रिपोर्ट 4,76,210 टन है। लौज की 7.5 मीटर बोडी सीमा पट्टी (उत्तमनन के लिए उत्तिरोधित संभव) का संत्रफल 8,400 वर्गमीटर है। औपन रास्ट सेमी मैक्रोइजल विधि से उत्तमनन किया जाएगा। उत्तमनन वर्ति प्रस्तावित अधिकातम गहराई 28 मीटर है। लौज छोड़ में उपरी खिटटी की गोटाई + मीटर है एवं कुल भाजा 12,600 वर्गमीटर है। बैच वर्ति ऊंचाई 1.5 मीटर एवं बोडाई 1.5 मीटर है। खदान वर्ति संभावित ऊंचाई 14 मीटर है। लौज छोड़ में घासी पर्याप्ति किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उत्तमनन में वायु प्रदूषण विषयक हेतु जल का छिपकाव जिक्र जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्तमनन का विवरण मिमान्सुकर है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तमनन (टन)
प्रथम	35,250
द्वितीय	35,250
तृतीय	35,250
चौथी	35,250
पाँचम	35,250

13. बाल-आपूर्ति - परिवेजन हेतु आवादाक जल की भाजा 6 वर्गमीटर जलीदिन होगी। बाल की आपूर्ति दैर्घ्य द्वारा बाम पर्यावरत के साम्बन्ध से किया जाएगा। इस बावजूद बाम पर्यावरत का अन्वयित प्रस्ताव वर्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. बृक्षारोपण कार्य - लौज छोड़ की सीमा एवं द्वारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,650 लग बृक्षारोपण किया जाएगा।

15. स्वाराम की 7.5 मीटर की बोडी सीमा पट्टी में उत्तमनन - लौज छोड़ के द्वारी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल संत्रफल 5,400 वर्गमीटर होता है, जिसमें से 950 वर्गमीटर छोड़ की ऊपरी खिटटी पूर्व से उत्तरोदित है, जिसका

उत्तरी अनुसंधित माईनिंग प्लान में किया गया है। जहाँ प्रतिवर्षित 7.5 मीटर लोडी सीमा चट्टी में उत्तरानन लिया जाना चाहिएलाई सीमाकूली की ओर का उत्तरानन है। अतः ऊंचे उत्तरान नियमानुसार आवश्यक प्राप्तियां लिया जाना आवश्यक है।

16. उत्तरानीय है कि भासा नालाद, पर्यावरण, या एवं जलपायु परियोन मेंबालय नहीं दिल्ली द्वारा नीचे कील माईनिंग लोडेंट्रा देश मानक प्राप्तियां जारी जाने की गई हैं; इसी क्रमांक 7.1.iii के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उत्तर मानक लोडी की उन्नुसार न्यून लोडी और के अंदर 7.5 मीटर लोडी सीमा को द्वारा दोषित किया जाना आवश्यक है।

17. मानवीय एनजीटी, प्रिसिपल बैष, नहीं दिल्ली द्वारा सत्यें प्राप्तिय विकल्प भासा नालाद, पर्यावरण, या और जलपायु चरित्रानन मञ्जलय, नहीं दिल्ली एवं अन्य (सीमिताननल एप्रिलेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दियाक 13 / 09 / 2016 की परिया भालोक में नुस्खा रूप से नियमानुसार नियमित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

रामिति द्वारा विधाय दियार्थी उपरान्त रावंसम्बन्धि से नियमानुसार नियमीय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खणिण जायगा), फिला-गायपुर के इवन छमांक 2017 / लि. / तीन-६ / २०२२ रायपुर, दियाक 15 / 03 / 2022 की अनुसार अनुसंधित आवान से 500 मीटर की भीतर उपरियत हु छादाने, होत्रफल १३५४८ हेक्टेयर है। आपेक्षित रावान (प्राम-दोषेकल्प) का रकमा 2.004 हेक्टेयर है। इस प्रकार आपेक्षित रावान (प्राम-दोषेकल्प) को फिलाकर कुल रकमा 11.95 हेक्टेयर है। रावान की सीमा ५०० मीटर की अंतिमि में नदीकूआ/संचालित रावानों का कुल दोषेकल ५ हेक्टेयर है अदिक वा वस्त्रहर नियमित होने के कारण यह रावान ही। ऐसी की सनी गयी।
- नाहर लोडी और के बारी कोर 7.5 मीटर लोडी संपर्की जाने की योग नाम में लिये गये उत्तरानन के कारण इस लोडी के उपरानी उपायों (Remedial Measures) की समय में तथा लोडी लोडी के अंदर माईनिंग क्रियालयानी के कारण उत्तरान ज्ञात्यन नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी या युक्तानेयग ज्ञाति के लिये समुक्ति उपायी को क्रियान्वित कराने वाले संघरक, रावालनालय, भीमिकी तथा खगिकर्म, इद्वायती नदीन, नदी रायपुर अदल नगर, फिला - गायपुर (खलीयनदा) जी लेख लिया जाए।

3. प्रतिवर्षीय ७.५ मीटर और तीन सौ यार्ड की कमी पर्यावरण किया जाना याकूब जाने पर जीव रुपरोप नियमानुसार आशयक कार्यकाली किये जाने हेतु जलवाया वायव्यालय, भौमिकी तथा खानिकाम को एवं पर्यावरण को शहरी पर्यावरण के नियमानुसार आवश्यक कार्यकाली किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा प्रियान दिनों उपलब्ध सार्वजनिक से प्रकाशन बीए कोटेगरी का जाने के बाबत भाष्ट लक्षण, पर्यावरण इन और जलवाया परिवर्तन मंडलद्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित रहेगहर्दृष्टि दस्ती ओडिशा (टीओआर) और इंडिया, /इंडिया पी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एकटीसिटीज रिकार्ड्सरिंग इन्वेस्टिमेंट वरीयरेस अध्यार हुआहैर, भौतिकिक्षेत्र, 2006 में घरित संघी १(ए) का रहेगहर्दृष्टि टीओआर (लोक सुनवाई समिति) नीन कोल मार्गिनिय प्रोजेक्ट्स हेतु मिन्न अलियन टीओआर में शाह जारी किये जाने की अनुशासा की गई—
  - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vi. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for mining and incorporate the all Khasra in NOC.
  - vii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for uses of water.
  - viii. Project proponent shall submit the LOI extension copy.
  - ix. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
  - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
  - xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time.

- and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02-08-2017.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैकल में विचार – उपलब्ध प्रकरण पर प्राधिकरण की फिल्म 09/01/2023 को रात्रान 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जल्दी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न उपराजि सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि समिति द्वारा अनुमति प्रदिविता दीलोंजार के ताने में विष संशोधन किया गया है।**

- \* 4. (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease-area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." की रक्खा एवं 4. (xiii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

सब तो यह भी निर्णय किया गया है—

- (i) (i) मर्ट्टन लौज क्षेत्र की छारी और 7.5 बीटर की सेप्टी लैन के कुछ भाग से हिस्से यह उत्थानक के बाहर हम बैज के उपराजि (Remedial Measures) के समय ने तथा लौज क्षेत्र के ऊपर माईक्रो कियाइलापी के पारण उत्पन्न प्रदूषण उत्तु आपात्काल दृष्टान्ती का युक्तारोगा आवि के हिस्से समुचित उपायों वाले विभाग, संघरणात्मक बैमिकी तथा अनिवार्य हुडाक्षी भवन, नवा रायपुर अद्वि नगर फिल्म – जागरुक (जारीमाना) को प्रक्रिया किया जाए।

(ii) परियोजना 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अवैध उत्थानन किया जाने पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवादक शैयागिक कार्यपाली किये जाने हेतु संखलक, संचालनालय, भौमिकी तथा सामिकरण वाले पञ्च लेख लिया जाए।

(iii) माईन लैंज लेव के साथी और 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी जीन के कुछ भाग में किये गये उत्थानन से पर्यावरण को छोड़ देने के कारण छलीसगढ़ पर्यावरण उत्थान नहल, नवा नायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवादक अवैधपाली किये जाने हेतु पञ्च लेख लिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को साझा हुए टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सम्बाह सहित) जारी किया जाए। सभी ही संखलक, संचालनालय, भौमिकी तथा सामिकरण, हड्डावाली भवन, नवा नायपुर अटल नगर एवं छलीसगढ़ पर्यावरण उत्थान महल, नवा नायपुर अटल नगर को पञ्च लेख किया जाए।

7. वैदानि श्री जगद्गुराम सौनकारी, घाम—बुद्धियापाली, लहरील—करताला, जिला—कोरबा (संविधानसभा का नंसी नंमांक 1838)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोर्जल नगर — एसआईए/ शीघ्री/ एमआईएन/ ३४३३२२/ २०२१, दिनांक ०४/ १२/ २०२१ हाथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में लिपियां होने से आपस मिलाकर ०४/ १२/ २०२१ हाथ पर्यावरणीय प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट विषय गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रसिद्ध वाइल जानकारी दिनांक ०३/ ०३/ २०२२ की प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित तरीके (शीघ्र खण्डित) जादान है। जादान पाल—बुद्धियापाली, लहरील—करताला, जिला—कोरबा लिया जानकारी नंमांक १५८, कुल शेषपात्र—३४०८ लेक्टेवर में प्रस्तुतियों से है। जादान की आवधित उत्थानन कमता—३७,८००.०२ टन प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एक हेतु, छलीसगढ़ के आपन दिनांक २३/ ०६/ २०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

वैठकों का विवरण —

(अ) रामिति की ४१२की वैठक दिनांक २८/ ०६/ २०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रियशुपाल सिंह राजमूल, अधिकृत इलिनिति उपसिंह द्वारा नहरी, प्रस्तुत जानकारी एवं अवधिकार लेने पर निम्न लिखित पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस जादान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- घाम प्रस्तावक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थानन के संबंध में द्वारा पर्यावरणीय संविधानी का दिनांक ३२/ ०३/ २०१३ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो संयुक्त संघरक (अधि. प्रहरी), संचालनालय, भौमिकी तथा सामिकरण तथा नायपुर के द्वारा क्रमांक ३६४७ / माईनिंग—२ / कघी पी / दफ.नं ७३ / २०१३ नम्बर
- उत्थान योजना — इहां प्रान् एलॉग लिया जानी वलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघरक (अधि. प्रहरी), संचालनालय, भौमिकी तथा सामिकरण तथा नायपुर के द्वारा क्रमांक ३६४७ / माईनिंग—२ / कघी पी / दफ.नं ७३ / २०१३ नम्बर

रायपुर दिनांक 17/07/2018 द्वारा अनुमोदित है। लघुसंग्रह संयुक्त संग्रहालय (खण्डित प्रशासन), सेक्षकसंग्रहालय भीमिकी तथा मुनिकी, जबा रायपुर अटल नवर के द्वारा पन्न ग्रामांक 5302/खण्डि-३/काटांज/कोरबा/न.ज्ञ. १३/2018 द्वारा रायपुर दिनांक 13/10/2021 द्वारा खिला कोरबा, गहरील कर्तव्य की दाम मुद्रियाली लिखा रुक्का नम्बर 166 की रुक्का 3605 हेक्टेयर (8.805 हक्कड़) होते पर खण्डित काटांज का दिनांक 17/07/2018 की अनुमोदित उत्थानन प्रोजेक्ट में संशोधन भी आग्रहित नहीं है। तथा उपरोक्त जारी पत्र (दिनांक 17/07/2018) में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र आरी लिया गया है।

4. 500 मीटर की परिधि में किष्ठि खादान – कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जारा), जिला-कोरबा की जापन ग्रामांक 5144/खण्डि-२/खा/न.ज्ञ./2007 कोरबा दिनांक 10/12/2021 के अनुसार आंशिक खादान से 500 मीटर के भीतर आंशिक अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में किष्ठि सार्वजनिक होत्र/संसर्जनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खण्डित जारा), जिला-कोरबा की जापन ग्रामांक 5143/खण्डि-३/खा/न.ज्ञ./2007 कोरबा, दिनांक 10/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खादान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र भीत्री रोड तुल रेललाईन, नहर, बांध, एनीकाट, भवन, मकान, अपालाल, मंदिर, मसिहाद, मुकुदामा, शार्षनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएँ नहीं नाला, इत्यादि प्रारोक्षित होने निर्मित नहीं हैं।
6. ग्रन्तुरीकरण के दोस्तन परियोजना प्रस्तावक द्वारा रक्तामा गला कि यह ने लग्न खादान के आदेश दिनांक 15/02/2010 द्वारा अन्वेदित होत्र के लिए काटांज (मुख्य खण्डित), छत्तरा ग्रामांक 198, क्षेत्रफल 3.805 हेक्टेयर एवं छत्तरा ग्रामांक 167, क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, कूल क्षेत्रफल 4.414 हेक्टेयर होत्र पर 1 दर्ते भी लगभग हेतु एलओआई घटाई की गई थी। लघुसंग्रह संलीलगढ़ नौण खण्डित नियम, 2015 ने संशोधन के तहत काटांज जो भी गीण खण्डित की खेती में आंशिक लिया गया। गीण खण्डित छोलिया करने के उपरांत पुनः आंशिक पत्र आरी लिया जाना चाहिया जाय।
7. भूमि एवं एलओआई संबंधी विवरण – यह जासक्षीय भूमि है। एलओआई उत्तीरणहृत जागरूक खण्डित साधन विभाग नेत्रालय, महानदी भवन, नजा रायपुर के पु. ज्ञापन ग्रामांक/एक ३-३/2011/12 रायपुर, दिनांक 06/03/2017 द्वारा जारी की प्रस्तुत नहीं ही, जिसके अनुसार लीज लीब पट्टे जाड का जागत है। लघुसंग्रह संशोधित एलओआई उत्तीरणहृत जागरूक खण्डित साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, जबा रायपुर अटल नवर के पु. ज्ञापन ग्रामांक/एक ३-३/2011/12 नवा रायपुर दिनांक 08/09/2021 द्वारा जिला-कोरबा राहगील-करतला, पान-मुठियापाली की खसरा नम्बर 166 की रुक्का 3605 हेक्टेयर होत्र के संबंध में लग्न खादान भीमिकी तथा मुनिकी द्वारा प्राप्तिकृत अंदिलाई/मासहीय जान घटाई में उपरोक्तागुप्तार रांगोलिय उत्थानन घोषित एवं पटटा होत्र में खनन कराई हेतु आवश्यक विवरणीय अनुच्छेद प्राप्त कर इस लियाग की प्रस्तुत करें।” जब उल्लेख है। गाय ही उक्त पत्र में लीज होत्र पान भूमि होने का भी उल्लेख है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत भी गई है।

9. बग डिमाग का अनापलित इमार्य पकड़ — एकांस्य बगनारुद्धारिकारी जीवन वर्गमण्डल लिला—जीर्णा के इकान प्रामाण्य/ताक.ख./480 कोर्ट, दिनांक 22/01/2020 से जारी अनापलित प्रबन्ध पकड़ अनुसार आवेदित होता लिएकार्यम जन कोर्ट की सीमा में 500 मीटर की दूरी पर है एवं आवेदित भूमि की भीतर 4 मव घटनादार क्षेत्र रखा 1. नग इमारती क्षेत्र जीवन्ति है।
10. गहुलबूची लंदनवालों की दूरी — लिकटाम झायादी खास—बुढ़ियापाली 320 मीटर एवं अपालाल जीहानपुर 2 किमी की दूरी पर स्थिता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 किमी एवं राज्यमार्ग 4 किमी दूर है। हसरीन जी 8.5 किमी दूर है।
11. यारिस्थिरिकीय/दीवधियिका लंदेनरीत होत — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परियोजना में जलसीजीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमायारमन्द, कैन्टीन पट्टाग मियांगा और द्वारा चांचित गिटिकाती पीलबुटेह एरिया, यारिस्थिरिकीय संप्रेदनरीत होत ता चांचित गिटिकाती होत रियत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. अनन खपदा एवं खाना का विवरण — जिसोलायिकल रिजर्व 9,16,240 टन, भव्यगेपत रिजर्व 4,03,500 टन एवं रिक्फरेवल रिजर्व 3,83,300 टन है। लौज की 7.5 मीटर सीधी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवेशित होत) का लंबायन 1.986 कर्मीटर है। ओपन बास्ट सीमी कोनाइज्जु विहि से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.8 मीटर है। लौज होत में उपरी छिटी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 7,020.83 कर्मीटर है। देश की उमाई 3 मीटर एवं बोडाई 3 मीटर है। खदान की संगति आयु 11 वर्ष है। लौज होत में झालर स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लौज होत से ड्रिलिंग एवं प्रबौल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में यात्रु प्रवृत्त नियन्त्रण हेतु जल का नियन्त्रकाय किया जाएगा। अधिक प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	35,100.04	कठम	40,100.03
द्वितीय	35,200.05	सप्तम	40,200.04
तृतीय	35,300.06	अष्टम	40,300.05
चतुर्थ	35,400.07	नवम	40,400.07
पंचम	35,500	दशम	40,500

13. निमिति के साथान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत क्षारी उत्तरानन में लौज की 7.5 मीटर सीधी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवेशित होत) का क्षेत्रान 1.985 कर्मीटर उत्तरायित है, जो कि उदान की पुल लंबायन 3.605 हेक्टेयर की अनुसार उपरी प्रतिवेशित नहीं होता है। निमिति का मत है कि उत्तरानन के साथान में नियन्त्रकानन सीमा अनुमोदित गाहुमिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. गल आगृहि — गल की अनुरूप उत्तरानन एवं अनुमोदि साक्षी जानकारी/वस्तावित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. सुखारीचन कार्य — लौज होत की सीमा में यात्री और 1.5 मीटर की पट्टी में 450 नग युक्तारीपण किया जाएगा। सुखारीचन हेतु धौधो का रोपण, सुखा हेतु लंसिंग, खाद एवं सिंधार्ता तथा रख—रखाय का लिए 5 वर्षी जल घटकानार त्याग का विवरण नहिंत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. खेदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराखण्ड — लीज शेष की पारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तराखण्ड कार्बन नहीं किया जाए है।
  17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी है आर (Corporate Environmental Responsibility) के तहत युआरपाय प्रस्तुत नहीं किया जाय है। समिति का मत है कि युआरपाय ही यूपीएसी, खाद एवं सिवाई लक्ष रख-रखाव के लिए 5 कर्मी का गठनकार एवं अधिकार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव शहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  18. समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज के विविध ग्रामीणों का आवागमन होना पारे जाने अथवा नहीं के संबंध में विविध स्थान घायिकारी (ग्राम मुख्य बन अनुसारी) सह युआरपायी से अनापस्त प्रस्ताव में विस्तृत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शहर की तरफ 7.5 मीटर की ओर में साधन युआरपाय किये जाने वायर शपथ पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  20. आवेदित लीज को भीतर 5 नग कृष्ण है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अवश्यकतानुसार उक्त कृष्ण की लक्षाई लक्ष्य प्राधिकारी से अनुमति छपाकत ही की जाएगी। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में जपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- समिति द्वारा उत्तराखण्ड सर्वोच्चमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—**
1. शहर की तरफ 7.5 मीटर की ओर में साधन युआरपाय किये जाने वायर शपथ पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
  2. आवेदित लीज को भीतर 5 नग कृष्ण है। अवश्यकतानुसार उक्त कृष्ण की लक्षाई लेतु लक्ष्य प्राधिकारी से अनुमति देखात ही की जाएगी। इस वायर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  3. ऊपरी मिट्टी प्रबन्धन (Top Soil Management) की उपर्युक्त व्यवस्था शामिली जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  4. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिक्रिया दीव) का कोरिफल 1.585 वर्गमीटर लक्ष्यानुसार है, जो कि उदान के कुल कोरिफल 3.605 हेक्टेयर के अनुसार उपर्युक्त प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित अनुग्रहित गाहीनिय लक्ष्य प्रस्तुत किया जाए।
  5. नारायणपुर क्षेत्र लेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  6. जल की आवृत्ति स्वोत एवं अनुमति स्वामी जानकारी/टक्कारीज प्रस्तुत किया जाए।
  7. प्रस्तावित लीज के परिवर्त में हायिकों का आवागमन होना पारे जाने अथवा नहीं के संबंध में विविध स्थान घायिकारी (ग्राम मुख्य बन अनुसारी) सह युआरपायी से अनापस्त प्रस्ताव यह विस्तृत किया जाए।
  8. लीज को चौड़ी सीमा में खारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में युआरपाय हेतु यूपीएसी का विवरण सुन्दर हेतु फैसिल, खाद एवं सिवाई लक्ष रख-रखाव के लिए 5 कर्मी का गठनकार व्यव का विवरण शहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

१०. नींहे आर (Corporate Environmental Responsibility) को लाल ४०० नम पैसो की बुद्धार्थीयता हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गही किया गया है। समिति का सत है कि बुद्धार्थीयता हेतु पौधों, फॉरेस्ट, खाद एवं शिचाई तथा रक्षण के लिए ८ वर्षों का घटकावास एवं समर्पण व्यवहार का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्त लगभग पूर्ण जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने उपर्युक्त जनामी कार्यवक्त्वी की जाएगी।

लदानुसार पात्र हैं तो, छलीशब्द को जानने दिनांक ०३/०८/२०२२ के परिणाम में लियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक १७/१०/२०२२ को प्रस्तुत किया गया है।

#### (३) समिति की ४३२वीं बैठक दिनांक १८/११/२०२२-

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानवरों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठा पाइ गई:-

१. नदीक के नदी ७.५ मीटर के बीच में सधन बुद्धार्थीयता किये जाने वाला उपर्युक्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
२. आवेदित लीज बीज के भीतर ५ ग्रन्ट यूस है। आवश्यकतानुसार लगा पूछी की कटाई हेतु सभी प्राक्तिकारी से अनुमति उपरांत ही जी जाएगी। इस बाबत शायद पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
३. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (Top Soil Management) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उखानित क्षेत्री मिट्टी को खदान के पुनर्जनव से उपयोग किया जाएगा। सब ही ऊपरी मिट्टी को लीज बीज के बाहर फरारित कर समिति रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुत्तयोग न जानने, विद्युत न करने एवं अन्य कारों से उपर्युक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग मुख्यतः हेतु किये जाने वाले वापर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
४. लीज की ७.५ मीटर बीड़ी जीमा यहाँ (उत्तरानन के लिए प्रतिवर्षीय दोब्र) का औषधकल १.५८५ वर्गमीटर उत्तरोंदेश है, जो कि खदान के कुल औषधकल ३.००६ क्वार्टरर के अनुसार लाखित जीत नहीं होता है। उक्त के सबम में परियोजना प्रस्तावक यह व्यवह है कि लीज की ७.५ मीटर बीड़ी जीमा यहाँ १.५८५ वर्गमीटर के क्षेत्र में ही ब्याट्टेज की उपलब्धता होने के कारण १.५८५ वर्गमीटर बीज को मिनराला बीड़ीकूप में गणना की गई है। यह ही ब्याट्टेज की उपलब्धता अनुसार २२.५५५.९७ वर्गमीटर क्षेत्र में ही जियोलीजिकल रिजर्व की गणना की गई है, जिसका उत्तरोंदेश अनुमोदित मार्फतिका ज्ञान में है। यास्तव में लीज की ७.५ मीटर बीड़ी जीमा यहाँ (उत्तरानन के लिए प्रतिवर्षीय दोब्र) का औषधकल ६.१६५ वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिकोण लीज की ७.५ मीटर बीड़ी जीमा यहाँ १.५८५ वर्गमीटर दोब्र में ३ परियोजनाएँ में लगान १.५०० नगर बुद्धार्थीयता किया जाना छायाचक्र है।
५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गारलेण्ड ब्रेन के विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत बनाने के सबम में व्यवह है कि प्रस्तावित बीज बहे पहाड़ी क्षेत्र का भाव नहीं है, लागे एवं बीमे ही उपर्युक्त गा अंतराल (difference of elevation between top & bottom) २० मीटर से कम है, जिसका उत्तरोंदेश पूर्व में ही अनुमोदित मार्फतिका ज्ञान में किया गया है। प्रस्तावित खदान हेतु चार्ड गारलेण्ड ब्रेन की उपलब्धता नहीं है,

मौसम के अनुसार टेम्परेचर गारलेफ्ट ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। जिससे सहकारी एवं खदान थोक उभयंति नहीं होगा।

6. परियोजना द्वारा अवश्यक पाल की बजाए घटनीटर ब्रिंगिंग होगी, जो कि 10 घटनीटर प्रतिदिन से है। उत्तर भू-जल की सुधारणाएँ द्वारा संषुल प्राप्तपूर्व बीटर अवौरिटी से छूट प्रमाण पत्र लीज एरीमेट के लिए खुनन संक्षिप्त प्राप्तमात्रा के पूर्व प्रतीकाश प्राप्तवाच्य प्राप्तवाच्य पत्र से बच एवं यापु यापती की प्राप्ति के बीच लिया जाएगा।
7. प्रस्तावित लीज की परियोजने की हक्कियां जो आवागमन होने के समय में कानूनीय प्रतिक्रियाएँ नहीं, कोरका कनमस्कूल, लिला-कोरका के द्वारा जनांक/जनसूचना/5134 कोरका दिनांक 15/09/2022 से जारी अवधिका प्रमाण पत्र अनुसार लेमक हाथी के प्रस्ताव में 10 किमी. परियोजनावाले नाम द्वारा काले धान से कसाला परिक्षेत्र के बाहे बुद्धियावाली बाहर है। का उल्लेख है।
8. लीज की सीमा में घासी और 7.5 मीटर की पट्टी में दुमातीपाण द्वारा प्रस्ताव अनुसार 1,000 नम पीसी के लिए राशि 90,000 रुपये, कॉरिन के लिए राशि 25,000 रुपये, लाव एवं रिंडोह के लिए राशि 1,00,000 रुपये, लाव-रद्द-रसायन अट्टी के लिए राशि 1,20,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,35,000 रुपये द्वारा घटकाव व्यव जा दिया जाएगा।
9. परियोजना प्रस्तावका द्वारा बीईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा नियमानुसार संशोधित विस्तृत प्रकाश प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	1.0	Following activities at Gram Panchayat Bhawan, Village-Budiyapali Plantation with fencing.	
			Plantation with fencing	3.19
			Total	3.19

10. बीईआर के अनुरूप पाल पर्याय भवन बुद्धियावाली में (अंगठा, बड़ा गोपाल, नीम, झान, अर्जुन, बैल अट्टी) कृष्णार्थपाण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नम पीसी के लिए राशि 74,000 रुपये, कॉरिन के लिए राशि 25,000 रुपये, लाव एवं रिंडोह के लिए राशि 1,00,000 रुपये, लाव-रद्द-रसायन अट्टी के लिए राशि 1,20,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,19,000 रुपये द्वारा घटकाव व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
11. अट्टीला ब्लास्टिंग का जाय दिम्बोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले लक्ष्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना सी जिन-जिन लक्ष्यों की क्षुद्रिटिय ऊट कालीन होता तब अपनी प्रति नियमित पाल लिङ्गकाव की आवश्यकता किमी जाने वाले आकर पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. अटॉमेंग लीज लोड के अद्वा एवं बाहर स्थान युक्तारोपण किये जाने द्वा रखा पीढ़ी जा औ इन प्रतिशत लीजन द्वा सुनिश्चित किये जाने बाबत आवश्यक पत्र (Notarized undertaking) दस्तुल किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरलों कानूनीत्वात् लिया (Minerals Concession Rule) के तहस बाहरपूरी पिलात् द्वारा भीगाकरण का छार्ट सुनिश्चित किये जाने बाबत आवश्यक पत्र (Notarized undertaking) दस्तुल किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लालाद, फेलर, बहर, नदी, नाला एवं अन्य जल विद्युतों के संखान एवं संकर्मन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 गाह की भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत आवश्यक पत्र (Notarized undertaking) किया गया है।

16. समिति जा जा है कि शीईआर कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी ने युक्तारोपण कार्य को भीनिटरिंग एवं पर्सेप्टर द्वारा त्रिप्पोल अनुभिति (प्राप्तिराइट/प्रतिनिधि शाम पंचायत की पद्धतिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का एकीकरण पर्यावरण संस्थान मण्डल के पद्धतिकारी/प्रतिनिधि), परियोजना जाना अवश्यक है। जाम ही शीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी ने युक्तारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के समर्तता गठित त्रिप्पोल समिति से सम्पादित घराना जाना आवश्यक है।

17. माननीय एवंजीटी, प्रिसियल बैग, नई दिल्ली द्वारा भार्यैद जानलेप विलद भारत जालकार, पर्यावरण का लौप्र व्यवहार्य वरियाति संज्ञान, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ओफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेत में भुल कर वी निम्ननुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभार लम्हात् शर्वभास्ति से विमाननुसार निर्णय लिया गया—

- कायोवर कालेक्टर (खण्ड शास्त्रा), जिला-कोर्सा के ज़ापन ज़नक 5144 / खलि-३ / का. / न.का. / 2002 कीसा, दिनांक 10/12/2021 के अनुसार अन्वेषित खादान से 500 मीटर की भीतर अनुभिति अन्य शादानी की संख्या निर्णय है। अन्वेषित खादान (दाम-युक्तियापाली) का कोर्ज़ल 3,605 हेक्टेयर है। यहाँन की भीतर से 600 मीटर की परिषेम में स्थीरता/सामाजिक खदानी का कुल कोर्ज़ल 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होने के बाल्य यह खदान बी-२ थेपी की भाँती रहती।
- समिति द्वारा विभार विभार लम्हात् शर्वभास्ति से आवेदक — मैलसी श्री यगवन्मार फोगधरी को शाम-युक्तियापाली, खलील-कलाल, जिला-कोर्सा के खण्ड ज़मांक 158 में खिल कर्तीज (श्रीम अग्नि) खदान कुल दीर्घापल-3,606 हेक्टेयर, शामल-37,500 टन प्रतिवर्ष हेतु यांत्रिकीय सीमावृत्ति दिए जाने की अनुशासा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवाद – उपलब्ध प्रकरण पर प्राधिकरण ने दिनांक 09/01/2023 को संघन 138वीं बैठक में विवाद लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अनुच्छेदित विवाद यहा। प्राधिकरण द्वारा विवाद विभाजन समिति से निर्णय लिया गया—**

1. समिति की अनुसन्धान की वीकर करते हुए बताएँ – नेशन श्री जनकुमार जोगड़रारी जो गिरा असिद्धिक जाने के लिये पर्यावरणीय रक्षीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया—

जीव जीव जी जीना में जारी और 75 मीटर की पट्टी तक लौंग आर के लकड़ी जाने वाले उदारांश की जानकारी गियोटेग (Geotag) पोलोपायज्ञ समिति अंतर्गतिक रिपोर्ट ने जानकारी करते हुए प्रस्तुत किया जाए।

वास्तव ही समिति द्वारा निहित गिरे गई जाति का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं हिये जाने की विवाद में विविध विभाजित वर्गोंमध्ये भी जाएगी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोइ न्यायालीन प्रकारण देख के अनुग्रह किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं होने वाला। नोटर्ड उन्न (Notarized undertaking) जमा गिरे जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भास्ता रारकार, पर्यावरण, वन और जलवाय न्यायालीन मान्यालय की अधिसूचना का ज्ञा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अनुसार बोई उल्लंघन का एकत्रण लक्षित नहीं होने वाला। नोटर्ड उन्न (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को जारी कर्यालयीय रक्षीकृति पर जारी किया जाए।

4. उत्तीर्णगढ़ आदर्श पुनर्जीव गैरि की राहट स्थानीय लैंगो जी गोलगाड़ दिये जाने हेतु राक्ष उन्न (Notarized undertaking) प्रस्तुत गिरे जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को जारी कर्यालयीय रक्षीकृति पर जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लानुसार सूचित गिरा जाए।

8. नेशन एलेव रटोन जवारी (पौ— श्री ज्ञान कुमार परमार), यान—बरबरपुर, तहसील व जिला—महाराजानुद (संविधालय का नस्ती क्रमांक 1823)

अंगजाईन आवेदन — प्रभावत नाम — एसडब्ल्यू/ शीजी/ एमडब्ल्यू/ 67895 /2021, दिनांक 26/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह दूर्घ से संघालित गार्ही पर्यावर (भीषण खणित) लादान है। खदान याम—बरबरपुर, तहसील व जिला—महाराजानुद गिरा पार्ट लैंग जासरा ज्ञान 358, कुल लोडफल—0.72 हेक्टेयर में है। लादान की आवेदित उल्लंघन क्रमांक—14625 उन (358 एकड़ीटर) प्रतिकर्ष है।

लानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडब्ल्यू/ शीजी/ एमडब्ल्यू/ 67895 /2021 द्वारा प्रस्तुत कर्यालय हेतु सूचित किया जाए।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रकल्पीकरण हेतु श्री ज्ञान कुमार परमार, एसडब्ल्यू/ शीजी/ एमडब्ल्यू/ 67895 /2021 द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिवार ज्ञान पर गिरा विवाद जारी रखे—

**१. यूंत में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की सार्वजनीक विवरण—**

१. यूंत में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की सार्वजनीक विवरण—  
पर्यावरणीय स्थीरता की सार्वजनीक विवरण इसके अन्तर्गत जिला—महाराष्ट्र द्वारा दिनांक १६/०१/२०१७ को जारी की गई। यह स्थीरता की विवरण दिनांक १६/०१/२०२२ तक की अवधि है। यह जारी की गई।
२. यूंत में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की राती को इलाज में की गई जारीकारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
३. निर्धारित गतोनुसार दूसारीपट्टी नहीं किया गया है।
४. कार्यालय कलेक्टर (खानिक जाता), जिला—महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक ३१/०८/२०२१ द्वारा विवरण दिये जानकारी निम्नानुसार है—

दिनांक	संस्थापन (घनमीटर)
०१/०१/२०१७ से ३०/०६/२०१७	१४०
०१/०७/२०१७ से ३१/१२/२०१७	१५०
०१/०१/२०१८ से ३०/०६/२०१८	१४०
०१/०७/२०१८ से ३१/१२/२०१८	२०९
०१/०१/२०१९ से ३०/०६/२०१९	२१८
०१/०७/२०१९ से ३१/१२/२०१९	६४
०१/०१/२०२० से ३०/०६/२०२०	१०४
०१/०७/२०२० से ३१/१२/२०२०	२१२

२. याम पंचायत का अनायास प्रमाण पत्र — जलखनन के संबंध में याम पंचायत बढ़गाव गता दिनांक ३०/०६/२००७ का अनायास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। याम पंचायत को अनायास प्रमाण पत्र की अधिकार इसी कार्यालय कीहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
३. खरखनन योजना — जारी इलाज विश कारी बोर्ड द्वारा दिए इन्हायरीमेंट नेनजमीट खरखनन प्रस्तुत किया गया है, जो खानि अधिकारी जिला—महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक १२००/क/खलि/न.क. /२०१८ महाराष्ट्र दिनांक ३४/०६/२०१९ द्वारा अनुमोदित है।
४. ३०० फीटर की परिधि में रिवर स्वाच्छन — कार्यालय कलेक्टर (खानिक जाता), जिला—महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक २२४/क/खलि/न.क. /२०२१ महाराष्ट्र दिनांक १०/०९/२०२२ के अनुसार इसकी घटना से ३०० फीटर की पीठर अवशिष्ट ८९ लाखों कोडफल ३९.६६ हेक्टेयर है।
५. २०० फीटर की वरिधि में रिवर सार्वजनिक शोष/सरवनाए — कार्यालय कलेक्टर (खानिक जाता), जिला—महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक १३१३/क/खलि/न.क. /२०२१ महाराष्ट्र, दिनांक ३१/०८/२०२१ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यहां स्वाच्छन से २०० फीटर की वरिधि में जोई भी सार्वजनिक शेष और नींवें, मरपट, स्कूल, अस्पताल, पूज, काँड, एनोकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त हीन भिन्नता नहीं है।
६. भूमि एवं लीज का विवरण — यह जासकंद्र भूमि है। लीज श्री अहम वर्मा के नाम पर है। लीज लीड १० वर्ग अक्षर दिनांक २२/०९/२००१ से

21/09/2011 तक थी थी। तापमात्रा लौज और मै 20 वर्षों की विवर 23/09/2011 से 21/09/2031 तक की अवधि शुरू की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — पर्ये 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की द्वारी प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापलिं प्रगति पत्र — लौज जीमा की निकटता बन द्वारा की वास्तविक दूरी के संबंध में बन विभाग ने पारी अनापलिं प्रगति पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
9. महात्मपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवाही धान-करघापुर 620 मीटर दूर सूखे धान-बरवाचपुर 830 मीटर एवं अस्पताल महासमुद्र 11 किमी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 255 किमी एवं राजमार्ग 139 किमी दूर है। नालाब 700 मीटर, महानदी 500 मीटर एवं बरवाची नदी 430 मीटर दूर है।
10. पारिसंरक्षितक्षेत्र / वैद्यकियता क्षेत्रकालीन दोष — परियोजना प्रकाराएवं इसका 10 किमी की परिधि में अलर्टीज़ोड़ सीमा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यासगांग केर्टीय प्रदूषण नियंत्रण की द्वारा घोषित डिटेक्टरी पॉल्यूटर एवं पारिसंरक्षितक्षेत्र क्षेत्र या गोपिता वैद्यकियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रिया किया जाता है।
11. खनन संपर्क एवं स्थान का विवरण — अनुपीडित बड़ी प्राचीन अमृतासर विश्वालंगिकल रिजर्व 1,18,094 टन (67,937 मनमीटर), माइनिंगल रिजर्व 85,451 टन (28,180 मनमीटर) एवं निकलगैल रिजर्व 49,088 टन (19,635 मनमीटर) है। जानकारी में विश्वालंगिकल रिजर्व 88,720 मनमीटर एवं माइनिंगल रिजर्व 24,943 मनमीटर है। लौज की 7.6 मीटर दूरी जीमा बढ़ती (उत्तरानन के लिए परिवर्तित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,888.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रशक्तिप्रदिक्षिण गहराई 12 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गोटाई 3 मीटर है। बेत की गोटाई 1.5 मीटर एवं लौकाई 1.5 मीटर है। स्थान की सेमानित आयु 30 वर्ष है। लौज क्षेत्र में जानन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्थान में आपूर्ति प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकलान किया जाता है। उत्तरानन का विवरण सिमानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (मनमीटर)
2022	585
2023	585
2024	585
2025	585
2026	585

12. यात्रा आपूर्ति — अरियोजना हेतु आपूर्तिक जल की आय 3.94 मनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की अपूर्ति टैक्स द्वारा दाम प्रदायन के माध्यम से निकल जाता है। इस दाम से प्रदायन का अनापलिं उत्तरानन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. गुजारीधर कार्य — अरियोजना प्रस्तावका द्वारा जात्या गया कि लौज क्षेत्र की जीमा में जारी और 7.6 मीटर की पट्टी में 336 मन तुम्हारीपाल किया जाएगा।

१४. खाद्यान की ७.५ मीटर की ओरी सीमा पट्टी में उत्तरानन — लैंड शेअर के बारे और ७.५ मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन कार्य नहीं किया गया है।

१५. प्रलूबीकरण के दौरान परियोजना प्रवाहावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी इच्छावरपूर्ण स्वीकृति की तरीके के अधीन युक्तारोपण का कार्य द्वारा पवाहत द्वारा दिये गये पिन्डित लैंड में युक्तारोपण किया गया है। समिति की लंगान में यह तथा बताया कि परियोजना प्रवाहावक द्वारा लैंड की सीमा में बारे और ७.५ मीटर की पट्टी में युक्तारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति नहीं मत है कि युक्तारोपण का कार्य पूर्ण कर छोटीपापस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

१६. प्रलूबीकरण के दौरान परियोजना प्रवाहावक द्वारा बताया गया कि राम—बाबूनगुर, घोड़ासी एवं मुद्रेना लैंडसील व जिला—मालासमुद्र लैंड में ५५ पल्घर खाद्यान, चून लैंडकल ५७.४३ हेक्टेयर अवैधित है। याम—घोड़ासी के मध्य की राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उल्लंघन दिशा में राम—बाबूनगुर एवं घोड़ासी लैंड में २० खाद्यान, लैंडकल ५०.६० हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तिष्ठ दिशा में राम—घोड़ासी एवं मुद्रेना लैंड में २५ खाद्यान, लैंडकल १७.६३ हेक्टेयर अवैधित हैं। दोनों लैंडों के मध्य की दूरी ६०० मीटर है। चून इंडिएएस्ट्री की दीर्घ दौड़ी लैंडों का धफ्तर जोन एक—दूसरे में ऑफर लैंड हो रहा है। अतः परियोजना प्रवाहावक द्वारा चून ५५ पल्घर खाद्यानों को एक बलस्टर नामी हूपे कार्बनल है आईएसिएटी हेयर करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा नाम्य किया गया।

१७. प्रलूबीकरण के दौरान परियोजना प्रवाहावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में उत्तर तरफी क्षेत्र खाद्यानों के लिए बेसलाइन द्वारा क्लेयरान का कार्य दिनांक ०१/१०/२०२१ से शार्क लिया गया। ताका की संधेय में दिनांक २५/०९/२०२१ की सूचना दी गई थी।

**समिति द्वारा नाम्य सर्वीसम्मिति से निम्नानुसार निश्चय लिया गया था—**

१. उत्तरान के अन्य पचाल की अनापत्ति प्रमाण पत्र की (वित्तक दिनांक रातिग एवं सरपाय के हस्ताक्षर सहित) अद्यान प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
२. लैंड सीमा से निकलतम गत लैंड की उत्तराविक दूरी की संधेय में गत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गाए।
३. अल आपूर्ति देने प्राप्त अन्य संकेतन का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा दूरा किया जाए।
४. जीतल लैंड की सीमा में बारे ७.५ मीटर की पट्टी में युक्तारोपण का कार्य भूमि कार्योपायक सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
५. भौतिक बाउण्डरी बोर्ड (boundary pillars) जिसमें खाद्यान की सख्त प्रदर्शित हो का कोटीपायक संरक्षण की जाए।
६. वित्तीय कारोबारन (Financial assurance) से समिति जानकारी ग्रहक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
७. उपरोक्त समक्ष पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरात उत्तरान कार्यवाही की जाएगी।

संहागुलार एवं हर सी, छलीसलड के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिणाम में परियोजना प्रकल्पक द्वारा जालकारी/प्रस्तावित दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(म) शाखिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022-

शाखिति द्वारा नारी, प्रस्तुत जलवायी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई—

१. जालकानन हेतु याच पद्धावल बनवागायुक्त का दिनांक 16/07/2015 का अनुपातिक प्रमाण एवं प्रस्तुत किया गया है।
२. कार्यालय बनवाइलालिकारी समाज बनवाइल, जिला—महासमुद के ज्ञापन दिनांक /मा.वि./खानिक/ 3794 महासमुद, दिनांक 29/12/2006 से जारी अनुपातिक प्रमाण पाँच अनुसार आवेदित क्षेत्र वन हाउज की सीमा से 11 किमी की दूरी पर है।
३. जल की आपूर्ति बोर्डेल के महायम से की जाती है। मू—जल की उपयोगिता हेतु बोर्डेल बालाप्ल बीटर आवेदित की अनुबंधी याच के प्रस्तुत किया गया है।
४. लीज संत्र की सीमा में घारी छाँत 7.5 मीटर की पट्टी में फूलारोपण का कार्ब धूम कह फौटोडाक्स स्टील जालकारी प्रस्तुत किया गया है।
५. सीज बाटायी सील (boundary pillars) जिसमें रोम वी संख्या द्विशिंद हो का फौटोप्रापण प्रस्तुत किया गया है।
६. कार्यालय कलेक्टर (खानिक जालक), जिला—महासमुद के ज्ञापन दिनांक 347/क/खानिक/प्रका/021 महासमुद, दिनांक 20/04/2022 पाँच अनुसार खदानों की विलोब आश्वासन (Financial assurance) के सबसे मै संबंधित अधिकारी ही जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख है।
७. जालनीय एन ट्रीटी, प्रिसिपल डेव, नड़ विली द्वारा जलवायी प्राप्तिका प्रस्तुत भारत शरकार, चयावरण, वन और जलजल्य परिवर्तन मञ्जलाद नड़ विली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्रिलोजन नं 182 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/03/2018 की वारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

शाखिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत शार्ववाच्यति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

१. कार्यालय कलेक्टर (खानिक जालक), जिला—महासमुद के ज्ञापन दिनांक 344/क/खानिक/न.ल.क./2021 महासमुद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानों की संख्या 39.86 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (एक—इक्सलप्यर) का संत्रफल 0.12 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (जाल—बनवागायु) का निकाल क्षमता कीरण 40.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिषेव में स्वीकृत/संचालित खदानों का

मानव विवरण तथा उत्तरोत्तरीय अधिक आवश्यक स्थिति होने के प्रबल यह अवधि दीर्घी की मानी गयी।

2. निम्नों द्वारा लिखी उपलब्ध सर्वेसम्भवि से प्रकाश्य वी। कोटेगांव का होने वाला वार्षा भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलवाया परिवर्तन संबंधी द्वारा अडीज 2015 ने प्रकाशित स्टैचर्ड दस्ती और रिफरेंस (टीआईए) और हुआइए/हुएग पी रिपोर्ट और प्रीजेक्टदस्ता/एकाविटीज लिवायपरिंग इन्वेस्टमेंट कलीदंगा अध्यक्ष हुआइए गोटिकिवेशन 2008 में यांत्रित दस्ती 1(ए) का स्टैचर्ड टीवीसार (जोक सुनवाइ सहित) मेंन कोज माईनिंग प्रोजेक्टदस्ता हेतु निम्न अंतिरिक्षा टीआईए की रास्त यारी किये जाने की अनुमति की गई—
- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
  - xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

- from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- (xv) Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में पिंवार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण ने दिनांक 07/01/2023 को सम्पन्न 138वीं बैठक में पिंवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पिंवार लिए जाने वाले विषयोंमें से निच्ये लिया गया कि नस्ती द्वारा अनुशासित अतिरिक्त टोओड्स की जांच के लिये लाइसेन्स दिया गया है।

- 2 (xvi) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर 2 (xvi) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." दर्शाया गया है।

इसी ही यह जी नियम लिया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन का प्राप्त प्रतिवेदन एकीकृत बोर्डीय कार्यालय, भारत राष्ट्रका, अधीकारी, वन और जलवाया परिवर्तन बोर्डलय, नवा सायपुर अटल नम्र के माध्यमे जाने हुए पञ्च सेक्षण किया जाए। परिवेदन का प्रत्यापक जी नस्ती टम्हे ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) (सीके गुगलाड़ नहिं) द्वारी किया जाए। इसी ही एकीकृत बोर्डीय कार्यालय, भारत राष्ट्रका पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन भारतीय नवा सायपुर अटल नम्र की पञ्च सेक्षण किया जाए।

9. बेस्टी पट्टेय स्टोन लवारी (प्र.)— जी सीमेंट परमाणु, याम-बरबरापुर, तहसील न जिला—महाराष्ट्र (स्थितिकालय का नस्ती क्रमांक 1824)

अंतिमतार्ड्स ज्ञावेदन — प्रयोजन नम्र — एसआईए / सीजी / एमआईएम / ८७४५६ / २०२१, दिनांक 26/09/2021।

प्रत्यावरण का कियदण्ठ — यह पूर्व से समालित जली पत्रक (जीव छनिज) खदान है। खदान द्वाम—बरबरापुर, ताहसील व जिला—महाराष्ट्र क्रमांक 206 एवं

311 (पार्ट) कुल शेषतात्र—0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन संख्या—798.75 टन (319.5 परमानीटर) प्रतिवर्ष है।

उत्पादनार परियोजना प्रक्षेपण की एक ई.पी.सी. छल्लीसवाह के द्वारा दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैदकी का विवरण—

(अ) समीक्षा की उपर्युक्त वैदक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी सौमेश परमान ई.परमानीटर उपरिक्त हुए। समीक्षा द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अदर्शीकरण एवं परियोजना करने पर निम्न सिद्धि यद्युग्म है—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति सर्वाधी विवरण—

1. पूर्व में जारी परमान खदान का कागज 258 एवं 311, कुल शेषतात्र—0.45 हेक्टेयर कागज—डाइ.5 परमानीटर प्रतिवर्ष स्थीरकृति जिला सरकारी पर्यावरण समायात मिलारण द्वारीकरण, जिला—महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 16/01/2017 की जारी की गई। पहली स्थीरकृति दिनांक 16/01/2022 तक भी अवधि हेतु जारी की गई।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति की जारी की पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. नियमीकृत जारीगूणार बूकारीपण नहीं किया गया है।
4. कार्बनलय फलेवटर (सनिज जास्ता), जिला—महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक 31/05/2021 द्वारा विभा जर्सी में किये गये उत्पादन भी जानकारी निष्ठानुसार है—

दिनांक	उत्पादन (परमानीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	मिट्टा
01/01/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	45
01/07/2018 से 31/12/2018	63
01/01/2019 से 30/06/2019	150
01/07/2019 से 31/12/2019	140
01/01/2020 से 30/06/2020	130
01/07/2020 से 31/12/2020	108

2. यात्रा प्रवायत का अनापरिल प्रमाण पत्र — उत्पादन के स्तर में ग्राम प्रभायत घटनाओं का दिनांक 22/12/2006 का अनापरिल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यात्रा प्रवायत के अनापरिल प्रमाण पत्र की अदान विरुद्ध कार्बनही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना साधशक्त है।

3. कर्त्तव्यन योजना — यात्री प्राप्त एलाग किया कराने वाले लैंब इन्हायरेंसेट मेनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो की अदिकारी जिला—महाराष्ट्र में द्वारा कागज 1736/क/ख.सि./न.35./2016 महाराष्ट्र दिनांक 31/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 ग्रीटर की परिषिय में स्थित खदान — कार्बनलय फलेवटर (सनिज जास्ता) जिला—महाराष्ट्र के द्वारा कागज 224/क/ख.लि./न.आ./2021 महाराष्ट्र दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 ग्रीटर के भीतर अवस्थित 69 खदाने होतफल 40-15 हेक्टेयर है।

५. 200 मीटर की घरियि में निष्ठा सार्वजनिक होम/संरचनाएँ - कल्पीत्रय कलेक्टर (छगित जाता) जिला-महासभुव के द्वारा द्वारा १३१२/क/वालि/नक./२०२। महासभुव दिनांक ३१/०८/२०२१ हुआ जहाँ प्रमाण पत्र अग्रसर उक्त जाता से 200 मीटर की घरियि में छोड़ भी सार्वजनिक होम जैसे बदिर नराचन स्कूल अवधारण दूत यथा एनीकाट नार्थीव राजगांव शब्दानाम एवं उक्त आपूर्ति स्त्रोत उपरि प्रतिवेशीत होने विस्तृत नहीं है।
६. खूनि एवं लीज का विवरण - यह उठसर्वाय खूनि है। खूने में जीव और जलवाह के नाम पर लौं। लीज जीव १० की अवधि दिनांक ०१/०२/२००७ से ३१/०१/२०१७ तक रहे थे। तत्वावादी लीज जीव में ३० जीव की दिनांक ०१/०२/२०१७ से ३१/०१/२०३३ तक की अवधि पृष्ठि की गई है। जीवान में लीज जी जीव वर्षाव के नाम पर दिनांक १९/०३/२०२१ को हस्ताक्षरण की गई है।
७. किस्ट्रीकट राहि रिपोर्ट - यह २०१९ की किस्ट्रीकट राहि रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत भी गई है।
८. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - लीज जीव से निकटतम बन होम की वास्तविक दूरी के संबंध में बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी किया गया है।
९. महात्मपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी गांव-बस्त्रसभुव ६०० मीटर एवं बकाल गांव-बस्त्रसभुव १ किमी एवं अवधारण नहासभुव ११७ किमी दूरी पर स्थित है। नार्थीव राजगांव २.७५ किमी एवं राजगांव १६ किमी दूर है। महाली ३७० मीटर, ललाव ४५० मीटर एवं बरसाती नाला ४५० मीटर दूर है।
१०. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील होम - पारिस्थितिक प्रस्तावक हुआ १० किमी की परिधि में अंतर्व्युतीय जीव, नार्थीव विवान, अवधारण, कुन्दीव इत्यावत् नियन्त्रण जोड़ी हुआ घोषित किटिकली फैस्ट्रोट्र एरिया, गारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता होम नहीं होना परिवर्द्धित किया गया है।
११. व्यवस्था एवं ज्ञान का विवरण - अनुनादित क्षात्री ज्ञान अनुसार जियोजीविकास रिक्ति १७,७७५ टन (३०,११० एकमीटर) माहुनेवल रिक्ति १८,४४७ टन (५,८७७ एकमीटर) एवं रिकझरेवल रिक्ति १२,३३६ टन (४,८३४ एकमीटर) है। जीवान में जियोजीविकास रिक्ति ३८,१६० एकमीटर एवं माहुनेवल रिक्ति ५,६३८ एकमीटर है। लीज की ७.५ मीटर जीवी जीव पट्टी (उत्त्वानन के लिए विशेषित होम) या झेलकल २,४८० एकमीटर है। झेलन जल्द वैश्वामील लिपि के उत्त्वानन किया जाता है। उत्त्वानन की प्रस्तावित अधिकात्म वहराई १२ मीटर है। लीज जीव ने उपरी निकूटी की ऊँडाई ३ मीटर है। जेंग की ऊँडाई १.५ मीटर एवं जीड़ी १.५ मीटर है। जादान की सार्वजनिक आपूर्ति २१ वर्ष है। लीज होम में क्रांत-प्रस्तावित नहीं है एवं इसकी व्यापका का प्रस्ताव नहीं किया जाता है। जादान से वापु प्रादृश्य नियन्त्रण होतु जल का उत्त्वानन किया जाता है। वापुवास प्रस्तावित उत्त्वानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्त्वानन (एकमीटर)
२०२२	३१९.५
२०२३	३१९.५
२०२४	३१९.५

2025	319.5
2026	319.5

12. जल आमूर्ति – परियोजना हेतु आवाहक जल की जाता 3.72 घण्टीटा घ्रेटोडिन होती है। जल की जातूर्ति ईक्स द्वारा जाम पंचायत के महायम से किया जाता है। इस बाबत प्राप्त पंचायत का अनापिलि प्रभाव यज्ञ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. खुलारोपण कार्य – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि लीज शेष की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 436 गम खुलारोपण किया जाएगा।
14. सुदान की 7.5 मीटर की बीची सीमा पट्टी में छात्करन – सीज शेष की जारी और 7.5 मीटर वीरी सीमा पट्टी में छात्करन कार्य नहीं किया गया है।
15. इस्तरीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि पूर्ण में जारी विधिवलीय बीची की गती के अद्विन लुधारोपण यज्ञ कार्य जाम पंचायत द्वारा किये गये विनियोजित होते हैं। परियोजना की सुदान में यह तथ्य जापा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज शेष की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में लुधारोजन का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि खुलारोपण का कार्य पूर्ण कर कोटीप्राप्ति सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि जाम-खरबसापुर, धोड़ारी एवं मुडेन, तहसील के जिल्हा-महाराष्ट्र शेष में 95 पार्चर छात्करन कुल शेषकल 58.43 हेक्टेयर लब्धित है। प्राप्त-धोड़ारी के भव्य से राष्ट्रीय सरकारी युवराज के विस्तीर राष्ट्रीय सरकार के तहत दिल्ली में जाम-खरबसापुर एवं धोड़ारी शेष में 70 खदानों शेषकल 40.60 हेक्टेयर द्वारा राष्ट्रीय सरकार के विधि दिल्ली में प्राप्त-धोड़ारी एवं मुडेन शेष में 23 खदानों शेषकल 17.83 हेक्टेयर अवलिप्त है। दोनों बीची के भव्य की दूरी 660 मीटर है। युक्ति इ-आर्ड-ए-कल्पी के दौरान दोनों बीची जल दफ्तर ज्ञान एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पार्चर तुदानों की एक जलस्तर मानी हुई फलीफल है जारी एवं रिकोर्ट रीवर कानूने हेतु अनुसेव किया गया। विस्तीर्ण समिति द्वारा मार्य किया गया।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि कलालव में जाने जाती अन्य खदानों के लिए बैमालाईग बाटा कार्यवक्तव्य का कार्य दिनांक 01 / 10 / 2021 से जाम किया गया। उसका के तुलने में तिनांक 23 / 09 / 2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उल्लम्भ सर्वसम्मति से जिम्मानुसार विषयीय किया गया यह—

1. तत्काल हेतु प्राप्त पंचायत के अनापिलि प्रभाव पञ्च की (विश्वक दिनांक, तारिख एवं समय) के हस्ताक्षर सहित) अधारन प्रति कार्यपाली विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से विकल्पतम तथा शेष की वास्तविक दूरी के नक्शे में वन जिम्माग की जारी अनापिलि प्रभाव पञ्च प्रस्तुत की जाए।
3. जल आमूर्ति हेतु प्राप्त पंचायत का अनापिलि प्रभाव पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज लेंक जी सीमा में जारी और 7.5 मीटर वीरी पट्टी में खुलारोपण का कार्य पूर्ण कर कोटीप्राप्ति सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. लौंग घाटण्डी स्तंभ (boundary pillars) जिसमें ज्ञाम की संख्या दर्शाई गई का प्रोटोकॉल प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय नामांकन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी परक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
7. अपरोक्ष रूपरूप दूरी जानकारी / दलावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

ज्ञानानुसार एस.के.ए.गी. घाटण्डी घाट के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिणामस्वरूप उपरा जानकारी/इस्तेवेज दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (b) जमिनि की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

जमिनि द्वारा जली, प्रस्तुत जानकारी का आगामीकाल एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई—

1. उत्थनन हेतु ज्ञान पंचायत चरकसामुद का दिनांक 16/07/2017 का अनापनित प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है।
2. जलालीता वानमंडलाधिकारी, भारतीय वनस्पति जिला-महासमुद के ज्ञापन ज्ञानान्तर्गत/मार्गि/खनिज/3898 महासमुद, दिनांक 29/11/2007 से जारी जनापनित प्रमाण पर अनुसार आधेदित दैर्घ्य वन झंज की सीमा से 11 कि.मी. और दूरी पर है।
3. जल की आपूर्ति बोरडेल के पाल्यम से की जाती है। मू-जल की उपलब्धिता हेतु सेन्ट्रल चार्टर बैटर ऑफीरिटी ने अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. लौंग झंज की सीमा में असी और 7.5 मीटर की पटटी में मुकारापाल का काढ़े पूर्ण तर प्रोटोकॉल प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. लौंग घाटण्डी स्तंभ (boundary pillars) जिसमें ज्ञाम की संख्या दर्शाई गई प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया गया है।
6. जलालीत्य ब्लैक्टर (खनिज ज्ञान) जिला-महासमुद के ज्ञापन क्रमांक 547/क/खनि/न.क्र./021 महासमुद, दिनांक 20/04/2022 द्वारा जली पर अनुसार जलानी की विस्तीर्ण आवासान (Financial assurance) के संबंध में संघर्षित खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का दालेल है।
7. मानवीय एन.जी.टी., प्रिकार्पल बैच, नई विल्ली द्वारा कल्याण यात्रियों गिरन्दा भारत सरकार चयावदन् चन और जलवायु परिवर्तन मञ्चलय, नई विल्ली एवं अर्का (ओरिजिनल एफिलेक्टन नं. 106 अर्फ 2016 एवं अन्न) में दिनांक 13/09/2019 को वर्दित आदेश में मुछ्य कथ से निम्नानुसार निटोरित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

जमिनि द्वारा विचार प्रियत्व चरकसामुद सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- कार्यालय कर्तव्यपत्र (संगीत शास्त्र), निला-चहारसामुद्र के आधार क्रमांक 234/कै/खलि/नज़ा/2021 महाराष्ट्रमुद्र दिनांक 10/02/2022 के अनुसार अनोदित भूदान से 500 मीटर की भीतर अधिकृत 69 गांवों की कुल 40.16 हेक्टेयर है। अनोदित भूदान (प्राम-बरबरतामुद्र) का औज़ाकल 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार अनोदित भूदान (प्राम-बरबरतामुद्र) का निलाकर युल कंफर्म 40.6 हेक्टेयर है। भूदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरता/संधारित भूदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलापन निर्मित होने के कारण यह भूदान ही खेती की मानी जाती।
  - समिति द्वारा निला निम्न उचित संवर्तनमयी से ब्रह्मरथ द्वारा बेटेगढ़ी का होने के कारण भास्तु सहकार, पर्यावरण, धर्म और जातियुक्तिवाली गवाही द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित राष्ट्रीय ठसी शीफ रिपोर्ट (टीओआर) पौर इंजिनिएर/इंजीनीर पौर प्रोजेक्टस/एनडीपीटीज रिपोर्टरीम इन्डियारेट कंट्रोलरस अनुसार हुआई। नीतिक्रमानुसार 2006 में जीवित खेती 1(ए) का निलाकर दीकोआर (टीपक चुनवाई सहित) गौन जोल गांवमें प्रोजेक्टस हेतु निन अंतिक्रिया रिपोर्टेज की रक्षा जाती रहिये जाने की अनुशस्त्र की गई।
- Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

- (xii) Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- (xiii) Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- (xiv) Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राप्तिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकाशन यह प्राप्तिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा नवी का अतिरिक्त विचार किया जाय। प्राप्तिकरण द्वारा विचार विभाजन समिति सदस्यसभा के नियम लिया गया कि समिति द्वारा अनुसन्धान अतिरिक्त लोअरेखा के जाति में विनाशकारी विचार किया जाए।

- 2 (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report" के विवरण पर 2 (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report" का जवाब दिया जाए।

साथ ही यह भी नियम लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय कीमति का व्यापक प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मारता रेकर्ड, पर्यावरण बन और जलवाया परिवर्तन बोर्ड द्वारा नवा राज्यपुर अटल नगर से संग्रहीत जानी हेतु पत्र लिया जाए। परिवर्तन विभाग का प्रस्तावक यह संशोधन दस्ती अधिक रेकर्ड (टीओआर) (लोक सुनावाई समिति) द्वारा लिया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मारता रेकर्ड, पर्यावरण बन और जलवाया परिवर्तन संग्रहालय, नवा राज्यपुर अटल नगर को पत्र लिया जाए।

10. मैसार्स पलेंग स्टोर क्यारी (प्र) – श्री सुरेश चन्द्राकर), शाम—बरबरसुर, गाहलील  
य जिला—महाराष्ट्र (ग्रामिणालय का नमीक 1827)

ओनलाइन आवेदन – लोकल गवर्नर – एसआईए/ सीटी/ एमआईएन/  
67938 / 2021, दिनांक 27 / 09 / 2021।

प्रकल्प का विवरण – यह पूर्व से संवालित कर्ती पत्रक (श्रीम. खनिज) स्वरूप है।  
शहर शाम—बरबरसुर, गाहलील य जिला—महाराष्ट्र क्षेत्र का 207. वृक्ष  
शोभकर्ता—0.72 हेक्टेकर में है। खदान की अवधित शाखागत कमता—1,425 टन (570  
टनकीटर) प्रतिवर्ष है।

हाथगुमार परियोजना प्रस्तावका को एसईएसी, उत्तीर्णगत के लाभ दिनांक  
09 / 02 / 2022 द्वारा प्रत्युतीकरण द्वारा सूचित किया गया।

मैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14 / 02 / 2022:

प्रत्युतीकरण द्वारा श्री सुरेश चन्द्राकर, ड्रोपराइटर उपसिंचल हुए। लाइसेंस द्वारा नहीं,  
प्रत्युतीकरणी का अवालोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई—

1. पूर्व में जारी पार्यावरणीय स्थीकृति कांबड़ी विवरण—

- पूर्व में कहीं पत्तार खदान क्षमाक 207. वृक्ष शोभकर्ता—0.72 हेक्टेकर,  
कमता—570 टनकीटर प्रतिवर्ष हेतु पार्यावरणीय स्थीकृति जिला स्थानीय  
पर्यावरण समायोजन निधीरण बोर्डकर्ता, जिला—महाराष्ट्र द्वारा दिनांक  
15 / 02 / 2017 के जारी की गई। यह स्थीकृति दिनांक 14 / 02 / 2022  
की अधिक हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पार्यावरणीय स्थीकृति के जाती के पालन से ली गई कार्यालयी की  
जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- नियोरित गांवनुसार सूचारेण्य नहीं किया जाया है।
- कार्यालय क्लोषटर (लानिया राज्य), जिला—महाराष्ट्र के लाभ दिनांक  
24 / 08 / 2021 द्वारा विभाग की दिये गये शाखागत की जानकारी  
निम्नानुसार है—

वर्ष	शाखादम (प्रत्यक्षीटर)
01 / 01 / 2017 से 30 / 06 / 2017	27
01 / 07 / 2017 से 31 / 12 / 2017	60
01 / 01 / 2018 से 30 / 06 / 2018	130
01 / 07 / 2018 से 31 / 12 / 2018	मिस्रा
01 / 01 / 2019 से 30 / 06 / 2019	174
01 / 07 / 2019 से 31 / 12 / 2019	46
01 / 01 / 2020 से 30 / 06 / 2020	110
01 / 07 / 2020 से 31 / 12 / 2020	300

2. शाम पेंचायत का अनापत्रिक प्रमाण पत्र – उत्तेजना के समय में शाम पेचायत  
कहांगत का दिनांक 10 / 02 / 2012 का अनापत्रिक्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया  
है।

3. उत्तेजना योजना – क्षारी प्लान इलाग विष क्षारी योजना ज्ञान विष  
इन्हाकीट बोर्ड सेंटरमीट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो राजि अधिकारी

जिला—महाराष्ट्र के द्वायन फ़लाल 1786 / क / खलि / न.क. / 2016 महाराष्ट्र दिनांक 03 / 03 / 2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित छावन — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला—महाराष्ट्र के द्वायन फ़लाल 224 / क / खलि / न.क. / 2021 महाराष्ट्र दिनांक 10 / 02 / 2022 के अनुसार आधिकार छावन से 500 मीटर के भीतर अवलियत 80 घड़ाने लेजल 39.88 हेक्टेएर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सावंतवाचिक लौच / शंखवगार — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला—महाराष्ट्र के द्वायन फ़लाल 1252 / क / खलि / न.क. / 2021 महाराष्ट्र दिनांक 24 / 08 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उचल छावन से 200 मीटर की परिधि में क्षेत्र की सावंतवाचिक लौच जैसे भौंडि, बराषट, स्फूल, अस्पताल, पुल, बाढ़, एनीजट, नश्तीक साजगार, राजगारी एवं जल आपूर्ति बंडोल आदि प्रतिक्षेपित लौच निश्चित नहीं है।
6. लीज का किलरण — लीज आवृद्धक के नाम पर है। लीज लौक 10 गड़ी अवैद दिनांक 03 / 03 / 2012 से 02 / 03 / 2022 तक की अवधि देशु दिया है। लायगाल लीज लौक में 20 लौं की, दिनांक 02 / 03 / 2022 से 01 / 03 / 2042 तक की अवैद दुर्दि नी गई है।
7. गू—स्वामिन — भूमि की झाड़ूतब के नाम पर है। उत्तरानन देशु भूमि रखाई का लायगाल पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. किल्टीकर सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की किल्टीकर सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) जी प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापलि प्रमाण यज्ञ — कार्यालय वनग-हालांकारी, लायगाल दनभाड़ल, जिला—महाराष्ट्र के द्वायन फ़लाल / भा.पि. / खनिज / 7440 महाराष्ट्र दिनांक 09 / 12 / 2011 से जारी अनापलि प्रमाण पत्र अनुसार आधिकार लौच बन भूमि की सीमा से 15 किमी की दूरी पर है।
10. गहत्यचूर्णी रांखवनाओं की दूरी — निकटान्म अकाडी पास—बरवसपुर 810 मीटर किमी एवं नक्कल द्वाम—बरवसपुर 1 किमी एवं असालाल महाराष्ट्र 11 किमी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी एवं राजमार्ग 15.35 किमी दूर है। महाराष्ट्र 170 मीटर एवं बरवसपुरी राजा 330 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता लंबेदनवरील लौच — परियोजना प्रत्याक्षर द्वारा 10 किमी की परिधि में उत्तरांचलीय नीमा राष्ट्रीय उद्यान अभयासाग्रह लंबिय पट्टक्षय लिंडवरण लौक द्वाल चौपिंत किटिकली पील्लुटोड एवं पारिस्थितिकीय लंबेदनवरील लौच पा चौपिंत जैवविविधता लौच स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. स्वनग संपर्दा एवं उच्चन का किलरण — अनुमोदित कारी फ़ल अनुसार जियोलॉजिकल लिंगरे लगभग 1,48,332 टन (59,733 घनमीटर), गाँड़नेवल लिंगरे लगभग 89,437 टन (37,775 घनमीटर) एवं विवाहरेवल लिंगरे 52,078 टन (20,831 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल लिंगरे 59,859 घनमीटर एवं गाँड़नेवल लिंगरे 28,901 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर गैरी लीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए जलिविहित लौच) का सेत्रकल 2.621 घनमीटर है। औद्यन गांड़ संचुअल लिंगरे से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रसंतानित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज सेत्र में कपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर है। बैंग की गहराई 1.5 मीटर एवं चीड़वाई 1.5 मीटर है। घटान जी वान्डित अध्यु 35 एम है।

लीज लेने में इकाई स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का शिक्षकात् लिया जाता है। अतः प्रभावित उत्थान का शिक्षण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थान (मीटर)
2022	570
2023	570
2024	570
2025	570
2026	570

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु जलाधिक जल की मात्रा ३.७४ मीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैक्स द्वारा याम पंचायत के नाम्यन से किया जाता है। इस वक्ता याम पंचायत का अनावरित प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि लीज लेने की स्थान में बांध और ७.५ मीटर की पट्टी में ५२६ लग्न वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की ७.५ मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थान — लीज सेव की बांध और ७.५ मीटर की सीमा पट्टी में उत्थान का कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दीलन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि दूरी में जारी यांत्रिकीय स्थीरता की जाती के अलीन वृक्षारोपण का कार्य याम पंचायत द्वारा दिये गए शिक्षित लेने में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संझान में यह एव्य जाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज लेने की स्थान में बांध और ७.५ मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण तरह छोटोगायक सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक दूसरा बताया गया है कि याम—बरबासपुर धोड़ारी एवं गुडेन लहरीत व चिल्ह—महासागर लेड में ५५ पल्लवर लहरी, चूल हांडकल ५८.४३ हेक्टेयर उत्थान है। याम—धोड़ारी के काय से चूल्हीक राजमार्ग उत्थान है। जिससे चूल्हीक राजमार्ग की लहर दिल्ला में याम—बरबासपुर एवं धोड़ारी लेने में ७० लादाने क्षेत्रकल ४०६० हेक्टेयर लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वितीय दिल्ला में याम—धोड़ारी एवं गुडेन लेने में २५ लादाने क्षेत्रकल १७.८३ हेक्टेयर अपरिवहन है। दोनों धोड़ों के काय की दूरी ६६० मीटर है। यूपी ई.आई.ए. स्टडी के दीर्घन दोनों धोड़ों का लक्ष्य जौन एक—तूसरे में धोड़र लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा युक्त ७५ पल्लवर लादानी की एक यात्रास्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुलेख किया गया। जिसे समिति द्वारा याम किया गया।
18. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि इलास्टर में आने वाली अन्य लादानी के लिए बेलालाई छल्ला कलेक्शन का कार्य दिनांक ०१/१०/२०२१ से याम किया जाय। उवात के संक्षे में दिनांक २५/०९/२०२१ की सूचना ही गई है।

समिति द्वारा जात्याग्रह सर्वसम्मिलि से निम्नानुसार निष्ठा किया गया था—

१. याम आपूर्ति हेतु याम पंचायत का अनावरित प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाए।

2. लील छोड़ की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में दृश्यान्तरण का कार्य कृत  
कर फोटोयाक्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. लील बाहर्घटी स्तंभ (boundary pillars) विलम्बे साथ की संख्या प्रदर्शित हो का  
फोटोयाक्स प्रस्तुत की जाए।
4. खिलीय आवक्षण (Financial assurance) ही संबंधित आवक्षण प्रक्रिया  
सहित प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त सभी कृषि जानकारी / उन्नतांक उपलब्ध की जाने उपरांत आवासी  
कार्यकारी की प्राप्तगी।

तदानुसार इस दृष्टि अन्तीलालू के द्वापन दिनांक 11/03/2022 के परिवेत्री  
वरीयांजना प्रक्षावक द्वारा जानकारी / इस्तावेता दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत  
किया गया है।

#### (ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अध्योक्षण एवं वरीयांजना करने पर विभिन्न  
सिद्धि पाई गई—

1. यात्र की अनुसृती कोरेटर के माध्यम से ही जाती है। मू-यात्र गी लायकीगीत उप-  
सेन्ट्रल डाउन बीटर अधीरिटी की अनुगती प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. लील छोड़ की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में दृश्यान्तरण का कार्य कृषि  
कर फोटोयाक्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. लील बाहर्घटी स्तंभ (boundary pillars) विलम्बे साथ की संख्या प्रदर्शित हो का  
फोटोयाक्स प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्री), विला—महाराष्ट्र के जात्यन व्यापार  
547/क/कलि/नक्का/०२१ महाराष्ट्र दिनांक 20/04/2022 द्वारा जारी यथा  
अनुसार बादानों की खिलीय आव्याजन (Financial assurance) के संघर्ष में  
संबंधित खानिज अधिकारी ने जानकारी प्राप्त करने वाला उल्लेख है।
5. बानगीव एन जी टी, विशिष्ट बेल नई दिल्ली हुन्ना सल्वेट फाल्टर विल्ड भासा  
राहगार, यांकवर्ण, दग और जलयाचु परिवर्तीन व्यावरण नहीं दिल्ली एवं उन्हीं  
(डिल्लिन एक्सिक्यूटिव नं. 188 और 2018 एवं उन्हीं में दिनांक 13/09/2018  
को पारित आदेश में मुख्य रूप से विभागुसार नियंत्रित किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभारी उपरांत सर्वसम्मति से विभागुसार नियंत्रित किया  
गया—

1. वायापीलय कलेक्टर (खानिज शास्त्री), विला—महाराष्ट्र के जात्यन व्यापार  
224/क/कलि/नक्का/२०२१ महाराष्ट्र, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार  
आवेदित बदान से 500 मीटर के भीतर अस्थिरपत 69 लादाने कोराताल 38.86  
हेक्टेयर है। आवेदित बदान (याम—वर्षवलयुर) का सीत्रकल 0.72 हेक्टेयर है। इस  
प्रकार आवेदित बदान (याम—वर्षवलयुर) की विभाग बुन्द थोरपत 40.6 हेक्टेयर

- iii) छवान की रीफ से 600 मीटर की परिधि में रोड्स्कूल/सापालित खदानों का दृश्य दृष्टिकोण के अधिक या कम स्तर निर्मित होने के कारण यह छवान 'बी' भेजी जी नहीं जाती।
  2. समिति द्वारा विषयक डिमांड उपरान्त सर्वेत्तमात्रि से अधिकतम बी' कोटीगड़ी का होने के कारण भास्तु भवित्वात्, पर्यावरण, उम और जलपादु परिवारों ने जाह्य द्वारा अधिक 2015 में प्रभालित रहेगहों इनसे जौक रिलैस (टीओडीए) परेर ई-आई-ए / ई-एम की रिपोर्ट परेर प्रोजेक्टस / एवटोडिल रिपोर्टारिंग इनावर्सेट कर्तीकरण अपार्टमेंट ई-आई-ए नोटिफिकेशन, 2008 में लिंग लेनी 1(ए) का रहेप्रहरी टीओडीए (जीक रुग्णाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अधिकारिया टीओडीए के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
- i. Project proponent shall inform SEIAA & SIEAC Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/Suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchams and photographs of every monitoring station.
  - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.09.2017.
  - xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- iii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा दीरक में लिखा —** उपरीता प्रकल्प पर प्राधिकरण ने दिनांक ०९/०१/२०२३ को सम्पन्न १३०पी दीरक में लिखा लिया था। प्राधिकरण द्वारा दीरक दिमांग उपरात सर्वसामूहि से निर्णय लिया था कि लैंडसिटी द्वारा अनुशासित अधिकारीका दीरोऽक्षर के जरूर ए निम्न लक्षण लिया गया है—

- \* 2 (iii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर 2 (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पारिवर्तीय सीमिती का प्राप्त प्रतिवेदन एकीकृत सीमीय कारबाह भारत सरकार, परिवर्तन वन और उल्लग्न परिवर्तन नंदिलय, नवा रायपुर अटल नगर से संगावे जने हेतु पर लेख किया जाए। परिवर्तीय प्रकल्प को साथी हमी और रोहरना (टीआईआर) (सीमि गुनाहूर नामित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत सीमीय कारबाह नंदिलय, नवा रायपुर अटल नगर को पर लेख किया जाए।

11. मेलसी विरेन्द्रनगर आडिनारी स्टोन बारी (प्रो.— श्री लिंगानुल हक अंसारी),  
प्रान — विरेन्द्रनगर, तहसील — गाढ़फनावर, ज़िला — बलदाबपुर-रामानुजगंज (साधियालय का नामी क्रमांक १९९)

अंतिमताहून आवेदन — प्रधानमन्त्री — एसआईए / शीर्षी / प्राप्तिवाहक / २६/१२/२०२२ दिनांक २३/०४/२०२२ द्वारा पर्यावरणीय सीमिती हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित राष्ट्रीय बब्लर (गोपनीय संग्रह) खदान है। खदान नाम—विसेन्टनगर, तालसील—वाटुजनगर, ज़िला—बलरामपुर—रामानुजकल ज़िला नम्बर क्रमांक — 422/1, 422/2 एवं 423, कुल क्षेत्रफल — 16 एकड़ेगर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधिकार क्षमता — 10,218 टन प्रतिघण्ठे है।

रामानुजकल परियोजना उत्तराधिकार को एसईएसी उत्तराधिकार के द्वापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**वैधकी का विवरण** —

(अ) संविति की 419वीं वैधक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीबद्दल हेतु इनामुल हक असारी, अधिकृत प्रतिविति संपरिचय है। संविति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अधारीकरण एवं चरीकण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पश्चात्पर्णीय रूपीकृति शब्दों का विवरण— इस खदान को पूर्व में पश्चात्पर्णीय रूपीकृति जारी नहीं की गई है।
2. नाम पश्चात्पर का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराधिकार की संख्या में साम पानाकल विसेन्टनगर का दिनांक 23/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रसारा अनापत्ति द्वमान पत्र वर्ष 2021-22 में पालर उत्तराधिकार का छव्वार उपयोग किये जाने हेतु किया गया था, जिसकी फैलता सामाप्त हो गई है। नस्ती का नस है कि उत्तराधिकार एवं उत्तराधिकारी स्थानका हेतु किया गया पश्चात्पर्णीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तराधिकार कोषणा — क्वारी प्रान एसीए पिंच जारी कर्तीजन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—कोरिया के पु जामन क्रमांक / 02/ खनिज / खनि 2/ 2022 / कोरिया बिकुण्डपुर, दिनांक 21/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान — रायीलद कलेक्टर (खनिज राज्य) जिला—बलरामपुर—रामानुजकल के द्वापन क्रमांक / 1084 / गोपनीय / उत्तराधिकार दिनांक 20/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के मीलर अवधिका छन्द खदानों की संख्या मिलते हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक कीज/संरचनाएं — रायीलद कलेक्टर (खनिज राज्य) जिला—बलरामपुर—रामानुजकल के द्वापन क्रमांक / 1096 / खनिज / उत्तराधिकार दिनांक 20/12/2021 कुल जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्तराधिकार से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक कीज या से रेल लाइन, भवन, सार्वजनिक स्थल, सरपट, स्कूल, पुल, कलेक्टर द्वारा भावेन, भविजित, एनीकट, लाट्रीब सञ्चालन, राज्यमार्ग एवं जल अन्तर्गत नियंत्रण आदि अविवित कीज मिलते नहीं हैं।
6. एलओआई, शब्दों का विवरण — एलओआई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य) जिला—बलरामपुर—रामानुजकल के द्वापन ए. / 1001 / गोपनीय खनिज / उत्तराधिकार दिनांक 27/10/2021 बलरामपुर दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैलता जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक है।
7. गू—स्वामित्व — भूमि उत्तराधिकार क्रमांक 422/1 की जिया उत्तराधिकार के नाम पर है। उत्तराधिकार क्रमांक 422/2 एवं 423 उत्तराधिकार के नाम पर हैं। उत्तराधिकार हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाया है।

८. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रलूब तो नहीं है।
९. यन विभाग का अनापत्ति इमार पत्र – बस्तीयालय उगमपालताकिलारी, उत्तराखण्ड यनमान्डल, बल्लामपुर के ज्ञापन नं. ५०५५/२०२० उत्तराखण्ड रिपोर्ट ०५/१२/२०२० से ज्ञापन अनापत्ति इमार पत्र अनुसार आवेदित थोड़ लिपाटलग यन क्षेत्र की सीमा से १.५ किमी की दूरी पर है।
१०. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवाही घान-विरेन्द्रनगर १ किमी, एवं उपर्युक्त घान-विरेन्द्रनगर २ किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ५ किमी एवं राज्यमार्ग ६ किमी दूर है। नाला ५०० मीटर दूर स्थित है।
११. पारिवर्षिकीय/जौवाहिकीय वर्धेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रभावक द्वारा १० किमी की परियोजने में अल्परीजीव सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान लमणाराय, कोर्टीय अनुपम नियन्त्रण वोड़ द्वारा घोषित किटिकली पीन्ड्युटिल एवं पारिवर्षिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौवाहिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशिद्ध किया गया है।
१२. खनन संघर्ष एवं खनन यन विवरण – जियोलैजिकल रिपोर्ट २,४९,६०० टन (३५,००० घनमीटर), माईनिंगल रिपोर्ट १,००,२३० टन (३४,५५० घनमीटर) एवं रिक्वोरेशल रिपोर्ट ८५,२१८ टन (३६,६२२ घनमीटर) है। सीधे की ७.५ मीटर वोड़ी सीमा पट्टी (उत्तराखन की लिए प्रतिक्रिया सेवा) यन क्षेत्रफल ६,९४० घनमीटर है। जोधन संख्या २०३१ गैर्डनाहज्जल विहि से उत्तराखन किया जाएगा। उत्तराखन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई ६.५ मीटर है। सीधे क्षेत्र में उत्तरी मिट्टी की गहराई ०.५ मीटर है तथा कुल मात्रा ३,७२० घनमीटर है। इस मिट्टी को सीना घटटी (१-१.५ मीटर) में जैलाज्जल युक्तारीपत्र के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच की गहराई ३ मीटर एवं चौड़ाई ३ मीटर है। उत्तराखन की नीतापिता आयु १० वर्ष है। सीधे क्षेत्र में असार अधिकिल किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल १,००० घनमीटर होगा। यीका हैमर से ग्रिसिन एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। उदास में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल या विद्युत किया जाएगा। उपर्याह प्रस्तावित उत्तराखन का विवरण निम्नानुसार है—
- | क्रम    | प्रस्तावित उत्तराखन (टन) | क्रम  | प्रस्तावित उत्तराखन (टन) |
|---------|--------------------------|-------|--------------------------|
| प्रथम   | १०,२१८                   | पहला  | ९,६३८                    |
| द्वितीय | १०,२१८                   | सबास  | ९,६३८                    |
| तृतीय   | १०,२१८                   | अबास  | ९,६३८                    |
| चौथा    | १०,२१८                   | नवम   | ९,६३८                    |
| पाँचम   | १०,२१८                   | षष्ठम | ९,६३८                    |
१३. यात्रा आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक यात्रा ५ घनमीटर अलिंगिल होगी। यात्रा की आपूर्ति यात्रा योग्यता द्वारा ट्रैकर के माध्यम से की जाएगी। इस यात्रात यात्रा प्रधावत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
१४. युक्तारीपत्र कार्य – लीज सेवा की सीमा से बाहरी ओर २.५ मीटर वोड़ी में १,५०० घन युक्तारीपत्र किया जाएगा। स्थिरीकृत या या है यि युक्तारीपत्र हेतु यीथा का संपर्क, फ़ोसिल, द्वाद एवं सिंगाई तक स्व-स्वायत्र के लिए ५ वर्ष का घटकायार यात्रा का विवरण विस्तृत प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की ऊंची सीमा पट्टी में उत्तरानन - लीज के दो दो और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन बनवे नहीं किया गया है।
16. वैर मार्किंग लोड - लीज के संकीर्ण होने के कारण 600 कार्बोरेटर लोड के वैर मार्किंग सेवा रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुसूचित मार्किंग प्राप्ति में किया गया है।
17. कॉर्चरेट पर्सायरपीय दाखिल (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्मुख विस्तार से जबो उपरान्त निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CEA Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village-Birendranagar	
Pavitra Van Niman			2.26	
			Total	2.26

18. श्रीडुआर के अल्पता "परिष दन निर्माण" के तहत ध्वापला, बढ़ पीपल, नीम, आम, अमृतन, चेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग जीवों के लिए जिसी 2,000 रुपये, फोरिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंधारू तथा रख-रखाव के लिए राशि 44,000 रुपये, इस प्रकार प्रस्ताव वर्ष में कुल राशि 88,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1.76,000 रुपये हेतु घटकपार व्यवहार विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्रीडुआर के तहत "परिष दन निर्माण" हेतु प्राच विवरण विवरण विवरण के सहित उपरान्त प्रधारोध्य व्यापार विवरण लामाक 474/1, थोकफल 0.56 टैक्टेपर में से 0.4 हैक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. समिति का मत है कि उक्त श्रीडुआर हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव ने पीछो, खाद, सिंधारू तथा रख-रखाव के लिए उपयुक्त तकनीकी वर्गना नहीं की गई है। अतः प्रस्ताव में साझोधन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया ज्ञा कि:-

1. उत्तरानन एवं छापार वी स्थापना हेतु पाण विवरण का अन्वायित इमार यज वी उत्तरानन प्रति उत्तरानन किया जाए।
2. लैंड लोड की लीमा में चाहो और 7.5 मीटर की पट्टी में त्रिवालेपण हेतु पीछो का रोकथम, फोरिंग खाद एवं सिंधारू तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षीय का घटकपार व्यवहार विवरण प्रस्तुत सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. श्रीडुआर के अल्पता "परिष दन निर्माण" के तहत पीछो, खाद, सिंधारू तथा रख-रखाव के लिए उपयुक्त राशि की गणना करते हुए सहीमित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. कंट्रॉल एक्सिटिंग का कार्य विलोटक लाइसेंस हारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाला राष्ट्रीय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से अपुलिंग छस्ट उत्तराधिन होगा उन स्थलों पर विपक्षित ऊँचे विकास की वाचनश फिरी जाने वाला राष्ट्रीय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. बर्डिंग लीज सेन्ट के अंदर एवं बाहर सभन प्रशारोपण किये जाने एवं दीपित पीड़ियों का वारपैकल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित फिरी जाने वाला राष्ट्रीय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विवरणीय कानूनाधार विधान (Minerals Concession Rules) के तहत बन्दपट्टी विलास द्वारा सीमावन्धन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला राष्ट्रीय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लालाब, पीलार, महर, नहीं, नाला एवं अन्य जल विकासों के संबंध एवं संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक्रम देश के अंतर्गत लिखी भी व्याख्याय में लिखित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का वर्णन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विलम्ब इस परियोजना/कानून से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक्रम देश के अंतर्गत लिखी भी व्याख्याय में लिखित नहीं है।

उपरीका विविध जानकारी/हस्तांतर प्राप्त होने वायस आगामी वर्षीयात्री की जाएगी।

एवं उपरीका एस हुए श्री... जानकारी के बहाव दिनांक 18 / 09 / 2022 के परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/हस्तांतर दिनांक 31 / 10 / 2022 के प्रस्तुत किया गया है।

#### (ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 10 / 11 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरी जारी नहीं-

1. उत्तराधिन एवं जलर बी राष्ट्रीय हेतु याच प्रशारोपण की दिनांक 21 / 04 / 2022 का अन्तर्गति इमार पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज दीव की सीमा में यारी और 7.6 गीटर बी गट्टी गी वृद्धालीयण हेतु प्रस्तुत उत्तराधिन अनुसार 1,584 नया यीसी के लिए राशि 31,620 रुपये, वर्सिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, लाद के लिए राशि 12,000 रुपये, गिरधार लाद रख-रखाय आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,41,620 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,09,800 रुपये हेतु गालंकार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. ली-हुआर के अंतर्गत "परिवर्तन वन विभाग" के लक्ष्य यीसी, लाद, गिरधार लाद रख-रखाय के लिए उपयुक्त राशि एवं रामन्य कम्सी हुए संगीति प्रस्ताव प्रस्तुत

विनाय गया है। जिसमें अनुसार विभागीय संसाधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	<b>Following activities in Village-Birendranagar</b>	
			Pavitra Van Nimman	2.96
			<b>Total</b>	<b>2.96</b>

4. सीईआर के अधीक्षण "पवित्र वन मिनराइज" के लालू (झोपला, बबू पोपल, नीम, आम, अजून, बेल आदि) दुधारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 वर्ग फीटों के लिए राशि 4,000 रुपये, खालिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाड के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंगारु लक्ष रक्ख-रक्खाव के लिए राशि 50,000 रुपये, बुड़ा प्रवाह द्रव्यगति वर्षे में कुल राशि 98,000 रुपये लक्ष आवश्यकी 4 वर्षे में कुल राशि 196,800 रुपये हेतु घटकात्मक व्यय वह विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के लालू पवित्र वन मिनराइज हेतु प्राचीन पंचायत विरेन्द्रनगर की एकमति उपरात प्रधायोग्य सभान [सभाकार शामाक 474/1, अंतर्फल 058 ईमेलर में से 04 ईमेल] का सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. कार्बोन एक्स्प्रेस का कार्ब विस्टोटक लाइसेंस एलए (Explosive License Holder) हाला कराये जाने वाला तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन लक्षों से पद्धतिक ढस्ट उत्तरार्द्ध होना, उन लक्षों पर विधिमित जल उत्थान की व्यवस्था किये जाने वाला तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सहानिया लीज कंपनी के अंदर एवं बाहर राजन दुधारोपण किये जाने एवं संरेखित गीपो का सारकारी रेट (Survival rate) 95 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल गिरावर्णों के संरक्षण एवं संरक्षन किये जाने वाला तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा हुआ आवाय का संपर्क पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके लिए इस परियोजना/खालान से रोकथान और न्यायालयीन द्रष्टव्य देश के अधिकार विक्री भी न्यायालय में लखिल नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का नोटरी से संतुष्टिपूर्ण तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का नोटरी से संतुष्टिपूर्ण तापय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार

पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन नियालय की अधिनियमना कानून 804(र) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लेखन वा प्रकाशन लिखित नहीं है।

12. समिति का बता है कि शीर्षआर कार्ड एवं 7.5 मीटर की ऊंचा पहुँची में घुसावायन कार्ड के भवित्वदिव इव पर्यावरण हैं। कि-प्रतीक्षा समिति (प्रोपरटीटर/प्रतिनिधि, आम व्यवायात के प्रदातिकानी/प्रतिनिधि एवं गिराव व्यवायात वा एततीवाहन पर्यावरण संस्थान कार्डल वे प्रदातिकानी/प्रतिनिधि) गठित किया गया आवश्यक है। जबकि ही शीर्षआर एवं 7.5 मीटर की ऊंचा पहुँची में घुसावायन का कार्ड पूरी विधे जाने के उपरात गठित कि-प्रतीक्षा समिति से व्यवायित करावा जाना आवश्यक है।

13. माननीय एनजीटी, विभिन्न प्रकार वैध नई दिल्ली हावा सत्येद पाएट्टेल विकल्प भारत वालवार, वदांकरण, ठग और जलवायु परिवर्तन नियालय नई दिल्ली इव अन्य अधिनियमना एक्सिक्युशन नं. 188 (दिन 2016 एवं अन्य) मे दिनांक 13/09/2018 के पारित आवेदा में गुण रूप से निम्नानुसार निर्देशित लिया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEVA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA + EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हावा विभार विभाव उपरात सावेचामति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- जारीतय कलेक्टर (खानिक जात्या), जिला-बलरामपुर-रामानुजगढ़ के जावन इमारक/1084/खानिक/प्रालंग/2021 बलरामपुर दिनांक 20/12/2021 के अनुसार आवेदित खादान से 500 मीटर की ओलां अवस्थित अन्य खादानों की जालवा लिंगंक है। आवेदित खादान (ग्राम-विरेन्द्रनगर) वा दोउकल 16 हेक्टेयर है। खादान की ऊंचा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संघालित खादानों वा युक्त छोड़पत्ता 0 हेक्टेयर वा उससे कम होने वे जालवा वह खादान ही-3 खेती की मागी गई।
- समिति हावा विभार विभाव उपरात सावेचामति से आवेदक – गैराती विरेन्द्रनगर अधिनियमी स्टोन जाती (झो-भी लिरान्जुल इक असारी) वे आम-विरेन्द्रनगर, ताहसील-वाहुफानगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगढ़ के खासगा जमाका- 422/1, 422/2 एवं 423 मे विभाव सावालय पालार (गैराती लिमिल) खादान, झुल अधिकल-16 हेक्टेयर जमाता-10.218 टन प्रतिवर्ष ऐनु परिविहर-06 मे वर्षित जाती की अधीन यांत्रिकरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशासा जी गई।

प्राधिकरण हावा वैठक मे विभार – उपरोक्त प्रकारण एवं प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को सम्पन्न 135वीं वैठक मे विभार लिया गया। प्राधिकरण हावा नवीनी का अवलोकन लिया गया। प्राधिकरण हावा विभार विभाव उपरात सावेचामति से निर्णय लिया गया।

- समिति ली अनुशासा की स्थीकरण जारी हुए आवेदक – गैराती विरेन्द्रनगर अधिनियमी स्टोन जाती (झो-भी लिरान्जुल इक असारी) जो विभा अधिनियमी जाती की अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

लैंज थोर की सीमा में बारी ओर 7.5 मीटर की घटटी दूरी सीझे आर के नहत पिंये जाने वाले स्थानोंपर की जानकारी गेट्रॉग (Geotag) कोटोप्राप्त महिल अवधारिक लिंकेट में समाहित करने हुये प्रस्तुत किया जाए।

शायद ही शक्तिशाली इंडिपेंडेंट किये नवे इसी बढ़ा वालन सुनिश्चित किया जाए। वालन गती किये जाने की शक्ति के विविधता और अवधारणा की जाती।

2. एलओआई की वैश्वा शृंखि संबंधी प्रस्तावक प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही वरियोजना प्रस्तावक को सहाते पर्यावरणीय सीधीकृति प्रब्रह्माण्डी की जाए।
3. प्रत्येक आदान पुनर्वास गति के तहए स्थानीय सोनों की रोजगार दिये जाने हेतु गोप्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही वरियोजना प्रस्तावक को सहाते पर्यावरणीय सीधीकृति प्रब्रह्माण्डी की जाए।

परियोजना प्रस्तावक की तापानुसार सुचित किया जाए।

12. मेसर्स बी टॉकराम साहू पल्लोव रसोन (लाइम बटीन जारी), याम-निशादा, गोप्यील-आरंग, जिला-शायपुर (समिक्षालय का नस्ती छन्दाळ 1486)

बीनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्र — एसलाईन /सीपी /एमज्याईएन /186314/2020 दिनांक 06/12/2020। परियोजना प्रस्तावक हाता प्रस्तुत बीनलाईन आवेदन में जमियाँ होने से छापन दिनांक 29/12/2020 होना प्राप्तवारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हाता वाहिल ज्ञानकारी दिनांक 30/01/2021 की बीनलाईन प्रस्तुत ही रही।

प्रस्ताव ज्ञान विवरण — यह पूर्व से संवालित कर्त्ता पल्लोर (गोप्य खनिज) ज़दान है। ज़दान याम-निशादा, गोप्यील-आरंग, जिला-शायपुर नियम जारी ज़दान छन्दाळ 1344, बूल ब्लॉकनं-1052 हैवटीयर में है। ज़दान की आवेदित चलाकाम सम्भा-11,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) सामिली की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

सामिली हाता प्रकारण की गती एवं प्रचलुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तम उपयोगी संवेदनशील से निम्नानुसार निश्चय किया जया था—

1. प्रचलुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उक्त ज़दानों की 500 मीटर की भीतर अन्य ज़दान है अथवा नहीं? हेतु ज्याहेए नोलिपिक्वोलन 2008 (यथा संशोधित) में परियोजित फलस्तर अनुसार “जोई फलस्तर उस समय बनाया जाता है, जब एक लीज के परिमिति के बीच दूरी तक ज़दान वाहिल क्षेत्र में अन्य फलटे के परिमात्र से 600 मीटर से कम है।” ज्याहेए वलस्तर हेतु हीनोलिपियस निनरत होने में विचारकीन ज़दान के लीज लीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले ज़दानों की शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल ज़दानों के लीज लीमा के 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य ज़दानों की विलस्तर में ज़दानों को वही तक शामिल किया जाए, ज़दों तक 600 मीटर की दूरी से कोई ज़दान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। उक्त उपरोक्तानुसार प्रमाण प्रब्रह्माण्डी प्रस्तुत किया जाए।

2. नालंडन एवं क्रांतियदि हो हो) हेतु आन चलायत के जागरूकता प्रश्नम् पर वह की (दिठक दिनांक, समिति एवं सम्पर्क के उत्तराभार सहित) अलंकार दोनों जारीकरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. नुमि जलकी उत्तराधिकार प्रस्तुत किये जावे।
4. पूर्ण में अलंकित लक्षण पर उत्तराधिकार सम्पर्क सम्बन्ध संभासात निर्धारण प्राप्तिकरण (एवं है अर्ह ए इ). छलीसगढ़ अधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार सम्पर्क निर्धारण प्राप्तिकरण (की है आर्ह ए इ). उत्तराधिकार सम्पर्क द्वारा पर्यावरणीय स्थिति दी गई हो, पूर्व में जली उत्तराधिकार स्थिति के द्वारा एवं उत्तराधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय स्थिति दी गई जारीकरण की जानकारी कोटीप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। जारी जी पूर्णाधिकार की अलंकार स्थिति की जानकारी कोटीप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विश्व एवं नियंत्रण एवं उत्तराधिकार की जलाधिकार नाम (विश्वाय एवं नियंत्रण एवं उत्तराधिकार से प्रभावित उत्तराधिकार प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के जाथ इस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपनोवत समला पूर्ण जानकारी / उत्तराधिकार (अलंकार कोटीप्राप्त) की जाथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को इसई ए ती, छलीसगढ़ के पन्न एवं ई-गैल जनक विनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु लूकित किया गया।

#### (ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडिओ कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिक्रिया उपरिकृत नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराधिकार समिति की विषय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पाइल जानवरी एवं अनुरोध पर प्राप्त होने पर आगामी जारीकारी की जाएगी।

उदानुसार इसई ए ती, छलीसगढ़ के जायन विनांक 02/06/2021 की परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/06/2021 की प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया है।

#### (च) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/06/2021:

समिति द्वारा नसी/ अनुरोध पर प्रस्तुत जानवरी या अवलीकान एवं परीक्षण जनरल उत्तराधिकार समिति की परियोजना प्रस्तावक की अनुरोध की दीक्षाता करने हुए पूर्व में याही नई विडिओ जानवरी एवं समलूप मुख्यालय जानकारी / उत्तराधिकार समिति प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक यो इसई ए ती, छलीसगढ़ के जायन विनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु समिति किया गया।

#### (द) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु ली संलेख कुमार पाध्य, अधिकृत प्रसिद्धि उपरिकृत हुए। समिति द्वारा नसी/ प्रस्तुत जानवरी का अवलोकन एवं परीक्षण, जरूर पर नियम कियी गई है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस लेखन को पूर्ण में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- काल्पनिक कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर के छापान क्रमांक 1237/ख.लि./टीन-६/2020 रायपुर दिनांक 18/11/2020 द्वारा पर्यं 2030 से जारा दिनांक तक कोई उत्पादन कर्य नहीं किया गया है।
- ग्राम पंचायत बन अनापतित प्रमाण पत्र — उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत नियोजन का दिनांक 16/01/2007 पर अनापतित प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया है। याम पंचायत के अनापतित छापान पत्र की अद्यतन परि जालेवाले नियन्त्रण नहिं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्पादन योजना — यथार्थ प्लान एलीम पिथ क्षेत्री जलोत्तर योग विध इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एप संग्रालक (यानि प्रस.) ज़िला-रायपुर के छापान इनांक क/ख.लि./टीन-६/ख.प. 117/2008/3003 द्वारा दिनांक 23/01/2011 द्वारा अनुमोदित है। एपलीरागढ़ नील खनिज अधिनियम 2019 को नियम 24 अनुसार प्रस्तुत क्षारी प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। जल अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 500 ग्रीटर की परियि वे विष्वत खदान — कालीलव कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर के छापान क्रमांक 383/ख.लि./टीन-६/2021 रायपुर दिनांक 24/07/2021 के अनुसार अन्वेषित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों के लिए सीमा से 500 मीटर के परियि में अवस्थित खदानों का वितरण किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि उक्त खदानों में 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (जल संशोधित) ने चरिमापित कलेक्टर अनुसार 'कोई बलस्टर उस रागम विवाह-जाएगा जब एक लौज के परिमिती तक बीच दूसी तल जावा खनिज हेतु जल अन्य पद्धति के परिमार से 500 मीटर हो कर है।' अधित कलेक्टर हेतु जलमंडिगिरा नियन्त्रण हेतु में विचारात्मक खदान के लौज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को जालिज करती हुए तथा इस प्रकार जालिज खदानों के लौज सीमा के 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों की बलस्टर में खदानों को नहीं लक जानित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो। शामिल किया जाना चाहिए।
- 200 मीटर की परियि से विष्वत सार्वजनिक लौज/सरनाए — जलपानव कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर के छापान क्रमांक/ख.लि./ख.नि./टीन-६/2019/2014 रायपुर दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी इमार मध्य अनुसार जल खदान से 200 मीटर की परियि में कोई भी सार्वजनिक लौज नील संदिग्ध भास्तुद, भराड, बाय, एवं कट एवं जल आपूर्ति जादि प्रतिक्रियित लौज नियमित नहीं हैं।
- मूर्ख एवं लौज का विवरण — यह जानकारी गूमि है। लौज भी टैकनाम जाहू का नाम पर है। लौज लौज 10 वर्षी जलाल दिनांक 01/05/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु की थी। तापरवाल लौज लौज 20 वर्षी अवधि दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित ही नहीं है।

८. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2010 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं यहाँ है।
९. जन विभाग का अनावृति प्रमाण पत्र – काशीलय रमभाष्यलक्षणिकाली, रायगढ़ बगनालहल, जिला—रायगढ़ के द्वारा प्रमाणक/मार्ग/रा./2343 रायगढ़ दिनांक 23/08/2006 से जारी अनावृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
१०. महत्वपूर्ण सांख्यनामों की दूरी – निष्ठान आवादी ग्राम—निसदा १ किमी. एवं निष्ठान ग्राम—निसदा १ की दूरी पर किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ०.५५ किमी दूर है। निष्ठानदी ०.१५ किमी. एवं महानदी नदी ०.५५ किमी दूर है।
११. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिवेशना प्रस्तावक दूरी ७० किमी. की परिधि में अलोकनीय जीव, ताण्ट्रीय जीवान, अभ्यासात्मक, फैलीय जटुष्ण विषयक बोर्ड द्वारा घोषित विनियोगीय पाल्युट्रिएट एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र विकल नहीं होना चाहिये दिया गया है।
१२. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – वर्तमान में प्रस्तुत जलसी घनान की विधा उत्तरीशाखा गोप लानिंग लाइनिंग २०१५ से विधम २४ अनुसार लमान हो गई है।
१३. जल आपूर्ति – परिवेशना हेतु जलाशयक जल की मात्रा ३ सनमीटर छोड़िन होती है। खदान में विभिन्न विद्युक्तावधी (जल विद्युत, शुद्धारणा) हेतु जल की आपूर्ति उत्तरीशाखा लिंग विद्युत खदानों में एकत्रित यात्रा एवं विधानल जी आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के माध्यम से हो जाएगी। इस बाजा ग्राम पंचायत का अन्तर्दित प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाए आवश्यक है।
१४. वृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की लैंग में आगी और १.५ मीटर की ऊटी में ७३३ नए दुशारोपण किया जाएगा।
१५. सीईआर का विश्वल प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विश्वल प्रस्ताव एवं प्रस्तावित संकुल के प्राप्तार्थ (Pinnapal) का लाभान्वि पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा लतामब सार्वसम्मति से निम्नानुसार किये गये थे—

१. अनुमोदित जलसी घनान प्रस्तुत किया जाए।
२. उत्तरानन एवं काशर (यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के जनापत्रिल उमाल पत्र की (विटक दिनांक, लाभिय एवं स्वर्येत के हस्ताक्षर लाइन) अदलन परि कालोकाही विवरण लाइता प्रस्तुत किया जाए।
३. प्रस्तुत ६०० गीटर के उमाल पत्र से वह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानी के ५०० मीटर के भीतर अन्य खदान ही क्या होते हैं? कृजाई ए नौटिपीलैन २००६ (व्यापारीयित) में वरिपालित कलस्टर अगुलाम कोई कलस्टर उस गम्य जनाया गया एवं एक लौज के परिसरों के बीच दूरी जल संकुल छनिज क्षेत्र गे जन्य पट्टे के परिसर से ५०० गीटर से कम है। अतः कलस्टर हेतु लेमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्युतीय खदान के लौज सीमा तो ५०० मीटर के भीतर आने लाई रखी खदानों को जागिल करते हुए तथा इस प्रकार जागिल खदानों के लौज सीमा को ५०० मीटर के भीतर आने जाते अन्य लाई खदानों को (कलस्टर में खदानों को रही ताक जागिल किया जाए जाती है ५०० मीटर की

तूरी के कोई खदान अवस्थित न हो) समिल किया जाना चाहिए। इस लकड़ीवलानुसार प्रमाण पर इस्तुत किया जाए।

4. वेषजल की आपूर्ति हेतु चान दंगाका का अनापाति प्रमाण पर इस्तुत किया जाए।
5. शीर्षआर का विवरण प्रस्ताव एवं प्रसाधित स्वतुल के प्राप्तार्थ (Pratopam) का सहचरि पर प्रस्तुत किया जाए।
6. शीय दोत्र की शीया में बारी और 7.5 स्टैटर की घटटी में एवं शीर्षआर के तहत दृश्यारोपण हेतु पीपो का रोपण, सुखा हेतु फॉर्मिंग, स्कार एवं सियाई तथा स्कू—रखाप की लिए 5 यार्ड का घटककार व्यव का विवरण शहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कार्यालय छलीसगढ़ (खनिज जात्या), लिला—रायपुर से दिग्दत पर्यावरण की लिए एवं उत्तरांश की यास्तादिक माझ (यितरीय वर्ष) की जानकारी प्राप्तागत बन्दकर प्रस्तुत की जाए।
- उपरोक्त वाहिल जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकरात आवामी कार्यवाही की जाएगी।

लकड़ीवलानुसार इसाईएली, छलीसगढ़ के द्वापन दिनांक 22/02/2022 के परिवेत्ता के परिवेत्तना प्रस्तावक हात जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (६) समिति की ४३२वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति हात नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अद्वैतीकरण एवं परीक्षण कर पाया गया कि भवितव्यना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु अनिलाईन आवेदन किया जाना का परन्तु उभयों हात पर्याप्तर्थीय स्वीकृति हेतु अनिलाईन आवेदन करने के कारण से जारीदित प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिलिपि होती है।

समिति हात विवार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परिवेत्तना प्रस्तावक की आवेदन को डि—लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशासा की गई। यहाँ हाईकोर्ट नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत नियम कहले हुए पुनः आवेदन करने की अनुशासा की गई।

प्राधिकरण हात बैठक में विवार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को सम्पन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हात विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को लीकर नवते हुये आवेदन को डि—लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रलाप की जानकारी में प्राप्त प्राकृति में अवाजन डि—लिस्ट / निरस्त किया जाता है। यथा परिवेत्तना प्रस्तावक को वह नुक्ता दिया जाता है कि वह भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन बंजारण हात जारी है। अर्द्धे अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समाचार-समय पर जारी सर्वानुवादीका को अनुशास आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण हात यह भी निर्णय लिया क्या कि परिवेत्तना प्रस्तावक हात आवेदित प्रकरण को टी.ओ.आर. प्राप्त करने हेतु पुनः अनिलाईन आवेदन किये जाने के पराधान प्राप्तिकरण की अनुशास पर प्रस्तुतीवलानुसार में दुनाया जाए।

परिवेत्तना प्रस्तावक को लकड़ीवलानुसार सूचित किया जाए।

13. गैंडा की बोधालपुर लिक्का जब्त करे जाएंगी एवं फिरसा विमनी लिंक फ्लाइट (प्रो.-  
श्री रामकिशोरन यादव), जाम-गोपालपुर, तहसील-राजपुर,  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (स्थितिवालय का नमस्ती क्रमांक 1792)  
ओंकलाहून जावेदन - प्रवीपाल गव्यन - एसडीए/ सीटी/ एमआईएन/  
226382/ 2021, दिनांक 01/ 09/ 2021।

प्रदर्शाव का विवरण - यह प्रदर्शालिंग मिट्टी राखनाम (ग्रीष्म ऋतियाँ) खदान एवं  
फिरसा विमनी हेठले उल्लिखन इकाई है। खदान जाम-गोपालपुर, तहसील-राजपुर,  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज लिंग असता जमांक 499/ 1 एवं 499/ 2, कुल  
देखभाल-1.23 हेक्टेयर में प्रस्तुतियाँ हैं। खदान की आवेदित जामुनाम जमता - 500  
घनमीटर प्रतिवर्ष है।

जामुनासार परियोजना प्रस्तावका को एसडीए सीटी इकाईकरण के द्वापन दिनांक  
39/ 01/ 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित मिला गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) नविमि की 386वीं बैठक दिनांक 25/ 01/ 2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबतु यादव, अधिकारी परिविहारी उपसिंहल हुए। नविमि जामा  
नक्की बलराम जामकरी का अखलीक्कन एवं परीक्षण करने पर विमन विधाति यहाँ गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकुशि लंबांची विवरण:- इस खदान को पूर्व में  
पर्यावरणीय सीमांकुशि जारी नहीं की गई है।
2. याम पंक्तायत का अनावरित प्रमाण पत्र - जामनग के सम्बन्ध में याम पंक्तायत  
गोपालपुर या दिनांक 23/ 08/ 2018 का अनावरित प्रमाण पत्र उसका किया गया  
है।
3. जलसानन योजना - जवारी ज्वान एनोइ विद्युत ज्वारी नलीजर ज्वान प्रस्तुत फिल  
किया है। यो लिंग अधिकारी, जिला-परिविहार के जामांक/ 1205/ खानिज/ खालि 2/ 2021/ परिविहार बैकुण्ठपुर दिनांक  
18/ 08/ 2021 द्वारा अनुगोषित है।
4. 500 गीटर की चरियि में रिक्षत खदान - जामीला छलेकटर (खानिज जामांक)  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वापन क्रमांक/ 431/ खानिज/ जालामी/ 2021  
बलरामपुर, दिनांक 15/ 04/ 2021 के अनुसार आवेदित जामान से 500 गीटर को  
भीतर अखलिखा अन्य खदानों की गतिया लिये गए हैं।
5. 200 गीटर की परियि में लिंग सार्वजनिक ढोउ/ संरचनाएँ - जामीला  
छलेकटर (खानिज जामांक), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वापन क्रमांक/ 430  
खानिज/ जालामी/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 15/ 04/ 2021 द्वारा जारी प्रमाण  
पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 गीटर की परियि गे कोई भी सार्वजनिक ढोउ  
जौते घार्मिक रखल, गोदिय, सरियर, बरचट, अरकाल, रक्खा, पूर्ण याता, जालामी,  
ताड़ीय राजमार्ग, राजमार्ग इत्यादी जारी परिविहार ढोउ निर्मित नहीं हैं।
6. इल श्री आई. सर्वधी विवरण - एल श्री आई. काहीलय छलेकटर (खानिज  
जामांक), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वापन क्रमांक/ 316/ श्री  
खानिज/ जलसाननपट्टा/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 23/ 03/ 2021 द्वारा जारी की  
गई, विशेषकी वैष्णव जारी दिनांक से 1 वर्ष तक अवधि तक है।

५. गू-स्वामिन - गूमि खाता छाना ४३९/१ की गुन्ना एवं ४७६/२ की विजय राघव की नाम पर है। उत्थानन हेतु गूमि स्थानियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
६. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
७. वर्ग विभाग का अनापलि द्वारा पत्र - वर्षांत्यय वगमप्लानियारी, बलरामपुर उन्नप्लान, बलरामपुर के ज्ञापन छानी/मापि/२०१८/७५०३ बलरामपुर, दिनांक ०६/१०/२०१८ से जारी अनापलि द्वारा पत्र अनुसार जांचेंटि शेत्र की सीधा वर्ग क्षेत्र से उत्तर में ०.७ किमी. की दूरी पर है।
८. महानद्युषि सरचनाओं की दूरी - विकलाग आवारी बाम-गोपलपुर १ किमी, न्यून गाम-गोपलपुर १.५ किमी. एवं असपाताल बाम-गोपलपुर १ किमी. की दूरी पर स्थित है। तर्हीय जागारी १० किमी. एवं राज्यमार्ग ३६ किमी. दूर है। महान नदी २ किमी. दूर है।
९. पारिसंस्थितिकीय/जीवविविधता शब्देवनशील क्षेत्र - वरियोजना का प्रस्तावक द्वारा १० किमी. की परिधि के अंतर्गत यीप लीना, राष्ट्रीय उत्थान, अभ्यासाल्प, कंट्रील प्रदूषण विविधता बोर्ड द्वारा योथित प्रिटिकली पौल्युटोड एनिया, पारिसंस्थितिकीय शब्देवनशील क्षेत्र या योथित जीवविविधता क्षेत्र विद्या नहीं होना प्रतिगोपित किया है।
१०. अधिक सम्भार एवं खनन का विवरण - वियोलॉजिकल रिपोर्ट २२,१०० एक्टिटर, भाइनेवल रिपोर्ट १८,१४४ एक्टिटर एवं रिक्ष्टरेवल रिपोर्ट १५,३३६ एक्टिटर है। लौज की १ मीटर ऊँची गोपा पट्टी (उत्थान के लिए प्रतिस्थित क्षेत्र) का लेवल ४४० एक्टिटर है। औपन क्षेत्र मेच्युअल विधि से उत्थानम किया जाएगा। उत्थान ने प्रस्तावित अविलम्ब गहराई ३ मीटर है। बेब की ऊँचाई १ मीटर एवं ऊँचाई १ मीटर है। लौज क्षेत्र के भीतर ०.२ हेक्टेयर में कोष हीट निर्माण हेतु गठबो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी पिंक्स पिस्ती जी लालाह ३३ मीटर होगी। हीट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ ५० प्रतिशत फ्लाई ऐंज का उपयोग किया जावेगा। खदान की समावित आयु २० वर्ष है। एक लालाह हीट निर्माण हेतु १२ टन कोदान की आवादकता होगी। खदान में लालु प्रदूषण गियरब्रैग हेतु यांत्र का डिझाक्यव किया जायेगा। अनुमोदित गदारी प्लान अनुसार वर्षोंपर प्रस्तावित उत्थान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्थान (एक्टिटर)	वर्त्यावर (वर्ष)
छेत्र	५००	५,००,०००
ट्रिनिय	५००	५,००,०००
वृत्तीय	५००	५,००,०००
कर्तृय	५००	५,००,०००
पर्याय	५००	५,००,०००

## आगामी वर्ष का उत्पादन योजना

वर्ग	प्रस्तुताकृति उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (लग)
पट्टन	500	5,00,000
कर्णलम	500	5,00,000
भूष्म	500	5,00,000
ताम	500	5,00,000
वाराम	500	5,00,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति यहाँ पचासल द्वारा ईकर के महायम से किया जाएगा। इस बाबते पाच पचासल के अनापत्ति प्रमाण पर उत्पादन किया जाएगा आवश्यक है।
14. गुणारोपण कार्य – लीज शेत की सीधा से जाहे और 1 मीटर की गहरी में 230 ग्र. गुणारोपण किया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना उत्पादक द्वारा भी ही भार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्तुत प्रस्ताव उत्पादन नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ‘भवित वन’ के लकड़ी (आवास, छत फैफल, नीम, आम, डर्जनून, बेल आदि) याम पचासल के सहमति उपनाम गायारोग्य स्थान (खासरावार विषयक स्थान) में गुणारोपण हेतु फैली, खेलिंग आदि ऐसे शिशार्ह तथा रक्ष-रक्षाव के लिए 6 वर्षी वा धरकावार व्यव वा विकल्प उत्पादन कियुह प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. हीट बिमोर हेतु उपयोग में जाए गए कोयाते वी नाजा इस उत्पादने गमित ऐस की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Rejected bricks)/ब्रॉक्स ब्रिक्स (Broken Bricks) के उपयोग वी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. गुरुत गैप वी देखने पर लीज शेत का कुछ भाव उत्पादित प्रतिपादित होना पाया गया। प्रस्तुतीकरण की दीगाम परियोजना प्रस्तावक द्वारा कामया नामा कि लीज शेत कुई वी उत्पादित नहीं है। समिति का मत है कि इस लकड़े के उपयोग वी जानकारी/दस्तावेज खेलिंग विमान वी प्रभावित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्पादन सर्वेसामिति से निम्नानुसार निष्ठीय लिया गया था—

1. जिस-जीन किल्न के निमोन हेतु द्वाईन, लिल्लैन एवं विवित उत्पादन प्रत्युत किया जाए।
2. लीज शेत का कुछ भाव उत्पादित है अबवा नहीं के सबव में जानकारी समिति विनाम से प्रभावित कर प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु याम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पर उत्पादन किया जाए।
4. हीट बिमोर हेतु उपयोग में जाए गए कोयाते वी नाजा इस उत्पादने गमित ऐस की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Rejected bricks)/ब्रॉक्स ब्रिक्स (Broken Bricks) के उपयोग वी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. नीईजार का विस्तृत प्रस्ताव ‘भवित वन’ के लकड़ी (आवास, छत फैफल, नीम, आम, डर्जनून, बेल आदि) याम पचासल की सहमति उपरात लक्षण्यांग स्थान (खासरावार विवरण सहित) में गुणारोपण हेतु फैली खेलिंग आदि ऐसे शिशार्ह तथा

रक्षा-रकाय के लिए 5 वर्षों का घटकायार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित दर्शाया जाए।

६. प्रबोधना समिति जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने उपर्यांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदाहरणार्थ एसहुए की, असीसमात्र के आपन दिनांक 22/02/2022 के परिवेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा गवर्नीर डर्क्सुल जानकारी का अवलोकन एवं परिवेष करने पर निम्न निष्ठाएँ पाइ गईं—

१. विद्या-वीर्य विभाग के निर्माण हेतु ड्राइव, हिजार्स एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
२. नीज बीड़ का कुछ भाग उत्तराखित है तथा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (विभिन्न जातीय), विला-बलरामपुर-लखनऊजग्जि के आपन दिनांक 41/विविध/लखनऊ/2022 चलतामन्त्र दिनांक 28/01/2022 के अनुसार उभा लीकूत गीण चुनिक उत्तराखियद्वा लेउ एवं प्रदर्शित होने पाले विवरण बहुत उत्तराखियद्वा रखीकृत की स्थापित है।
३. जल की आपूर्ति हेतु पान पंचायत गोपालपुर का दिनांक 20/01/2022 का नियमित प्राप्त यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
४. ईट निर्माण हेतु छवपोर में लाए गए कोकले की गाजी 10 टन से 12 टन एवं उससे ज्यादा ऐस की गाजी ५ डिनियां तथा रिकेल्स विला (Reckitt's bricks)/ब्रेकन विल्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच भार्ग के रक्षा-रकाय के नियम जाएगा।
५. सीईआर के अंतर्गत "परिवेष वन" के लहर (आवला, बढ़ लीचल, नीम, आम, अरुण, बेल आदि) कृष्णारंगण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीसी के लिए रक्ति 1,500 रुपये, फौसिय के लिए राशि 40,000 रुपये, छाद के लिए राशि 1,600 रुपये, रक्षा-रकाय के लिए राशि 34,000 रुपये, झुला एवं विस्तावटी के लिए राशि 20,000 रुपये, लाईटिंग, लकड़ीन आदि के लिए राशि 21,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रुपये, ६ वर्ष हेतु छटकायार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इम प्राप्त वन के सहभागी उपर्यांत व्यापार मध्यम (खेलदार जामाक २२/१ लेवेफल ४.०३। हेक्टेयर) के सबम में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सीईआर के अंतर्गत "परिवेष वन" के लहर झुला, विस्तावटी, लाईटिंग, लकड़ीन आदि का लाप्त एवं प्रस्ताव को अनुमत्य किया गया। समिति का ना है कि उपरोक्तानुसार सीईआर के लहर "परिवेष वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तराखण सर्वेत्तमाति से नियोजित जिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर वा विस्तृत प्रस्ताव "परिवेष वन" के लहर (आवला, बढ़ लीचल, नीम, आम, अरुण, बेल आदि) में कृष्णारंगण हेतु पीसी, फौसिय, छाद इव विभाई तथा रक्षा-रकाय के लिए ६ वर्षों का घटकायार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किए जाने उपर्यांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, अस्तीर्णगढ़ की द्वापन दिनांक 22/04/2022 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(३) समिति की ४१०वीं बैठक दिनांक 18/06/2022:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का कल्पनाक्रम एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्दिष्ट याइ गई कि—

१. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिप्पोर्ट (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा दीर्घ आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सभी विस्तार से यारी दर्शाते निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Particulars		
28	2%	0.56	Following activities at Village-Gopalpur Pavitra Van Narmi	2.26	
			Total	2.26	

२. सीईआर के अन्तर्गत "चौकिं द्वारा निर्धारित" के तहत (अक्षया बहु, गोपल, नीम आम, अरुण, खेल आदि) क्षेत्रोंपर हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नथ यैसी के लिए राशि 800 रुपये हैं जो लिए राशि 40,000 रुपये, जाहा के लिए राशि 700 करोड़, जिसमें राधा रख—रखलद के लिए राशि 41,000 करोड़, इस प्रकार प्रधाम वर्ष में कुल राशि 82,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु याटकथार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत चौकिं द्वारा हेतु याम व्यवाया गोपालपुर के सहनीय उपनिवास क्षेत्रोंपर अन्तर्गत (व्यवाया द्वारा 322/1, देवगढ़—सुल्तान) के क्षेत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

३. इलाजीआई, कार्यालय कर्मचार (लॉगिस्टिक जारी), निला—बलरामपुर—जानगुण्डारा की द्वापन क्रमांक/316 / नीम छानिज/लॉजिस्टिक्सपटटा/2021 चलतानामुर दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैफल जारी दिनांक से ५ वर्ष की अवधि तक भी, जिसकी कैफल समाप्त हो गई है। अतः इलाजीआई की कैफल दृष्टि संक्षेपी दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तदानुसार लघुराज्याति ही नियम लिया जाना था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एलओआई की कैफल दृष्टि संक्षेपी दस्तावेज़ प्रस्तुत जिसे जाने उपनिवासी आगामी अवधियांती की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, अस्तीर्णगढ़ की द्वापन दिनांक 20/07/2022 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 10/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(४) समिति की ४३२वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का कल्पनाक्रम एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्दिष्ट याइ गई—

1. एलआरआर की फैलत युक्ति बाबत नवाचालय संचालक गोपनीयी तथा खानिकामे नक्ष राज्यसुर अटल भगवर के पुनरीक्षण प्रकरण इनांक 20/2022 द्वारा जारी पारित। अटेज दिनांक 09/11/2022 की यसे प्रस्तुत की गई है जिसके उन्नुसार 'खपरोक्त विधेयकाना' के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, वह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गोपनीय खानिकाम, 2016 को नियम 42 (5) परन्तु के बहुत सकृदारण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने वाला उपरान्त उत्तरानन पड़ा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समवायपि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, विभाग उत्तराम्बुद्ध-सामान्जगज को प्रत्याकर्तित किया जाता है।' द्वारा बताया गया है।
2. समिति का यह है कि तीर्थुआर क्षेत्र एवं 7.5 बीहर की गोपनीय घट्टी में उपरान्त वार्षिक कार्य के भागितारिम एवं पर्यावरण हेतु विषयीय समिति (ओपराइटर/प्रतिनिधि, याम दबावाया के विविधतारी/प्रतिनिधि एवं विभाग उत्तराम्बुद्ध पर्यावरण संलग्न पम्भुत्तु के विविधतारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। ताकि ही गोपनीय एवं 7.5 बीहर की गोपनीय घट्टी में उपरान्त वार्षिक कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित विषयीय समिति ने शास्त्राधिकृत कराया जाना आवश्यक है।
3. नाननीप एन.जी.टी., प्रिसियल वैथ, जहु दिल्ली द्वारा तालीम प्राप्तिय विलह नारा भवनकार, पर्यावरण, वन और जलवायु विभिन्न विभागों, जहु दिल्ली एवं झन्य (झीरिजनन एविलोकन नं 186 अंतिम 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 तो पारित आदेश में मुद्रा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEPA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विभाग विभाग उपरान्त संस्थानी संविधान समिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-
- कार्यकारी कालेक्टर (खानिकाम रामता), विभाग-उत्तराम्बुद्ध-सामान्जगज के ज्ञान इनांक/431/खानिकाम/उत्तराम्बुद्ध/2021 उत्तराम्बुद्ध दिनांक 15/04/2021 के अनुसार अवैदित खदान से 500 बीहर के भीतर अवैदित अन्य खदानों की संख्या निरक्त है। अवैदित खदान (यानि—गोपालपुर) का स्कोर 1.23 हेक्टेयर है। खदान की गोपनीय से 500 बीहर की परिधि में स्वीकृत/सामान्जित खदानों का कुल इकायन 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 क्षेत्रीयी गयी।
  - समिति द्वारा विभाग विभाग उपरान्त संस्थानी संविधान से आवैदक — मैसासे गोपालपुर विभाग असी जौ क्षेत्रीय एवं विभाग विभागी क्षेत्र फ्लॉट (प्रो.— श्री वामपीठगुप्त यादव) को याम—गोपालपुर, लहसील—तजपुर, जिल्हा—जलरामपुर-सामान्जगज के उत्तराम्बुद्ध इनांक 499/1 एवं 499/2 में स्थित मिट्टी उत्तरानन (गोपनीय खानिकाम) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर, वामता — 500 घनमीटर (द्वितीय उत्तराम्बुद्ध 5,00,000 मग) ग्राहित की है पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा जौ की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/01/2023 को संघन 130वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गरीब का अधिकार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किसी उपरात सर्वसम्मति से किया गया—

- सभिती की अनुशासा को लीकार करते हुये आदेश — बेशर्ट गोपालगुरु द्विवाजी गरीब का व्यापारी पृष्ठ डिक्ट विमली लिंक चाट (पी— की रामांशुन यादव) को विमल अंतिरिक्ष शर्त के अद्वितीय व्यापारी लीकृति जारी छोड़ने का निर्णय लिया गया—

लीज दोज की सीमा में यारी और 1 मीटर की पट्टी तथा सीईआर के लहर किये जाने वाले पृष्ठ व्यापारी पृष्ठ की जनकारी गेस्टग (Guestbag) फोटोडाक्स कंपनी अंतिरिक्ष विपोरी में रामांशुन करते हुये प्रस्तुत किया गया।

जाप ही सभिती द्वारा निहित जिये गये शर्त का पालन प्रतिनिधित्व किया गया। बालून वर्षी किये जाने परि स्थिति में विकल्प विधानिक कार्यवाही की जाएगी।

- प्राप्तिक्रिय अस्ट वास्तविक के विवरण डेंगु विद्यमान तियों जाने बालून लापता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरात गी परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया गया।
- एलीसन्ड आदर्स पुमवारि नीलि के द्वारा स्थानीय ज्ञोगो को सोजमार दिये जाने द्वारा द्वारा स्थानीय ज्ञोगो को सोजमार दिये जाने एवं लैकिल चीजों का संवार्डल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बालून बालून लापता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरात गी परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभिता नियमों के द्वारा बालून गिरन्से द्वारा सीमावर्त्तन का द्वारा सुनिश्चित किये जाने बालून बालून पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरात गी परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक के विस्तृ द्वारा परियोजना / खदान से होकरित गोई बालून लीन ग्रकरण देश के अंतर्गत कियी भी नालूनमा मे जयित नहीं होने बालून बालून पत्र (Notarized undertaking) ज्ञा किये जाने के उपरात गी परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक के विस्तृ भावत सरकार पर्यावरण वर्ष और अल्लाम्पु अंतिरिक्ष नियमों की अंतिसूचना ज्ञा वर्ष 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत जोई उल्लंघन का प्रकरण लिया नहीं होने बालून बालून पत्र (Notarized undertaking) ज्ञा किये जाने के उपरात ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुनिता किया गया।

✓  
D.K.

14. मेसर्स एलेंग कंट्रोल कंपनी (श्री— श्री सुशील कुमार जागड़), याम-सोडारी, तहसील व ज़िला—महाराष्ट्र (संचिकालय का नम्बरी क्रमांक 2108)

ऑनलाइन आवेदन — प्राप्तिक नम्बर — एसडीएर/ सीपी/ एसएसएल/ ४३१७ / २०२२, दिनांक १५/०७/२०२२ द्वारा दी ओआर हेतु आवेदन दिया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्ण श्री संघानित पारी पात्र (गोपनीय अधिकारी) खदान है। खदान याम-सोडारी, तहसील व ज़िला—महाराष्ट्र विभाग पाट और खासा उत्तरा १०, कुल शेअफल—८.८ हेक्टेएर में है। खदान की आवेदित उत्तरांक कमता—८७६.५ एकेएसएटर (१,६९१.२५ डॉ) प्रतिकूल है।

याम-सुखार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तरीसंगम के आपने दिनांक ०९/११/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित दिया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की ४३३वीं बैठक दिनांक १७/११/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशील कुमार जागड़ श्रोपाइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीनी उत्तरांक जानकारी का अक्षोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति नामीकृत विवरण—

i. पूर्व में जारी कर्त्तव्य खदान खासा क्रमांक १०, कुल शेअफल—८.८ हेक्टेएर, कमता—८७६.५ एकेएसएटर प्रतिकूल हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिला जानीय पर्यावरण नियम धृष्टिकरण, ज़िला—महाराष्ट्र, दिनांक १५/०१/२०१७ को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक १५/०१/२०२२ तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नामी सरकार पर्यावरण, दन और जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, गई दिली द्वारा जारी अधिरुपक दिनांक १५/०१/२०२१ अनुसार—

"B. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिरुपक को अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की विधि जारी दिनांक से दिनांक १५/०१/२०२१ तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बाती के बजान में जी नई कर्त्तव्यकृति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का नत तौ है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसेल्हुगा ईंजीन जारीतारी भावत सरकार पर्यावरण द्वारा जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, जारी रायकुर कल्प नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का यातन इंसियरेंज प्राप्त कर प्रस्तुत दिया जाना आवश्यक है।

iii. नियमानुसार १८० नगा यूनिटेशन दिया गया है।

iv. विषय वर्ष में किये जाये चलानगम की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दोहरा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विषय वर्ष में किये गये चलानगम की जलतपीक मात्रा की जानकारी को निए एसेल्हुगा ईंजीनियर विवरण में आवेदन दिया गया है। अतः समिति का नत है कि विषय

- पहली में किये गये उत्तरानन की वास्तविक साजा को जानकारी द्वानित विभाग से जगागिए कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. चाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरान की संख्या में चाम पंचायत गोपनी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  3. उत्तरान गोपनी – कठीरी पत्तम एसान लिख वारी पहोंजर पत्तम विध इन्हायारीमेट मैनेजमेट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सभि अधिकारी गिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1674/क/खाति/न.का./2016 महाराष्ट्र दिनांक 29/06/2016 हात अनुमोदित है।
  4. 500 गोटर की परिधि में लिखत छद्मान – कायात्तय कलेक्टर (खणिय जारी) गिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 381/क/खाति/न.का./2021 महाराष्ट्र दिनांक 10/03/2022 अनुसार आवेदित छद्मान से 500 गोटर की भीत अवस्थित 60 खदाने, बोरबल 397 होवेंग हैं।
  5. 200 गोटर की परिधि में लिखत जारीखनिक लोड/सांचवनाए – कायात्तय कलेक्टर (खणिय जारी) गिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 301/क/खाति/न.का./2021 महाराष्ट्र दिनांक 10/03/2022 हात जारी प्रमाण चड़ अनुसार उक्त छद्मान से 200 गोटर की परिधि में कोई भी जारीखनिक लोड लेने सकिए, सरियद, सरमट, पुल, नदी, रेत लाईन, अस्पताल, स्कूल, एगीकट और एवं जल जापूर्ति आदि जलीविल लोड निश्चित नहीं हैं।
  6. गुग्गि एवं लीज का विवरण – यह आमतीय नहीं है। लीज भी सुशोल छुमार गांगडे के नाम पर है। लीज लीड 10 लाई अधीन दिनांक 24/11/2005 से 23/11/2015 तक की अधीनी होता रहा था। उपरवाहा लीज लीड 20 लाई अधीन दिनांक 24/11/2015 से 23/11/2035 तक की अधीनी हो रहा रहित रही गई है।
  7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – एवं 2020 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की ही प्रस्तुत यह गई है।
  8. यन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कायात्तय उनापहलाडितारी सामान्य अनगण्यत, गिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक/मापि/संगिल/2580 महाराष्ट्र दिनांक 11/दा/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित लोड यन लोड की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
  9. महाराष्ट्र सरबनामों की दूरी – निकटतम आवादी गाम-घोडारी 820 गोटर रखने पाने-जोड़ारी 1.85 कि.मी. एवं अस्पताल गहारानुद 0.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 1450 कि.मी. दूर है। तालुक 1.6 कि.मी. भोजनी नाला 1.2 कि.मी., नहर 720 गोटर एवं महानदी 100 गोटर दूर हैं।
  10. पारिसिवलिकीय / जीवविशेषता लंबेदनशील लोड – परियोजना प्रस्तुतका हात 10 कि.मी. की परिधि में अलांगीय सीन, राष्ट्रीय रुद्धान, अग्नाराष्ट्र, केन्द्रीय प्रदेशीय लिंगंवल लोड त्रुपता घोषित किटिकली पील्लुटोड लंबिया, पारिसिवलिकीय लंबेदनशील लोड या घोषित जीवविशेषता लोड स्थित गहीं होना प्रतिक्रिया किया गया है।

11. खानन संपदा एवं खानन का विवरण — जियोलॉजिकल रिपोर्ट 1,08,130 टन, नाईनेशल रिपोर्ट 67,725 टन एवं रिकॉर्डेबल रिपोर्ट 80,794 टन है। यहांमात्र में जियोलॉजिकल रिपोर्ट 1,08,012 टन एवं नाईनेशल रिपोर्ट 85,808 टन शेष है। लौज की 7.5 मीटर औरी सीना पट्टी (दाढ़खान के लिए प्रतिवर्षित दोष) का कुल अवृक्षकल 2,281 घनमीटर है। ओपन कास्ट मैन्यूफॉर्म विधि से उत्थानन किया जाता है। उत्थानन की प्रस्तावित अवधिकाल महाराई के मीटर है। लौज क्षेत्र में उपरी गिट्टी की भौमाई 0.5 मीटर है तथा कुल भौमा 1,000.8 घनमीटर है। देश की इकाई 1.5 मीटर एवं भौमाई 1.5 मीटर है। खदान की सभावित आयु 10 वर्ष है। कास्ट काटर का उत्पादन किया जाता है। लौज क्षेत्र में लकड़ लभावित नहीं है एवं इसकी व्यापक का प्रशान्त तर्हीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु यात्रा का छिड़काय दिया जाता है। वर्षाव प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रकाशित उत्थानन (टन)	वर्ष	प्रकाशित उत्थानन (टन)
प्रारंभ	1,287.50	अट्टम	1,875.00
द्वितीय	1,481.25	साप्तम	1,991.25
तृतीय	1,600.00	अष्टम	2,193.75
चत्वारी	1,563.75	नवम	2,268.75
पाषाण	1,601.25	दशम	2,497.50

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु जलावयक जल की भौमा 3.6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति याम प्रणाली द्वारा टैकर एवं बोर्डेल की मात्रम से ही प्राप्त है। इस जावत याम प्रणाली का अन्तर्वित प्रमाण एवं एवं बीन्हूल पालन की दृष्टि अनुपाति क्षमता कर प्रसुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य — लौज क्षेत्र की सीना ने छारे और 7.5 मीटर की पट्टी में 225 वर्ग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की औरी सीना पट्टी से उत्थानन — प्रस्तुतीलक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लौज क्षेत्र की छारे और 7.5 मीटर की सीना पट्टी का कुल अवृक्षकल 2,281 घनमीटर होता है, जिसमें से कुछ भाग उत्थानित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित नाईनेशन फ्लाम में नहीं किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर की सीना पट्टी के प्रस्तावन किया जाना एवं कर्तव्यवाचीकृति की छारे का उल्लंघन है। उस परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक कर्तव्यानुसारी किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीना पट्टी में किये गये उत्थानन की एक प्राकृतिक तरीका करते हुए रियावं की गणना कर कर्तव्यवाची प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि नारा सरकार, पर्यावरण का एवं जलवायु परिवर्तन नियालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोटोकॉल से हेतु नारा पर्यावरणीय कार्य जारी गई है। इस कानून का VIII (m) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.0m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

वालत नामक शहर के अनुसार भाईन लीज़ क्षेत्र के बीच 7.5 मीटर गोड़ सेपटी फोग में दृश्यारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावका द्वारा कलाया गया कि शाम-घोषणी, वरदानसूख एवं गुडेना तहसील में जिला-महासभुद क्षेत्र में 45 पलघर खादाने कुत शीक्षणका 68.43 हेक्टेयर क्षेत्रिक है। यान-शोड़ासी की गत्य से राष्ट्रीय सञ्चयन बनाया है। जिससे राष्ट्रीय सञ्चयन के उत्तर दिला में शाम-बनदानसूख एवं शोड़ासी क्षेत्र में 20 खादाने, बोरकल 4060 हेक्टेयर गत्या राष्ट्रीय सञ्चयन को बढ़ाय दिला में शाम-शोड़ासी एवं गुडेना क्षेत्र में 25 खादाने, बोरकल 17.80 हेक्टेयर अधिक है। दोगो क्षेत्रों की मत्त्य की दूसी 660 मीटर है। कुकी है जाहै ए सटी के दौरान हीनो क्षेत्रों का बड़न जीन एवं दूसरे में ओक्सर लेव ही रहा है। अत परियोजना प्रस्तावका द्वारा कुल 90 पलघर खादानी को एक जलस्टर बनाये जानी इंआईए लिंग्वर दैवार बनाने द्वारा अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि यीनो क्षेत्रस्तों से 10-15 किमी के क्षेत्र को इंआईए सामिटरिंग को लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावका द्वारा कलाया गया कि जलस्टर में आगे याती अन्य खादानों को लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का तारी दिनांक 01 / 10 / 2021 से ग्राहक किया गया। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 28 / 06 / 2021 को सूचना दी गई थी।

18. गामनीय एवं जीवी, विविधता वेद, नहु दिल्ली द्वारा सल्वेट पालट्री नियन्त्र बालत भवनकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मध्यात्मय नहु दिल्ली एवं अन्य (अंशिजनल एंजिनियरिंग न. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा कियार विभागी उपचार सार्वत्रिभवि तो निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- कलायी उपचार (समिति द्वारा) जिला-महासभुद के शाम-बनदान 301 / क./खलि/नक्का/2021 महासभुद दिनांक 10 / 03 / 2022 अनुसार आयोगित खादान से 500 मीटर के भीतर अपरिवर्त्ता 69 खादाने, क्षेत्रफल 39.7 हेक्टेयर है। आयोगित खादान (शाम-शोड़ासी) का नक्का 0.9 हेक्टेयर है। इस प्राप्त आयोगित खादान (शाम-शोड़ासी) को मिलाकर कुल रक्का 406 हेक्टेयर है। खादान की तीसों से 500 मीटर की वृत्ति में क्षीकृत / संवर्तित खादानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का जलस्टर निर्मित होने के बाबत यह खादान 'यी' क्षेत्रों में मानी जायी।
- नहुन लीज़ क्षेत्र के लाली और 7.5 मीटर गोड़ सेपटी फोग के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Karmabhih Kalyanayak) के संबंध में लाली लीज़ के अंदर महुनीम कियाकलापी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण द्वारा आवश्यक उपायों द्वारा दृश्यारोपण आदि के लिये नामित उपायों को नियमित कराने वाला गांवक, राष्ट्रात्मकांग, भौमिकी गत्या उनिष्ठने, इडली

मंडन, नवा रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) की सेवा किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 हेक्टर खींची सीमा पट्टी ने अधिक नवाखनन किया जाना पावेगा ताकि पह परिवहन और स्थानक के विषय में नियमानुसार आवश्यक जारीकाही किये जाने हेतु संचालन, संवालनालय, खींची तथा रुकिली को एवं पर्यावरण की तरी महुचाने हेतु छलीसनद पर्यावरण संबंध मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की नियमानुसार आवश्यक अधीक्षकी किये जाने हेतु लेक किया जाए।
  4. पूर्व में जारी मध्यप्रदीप रक्षणात्मकी का मालन प्रतिबंधन के संबंध में इकाईकृत शास्त्रीय कार्यालय पर्यावरण द्वारा एवं जलवायु परिवर्तन मध्यालय, माला सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
  5. समिति द्वारा किया जिनकी उपरांत संवेदनभूति से इकाईकृत कंटेनरी का होगा कारण भाला सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवार नंबालय द्वारा अप्रैल 2015 में इकाईकृत रक्षणात्मक टन्सी और रिकरेंस (टीजेसार) फॉर ई आई ए /ई एम वी रिपोर्ट फॉर ड्रेलेवट्स/एकटीपिटीज रिक्वारमेंट करीबिरा अध्यक्ष ई आई ए सोलिकिकेशन, 2006 में उन्नीस शेषी 1(ए) का रक्षणात्मक टीजेसार (लोक सुन्धार सहित) नीन कोल माइनिंग ड्रेलेवट्स हेतु किया जाना चाहिए।
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
  - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - viii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
  - ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - x. Project proponent shall submit the copy of panchnames and photographs of every monitoring station.
  - xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

- located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
  - xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
  - xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 04 to 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
  - xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरीका प्रवर्तन पर प्राधिकरण ने दिनांक 09/01/2023 की संगम्ल 136वीं बैठक में विचार विभाग द्वारा नवीनीकृत अधिनियम विभाग द्वारा विचार विभाग द्वारा संवर्तन संसदीय समिति से निश्चय लिया गया कि संविधान द्वारा अनुशासित अधिकार दीक्षित दीक्षित दीक्षित की तरफ से भिन्न रूपों में विभाग द्वारा लिया गया है—

- 5 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." की स्थान पर 5 (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11911/S18/2010-(AII)) dated 30/05/2012" पर। जैसे।
- 5 (xvi) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर ३ (xvi) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height) and shall maintain 60% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." कहा जाए।

- ३. (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost." के स्थान पर ५ (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." कहा जाए।

अब ही यह भी निम्नलिखित किया जाए—

- (i) माझें लैंड होम के घासी और ७.५ मीटर ऊपरी सीढ़ी योग के कुछ भाग में किये गये उत्तराधान के कारण इस होम के उपचारी उपाय (Remedial Measures) के संबंध में तथा लैंड होम के अवधि विवरण डियावनको के कारण उत्तराधान प्रदूषण द्वारा आवश्यक उपचारी यथा वृक्षारोपण आदि के लिये संशुद्धित प्रभावी काबू संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा अग्निकर्म इंद्राधारी भवन, यथा रायपुर अटल नगर किला — रायपुर (उत्तीर्णनगद) को पत्र भित्ति किया जाए।
- (ii) प्रतिवर्षित ८.५ लैंटर सीढ़ी सीढ़ा पट्टी में अवैध उत्तराधान किया जाना जाये यह परियोजना प्रस्तावक के दिल्ली नियमानुसार आवश्यक वैज्ञानिक वार्तावाली किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा अग्निकर्म को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माझें लैंड होम के घासी और ७.५ मीटर ऊपरी सीढ़ी योग के कुछ भाग में किये गये उत्तराधान से पर्यावरण की छाँटी होने के कारण छाँटीवानाहू पर्यावरण अंदाज मंडल, यथा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (iv) पूर्व में घासी पर्यावरणीय स्थीरत्वात् का वक्ष्यन प्रतिवेदन एवं दूसरी कार्रवाही भवत्ता बारकार, पर्यावरण वन और उत्तीर्णन वर्तमान यथा रायपुर अटल नगर संघर्ष एवं छाँटीवान कार्रवाही भवत्ता बारकार, पर्यावरण वन और उत्तीर्णन वर्तमान यथा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना उत्तराधान को साक्षी टम्स ऑफ रेकर्ड्स (टीओआर) (लौक. सुनवाई संहिता) जारी किया जाए। अब ही संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा अग्निकर्म, शिधारकी भवन, यथा रायपुर अटल नगर एवं छाँटीवान कार्रवाही भवत्ता बारकार, पर्यावरण वन और उत्तीर्णन वर्तमान यथा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

16. मैसारी आरटी इफास्ट्रॉयर एप्ल विल्हेल्म लिमिटेड (प्रो.- श्री राजीव गुदला, दोदेकला सो योद लाईम स्टोन नवारी), शाम-दोदेकला, तहसील चिंता-शयपुर (कार्यितात्व का नमूनी क्रमांक 1511)

कॉनलाईन खावेदन - पूर्व में प्रपोजल नमूने - एसआईए/ सीजी / एमआईएन/ ५३६७९/ २०२१, दिनांक १३/ ०१/ २०२१ द्वारा दी.ओ.आर हेतु आवेदन लिया गया था। उक्तगति में प्रपोजल नमूने - एसआईए/ सीजी / एमआईएन/ ५३६८०/ २०२१, दिनांक २६/ ०७/ २०२२ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काहिनल है.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की नहीं है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित श्री एड लाईम ग्लॉब (गोपनीय समिति) द्वारा है। युद्धन शाम-दोदेकला, तहसील चिंता-शयपुर विष्णु खावेदन क्रमांक ५०२/ १, ५०७/ ८, ५०७/ ९, ५०८/ १, ५०८/ ४, ५२१, ५२२/ ३, ५२२/ ४, ५२२/ ५, ५२२/ ६, ५२३/ २, ५२३/ १०, ५२३/ ११ एवं ५२३/ १२, युद्ध दोतामा-४६६३ ऐवेंगर में प्रस्तावित है। युद्धन की ४३३वीं उत्तराधिकारी अमता-३४,०००.६५ टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. उत्तराधिकारी को आगले क्रमांक १६४, दिनांक १२/ ०४/ २०२१ द्वारा प्रकाशित श्री. केटेली का होने के कारण बहरत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायन परिवार मंत्रालय द्वारा अप्रूल २०१६ में प्रकाशित स्टैणडर्ड हमां ओए रिफरेंस (टीओआर) फौर है.आई.ए./ई.एम.वी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एसटीपीएल रिस्क्युयरिंग हुम्योपरफॉर्म कर्तीयता अनुबर है.आई.ए. नोटिसिलेशन, २००६ में घोषित अंकी १८) पा कर्टेनर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जली लिया गया है।

उदागुपत्र विविध विवरण को एस.ई.ए.सी. उत्तराधिकारी के आगले दिनांक ०९/ ११/ २०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुझित लिया गया।

#### बैठक का विवरण -

(अ) समिति की ४३३वीं बैठक दिनांक १७/ ११/ २०२२

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव गुदला, प्रोप्रोप्राईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के समूह में सहायी एवं एम सील्पुशन नोटर्स, चलारखंड वी. ओर से श्री तुरीन व्याहुदीन उपसिंधि द्वारा। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी के अन्तर्गत एवं वर्णित करने पर जिन विषयों पर जारी रहीं नहीं:-

+ श्री. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - पूर्व में आवेदन (मैसारी आरटी इफास्ट्रॉयर एप्ल विल्हेल्म लिमिटेड) को ही आवेदित होने के बाद भाग में छोड़ा क्रमांक ५०८/ १, ५२२/ ४, ५२२/ ६, ५२२/ ८, कुल ईंजेक्शन-०६७ ऐवेंगर अमता-३५,६२६ टन छोड़ी गयी हेतु राज्य सत्र पर्यावरण समाधान निभिरण प्रयोग्यता, उत्तराधिकार द्वारा दिनांक ०८/ ०४/ २०१६ को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था। यह स्वीकृति जारी दिनांक से २ वर्ष तक की अवधि हेतु रही थी। हस प्रकार वर्तमान में आवेदित होने के लिये एक नाम हेतु पूर्ण मार्गदरवारी स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी देखता दिनांक ०८/ ०४/ २०१७ को समाप्त हो चुकी है। प्रस्तुतीकरण को दीर्घन परिपोजना द्वारा द्वारा चलाया गया कि वर्तमान में आवेदित प्रकारण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अपरिवर्तनीय बदलाव आमता विस्तार के प्रकारण से लंबित नहीं है। आवेदित प्रकारण हेतु एस.ई.ए. जारी की गई है। अतः श्री. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अंतीं के अन्तर्गत में की गई कर्यवाही की विन्दुकर जानकारी की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं जाती है।

2. यात्रा पंचायत का अनावृत्ति प्रमाण पत्र — उल्लेखन एवं जनसरके संबंध में यात्रा पंचायती दोस्तीकरण पत्र दिनांक 24/12/2009 का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लेखन योजना — यहाँ ज्ञान प्रिय जारी कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यो याप—पर्यालोक (खनिज प्रस्ता) जिला—रायपुर के ज्ञान प्रमाणक क./ख.लि./ई-नियिदा नं.प्र./2018/1214 रायपुर दिनांक 14/09/2018 द्वारा अनुरोदित है।
4. 600 मीटर की परिधि में स्थित घटान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज प्राक्ष.) जिला—रायपुर के ज्ञान प्रमाणक 1579/ख.लि./तीन—८/2020 रायपुर दिनांक 31/12/2020 के अनुसार आधेदित घटान जो 600 मीटर की भीतर ३ घटानी होता है ७०२३ हैक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा यात्रा पत्र कि आधेदित घटान जो 600 मीटर की भीतर अविस्थित छना घटानों की अवास जानकारी है तु आधेदित किया गया है।
5. 300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होड़/सरवनाथ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज प्राक्ष.), जिला—रायपुर के ज्ञान प्रमाणक/क./ख.लि./तीन—८/2020/1579 रायपुर, दिनांक 31/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त घटान से 300 मीटर की परिधि में कोई सार्वजनिक होड़ यौन संदर्भ मस्तिष्ठ, मस्तिष्ठ, जलसाल, स्फुल, चुल, बाय एवं इनीकट एवं उसे कानूनी आवि प्रतिबंधित होने निर्दित नहीं है।
6. एसओआई, संबंधी विवरण — एसओआई मेससे आरती इनफ्रास्ट्रक्चर एवं विश्वकोर्ता जिमि के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज प्राक्ष.), जिला—रायपुर के ज्ञान प्रमाणक 1458/ख.लि./तीन—८/ठा.प/2020 रायपुर दिनांक 16/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवरण जारी दिनांक से १ वर्ष तक अवधि तक थी। उत्थरणात् एसओआई, की ईमान पूळि सावालेलालव, भौमिकी लक्ष लेनिकार, नका संयपुर अटल नगर के नं. ज्ञान प्र. ५१/खनि ०२/ठा.प—अनु निक्ष. / न.क्र. ५०/२०१७(३) गया रायपुर दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई जिसकी वैधता १ वर्ष (अधिक दिनांक १३/१२/२०२२) की अवधि तक है।
7. गू—स्पारित्व — गूण खातारा ज्ञानक ८०७/१, ८०७/८, ८०८/४, ६२१, ५२२/३, ६२३/२, ६२३/१०, ६२३/११ एवं ६२३/१२ आधेदित एवं ज्ञान प्रमाणक ८०७/८, ६२२/४, ५२२/५, ५२२/८, ८०८/१ आरती कटोर एवं कोलर के नाम पर है। उल्लेखन हेतु भूमि स्थानी वर सहमति यज्ञ वर्ती प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१७ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं है।
9. वन जिलाय का अनावृत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तुतीवन्दण के दोस्तन परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा पत्र कि वन जिलाय का अनावृत्ति प्रमाण पत्र द्वारा किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज प्राक्ष.), जिला—रायपुर के परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक १०/११/२०२२ को पत्र लेया किया गया है। उक्त वन परियोजना में कार्यालय कलेक्टर (खनिज प्राक्ष.), जिला—रायपुर द्वारा जिला वन भव्यालयिकारी को दिनांक १४/११/२०२२ की भव्याल तो पत्र लेया किया गया है।

10. महत्वपूर्ण संरक्षणात्मकी की दूरी – शिल्पलाल आधारी ग्राम-दोदेकला 750 मीटर स्थित ग्राम-दोदेकला 750 मीटर एवं अस्सलाल नगिंदर हस्तीड 8 किमी की दूरी पर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किमी तक उपर्यामार्ग 8 किमी दूर है। आसन गढ़ी 23 किमी, एवं गाला 430 मीटर दूर है।
11. पारिसिंधितीकीय / लौबधितीकीय संवेदनशील हीज – परिषेजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी ली पर्तिये में अतिरिक्तीय लीमा राष्ट्रीय उद्यान अस्सलाल कल्हीय उद्यान नियंत्रण बोर्ड द्वारा शोधित किट्टेकली पौल्युटेड ऐरिया, पारिसिंधितीकीय संवेदनशील हीज या धोकिया लौबधितीकीय हीज नियंत्रण लीमा होगा प्रतिवेदित किया है।
12. सानन संपदा एवं सानन का विवरण — जियोजीटिकल रिपोर्ट 6.41.162 द्वारा जारीनेवल रिपोर्ट 208,070 द्वारा है। लीज की 7.5 मीटर लीकी लीमा पट्टी (उद्यान के लिए प्रतिविधि बोर्ड) का शोडाल 8,472 मीटर है। लोगों का स्वतंत्र समी मैवेन्टर्ड्ड विभि से उद्यानन किया जाएगा। उद्यानन की प्रस्तावित विधिकसम लहराई 6 मीटर है। उपरी गिर्दटी की गोदाई 0.6 मीटर एवं माझा 6.611.34 मीटर है। इस गिर्दटी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में ऊल्लंघन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। वैसे ली लहराई 3 मीटर एवं गोदाई 3 मीटर है। उद्यान की समावित आयु 6.5 वर्ष है। लीज लोक में आमतर रक्षावित पिंड जाना प्रस्तावित है जिसका अंत्यक्ष 1,778 मीटर है। लोक इन्ह से डिलिंग एवं कट्टोल क्लारिंग किया जाएगा। उपर्याद प्रस्तावित उद्यानन का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित उद्यानन (द्वारा)
इच्छा	30,000.00
प्रितीय	31,000.00
कृतीय	31,982.31
प्रत्याध	33,000.00
प्रत्यन	34,000.05

13. जात आपूर्ति – परिषेजना डेन्ट्र आवश्यक जल की जला 8 मीटर मीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोर्डेल से ही जाएगी। भू-जल की उपयोगिता डेन्ट्र संग्रह संरक्षण बोर्ड अधीक्षिती से अनुमति प्राप्त जल प्रस्तुत ही गई है।
14. कृषांशोषण कार्य – लीज हीज की लीमा में आरो और 7.0 मीटर की लहरी में 1,050 नम् कृषांशोषण किया जाएगा। परिषेजना प्रस्तावक द्वारा लीज लोक के स्वतंत्र व्यावरणीय द्वार्यन योजना के तहत निम्नानुसार कारो फ्रस्तावित है—

विवरण	पूर्वम (कमावे)	हिर्दीय (कमावे)	कृतीय (कमावे)	कंतुर्क (कमावे)	प्रत्यन (कमावे)
स्वदान लो कालाही ली (1,050 नम्) कृषांशोषण एवं	दुष्प्राप्तयन (90 प्रतिशत जीवन द्वारा) डेन्ट्र जाहि	79,800	7,400	7,400	7,400
	कोकिंग डेन्ट्र जाहि	2,84,946	—	—	—
	त्वार डेन्ट्र जाहि	7,950	760	760	760
	शिलाई एवं रख- रखाव डेन्ट्र <sup>1</sup> जाहि	3,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल प्रति	—15,85,418	6,88,696	2,24,180	2,24,180	2,24,180

15. लावाय की 7.5 मीटर की ऊँची सीधा पट्टी में उत्थनन — प्रसूतीकरण के दौरान परियोजना प्रसापक द्वारा बताया गया कि सीधा ऊँचे की ऊँची और 7.5 मीटर की सीधा पट्टी का कुल अंतर्कल 0.473 वर्गमीटर है। एत और जारी होने से पूर्व से ऐसे सीधे के उत्थन दिला में 187 वर्गमीटर 3 मीटर की गहराई तक उत्थनित हो। परियोजना प्रसापक द्वारा उत्थनित सीधे का पुनर्मानव कर धूमरोपण किये जाने वाले समय पर (Post-combusted undertaking) प्रसूत किया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर ऊँची सीधा पट्टी में उत्थनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की रूपी का समर्पण है। अतः परियोजना प्रसापक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक बाबंदाही किया जाना आवश्यक है।

16. उत्थनेखनीय है कि भवता नालकार पर्यावरण द्वारा एवं जलवायु परियानि भवता पर्यावरण महु दिली द्वारा नीन कोल माईनिंग लोजेटदाल हेतु आनक पर्यावरणीय राती जारी हो गई है। इसे कमाक जाना के अनुसार—

*The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.*

इका आनक राती की अनुसार माईन सीधा सीधे के अंदर 7.5 मीटर ऊँचे सीधी जोन में धूमरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. हृ.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण —

- जल द्वय वायु अदृष्टि गुणवत्ता सांबंधी व्यावकारी — मॉनिटरिंग कार्य अभी 2021 से 15 जून 2023 के लिया किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्वाल 10 स्थानीय पर परियोजनीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानीय पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानीय पर स्वनिय स्तर मापन, 2 स्थली पर तासाही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानीय पर गिरावटी के नमूने एकडिल कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परियोजना के अनुसार डीएम.एसओ., एनओ., का सान्दर्भ सेवन—

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	20.14	42.10	60
PM <sub>10</sub>	39.16	71.41	100
SO <sub>2</sub>	9.06	16.71	60
NO <sub>2</sub>	9.26	18.50	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्तरों की गुणवत्ता— हृ.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये उपर्युक्त अनुसार पर्यावरणीय वायु, साइट्टेज, सल्फर, कार्बोनेट्स, सेश, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक स्तरों का वाण्डप्रयोग विवर भावतीय मानक से कम है।
- परियोजनीय स्वनि उत्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent	Minimum	Maximum	CPCB Standard

Noise Level	dB (A)	dB (A)	dB (A)
Day L <sub>eq</sub>	40.4	63.9	75
Night L <sub>eq</sub>	31.6	48.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निवासित बासक स्तर से कम है।

५. पी.सी.यू. की गणना:- मासी वाहनों / मट्टीएक्स्काल द्वारा वाहनों की समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट इस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रतीक्षा में ५३ पी.सी.यू. प्रतिघण्टा एवं छोटी/सी अनुपात (WC ratio) ०.०७ है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत ०३ पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। शायद इसका कुल ३१ पी.सी.यू. प्रतिघण्टा रुप हो, सी अनुपात (WC ratio) ०.०४ होगी। जिसका को उचित भी लो—मट्टीएक्स्काल / प्रोडक्टर के परिवर्तन होते सहक मार्ग की लोड कैरियर इनका नियामित बासक (Excellence ०.०-०.२) के बीच है।
६. लोक सुनवाई दिनांक ११/०४/२०२२ प्रातः १०.३० बजे समाप्त - यान दौड़कला की शरीर छुना भट्टी रिता एरियर, रिकालांड्स-बरबीगा, जिला-शहपुर में समय हुई। लोक सुनवाई वस्ताविक सदस्य संचिक छत्तीसगढ़ पर्यावरण सम्मान नड़ब, नया शहपुर अटल नगर रिता-शहपुर के पक्ष दिनांक ०९/०६/२०२२ द्वारा घोषित किया गया है।
७. जनसूनवाई के दौरान खुल्या रूप के निम्न गुणात्/विचार इस्तुत किये जाये हैं:-
- i. प्राथमिक प्रदूषण नियन्त्रण हेतु लागाय किया जाना चाहिए।
  - ii. खुदान में हीवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जो दौरान के नियम विवर है। नसवा परिषद्वारा करना चाहिए। हीवी ब्लास्टिंग की कारण मालनी में दरवे जा रही है।
  - iii. प्राथमिकता के अन्याय पर संबंधित गुणों की लोगी जो ही रोकारन दिया जाना चाहिए। लाघ ही यात्रा के निवासियों के लिए सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं जाए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये जाने विभिन्न गुददों के निराकरण की विकास में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेटर ने बताया निम्नानुचार है:-
- i. खुदान को यात्री तरफ से बड़ी से तातों से छोड़ जाएगा तथा खुदान के यात्री तरफ कुहारीपण किया जाएगा, जिससे बड़ी खुदान की अवधि न जा सके। यामवासियों लाभ सामग्री की राहगति से गाँव में भी कुहारीपण किया जाएगा।
  - ii. छन्दोभवी बोट्टुवटर की नियन्त्रणी में ही कट्टोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रवलापित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुट्ट बजावल लोगों को खुना दी जाएगी, जिससे यामीयों को रूप नुकसान का परेशानी नहीं होगी।
  - iii. शिल्पित बैनोजायामी की योग्यता के अन्याय पर रोकारन हेतु प्राथमिकता की जायेगी। यामियों के लिए सामय-समय पर स्वास्थ्य लिंगिर लागाया जाएगा।
८. नलस्टर हेतु कीमत इन्हायरोमीटर बेनेक्स्टर प्लान - बरियोजना प्रस्तावक द्वारा जाता गया कि आयेंटिल खुदान को जामिल करते हुये जलस्टर में कूल ५ लाखों आती है। यात्रा नलस्टर में आमिल खुदान द्वारा जानन इन्हायरोमीटर

कोर्पोरेट स्वास्थ्य अस्तुति किया जाता है। कीमत इन्हायरोमेटल सेल्सेक्टर प्रान्त के तहत गिरा जाती प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रधान (लाखों)	ट्रिटीय (लाखों)	चौथीय (लाखों)	चूत्य (लाखों)	पंचम (लाखों)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के द्वारा सड़कों / पहुंच मार्ग के उत्पन्न भूज रसायनों के नियंत्रण हेतु जल उत्तराधिकार पर्याप्त मार्ग की भूज लाघाई २ किमी	९६,०००	९६,०००	९६,०००	९६,०००	९६,०००
पहुंच मार्ग के क्षारारोपण (३० प्रतीकात्मकीय दर) हेतु राशि (२६८ नग.)	५०,६९२	५,०९२	५,०९२	५,०९२	५,०९२
पर्यावरण हेतु राशि	५,३३,६००	—	—	—	—
खाद्य सिंचाई उपचारीय प्रशासन हेतु राशि	६,३७,१००	४,३२,६००	४,३२,६००	४,३२,६००	४,३२,६००
सड़कों / पहुंच मार्ग के संचारण हेतु	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००
हेल्थ चेकअप कैम्प (Health Checkup Camp)	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	१,००,०००
<b>कुल राशि</b>	<b>१६,१७,३९२</b>	<b>८,३३,६९२</b>	<b>८,३३,६९२</b>	<b>८,३३,६९२</b>	<b>८,३३,६९२</b>

कीमत इन्हायरोमेटल सेल्सेक्टर प्रान्त में परियोजना प्रस्तावक की सहमतिग्रहित नहुसार होगी।-

विवरण	प्रधान (लाख)	ट्रिटीय (लाख)	चौथीय (लाख)	चूत्य (लाख)	पंचम (लाख)
६०० पॉटर सार्कोप्राय प्रशासन हेतु राशि	२०,२९३	२,०५२	११२	११२	११२
मार्ग के द्वी-पॉटर हेतु राशि	२,१३,८००	—	—	—	—
खाद्य उत्पादन राशि	२,०१०	२१०	१२०	१२०	१२०
खाद्य सिंचाई एवं उत्पादन हेतु राशि	२,५२,७८४	१,७२,३७७	३९,५७८	३९,५७८	३९,५७८
सूल उत्पादन के नियंत्रण हेतु रास्ते नियंत्रण विकास राज्यों / पहुंच मार्ग के संचारण हेतु एवं हेल्थ चेकअप कैम्प	१,९६,३२२	१,९६,३२२	१०,६९७	१०,६९७	१०,६९७
<b>कुल राशि = १२,३६,२९०</b>	<b>६,८४,४०६</b>	<b>३,७०,९६१</b>	<b>६०,३०७</b>	<b>६०,३०७</b>	<b>६०,३०७</b>

२१ कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु रामिति के राज्य विलास से यहां उपरात गिरनारुत्तर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
200	2%	4.00	Following activities at Pavtranam	
			Van	13.57
			Total	13.57

22. सीईआर की अंतर्गत 'वैदिक वन नियाम' के तहत (जलसा, बढ़, गोपन, लैब, आम, अर्जुन, बेल आदि) पृष्ठारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 900 नव वौधार के लिए रक्षी 68,400 रुपये, कौशिंग के लिए रक्षी 1,12,200 रुपये, लाद के लिए रक्षी 6,750 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रखाव के लिए रक्षी 2,76,000 रुपये, इस प्रयोग आगामी 5 वर्ष में कुल रक्षी 13,57,470 रुपये हेतु घटकावार वय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर की तहत परिवर्त वन हेतु याच पाकाया दीर्घकाल या याहमलि उपरात व्यायोग रूपानि (याचसारा जनावर 252 / 2, छोड़फल 2 लक्ष) वे सबूत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के तहत निर्धारित तर्जि का उपयोग पर्यावरण ज्ञान की गई भूमि में परिवर्त वन/पृष्ठारोपण विषय जाने वाला लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. बलरटर में आगे बाले सामरत खदानी के लिए उपाय बैंकेम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ज्ञान हेतु खदान का उक्ति एवं उत्तरात्मक विवरण जाने वाली हुई युग प्रीविंग का प्रस्तुत किया गया है।
25. उक्ति शिफ्टरी को लीया दीव के बाहर भवारित कर जारित रखी जाने हेतु शिफ्टरी का सम्बद्ध उपयोग न करने, शिफ्टर न छलने एवं छला करती है उपरात युग प्रीविंग विषय जाने एवं इस शिफ्टरी का उपयोग युगभवाव में विषय जाने वाला व्याय प्रयोग (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. काटोल एवारिंग विषय जाने वाला व्याय प्रयोग (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. बहूमिंग लीज लैन के अंदर प्रतिवर्षित ₹ 5 लीटर लीडी लीन वट्टी में पृष्ठारोपण विषय जाने वाला लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. उत्तीर्णगढ़ आदान प्रवासी बीति के तहत पर्यावरण लोगों के संवादाव विषय जाने हेतु लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. स्टेनला पर्किंसन इंजिन लॉजिस्टिक्स के अंदर जो भी राजि गयी वी जाएंगी उसमें पर्यावरण के लिए में कार्ड विषय जाने वाला लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. लोड सुनवाई के दीरान उठाये गये विभिन्न मुद्राओं के निराकरण विषय जाने वाला लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. पर्युक्तिव जनरल इलेक्ट्रिक के निवापण हेतु नियमित जल लिफ्टावा विषय जाने वाला लालू यज्ञ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. अधिकृत खदान से 500 मीटर के गोल्ड अवैश्यक और खदानों की संख्या जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. लालकुनन हेतु जूमि स्थानी आगती कठींग रुपर गोल्ड को सहजते पत्र की प्रती प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. लीज सीमा से निवाटहम यम होते ही कानूनीक दूरी सकी जानकारी, यम विभाग से जारी अनापासिं प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटॉकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विकल्प इस परियोजना/खदान से सम्बंधित कोई व्यापारालयीन प्रभावण देश के अतर्गत किसी भी न्यायालय में लड़िया नहीं है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटॉकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, यम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचन कान्ता 804(अ), दिनांक 14/03/2017 की छातींता कोहु राज्यांयन का एकत्र लवित नहीं है।
37. समिति का मल है कि श्री ई.आर. गोपन इन्डस्ट्रीजेटल मेनेजमेंट प्लान, जीवन इन्डस्ट्रीजेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सहकों की रख-रखाव एवं दूसारोंका कार्य के नोटेट्रिंग एवं चर्केशन हेतु कि-पहीय समिति (प्रोपर्टी-ट्रैट/प्रतिनिधि, प्राच पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं किला भ्रातासान का एकीकरण एवं पर्यावरण सरकार मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं किया जाना आवश्यक है। भाष की श्री ई.आर. गोपन इन्डस्ट्रीजेटल मेनेजमेंट प्लान इन्डस्ट्रीजेटल मेनेजमेंट प्लान के वरियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सहकों के रख-रखाव एवं सुवासीय का कार्य पूरी किये जाने के अन्यांत गठित कि-पहीय समिति से सल्लाहित कराका जाना आवश्यक है।
38. मननीय एन जी.टी. दिल्ली द्वारा स्लैट पाल्टोव गिलब भारत सरकार, पर्यावरण, यम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 158 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 का पासित जारी गये रूप से निमानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceeds 5 ha; EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा किया जाने वाली समावृत्त वारीकामिति से निमानुसार निर्णय किया गया:-
1. अधिकृत खदान (ग्राम-दीटेक्टन) को मिलाकर हस कलाइ हेतु कुल खदानों का होता है 4,663 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परियोजने स्टैंकेट/संचालित खदानों का कुल बीजफल 6 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान की-1 लंबी नी माली गयी।
  2. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई ए.अधिसूचना, 2006 (यथा समोक्षित) के द्वाकड़नो एवं मननीय एन जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की संख्यान गणितिक्षणी से पर्यावरणीय घटकों पर पहुंचे जाने प्रभावी ही रोकथाम हेतु

कलेक्टर ने जाने वाले समस्त खदानों की लिमिट नहीं हुई, कलेक्टर ने इन लिमिट अनुच्छेदोंमें हैंड बैनर्समें हैंड प्लान हैंयार किये जाने लगा लिमिट नहीं हैं तथा संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खगिकर्म, हृष्टकली भवन, जया राधापुर आदि नगर, जिला - राघवपुर (अलीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यालय किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. एमडीएसी, चलीसगढ़ की बैठक ने प्रबुद्धीकरण के दोसरे चर्ची मई वार्षिक जानकारियों/समावेशी/अभिलेखों (सरकार ग्रन्थाक 32 से 38 तक) को एमडीएसीपर, अलीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की जाति के अधीन पर्यायवालीय नवीकृति की सही अनुशासा की जाती है।
4. लिमिट द्वारा विभार किया हुएसात सार्वजनिकी से जारी आरती इफार्स्ट्रक्चर एण्ड विल्डलाइन लिमिटेड (प्रो - श्री राजीव मुंदडा, दोदकला लो लैंड लाईन स्टीन बड़ारी) को पांच-दोर्दिकला, तहसील व जिला-राधापुर के साथ साथ ग्राम 507/1, 507/6, 507/6, 505/1, 505/4, 521, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6, 523/2, 523/10, 523/11 एवं 523/12 में स्थित युन फ्लॉट (गोप लाइज) जालान, कुल क्षेत्रफल-4,663 हेक्टेयर, लागत-34,000 रुप अधिकां और पर्यायवालीय नवीकृति दिए जाने की अनुशासा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक ने विभार - चुप्पोला प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विभार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा ऐट किया गया तो—

1. कामालय कलेक्टर (लाइज जाला), जिला-राधापुर के इत्यन्न ग्राम 1957/कोपा/सुप/यूनायट/2022-23 राघवपुर दिनांक 02/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवलोकन 3 लघाने क्षेत्रफल 9,635 हेक्टेयर है।
2. जलखनन हेतु भूमि स्थानी आरती बोरी एवं क्लोर का सहायति पर की जली प्रस्तुत किया गया है।
3. कामालय कलेक्टर (लाइज जाला), जिला-राधापुर के इत्यन्न ग्राम 1958/कोपा/सुप/यूनायट/2022-23 राघवपुर दिनांक 02/12/2022 से जारी पांच अनुसार आवेदित बोरी या बोरी की सीमा से 250 मीटर की आवाहीय दूरी से अधिक दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 किलो मी दूरी पर बोरी की आवाहीय जलखनन एवं राष्ट्रीय गुद्धान गई है।
4. वरियोलना प्रशालक द्वारा जाकड पञ्च (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए हैंड इस परियोजना/जालान से संबंधित गोई जलखनन प्रशालन देश की अंतर्नित किसी भी न्यायालय में लेखित नहीं है।
5. वरियोलना प्रशालक द्वारा जाकड पञ्च (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए हैंड भारत सरकार परियोजना तथा और जलखनन परियोजना का (आ 804/3), दिनांक 14/03/2017 को अलाइन कोई उल्लंघन या उपरान लिखित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा विभार किया हुएसात सार्वजनिकी से विभाय लिया गया—

1. लाइज की अनुशासा की स्थीकार करते हुये आवेदक — नेताजी आरती इफार्स्ट्रक्चर एण्ड विल्डलाइन लिमिटेड (प्रो - श्री राजीव मुंदडा, दोदकला लो लैंड लाईन स्टीन

कारो) वह निम्न अंतरिक्ष गति के उच्चीय पर्यावरणीय स्तरीकृति जारी करने का निर्णय लिया जाए—

“लैंज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की बढ़ती तथा जी है आदि के तहत दिये जाने जाने वृक्षालेख की जानकारी जिपोटेग (Geotag) ऑटोपार्क की अस्तित्वान्वित नियंत्रण में समर्थित करते हुवे प्रस्तुत किया जाए।”

आप ही समिति द्वारा निहित किये गए गति का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने वी स्थिति में निर्धारित स्वर्योगाही की जाएगी।

2. एल-आजाई की वित्त तथा सकली दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक वो सकली पर्यावरणीय स्तरीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निवयों के तहत घटनाकृति वित्तने द्वारा सीधाकरण का जारी सुनिश्चित किये जाने वाला शायद यह (Notarised Undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक वो जारी नपरिवर्तीय स्तरीकृति पत्र जारी किया जाए।  
परियोजना प्रस्तावक को जारीनुसार सुनिता किया जाए।

16. मेससे दिल्लीप बिल्डकोन लिमिटेड (कुटेलामुदा ओडिनी रुटोग ऐम्परी बहमिट कडारी (1)), शाम-कुटेलामुदा, लहसील-पाली, जिला-कोरबा (खनिजालय का नक्शी जामाक 1984)

ओनलाइन आवेदन — प्राप्तीकल नमूना — एसआईए/सीजी/एमआईएन/266308/2022 दिनांक 08/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्तरीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समियों होमे से ज्ञापन दिनांक 13/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याहिर जानकारी दिनांक 15/07/2022 को ऑगलाईन प्रस्तुत की गई;

प्रकरण का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण कठोर (रीप खनिज) खदान है। खदान शाम-कुटेलामुदा, लहसील-पाली, जिला-कोरबा खस्ता अन्तर्गत 726/21, 896/3, 726/11 एवं 896/4, कुल लेभफल-1 हेक्टेकर में प्रस्तावित है। खदान की आवधि उल्लंघन रामबाल-100,026 टन ग्रहित्य है।

जारीनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएनी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा उत्तीर्णकरण हेतु सुनिता किया गया।

वैतक का विवरण —

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी नामेन्द्र कुमार पाठेय, पाटनर उपस्थिति हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अन्तर्गत एवं जीर्णकृत तरफे पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भारतीय राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के पत्र दिनांक 13/06/2022 द्वारा “4-lane with paved shoulder configuration of Pathnapali-Katghora (Km.53+300 to Km.92+600) (Pkg-II) of Bilaspur-Katghora section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharat Mata on Hybrid Annuity Mode - Priority Basis Environmental Clearance of Masonry Stone mine used in Government Project through Project Proponent Pathnapali-Katghora Highway Pvt Ltd.” जारी हकीकित

की एवं प्रस्तुत की गई है। ताकि ही नेशनल हाईवे एवं लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशिक्षण (National Highways Authority of India) के मध्य सङ्गत मिनार्प के लिए हूपे ल्योमेट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी चारों ओर दर्शकों की बाबत की विवरण— हुआ खदान को पूर्व में चारों ओर दर्शकों की बाबत जारी नहीं की गई है।
3. आगे चारोंका का अनापेक्षित उभारण पत्र— उल्लंघन के सबूत में आगे चारोंका कुट्टेलामुडा का दिनांक 24/01/2021 का अनापेक्षित उभारण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उल्लंघन छोड़ना— हामारी गवर्नेंट क्षारी प्लान, हुगवायरोमेट बैगेजमेट प्लान एवं उपर्युक्त क्षारी क्लोकर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संगालज (अनि. जारा) जिला—कोरका के जापन क्षमाक 1080 / खाली-१ / उ. नो. ५ / २०२० कोरका दिनांक 25/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान— कार्यालय क्लोकर (अग्रिम जारा), जिला—कोरका के जापन क्षमाक 1118 / खाली-२ / अ.ख. / न.ख. ०१ / २०२१ कोरका दिनांक 30/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की पीली अवरिधि १ खदान, लैंचफल ०.३४ क्लोकर है।
6. 300 मीटर की परिधि में स्थित सांवर्जनिक लैंच/सारिकाए— कार्यालय क्लोकर (अग्रिम जारा), जिला—कोरका के जापन क्षमाक 1117 / खाली-२ / अ.ख. / न.ख. ०१ / २०२१, कोरका दिनांक 30/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण वन अनुसार उल्लंघन खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सांवर्जनिक लैंच यैसे वरिष्ठ भविष्यद् भवण, अस्पाताल, स्कूल, पुस्तकालय, इनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति कार्य प्रतिवेदित क्षेत्र नहीं है।
7. एल.ओ.आई. सांबंधी विवरण— एल.ओ.आई. गेलरी दिलैन बिल्कुलीन लिमिटेड की नाम पर है, जो कार्यालय क्लोकर (अग्रिम जारा), जिला—कोरका के जापन क्षमाक ८६९ / खाली-२ / अ.ख. / न.ख. ०१ / २०२१ कोरका, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी की गई है, जो २ एकड़ी की अवधि है।
8. गृ-स्वामित्व— भूमि की सुधारणा शिंह, श्री अंशोर शिंह, श्री गंगाधराद, श्री गामादीन, श्रीमती जिजमाती शाई, श्रीमती तीजल माई, श्रीमती सीता, श्रीमती विसनी माई, जो देव शिंह एवं श्रीमती दुष्टानी शाई के नाम पर है। उल्लंघन हेतु भूमि व्यापियों का राहगति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही गार्डन लीन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट— वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. यन निराम का अनापेक्षित उभारण पत्र— कार्यालय वन मण्डलायिकारी कट्टोरा, यमनकल कट्टोरा, जिला—कोरका के जापन क्षमाक/गाँक अधि / २०२२ / २१४१ कट्टोरा, दिनांक 28/06/2022 से जारी अनापेक्षित उभारण पत्र अनुसार आवेदित लैंच निकालतम वन लैंच की दीमा से २५० मीटर की आकाशीय दूरी से अधिक है।
11. गहत्याकृति की दूरी— निकालतम आवाही पान-कुट्टेलामुडा 425 मीटर, स्वतून पान-कुट्टेलामुडा 1.30 किमी एवं अस्पाताल वैलमा ५ किमी की

पूरी गण सिया है। राष्ट्रीय राजनगरी 550 मीटर एवं राजधानी 635 मीटरी दूर है। तात्कालीन सड़क 40 मीटर ब्रह्माण्डी भाला 140 मीटर एवं तालाब 400 मीटर दूर है।

12. पारिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रभावक द्वारा 10 मीटरी और परियोजने में असरीन्द्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमावाश्यक, कोल्हीय प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र हुआ घोषित किएकालीन पील्युट्रिट परियोजना पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता क्षेत्र सिया नहीं होना प्रतिबोधित किया गया है।

\* 13. लगन चापदा एवं खनन का विवरण — विवोलोकिकाल सियाँ 4,72,500 टन, माइनेवल रियर्स 1,34,218 टन एवं रिक्विरेवल रियर्स 1,31,533 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर और लीज सीमा पट्टी (उत्तरान्ध्र के लिए प्रतिवर्षीय लीज सेवनाल 8,137 यांत्रिक्टर है) ओपन काम की सीमा लाइनाइज्ड विधि से उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन की प्रस्तावित अवधिकाल गहराई 18 मीटर है। लीज लीज में छपड़ी विहारी की सीमा पट्टी 0.25 मीटर है जबकि बुल मात्र 1,386.75 यांत्रिक्टर है। इस विहारी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में कौलाकार तुकारायप के लिए उपयोग किया जाएगा। ओपन काम की सीमा पट्टी 0.25 मीटर एवं मात्र 1,386.75 यांत्रिक्टर है। ओपन काम के उपयोग रैम एवं पहुंच गार्ड के स्थान-स्थान में किया जाएगा। दूसरे छपड़ी 3 मीटर एवं भीराई 3 मीटर है। खदान की अन्तर्वित आयु 2 वर्ष है। लीज कोड में उत्तर नद्यायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। वीक हैमर की हिलिंग एवं काटोल ब्लारिटी किया जाएगा। खदान में यांत्रु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का डिफरेंश दिया जाएगा। वर्षाकार प्रस्तावित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम	1,30,038
द्वितीय	31,498

14. जल आवृत्ति — परियोजना हेतु आवायक जल की मात्रा 6.6 यांत्रिक्टर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोर्डेल के यात्रम से हो जाएगी। नू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल यात्राक गोटर अधीरिटी की अनुमति यात्रा जल प्रस्तावित किया गया है।

15. वृक्षारोपण गार्ड — लोग की जीवा में जाते ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 411 लग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लील लोग की भीतर वृक्षारोपण प्रक्रम कीजाना का एवं प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (लापत्री)	द्वितीय (लापत्री)
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु परियोजने के द्वारा राजकीय/पहुंच लाग से उत्पादन घुल उत्तरांत के नियन्त्रण हेतु जल कियाजाय	72,000	72,000
खदान के बाहरपूरी में (411 लग) वृक्षारोपण की	5,136	1,025
परियोजने हेतु जागि	75,000	—
खदान हेतु जागि	10,275	10,275
नियाइ एवं नव-नवाय हेतु जागि	1,76,000	1,76,000
<b>कुल राशि = 6,96,710</b>	<b>3,37,410</b>	<b>2,58,300</b>

16. लौज की 7.5 मीटर की गोद्दी सीमा पट्टी में चलन - लौज के नामी और 7.5 मीटर की गोद्दी पट्टी में चलन कार्य नहीं किया गया है।
17. वैर मार्किंग शॉप - लौज द्वारा गोद्दी की कारब 320 करोड़ रुपये की गोद्दी में मार्किंग शॉप बना गया है, जिसका लालेला अनुसारी मार्किंग ब्रान्ड बनाया गया है।
18. कौशिरिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावका द्वारा दीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के नाम फ्रैंचाइजी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्येक फैज़ा है।-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.12	2%	0.964	Following activities at: Govt. Higher Secondary School Village- Madanpur (Rajkamma) Drinking water arrangement with fiber & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.355
			UV Water Filter	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank (1,500 litre)	0.200
			Pipeline & Installation	
			Plantation around school campus	0.365
			Total	0.97

19. दीईआर के तहत प्रस्तुति सहूल के प्रामाण (Principles) का सहभाग प्रस्तुत किया गया है।

20. दीईआर के तहत सहूल परिसर में (आवासा, बड़ा वीफ्लै, बैम आव अर्द्धन गेल जादि) घुटापाप्पा हेतु प्रस्तुत इलाय अनुसार 30 नग घोड़ों के लिए राशि 500 रुपये, फौसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, शिंगाई तथा उच्च-स्थान आदि के लिए राशि 13,500 रुपये, इस प्रकार प्रधान की मूल राशि 25,250 रुपये तथा द्वितीय तरफ मूल राशि 11,250 रुपये हेतु प्रत्यक्षार छाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

21. लौज द्वारा नी नामी और 7.5 मीटर की पट्टी में घुटापाप्पा एवं दीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के तहत द्वारा किये गए एक दीप्ति प्राकृतिकी प्रधानरम्भ स्थिति के पालन प्रतिवेदन में किया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा ही गई अन्तराजनामक / रिपोर्टिंग नापावाही

के लिए मैं बाबा रहूँगा। इस आशय का जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कंपनी मिट्टी को लोगों को अवशंकित करना चाहा पट्टी (एक नीटर) से विनाकर दुखारोपण एवं हीब लूप्टी मिट्टी को गैर साईरिंग कोश में भर्तारित किया जाएगा। साथ ही कंपनी मिट्टी को भर्तारित कर संबंधित रही जाने हेतु मिट्टी का दुरुपालीग न करने विषय न करने एवं अन्य कार्यों में उपायोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पूर्वानुमति हेतु किये जाने बाबा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कट्टोन कलास्टिक किये जाने बाबा जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रतीकामद आदर्श पुनर्वास मीटिंग के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना से जिस-जिस रूपलों से प्रयोगित होने वक्तव्य होगा, उन रूपलों पर नियमित जल डिफेन्स और लकड़ा किये जाने बाबा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईलिंग लीज सेव के अद्वारा साधन पूँजीरोपण किये जाने एवं रोपित देखी वा सहराइयल रेट (Survival rate) ५० प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खण्डित नियमों के तहत सीमावन्न कारबाह सुदामा की नीमा होते में नियमानुसार सभी स्थापित किये जाने बाबा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण जल जल प्रवाह प्राप्तिक जल रखें ताल्लु, नदी, नाला गे नहीं किये जाने एवं इसकी लंबाई किये जाने बाबा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा हारा जलाम का जपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस सुदामा से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकारण देश के अलगते किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सल्लाहित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध मानता सुनाता, वर्णावरप, बन और जलाम परिवहन मानालय की उन्निरुद्धा का आ. ४०५(अ) दिनांक १४./०३./२०१७ के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रस्तरा लंबित नहीं है।
31. समिति का यह है कि गोईजार कार्य एवं १.५ मीटर की सीमा पट्टी से दुखारोपण कर्त्त्व के नामिटरिंग एवं चर्चिकाम हेतु डि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिभिति) द्वारा पंचालत के प्रदलिकारी/प्रतिभिति एवं जिल्ला प्रशासन का उत्तरीसमग्र पर्यावरण सञ्चालन के प्रदलिकारी/प्रतिभिति) विभिन्न किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं १.५ मीटर की सीमा पट्टी से दुखारोपण का कार्य एवं किये जाने के उपरांत विभिन्न डि-पक्षीय समिति से सल्लाहित कराया जाना आवश्यक है।
32. माननीय एनजीटी, डिजिटल बैग, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंट पार्किंग विरुद्ध मानता सुनाता, पर्यावरण, बन और जलाम परिवहन गंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

ज्ञानिकरण संकेतन नं. 185 (दिन 2018 एवं रात्रि) में दिनांक 13 / 03 / 2018  
में पारित आदेश में गुहाय का वो निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार किया उपरात सर्वेसम्भवी वो निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. नापालिय कलेक्टर (खानिज शाखा), खिला-कोरबा के द्वापन क्रमांक 1118 / छाति-2 / अ.अ. / नं.क.01 / 2021 कोरबा, दिनांक 30 / 03 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान की 600 मीटर भौतिक 1 लादान क्षेत्रफल 0.74 हेक्टेकर है। आवेदित खदान (पाम-कुट्टेलामुढ़ा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (पाम-कुट्टेलामुढ़ा) की गिलाकर ग्राम जगता 1.74 हेक्टेयर है। खदान की सीन से 600 मीटर की परिधि में सीधीता/संपर्कित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेकर वा तापात्री तथा होने की जापन यह खदान बी-2 श्रेणी की जानी जाती।
2. नापिति द्वारा विवार किया उपरात सर्वेसम्भवी से आवेदक - मैसारी लिंगिय चिल्डकीन लिमिटेड (कुट्टेलामुढ़ा और्हिंगरी रेटोन टैम्पररी परमिट जारी (1)) को पाम-कुट्टेलामुढ़ा, राहगोल-पाली, खिला-कोरबा के द्वापन क्रमांक 726 / 21 ००५ / ३, २२८ / ११ रुप ६३३ / ४ में लिखा संतारण पालकर (खानिज समिति) खदान कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्गी में कुल क्षमता - 1.31.526 रुप वो अधिक न हो। हेतु पर्यावरणीय सीधीता की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवार - नापालिय प्रकारण पर ज्ञानिकरण वो दिनांक 09 / 01 / 2023 वो समान 136वीं बैठक में विवार किया गया। ज्ञानिकरण द्वारा मस्ती का अल्पावधि किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाल गया कि बैठकीजनक प्रसारक को मृड़े ने जारी पर्यावरणीय सीधीता के अलगत को बड़े जरूरताही के सक्षम में एकाई आई रहे, अलीशान्त को लिखाकर प्राप्त हुई है। लिखाकरी जी जारी हेतु जीव सदरमयी दामनाभिति का बहन किया जानकर ईच्छा अतिरिक्त परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्णय किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवार किया उपरात सर्वेसम्भवी वो निर्णय किया गया तोप्र प्रतिवेदन प्राप्त होने क्षमता निम्नानुसार निर्दिष्ट आवायी कार्रवाई की जाएगी।

परिवोत्तमा प्रस्तावक को दावामुक्त रूपीत किया जाए।

17. मैसारी लिंगिय चिल्डकीन लिमिटेड (कुट्टेलामुढ़ा और्हिंगरी रेटोन टैम्पररी परमिट जारी (2)), पाम-कुट्टेलामुढ़ा, राहगोल-पाली, खिला-कोरबा (समिक्षालाय का नस्ती क्रमांक 1983)

आवेदन - प्राप्तवाल क्षमत - एकाईए / गोली / एकाईए / 260375 / 2022, दिनांक 06 / 04 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय सीधीता हेतु आवेदन किया गया है। परिवोत्तमा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कसियी जोड़ी वो द्वापन दिनांक

13 / 04 / 2022 द्वारा जनरल की प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवेशमा प्रस्तावक द्वारा वाइल जानकारी दिनांक 14 / 07 / 2022 को शैनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रसारित सड़ारथ पल्टर (एंट्री लाइन), खदान है। खदान धात-कुट्टलामुड़ा, एकील-पाली, जिला-कोरबा रिक्षा वर्गमा कमांड 696/6, 696/6 एवं 696/7, कुल शेषफल-0.74 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जनकारी अमरा-1,00,277 टन प्रतिलिंग है।

जनकारी परिवेशमा प्रस्तावक को दर्शाएं तो जलीसारद के जापन दिनांक 04 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुमित दिया गया।

### बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सहेज बुलाव पढ़ेय, पाठीनह उपरिक्षित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर जिम्मेदारी नहीं है।

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (National Highways Authority of India) के पक्के दिनांक 18 / 03 / 2020 द्वारा “4-lane with paved shoulder configuration of Pathrapal-Katighora (Km.53+300 to Km.82+600) (Pkg-II) of Bilaspur-Katighora section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharat Mata on Hybrid Annuity Mode.” जारी वक्त औरिक की प्रति प्रस्तुत की गई है। यहां की सेवाएं जिल्हाकीन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (National Highways Authority of India) की जाप बाज़ाक निश्चय के लिए कुर्से दीर्घेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पक्केवरणीय रखीकृति सांख्यी विवरण – इस खदान को पूर्व में पक्केवरणीय रखीकृति जारी नहीं की गई है।
3. शाम चंचारवत का अनापलित भूमार चत्र – चंचारवत के संभेद में शाम पश्चापत कुट्टलामुड़ा का दिनांक 24 / 01 / 2021 का अनापलित भूमार चत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. चंचारवत बोजना – दैर्घ्यस्थी परिमित क्षारी ज्ञान, इनप्राक्टरीमेट नेमेजमेट ज्ञान एवं कार्यकारी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो उप अधिकालक (खानि प्राप्त) जिला-कोरबा के छठन अमांक 1084 / खालि-5 / उद्यो.अ. / 2020 दिनांक 25 / 03 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिमिति में स्थित खदान – कार्यालय कालेक्टर (एंट्री लाला), जिला-कोरबा की ज्ञान अमांक 1121 / खालि-2 / अ.अ. / न.अ. 02 / 2021 कोरबा दिनांक 30 / 03 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की पीढ़ीपर अतिरिक्त 1 खदान शेषफल 1 हेक्टेयर है।
6. 300 मीटर की परिमिति में स्थित मार्वजानिक शेज / सरवनाह – मार्वजानह कालेक्टर (खानि प्राप्त), जिला-जोरदार के ज्ञान अमांक 1120 / खालि-2 / अ.अ. / न.अ. 02 / 2021 कोरबा, दिनांक 30 / 03 / 2022 द्वारा जारी प्रकाश पत्र अनुसार उक्ता खदान से 300 मीटर की परिमिति में कोई भी मार्वजानिक शेज नहीं पाइए। अतिरिक्त, पर्यटक अव्याप्ति, संग्रह, बूल, दर्नीकट, शाय एवं जल आपूर्ति आदि अतिरिक्त शेज स्थित नहीं है।

7. एलओआई संबंधी विवरण – एलओआई भैसरा डिलीप शिंहकांत लिमिटेड के नाम पर है जो कार्बनिक कलेंसटर (शिंहिल इन्डस्ट्रीज) विस्त-कौरेला के छापन अन्यांक ४३७/खणि-२/अ.३५/व.क्र.०२/२०११ कोरेला दिनांक १०/०२/२०११ द्वारा जारी की गई है, जो २ घण्टे की अवधि हेतु देय है।
8. भू-इयापिला – भूमि व्यापार अन्यांक ४३८/१.१२०/१ रुप. १००/१ की बुधवार दिन, श्री अंजेल लिंग, श्री गगा इयाप एवं श्री विष्णुलीन के नाम पर है। उत्तरानन्द लेनु भूमि स्थानियों के बहुमति वक्त की प्रति प्रश्नात की गई है। याच ही बटेला दोड की प्रति प्रश्नात की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष २०१० की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रश्नात की गई है।
10. बन विभाग का अनापनित प्रभाग यज्ञ – कार्बनिक बन मण्डलायिकारी बाटपांच व्यापारकल काटपांच, विस्त-कौरेला के छापन अन्यांक/विवि/२०२२/२७४० बाटपांच, दिनांक २८/०८/२०२२ वर्षे जारी अनापनित प्रभाग यज्ञ उन्नुसार आयोजित होकर निकटतम बन होते ही सीमा से २५० मीटर की अंतरालीय दूरी से अविका है।
11. गहरव्यापूर्ण सरथनालों की दूरी – निकटतम आवादी गांव-कुटेलामुखा ४२५ मीटर, स्वृजल गांव-कुटेलामुख १.४० किमी एवं अस्पताल फैला ५ किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज्यांग २१० मीटर एवं राज्यांग ६८० किमी दूर है। उत्तरांग नदी १६३ किमी, काली सुखा ११० मीटर रासाय ५५० मीटर एवं बदलांगी नदी १४० मीटर दूर है।
12. पारिसंरक्षितक्षेत्र/वौनविकितक्षेत्र संवेदनशील होते – परियोजना प्रभावक द्वारा १० किमी की वरिष्ठि में अंतरीजीय सीमा, राष्ट्रीय राज्यांग, अस्पताल के निर्माण प्रदूषण बोर्ड हाउस पांचिंह विहिकाती वील्युटेड एरिया, पारिसंरक्षितक्षेत्र संवेदनशील होते या वौनविकितक्षेत्र होते स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खनन संबंधी एवं खनन का विवरण – नियोजितविकल दियाँ ३.४८.६३० टन, माहौलरेकल दियाँ १.३३.२६६ टन एवं नियोजितविकल दियाँ १.३०.५३० टन हैं। लौज नी ७.६ मीटर गोदी सीमा घटाई (उत्तरांग की लिए प्रतिविकित होते) या दोफलकल २.२६५ वार्षिक है। ओपन कास्ट सेमी गेवेनाइज्ड विहि से खनन किया जाएगा। उत्तरानन्द की प्रस्तावित अधिकतम गहराई १८ मीटर है। लौज होते में रुपरी फिल्टरी की गहराई ०.२५ मीटर है एवं कुल मात्र १.१५८.७५ घनमीटर है। नियोजित राज्योंग सीमा प्रदूषी (७.६ मीटर) में रासायन तृकारोपण के लिए किया जाएगा। ओपन बहुग की गहराई ०.२५ मीटर एवं मात्र १.१५८.७५ घनमीटर है। नियोजित राज्योंग केवल एवं इंटर रोड के राज-राष्यक में किया जाएगा। बीम नी कालाई ३ मीटर एवं लौजहू ३ मीटर है। खदान की गतिशीलता जारी ०८ घण्टे है। लीज होते में ग्रहन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। दीक होते से ड्रिफिंग एवं बट्टोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिक्षितवास किया जाएगा। बर्बाद प्रस्तावित उत्तरानन्द का विवरण निम्नलिखित है—

क्रम	प्रस्तावित उत्तरांग (टन)
प्रथम	१.००.३७७
द्वितीय	३०.३१९

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता है। रामगढ़ जलसंचयन होगी। जल की आपूर्ति बोरेज से ग्राम्यम से की जाएगी। मूँजल की उत्पादनिता हेतु चैन्टल साइरड लीटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. वृक्षारोपण कार्य – लीज शेष की सीमा से यारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 276 बग्न वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज शेष की भौतिक व्यावरणीय प्रक्रम संबलना के लहूल नियन्त्रित कर्तव्य प्रस्तावित है।

प्रिवेट	पूर्वम (कर्तव्य)	द्वितीय (कर्तव्य)
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु परिवहन के द्वारा तात्काल प्रदूषण साथी से वृक्षारोपण पूर्ण उत्पादन को नियन्त्रण हेतु जल विनियोग	72,000	72,000
लादान के बाराही में (276 बग्न) वृक्षारोपण हेतु	पूर्वारोपण (90 प्रतिशत लीजन दर)	3,460
	हेतु राशि	700
	बोरिंग हेतु राशि	50,000
	लाइट हेतु राशि	8,900
	सिलाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,75,000
	<b>कुल राशि = 5,61,960</b>	<b>3,07,360</b>
		<b>2,54,600</b>

16. खदान की 7.5 मीटर की ऊंची रीफा पट्टी में उत्पादन – लीज लोड के नाम से 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट व्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोड रॉन (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध विस्तार से नयी उपलब्ध नियन्त्रित प्रशासन प्रत्युत्तम किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46.53	2%	0.9306	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village- Madanpur Rajkamnia Boring & Installation of pump with Electrification	
			Boring @ 300 feet	
			Submersible Pump	
			Casing Pipe @ 100 feet	0.007
			Electrification and Installation	
			Running water arrangement in girls toilet with sanitary and others	
			Pipeline, Drainline	0.150

		and etc.	
		Installation	
		Total	0.957

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित संकुल के प्राचार्य (Principal) ने गहमति ना प्रस्तुत किया गया है।
17. लोज बोर्ड की सीमा में धारी और 7.5 मीटर की गहरी में दुष्कारोगण एवं लोहे आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत जारी किये गए नियमों की पालनकारी पर्यावरण संरक्षण के पालन प्रतिशेषन में दिया जाएगा। परि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके हाथ दी गई अनुशासनात्मक/क्रान्तिकारीयाओं के लिए नीति बदल रही है। इस आजाय का जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. नोटोरियल उन्डरटेकिंग किये जाने वाला जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. अप्रौद्यतावाले आवासी पुनर्वासन नीति के तहत अप्रौद्यता लोगों की संवाधारा दिये जाने के लिए जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना से छिन-छिन स्थलों से अधिकारी उत्तर वाल्सजैन होगा तब सभी यह नियमित जल विद्युकाएं की व्यवस्था किये जाने कल्प जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. नाईनिंग लोज बोर्ड के भवितव्य साफन कुशारोगण किये जाने एवं नीपित गीर्हों का वारदाईयत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक हाथ लिखी भी प्रकार वा दूपित जाल वा प्रदाता प्राकृतिक जल स्त्रोत, जलाशय आदि, गाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संखात किये जाने वाला जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक हाथ लिखी भी प्रकार वा दूपित जाल वा प्रदाता प्राकृतिक जल स्त्रोत, जलाशय आदि, गाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संखात किये जाने वाला जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक हाथ इस आजाय का जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस सुदान से संबंधित कोई लगातारीय प्रकरण देख के अलावा वित्ती से व्यवालय में लिखा नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक हाथ इस आजाय का नीटरी से संस्थापित जापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भासा सरकार पर्यावरण, तन और जलवाया परिवर्तन बोर्ड की अधिकृतव्यता का जा 804(8), दिनांक 14/03/2017 के अलावा कोई सालाना जा प्रकार लिखा नहीं है।
28. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में दुष्कारोगण कार्य के नियन्त्रित एवं व्यविधान होते कि-पहली समिति (प्रोप्रोप्रोट्राईटर/इंजीनियर) द्वारा पायावत के पठायिल्लरी/प्रोट्रोमिटि एवं जिन्होंने प्रस्तावना की उल्लीभावना व्यविधान सालाना गाड़त के पठायिल्लरी/इंजीनियरिंग) =तिन किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में दुष्कारोगण का कार्य पूर्ण किये जाने के समर्थन गठित कि-पहली समिति से संस्थापित कराया जाना आवश्यक है।

29. अन्यथा एवं जी.ली. विसिपाल देव, नई डिल्टी द्वारा स्वयंप्रभु पास्तोर विकल्प मानव संवर्कन पर्याप्तरण, जन और जलवायु परिवर्तन संसाधन नई डिल्टी एवं उन्होंने (गोदानुसार एप्लिकेशन नं. 136 जून 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/03/2018 को पालि आदेश ने सुन्दर रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है।

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation wherever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of poor environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभारी उपराज सर्वेतामाति ने निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

- कावडीला कलंबटर (खिला गाँव), खिला-कोरवा को आगत ब्रह्मोक्त 1121/खलि-३/अ.अ. /ग.ल.०२/2021 कोर्ट्स, दिनांक 30/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर की दूरी पर्याप्तता । खदान, क्षेत्रफल । हेटेंजर है। आवेदित खदान (खाम-कुटेलामुड़ा) का क्षेत्रफल 0.74 हेटेंजर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खाम-कुटेलामुड़ा) की खिलाकर कुल लकड़ा 1.74 हेटेंजर है। खदान की सीधा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संपालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेटेंजर या उससे ज्यादा होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की बनी गयी।
- समिति द्वारा विभार विभारी उपराज सर्वेतामाति से आवेदक – गेली विलोप विलागानी लिमिटेड (कुटेलामुड़ा और्हिंगरी रुटीन टैम्पररी परमिट वारी (१)) को खाम-कुटेलामुड़ा, ताडीसील-पाली, खिला-कोरवा को खदान इमारत १३६/६-६९६/६ एवं १३६/७ में लिया गाया गया (गोपनीय अधिकारी) खदान कुल क्षेत्रफल-०.७४ हेटेंजर, २ मध्ये में कुल क्षेत्रफल - १.३०.५१२ एकड़ में लिखित न है। ऐसे पर्याप्तरीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राविकरण द्वारा दैवत के विभार – उपराज प्रबल्ला पर प्राविकरण की दिनांक 09/01/2023 को समान 136वीं वैठक में विभार किया गया। प्राविकरण द्वारा जली का अवलोकन किया गया। प्राविकरण द्वारा पाया गया कि परिवोरना प्रस्तावक को पूर्ण ने खाली पर्याप्तरीय स्वीकृति के अलावा की गई प्राविकरण के संबंध में ऐसे हैं जोही एवं उल्लीलागाढ़ को विकल्पपत्र प्राप्त हुई है। विलोप विभारी की ओर से हेतु तीन सदस्यीय उपसंगठनीय का गहन विकल्प जाकर और अतिरिक्त जीव जल प्रतिबंधन प्राप्त किये जाने हेतु निर्णय किया गया। प्राविकरण द्वारा विभार विभारी उपराज सर्वेतामाति से निर्णय किया गया। जीव प्रतिबंधन प्राप्त होने उपराज निम्नानुसार दर्शित आवाजी कार्यवाही की जाएगी।

परिवोरना प्रबल्ला को जयानुसार सुषित किया जाए।

18. मेरामती लाईम कटीन करारी (प्र०.— श्रीमती रंजीत कौर), पाया-अक्षोलडीह खापरी, राहगिल-आरंग, जिला-रायपुर (संचिनालय का नम्बरी छनाक 2110) औनकलहुय जांचेवन — अक्षोल नदीर — एसआईए/ नीजी/ एमएसटीए/ ८११३० /२०२२, दिनांक २९/०७/२०२२ द्वारा दीक्षित हुए आंदेव किया गया।

प्रवाना का विवरण — यह प्रस्तुतित द्वारा पायार (खनिय) कहाना है। यादान याम-अक्षोलडीह खापरी, राहगिल-आरंग, जिला-रायपुर जिला माठ अंक नम्बर ५६६, घुल शेषकाल-१०६ हेक्टेयर में प्रस्तुतित है। यादान की आवित उत्तराखण्ड रामा—२०.०२६ टन (०.०१० एक्टोडर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रवाना को एसआईए, जांचेवन के द्वारा दिनांक ०९/११/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**वैतक का विवरण —**

(अ) समिति की ४३३वीं बैठक दिनांक १७/११/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती रंजीत कौर, प्रोप्राइंटर उपसंचित हुए। समिति हारा नम्बी, प्रस्तुत जांचकारी का अधिकारी एवं परीक्षण करने पर जिला विधी याहू बहु—

१. यूह में जारी पर्यावरणीय त्वचीकृति संबंधी विवरणः— इस यादान को पूर्व में पर्यावरणीय त्वचीकृति जारी नहीं की गई है।
२. पान पंचायत का अनापदित प्रमाण पत्र — उत्तराखण्ड के तावां में यास पंचायत यानकुली का दिनांक २५/०२/२०२२ का कानूनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
३. चरक्षण योजना — करारी यादान प्रस्तुत किया गया है, जो लंगुआ-संघालक (एप्र) संघालनालय भौमिकी जबा खनियम, नगा रायपुर अंतर्गत जिला-रायपुर के ये ज्ञापन नं. ३८१४/खनि ०२/स्थाय.यानकुलीया/८८३५/२०१९(२) नगा रायपुर, दिनांक ११/०७/२०२२ द्वारा अनुमेदित है।
४. ५०० बीटर की परिधि में विभिन्न खदान — कार्यालय कलेक्टर (खणिय जारा), जिला-रायपुर के ज्ञापन नम्बर ३४०/खनि/तीन-८/२०२२ रायपुर, दिनांक २७/०६/२०२२ अनुसार आवेदित खदान से ५०० बीटर की भीत्र जारी जारीकृत यादान, शेषकाल १७५.७८८ हेक्टेयर है।
५. २०० बीटर की परिधि में विभिन्न सार्वजनिक लोअर/सारथाए — कार्यालय कलेक्टर (खणिय जारा), जिला-रायपुर के ज्ञापन नम्बर ३४१/खनि/तीन-६/२०२२ रायपुर, दिनांक २७/०५/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यान खदान से २०० बीटर की परिधि में लोइ गी सार्वजनिक लोअर जैसे नीटर, सर्किल, नरायण, अल्पताल, त्वदूल, युल, एरीकाल, बात, राष्ट्रीय राजमार्ग-१८ यान यानकुली आदि प्रतिक्रिया इन्हें दिया गया है।
६. यूमि एवं एलओआई, भवंधी विवरण — यूमि एवं एलओआई आवेदक के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खणिय जारा), जिला-रायपुर के ज्ञापन

प्रमाण ३८७ / खालि / दिन-४ / व.प. / २०२१ राबपुर दिनांक १५/०८/२०२१  
द्वारा जारी की गई खिलाड़ी विषया यारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक है।

7. किलोट्रीकॉट खर्च रिपोर्ट – वर्ष २०१९ की किलोट्रीकॉट खर्च रिपोर्ट (Kilometre Traveled Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. यन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र – लौज़ ज़ोमा से निकटतम यन क्षेत्र की वासीगण दूरी संकेत छानकरके, यन विभाग से यारी अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महाविश्वविद्यालय सरकारनाओं की दूरी – निकटतम ज़ाबादी ज़ाम-अफेलडील जापरी ०५० मीटर एवं स्कूल पाम-अफेलडील ज़परी ७०० मीटर की दूरी पर विद्या है। दाढ़ीय ज़ाबारी ५ किलो मीटर है।
10. पारिस्थिरिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ५० किलो मीटर में असराज्जीव सीमा, राष्ट्रीय नियान, अग्नकालीय, कीचीय प्रदूषण नियंत्रण दोई द्वितीय विशेषज्ञता पॉल्यूट्रेशन एवं पारिस्थिरिकीय संवेदनशील होल या घोषित जीवविविधता क्षेत्र लिया नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. ऊनन ज़परा एवं ऊनन का विवरण – जियोत्तीजिकल लिये ४,७२,५०० टन, भाईगेपल लिये १,५७,६६५ टन एवं रिक्क्लिवल लिये १,४९,७३२ हैं। लौज़ की १५ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (ऊनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल ३,८५० किलोमीटर है। ऊपर कामट लेमी मेंक्लार्डिया लिये से ऊनन का विवरण जाएगा। ऊनन की प्रस्तावित अधिकतम रहगई १९ मीटर है। लौज़ क्षेत्र में ऊपरी भिट्ठी की ऊटाई १ मीटर है। ऐसे की ऊटाई १५ मीटर एवं ऊटाई १५ मीटर है। ऊनन की संभागित आयु ५ वर्ष है। लौज़ क्षेत्र में इवरार रुकापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल ५२० किलोमीटर है। लौज़ इमर से द्वितीय एवं अटोम ब्लास्टिंग किया जाएगा। ऊनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण होने जल का प्रियंकार लिया जाएगा। पर्यावरण प्रस्तावित ऊनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित कृत्त्वानन (टन)
प्रथम	१५,०००
द्वितीय	१५,०००
तृतीय	२०,०२०
चतुर्थ	२०,०२०
पाँचम	२०,०२०

12. जल आवृत्ति – परियोजना होने प्राप्तकरक जल की भावा १.८ किलोमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति प्राप्त योग्यता द्वारा दैवत के साथ्यम से की जाएगी। इस प्राप्ति प्राप्त योग्यता का अनापलित प्रमाण यह ज्ञान जल प्रस्तुत किया गया है।
13. शुकारोचन कार्य – लौज़ क्षेत्र की सीमा में बांधे और ७.५ मीटर चौड़ी में ८६३ नग प्रकल्पित किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में जलखालन – लैंज लोड के लिए और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जलखालन कार्य नहीं किया गया है।
15. गैर माईग्रिंग लोड – लैंज लोड में सकारी होने के कारण 250 मार्गमीटर लोड को गैर माईग्रिंग लोड कहा गया है, जिसका उल्लेख अनुसारि अवैध प्राप्ति में किया गया है।
16. भागीदार एनजीटी, प्रिसियल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंड वायड्या फिल्ड भागीदार, प्राप्तिवर्ण, घन और जलवायु वैश्वानिक मंडलय, नई दिल्ली एवं अन्य (आरोरजनल एप्लिकेशन नं. 186 ओफ 2016 एवं इन्व.) में दिनांक 13/09/2018 को पारित जलदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- सनिधि द्वारा विचार किया गया सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—
- उपरिका कलेक्टर (खानिक लाला), जिला—रायपुर के द्वापन ग्रामांक ३४०/खलि/ठीन—८/२०३२ रायपुर, दिनांक २७/०५/२०३२ अनुगाम आवेदित खदान से ३०० मीटर की वितर अधिक्षित ८७ खदानों को द्वापन १७५.८७ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान—अबोलझीह लाला) का रक्का १.०५ हेक्टेयर है। हां प्राप्त आवेदित खदान (खान—अबोलझीह लाला) की गिलायान कुल रक्का १७६.८४७ हेक्टेयर है। खदान की गीम की ५०० मीटर की परिधि में स्थीरता/संचालित खदानों का कुल दोषपत्र ५ हेक्टेयर से अधिक का कलहन विभिन्न लोगों के कारण यह खदान “भी” अपनी की नामी नहीं।
  - सनिधि द्वारा विचार किया गया सर्वसम्मति से उल्लंगण ‘भी’ कोटेजों का होने के कारण भाजा समकार, प्राप्तिवर्ण, घन और जलवायु वैश्वानिक मंडलय द्वारा अप्रैल २०१५ में प्रकाशित रही ओफ रिपोर्ट (टीओएमए) पर इन्हीं ए/इ.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एकटीविटील रिपोर्टिंग इन्वायरनमेंट लीसियरेस अपडेट इ.आई.ए. नोटिसिकेशन, २००६ में वर्णित की एवं का रहिएका टीओएमए (लोक सुनावाई सहित) नीन कोल माईग्रिंग प्रोजेक्ट/एन. निम्न अस्तित्वा दीक्षितर के रास जारी किये जाने की अनुमति की गई—
    - Project proponent shall inform SEAA & S.E.A.C Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
    - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
    - Project proponent shall submit the top soil management plan & overburden plan & incorporate the details in the EIA report.
    - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
    - Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnam and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 504(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.09.2017.
- xiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 05/01/2023 को सदस्य 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अकल्पना किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए उपरांत सर्वसम्मति से निष्पत्ति किया गया कि समिति द्वारा अनुशासित क्लीरिप्ट टीअलेक्टर के लाल में निम्न राशियां निम्न रूपों में हैं—

- 2 (xii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के एधान पर 2 (xiii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter

safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.” यहां जाए।

परिवेश का प्रस्तावका को सभी टॉप रेप्रेन्टेट्स (टीआईआर) (जो सुनाई दी हुई) यारी किया जाए।

19. बेसरी भी अवधिक जोनी (अकलामा कोलीगाहैंड चाईन), पाम-अकलामा, लहसील-बीचपुर, ज़िला-जाहानीर-चापा (समिक्षालय का नामीक ज्ञानक 1496) औनलाइन आवेदन — यूर्ब मे प्रपोजल नम्बर — एसडब्ल्यूए / सीजी / एमआइएन / 59329 / 2020, दिनांक 29/12/2020 द्वारा दी जो आर हेतु आवेदन किया गया था। यहांनाम ने प्रपोजल नम्बर — एसडब्ल्यूए / सीजी / एमआइएन / 59329 / 2020, दिनांक 28/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा करने के लिए आवेदन है। यहां प्रिंट प्रस्तुत नहीं गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रकल्प स्थान के सत्यानन ज्ञान के दिवालीकरण का है। यह यूर्ब से सबसील ओलीन्हैंड (शीन ज़मिल) खदान है। खदान पाम-अकलामा, लहसील-बीचपुर, ज़िला-जाहानीर-चापा स्थित ज्ञानक 1263 / 1, पुल कोलकल-4047 है। खदान की आवेदित प्रस्तुति कीमत — 17,500 टन प्रतिवर्ष और 2,49,120 टन प्रतिवर्ष है।

यूर्ब मे एसडब्ल्यूए ने अन्तीमगढ़ के द्वायन दिनांक 09/04/2021 द्वारा प्रकरण भी लेटेन्सी का होने के कारण ज्ञान जलकर पर्यावरण वर्ष और जलपान परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2016 मे प्रकाशित स्टैण्डर्ड टॉप ऑफ रिफेरेंस (टीओआर) को ईआईए / ईएमपी, रिंगों और प्रोजेक्ट्स / एकटीविटीज विवादोंमें फैलीपरेंस अप्लन ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 मे लिखित नं. 1(ए) का रैप्टर टीओआर (जोक सुनाई दी है) हेतु दी जो आर हारी किया गया है।

जदानुसार परिवेजना प्रस्तावका को एसडब्ल्यूए दी जालीयागढ़ के द्वायन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रलृप्तीकरण हेतु कोई भी प्रतिशिष्टि प्राप्तिक्षिण नहीं हुए। परिवेजना प्रस्तावका द्वारा दिनांक 18/11/2022 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि लांडेंट्र नुट्री होने के कारण आवेदन की याचना लिखे जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध की मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विवाद विमर्श उपसंत शर्वसाम्पत्ति से परिवेजना प्रस्तावका के अनुरोध को वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के लाज याजन करते हुए नुग आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक मे विवाद — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 136वीं बैठक मे विवाद किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवाद विमर्श उपसंत शर्वसाम्पत्ति की समिति जी अनुशंसा की वीकार करते हुये

कार्यदान की डि-लिस्ट / निवसत करने का निष्ठय दिया गया। साथ ही प्रस्ताव की छहमान में प्राप्त प्राप्ति में छहमान डि-लिस्ट / निवसत किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को वह सुझाव दिया जाता है कि वह आपत्ति संरक्षण पर्यायमान एवं और वाल्यामुखियतान संभालपा द्वारा पारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (प्राप्त कार्यालय) एवं सम्पादनाएँ पर जारी नार्टिवलाइंस के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तादानुसार सूचित किया गया।

20. मेंसारी देवरहा लाईच स्टोन कारी (श्री- श्री रामगोपाल डिक्सीना), दाम-देवरहा, तहसील-जांजीर, जिला-जांजीर-सांपा (स्थितिकालीन कम वर्गीकृत 2119)

जांगलाईन आवेदन — खेजल नगर — एसआईए/ श्रीजी/ एमआईए/ 81181 / 2022 दिनांक 26/07/2022 द्वारा ईआईए द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — ८०३ प्रस्तावित घृता पर्याय (गोण खणिक) लादान है। दाम-देवरहा, तहसील-जांजीर, जिला-जांजीर-सांपा विधायक वास्तव कमांक ५९/५, ५०/१, ५१/१, ८१/३, (४१/६, ९९/२, १००/१, १०७/२) पाट, ४९/९, ३०/२, ५१/४, (४१/१०, ९९/३, १००/२, १०७/४) पाट, ६२/१, ५२/२, ५२/३, ५३/१, ५३/२, ५३/३, ५३/५, ५३/६, ६९/२, ७१/१, ७१/२, १५६/१, ७२/१, ७२/२, ७३, ७४/१, १५६/१, ८१/२, ९१/१, ९१/२, ८१/६, ९१/७, ९१/८, ९१/९, ९१/११, ९१/१२, ९८, (१०१/१, १०३/१, १०८/१) पाट, (१०१/२, १०३/३, १०८/२) पाट, १०१/३, १०३/३, १०८/३, १०२/१, १०२/२, १०४/१, १०४/२, १०१/४, १०३/४, ७१/३, ७२/४, १०८/३, ७१/२, १५६/२ एवं ७०, कुल कमांक-५,९९५ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। लादान की अवैदित उत्पादन कमांक-१,५०,००० टन प्रतिलाली है।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक वर्ते एसईएसी, अलीसगढ़ की जाम दिनांक ०९/११/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकारण द्वारा सूचित किया गया।

बैलक का विवरण —

(अ) सामिति की ४३वीं बैलक दिनांक १८/११/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल डिक्सीना, ब्रोकराईए उपसिंधा हैं। समिति द्वारा गवर्नीर प्रशान्ति जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निपति भाई चई-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय वर्किकूलि शब्दाली विवरण— इस लादान को पूर्व में पर्यावरणीय वर्किकूलि जारी नहीं की गई है।
२. दाम वंचायत का अनापलित प्रकाश पत्र— लादान की संख्या में दाम वंचायत दर्देवत वर्ते दिनांक २१/१३/२०२० का अनापलित प्रकाश पत्र प्रस्तुत किया गया है।
३. उद्धरणात् वर्द्धयाता— कारी पतान प्रस्तुत किया गया है, जो उच्च संचालक (अनिवार्य), जिला-परिवर्तक की जापन कमांक १८९३/४०८८ १/ज्यो.अ/२०२२ प्रत्यक्ष दिनांक ०८/०८/२०२२ द्वारा अनुमोदित है।
४. ५०० मीटर की परिधि में स्थित लादान— कारीलक कलेक्टर (खानिज जाता), जिला-जांजीर-सांपा वर्ते जापन क्र १९३७/नीरा, खणिक/न.अ./२०२२

जाजगीर, दिनांक 17/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के पीछे अवस्थित 27 खदाने, कुलमात्र 28.730 हेक्टेयर हैं।

5. 300 मीटर की परिधि में सिवह सार्वजनिक होमेंट्री/सार्वजनिक - कार्यालय कालेजटर (खनिज शाखा), जिला-जाजगीर-पापा के द्वायन अ. 1938/गोपनीय खनिज/न.अ. /2022 जाजगीर, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी रासायनिक कंपनी द्वारा भौतिक, गरिमात्व, अस्थाय, अस्थायी, गहर, नामा, पुल वाल, एनीकट एवं ऐसे सार्वजनिक प्रतिक्रिया द्वारा लिमिट नहीं है।
6. एलओआई, चांबडी विवरण - एलओआई की जनगांपाल डिक्टोना के नाम पर है। एलओआई कार्यालय कालेजटर (खनिज शाखा), जिला-जाजगीर-पापा के द्वायन अ. 1938/गोपनीय खनिज/न.अ. /2021-22 जाजगीर, दिनांक 25/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवाद जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. गृ-स्वामित्व - भूमि खासा क्रमांक 71/2, 71/3, 72/4, 135/2, 196/3 की दुर्गंश कुम्हर फॉर्म, खासा क्रमांक 62/1 की गहोरा गोपी, खासा क्रमांक 70 की बालुताल तथा अन्य खासा क्रमांक आवेदक के नाम पर है। यात्रुगमन हेतु भूमि न्यायिकों का सहमति पत्र की ढाई प्रस्तुत जी गई है।
8. डिस्ट्रीबट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीबट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं है।
9. यह विभाग का अनापरित प्रस्ताव पत्र - कार्यालय गनमानदाताओंकारी जाजगीर-पापा बनमानदाता गोपा के द्वायन क्रमांक/लक्षण अधि./6792 लाख/दिनांक 04/10/2021 से जारी अनापरित प्रस्ताव पत्र अनुसार आवेदित दो निवासित घर की सीमा से 2.25 किमी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण सरभनाओं की दूरी - निकटतम आवासी बास-देवरहा 750 मीटर, स्कूल पान-देवरहा 750 मीटर एवं अस्थायी गापा 1.2 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 किमी एवं राज्यमार्ग 3 किमी दूर है। हासदेव नदी 200 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/दौतरिगिरिजा संबंधनकारी क्षेत्र - परिवासना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी, एवं परिधि में अतर्जनीय सीमा, राष्ट्रीय रासान, अभयारण्य, संग्रहीय प्रदूषण गिरजाग जौद द्वारा स्थापित किटिकली औल्कुटेड लूरिया, पारिस्थितिकीय संवर्धनकारी दोब वा गोपीत दौतरिगिरिजा होते स्थित नहीं होता प्रतिक्रिया किया है।
12. स्थनन संपर्क स्वयं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिपोर्ट 28.87.173.176 एवं नाईगेश्वर रिपोर्ट 42.34.929 टन है। लौज जी 7.5 मीटर गोदी सीमा परती (स्थल्यनन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10.883 हेक्टेयर है। अधिक बासदात सेमी मैक्रोइक्युलर रिपि से स्थल्यनन किया जाएगा। स्थल्यनन की प्रस्तावित अधिकतम वाहराई 30 मीटर है। लौज क्षेत्र के इसी गिटटी/ओक्करबर्हन की सीटाई 1.5 मीटर है तथा कुल भाजा 27.196 परमीटर है। बेश की कमाई 3 मीटर एवं गोदा॒ई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आमु 14 कर्व है। लौज क्षेत्र में ब्रह्मर स्थल्यनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसका शुरूवात 4.279 हेक्टेयर होगी। गोदा॒ई हेगर से छिलिन एवं बंडोल स्थापितग किया जाएगा। खदान में अमु प्रदूषण

नियमग्रह छेत्र जल का प्रभावाधार किया जाएगा। वर्षावाह उत्साहित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रकाश	76,000
द्वितीय	75,000
तृतीय	76,000
चतुर्थ	76,000
पंचम	1,90,000

13. जल आपूर्ति - परिवोजना छेत्र आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति के सबूब में जागवारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. वृक्षारोपण कार्य - लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,211 नए वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. गैर माइनिंग क्षेत्र - गैरक्षेत्र कम होने के बारे 5,347 घनमीटर क्षेत्र में 18.5 मीटर की गहराई तक उत्तरानन उपरांत 12 मीटर गहराई, 6,691 घनमीटर क्षेत्र में 13.0 मीटर की गहराई तक उत्तरानन उपरांत 15 मीटर गहराई, 7,448 घनमीटर क्षेत्र में 16.5 मीटर की गहराई तक उत्तरानन उपरांत 9 मीटर गहराई के खनियाँ उत्पादित नहीं होने के विट्टमत गैर माइनिंग क्षेत्र सख्त रखा गया है। जिसका उल्लेख करारी दसान में किया गया है।

16. खाद्यान छोड़ी 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन - प्रस्तुतीकरण की दीर्घ संपरियोजना प्रस्तावका तात्त्व बताया गया कि एलओवर्ड जैसी होने से जूँ ही लैंज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल दूरीकाल 10,623 घनमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 4,205 घनमीटर क्षेत्र 21 मीटर की गहराई तक ऐसे ही उत्तरानन है, जिसका उत्तरेत्ता अनुमोदित नहीं होना में जिता गया है। प्रतिष्ठित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्तरानन किया जाना चाही ताने पर परिवोजना प्रस्तावका ही दिक्षु जिप्पानुसार आवायक कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है।

17. उत्तरोष्णीय है कि भवति सरकार प्रदर्शनक, कन एवं जलवायु परिवर्तन गवालय नहीं दिल्ली द्वारा नीय जील माइनिंग प्रोजेक्ट के छेत्र जारी जारी ही नहीं है। फले कानूनिक रूपांतर के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्ता मानक जारी के अनुसार याहूं लीय क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेल में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. मानवीय एवं जीवी विप्रियल बैंद्र, नहीं दिल्ली द्वारा सत्येष्ट व्याप्रदेय विस्तृत सरकार व्यावरण, कन और जलवायु परिवर्तन भेत्रलय, नहीं दिल्ली एवं जन्म (स्त्रीरिचानल एप्लिकेशन नं 100 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को जारित भारती में द्रुत रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

शामिल हुआ विवार किसी उपरान्त सर्वसम्मति से लिया गया:-

1. सावलीप कलेक्टर (खंडिज छावा), पिता-जलजीव-मापा के द्वारा अ. 1937 / बीन चैनिज / नङ्क / 2022 जांजीर, दिनांक 17 / 06 / 2022 के अनुसार आधिकारिक खदान से 600 मीटर के भीतर झज्जिला 27 खदान, लंबाफल 38758 हेक्टेयर है। आधिकारिक खदान (पान-हेक्टर) का रकमा 4795 हेक्टेयर है। इस प्रबल आधिकारिक खदान (पान-हेक्टर) को मिलाकर कुल रकमा 31753 हेक्टेयर है। खदान की लंबाई से 600 मीटर की चौरापि में स्थीरता/संचालित खदानों का कुल होकरफल 5 हेक्टेयर से अधिक का खलस्टर निर्भीत होने के बाबा यह खदान दोनों ओरी की मानी गई।
2. भाईन लीज लोअर की खदानी और 7.5 मीटर लीडे लोपटी जीव की बुड़ा जाम में लिये गये उत्तराधिन के कर्तव्य बुड़ा लीडे की सुपायाई दृष्टियाई (Borrowed Measures) के अंतर्यामी लक्ष्य लीज लोअर के लिए नदीनिग कियाकरतापि के गहराया तापान प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों का उत्तराधिन आदि के लिये समूचित उपायों को कियानिहा करने का बहुत संभालक, संचालनालय, भौमिकी लक्ष्य अधिकारी की एवं पर्यावरण की हक्कि पहुंचाने हेतु भालीसाण्ड पर्यावरण वाक्याव महस, सका रायपुर अटल नगर को शिवालिकनुसार आवश्यक कार्यवाही लिये जाने हेतु लंबा किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर लोडी लीना बहली में लंबी उत्तराधिन किया जाना पावे जाने पर और उचित उपरान्त परियोजना प्रसारात्मक के विकल्प लियानुसार आवश्यक कार्यताही किये जाने हेतु संभालक, संचालनालय, भौमिकी लक्ष्य अधिकारी की एवं पर्यावरण की हक्कि पहुंचाने हेतु भालीसाण्ड पर्यावरण वाक्याव महस, सका रायपुर अटल नगर को शिवालिकनुसार आवश्यक कार्यवाही लिये जाने हेतु लंबा किया जाए।
4. लामिटी हुआ विकार किसी उपरान्त सर्वसम्मति से प्रबलण दोनों लंबेनों के उत्तराधिन भाली सारकार, नार्थवर्ष, घन और यालदायु परियोजना मालिनी प्राज्ञ 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और हुआइए / हुएगाए रिपोर्ट फॉर लोडेक्टर/हेक्टीकिलोव रिवायर्टिंग क्लूस्टर्समें उल्लिपोर्ट लगाहर इआइए, नोटिसिकेशन, 2006 में वर्णित थींगी १(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लीक रुनवाइ लहिन) नीन लोल नाईनिंग लोडेक्टर हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर को साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

  - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Onhattegarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan
  - iii. Project proponent shall submit the top soil / overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit the details of water source & permission from concerned authority.

- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/Suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Hasdeo River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

**प्राक्षिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरीका प्रकाश पर प्राक्षिकरण की विवाद ०४/०१/२०२३ को समन्वय १३८वीं बैठक में विचार किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा अलीगढ़ा भूदण्डोंकाल विचार किया गया। प्राक्षिकरण द्वारा विचार किया हुआ संबंधित सर्वसम्मति से विशेष लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अतिरिक्त टीवीआर के रूप में निम्न संशोधन किया गया कि—

- ४ (xv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." की स्थान पर ४ (xv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पड़ा जाए।

सभा ही वह भी विशेष लिया गया कि—

- (i) माईन लीज बैंक के बाहर और ७.५ मीटर ऊँचे सेव्ही जीव के कुछ भाग में किये गये उत्तराखण्ड की कारबाह इस बैंक की संपर्कारी उपायों (Remedial Measures) की सहाया में तथा लीज बैंक के अंदर माईनिंग डिपार्टमेंट की कारबाह उत्तराखण्ड प्रदूषण गिरेवाल ऐनु अधिकारक उपायों कथा बुखारीपाल आदि की लिये समुचित उपायों कामक संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा तकनीकी इंद्राणी भवन, नवा रायपुर अटल नगर विधा— रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिया किया जाए।
- (ii) प्रतिबंधित ७.५ मीटर ऊँची सीच पट्टी में अवैध उत्तराखण्ड विधा जाना जाये जाने पर उत्तराखण्ड प्रस्तावना के विवर नियमानुसार आवश्यक विधानिक कार्यालयी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा तकनीकी की पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज बैंक के बाहर और ७.५ मीटर ऊँचे सेव्ही जीव के कुछ भाग में किये जाने उत्तराखण्ड से बर्बादी को कमि होने के लालक छलीसाना पर्यावरण सञ्चालन महाल, नवा रायपुर अटल नगर की नियमानुसार आवश्यक कार्यालयी किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सातां हाथी ओफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक नुगाही तकिया) जारी किया जाए। जाप ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा तकनीकी इंद्राणी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

21. मेसर्स बूमरडीएकला साईन स्टोर ज्यादी (प्री- भी अद्युत सामिट ज्यादा),  
फार्म-बूमरडीएकला, लहसील म जिला-राजनांदगाव (संचिकालग का नस्ती  
क्रमांक 2120)

अधिकारीकार्ड आवेदन — प्रयोगाल नम्बर- एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 73453/  
2022 दिनांक 03/08/2022 द्वारा दी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह यूर्ज से साधालित बूना पर्वत (भौम खनिज) खदान है।  
खदान पार्म-बूमरडीएकला, लहसील म जिला-राजनांदगाव जिला पाठ और खदान  
क्रमांक 108, यूल बैंकपाल-1619 बैंकटर है। खदान की लाईटेंस उत्तमता  
शमाल-10.875 टन प्रतिवर्ष है।

लदानुकार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए, ग्रामीणांग के द्वापन दिनांक  
03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकारण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022-

प्रस्तुतीकारण हेतु भी अद्युत सामिट ज्यादा प्रोत्साहित उपस्थिता द्वारा  
नक्ती प्रस्तुत जानकारी का अनुसोदन एवं परिचय करने पर जिम्मे विद्युति पाई गई—

१. यूर्ज में ज्यादी पर्यावरणीय स्फीकुर्ति सांबंधी विवरण—

i. पूर्व में बूना पर्वत खदान पाठ और खदान क्रमांक 108, यूल बैंकपाल-  
1619 बैंकटर, शमाल-10.875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्फीकुर्ति जिला  
उत्तरी पर्यावरण रमायात नियोग आयोजनग, जिला-राजनांदगाव द्वारा  
दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। नियायी ऐक्टा दिनांक  
31/03/2020 तक थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यूर्ज में ज्यादी पर्यावरणीय स्फीकुर्ति के शाली के  
पालन में भी गहरी कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत  
है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कीजीव कारबालाय, भासा सरकार  
पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन नियाय, रायपुर हैं पूर्व में ज्यादी  
पर्यावरणीय स्फीकुर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना  
आवश्यक है।

iii. नियायीरित शासनिकार कृतान्तेयण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेचर (झौनिज जात्या), जिला-राजनांदगाव के द्वापन क्रमांक  
340/ख.लि.02/2022 राजनांदगाव दिनांक 08/02/2022 द्वारा जिम्मे  
नक्ती में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है:-

कार्य	उत्पादन
मार्च 2017	290
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	10,410
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	10,770
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	10,800
अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021	10,530
अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021	4,340

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्फीकुर्ति दिनांक 31/03/2020 परे  
शामाल द्वारे के उपराने भी उत्तरानन विज्ञा गया है। इस संबंध में परियोजना  
प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि भासा सरकार, पर्यावरण, बन तौर जलपाय

परियोग मत्तात्मा नई दिल्ली के ओएम दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिस परियोगमें एवं कार्यक्रमान्वय को जारी प्रबोधनीय स्थिरकृति की गयी दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो गयी है। उनकी प्रबोधनीय स्थिरकृति की खेत्र दिनांक 30/06/2020 तक पुर्ण ही गई है। उल्लंघन जारी प्रबोधनीय स्थिरकृति की दिनांक 30/06/2020 तक गई है। इसकी द्वारा पाया गया कि परियोगमें प्रबोधन द्वारा प्रबोधनीय स्थिरकृति की खेत्र दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात भी उल्लंघन का कारण किया गया है। अतः उल्लंघन को प्रबोधन होने के कारण भारत सरकार प्रबोधन, बन और उल्लंघन परियोग मत्तात्मा नई दिल्ली के अधिकार नियंत्रण दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के क्षेत्रमें हेतु स्टैम्पहृष्ट अपा प्रोसेजर (SOP) जारी ही गई है। जिसके अनुसार—

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
  - a) Damage Assessment
  - b) Remedial Plan and
  - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications. Where operation have commenced without EC, 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

पुरानी दिनांक के लक्षण पर जानातारी/इस्तावेंग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

2. छाम पंचायत का अनापत्ति दस्तावेज पत्र — उल्लंघन के सबूत में छाम पंचायत गुमरकोटका का दिनांक 30/06/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 पर्यंत हेतु

प्रस्तुत किया गया है। इस संकेत में संलिपि का मता है कि प्रस्तुत दाम प्रकाशित होने पर अनापृति प्रमाण पत्र की विधता बदलने के साथ ही घूमी है। आता यात्रियों ने संकेत में दाम प्रकाशित कर अब उस अनापृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. खस्त्यनन यौजन — यहाँ पर्यावरण विभाग कर्तृपाल चाहल एवं हार्ड्वेरेटेक्स मेंसेक्युरिटी पर्यावरण की प्रस्तुति जैसा कि इसका गठ है, जो उच्च संचालक (खानि प्रशासन) के द्वायन नमांक/का/खानि/टीच-6/2016/3065 दायरे, दिनांक 25/01/2017 द्वायन अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विधान छावन — कार्यालय कलेक्टर (खानि शासन) राजनांदगांव के द्वायन नमांक 241/खानि/03/2022 दायरे, दिनांक 08/02/2022 अनुसार जायेदित छावन से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 घटानी रक्षा उत्तम उपर्योग है।
5. 200 मीटर की परिधि में विधान सार्वजनिक शौच/वातावरण — कार्यालय कलेक्टर (खानि शासन) राजनांदगांव के द्वायन नमांक 241/खानि/03/2022 दायरे, दिनांक 08/02/2022 द्वाया यहाँ प्रमाण पत्र अनुसार उस छावन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक ओज यीसे मंदिर, मरियाद, गार्हण, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, गालाबाद, ऐल लाईन एवं यांत्रिक आदि अवैधिक लोड लिया नहीं है।
6. भूमि एवं लौज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लौज की अल्ट्रा सलिंग खान के नाम पर है। लौज लौज 10 वर्ग अल्ट्रा दिनांक 05/08/2011 से 04/08/2021 तक जी जायपि उन्नु तैयार ही। लूपाचाहा लौज लौज 20 वर्ग अधिक दिनांक 05/08/2021 से 04/08/2041 तक जी जायपि उन्नु लियारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — एवं 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत ही गई है।
8. बन खियां का अनापृति प्रमाण पत्र — कार्यालय राजनांदगांव अधिकारी, राजनांदगांव राजनांदगांव जिला—राजनांदगांव के द्वायन नमांक/खानि/10-1/9085 दिनांक 12/10/2020 से जारी अनापृति प्रमाण पत्र अनुसार जायेदित शौच बन शौच वीथी जी ५ किमी की दूरी पर है।
9. पहलवपुरी संरक्षनात्मक की दूरी — निकटान्त आवादी दाम—ठेलाकाली 400 मीटर, रक्काल दाम—ठुमरकोइकला 1 किमी एवं अमपल दाम—ठुमरदीकला 1.5 किमी गी दूरी पर खिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19.82 किमी एवं राजमार्ग 115 दोषा दूर है। लालाप 185 मीटर की दूरी पर खिला है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील लौज — पर्यावरण प्रकाशन दाना 10 किमी गी परिधि में मानसूचकीय सौना राष्ट्रीय राजमार्ग अन्धारपथ, लैन्सीव प्रदूषण खियां वीर्ध द्वारा पोछित छिटिकली लौन्युटेट लैसिय, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होना या छोकित जीवविविधता संत खिला गई होना प्रतिवेदित किया है।
11. छनन कांपवा एवं खान का विवरण — खाने की लियारितिकाल रिजर्व 8,00,500 टन, पाइनेवल रिजर्व 4,66,662 टन एवं रियवरेवल रिजर्व 4,21,796 टन है। लौज छी 7.5 मीटर लौदी सौना पट्टी (खत्यान की लिए प्रतिवेदित शौच) का अंतराल 5.40 अंगूष्ठाएवं है। ओपन कार्पट सेन्ट मेंकनाईज़ गिरि से खत्यान खिला जाता है।

है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकातम राहगाई 21 मीटर है। लौज क्षेत्र में कलारी गिट्टी की गोदाई 1 मीटर है जबकि युल गोड़ 13.138 घनमीटर है। बैच की कंपाई 1.5 मीटर एवं बीड़ी 1.5 मीटर है। खदान की संभवित आयु 43 वर्ष है। लौज क्षेत्र में उत्तरान नवापित नहीं है एवं इसकी स्थितना वर्ग प्रस्ताव नहीं किया गया है। लौक फिर से डिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लॉकेटिंग किया जाता है। खदान में वर्ष एक्स्काम नियंत्रण द्वारा जल का विकलाय किया जाता है। अवधार अस्तवित उत्तरान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (एक)	क्रम	प्रस्तावित उत्तरान (एक)
प्रथम	10.875	वर्षम	10.875
द्वितीय	10.875	सप्तम	10.875
तृतीय	10.875	अष्टम	10.875
चतुर्थ	10.875	नृथम	10.875
पंचम	10.875	दशम	10.875

12. जल आपूर्ति - परियोजना द्वारा उत्तरान का जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतीक्षित होती है। जल की आपूर्ति के संकेत में जानकारी/उत्तरान के प्रस्ताव नियंत्रण जल का आवश्यक है।

13. युक्तारोपण कार्य - लौज क्षेत्र की सीमा में यारी और 7.5 मीटर की दूरी में 840 मंग युक्तारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरान - लौज क्षेत्र की यारी नहीं 7.6 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरान करती किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के द्वितीय परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि यहाँ में कलस्टर में आगे बढ़ी झन्य खदानों के लिए बेसलाईन ढाटा कलेक्शन का कार्य अन्तिम तिथि 2020 से विसंवत् 2020 की तरफ किया गया था तथा लौज सुनवाई दिनांक 17/09/2021 को नामन कराई गई थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह खदान उस कलस्टर का भाग होने के कारण लैनिटरिंग ढाटा एवं लौक सुनवाई का नामन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। लौजसे समिति सहमता हुई।

16. मानवीय एवं जीवी विस्तृति द्वारा कलस्टर पालक यात्रीय विकास भाला सरकार, यार्डवर्ष, बन और उत्तरान परिवर्तन मसालाय नई दिनी एवं अन्य (प्रोसिजरल एफिलेटेशन नं. 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्रित कर से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार किया जायें उपरोक्त समीक्षात्मक से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाला) वाजनावगांव के द्वारा द्वारा 241/वा दिन 03/2022 राजनावगांव, दिनांक 08/02/2022 अनुसार अधिकृत खदान से 500 मीटर के भीतर छव्वस्थित 30 लालोंमें, रक्कड़ 37.308 हेक्टेयर है। अधिकृत खदान (पाम—तुबरलीहकला) का जलवा 1619 हेक्टेयर है। इस प्रकार आगेरी खदान

(प्राप्त-इन्स्टीट्यूशन्स), को गिल्डरन बूल रखा 30 अक्टूबर है। सदान की लीमा में 500 मीटर की विशेषता में स्थिकूरा/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेएर तक अधिक तक गलमटर लिमिट होते के कारण यह सदान भी। लेणी की मात्री गयी।

2. यहाँ से जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन के संलग्न में एक्सेस लीनीव कार्यालय पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन भौजलय, भारत सरकार, रायपुर की पञ्च लेणी दिनांक जाए।
3. अभियान द्वारा दिया हुआ समर्थन संवर्धनमयी से प्रकरण ही। केंद्रीय का होने के छारण भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन संवालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रसारित स्टैचेल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्चेस (टीआईआर) द्वारा इंडिएट/इंटीएट इंटीवेटस/एक्टीविटीज रिसार्चरिंग इन्डियार्समें जलीयरेस अवधार हुआ। ए.एस.टी.ए.ओ.एस. (टीआईआर) द्वारा अन्तिम इंटीवेटस हेतु निम्न अंतिक्रिया टीआईआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit the latest NOC from gram panchayat for mining.
  - v. Project proponent shall submit the production detail from mining department with units.
  - vi. Project proponent shall submit the details of water source & permission from concerned authority.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - x. Project proponent shall submit the copy of panchayati and photographs of every monitoring station.
  - xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xiii. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xiv. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xv. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum. Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.
- xvi. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- xvii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit GER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकारा पर प्राधिकरण की बैठक 09/01/2023 को संयाम 1300 बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सभी पर अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाजन समिति सभी निर्णय लिया गया तो समिति द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में मिस्रालोकन किया गया है:-

- 3 (ii) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur" के उद्देश्य पर 3 (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IW(I) dated 30/05/2012" परा जाए।
- 3 (xviii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर ३ (xviii) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी जिमेव लिया गया है—

(1) पूर्व में आसी पर्यावरणीय नवीकृति का यातन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मालवा बालाकर, पर्यावरण, बन और जलवाया परिकल्पन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से भगवाने पाने हेतु पत्र लेखा लिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशांत हन्ती ऑफ ऐवेन्यू (टी.ओ.आर.) (लोक सुनावाई समिति) जारी लिया जाए। शास्त्रीय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मालवा बालाकर, पर्यावरण, बन और जलवाया परिकल्पन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेखा लिया जाए।

**22. लेहारी गहावीर कोल बीजारीव ग्राइंडर, पान-खसाहनी, राहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (प्रस्तावालय का नस्ती क्रमांक 2043)**

अनिलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ सीएसआईए/ ८८३५ / २०२२ दिनांक २३/०५/२०२२ द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन लिया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा पान-खसाहनी, राहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर लिया जाना जाना क्रमांक पार्ट ऑफ ७९/१, ७८, ९६, ८०, ८१, ८२, ८४, ८७, ८८/२, पार्ट ऑफ ५६, ५६, ९९/१, ९९/२, ३८/२, पार्ट ऑफ ७९/२, पार्ट ऑफ ९३/१, ९०/३, कुल क्षेत्रफल — १८.३७ एकड़ में कोल बीजारी क्षमता—०.९५ मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ावार कोल बीजारी उभता—२.४८ मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन लिया गया है। परियोजना का लियोन रायके २६ करोड़ होगी।

वैदेयों का विवरण —

(अ) लमिटि की ४२६वीं बैठक दिनांक २०/०९/२०२२:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विकाल बुलार जैन, डीसरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेहरान आईएनसी टैक हाउस कानपुर, विद्युती की ओर से भी जैकी लोईजा ईआईए को-ऑफिसिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण लिया गया। प्रस्तुतीकरण की बीचन समिति के संझान में यह लक्ष्य आया कि आवेदित ग्राफरन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में लक्षण एवं रक्षा तथा इसके पूर्व में आसी पर्यावरणीय नवीकृति के जातना एवं रक्षा में भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित करने हेतु अनिलाईन में ए.ओ.एस. पानी कानने का अनुरोध लिया गया।

समिति द्वारा लालानव सर्वीसमिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पौर्ण-१ में त्रुटि सुधार करने हेतु अनिलाईन में ए.ओ.एस. (Additional Document Shortcoming) आसी करने की परवान वापिस जानकारी/ दस्तावेज प्राप्त होते रहना जल्दानी आवश्यकी नहीं जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, प्रालौसगढ़ के इण्डिपेंडेंट द्वारा जनकारी/इक्साइंज दिनांक 02/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं मैठक दिनांक 18/11/2022:

लंबित द्वारा नक्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिकार एवं उपर्युक्त नाम समय सर्वसम्मिलित संविधान सभा से निर्णय सिपा गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जाही गई वापिस जानकारी एवं समस्त सुचांगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 19/11/2022 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए एवं इस आष्ट दृश्यमान के माध्यम से प्रकाश दी जाए।

तदानुसार निर्देशन फलायक की दूरता के निम्न से दिनांक 17/11/2022 को दूरपना दी गई।

(म) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी संघीय कुमार बर्मी, महाप्रकाश एवं पर्यावरण सलाहकार मैसर संघीयकारी हेतु हाता गान्धारा, दिल्ली की ओर से भी जो भोटक, बैज्ञानिक—आर्थिक उपस्थिति है। समिति द्वारा नक्ती प्रस्तुत जानकारी का अधिकार एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पर्यु बई—

i. पूर्व में पारी पर्यावरणीय स्वीकृति सार्वजीविकरण—

- एसईआईए.ए, प्रालौसगढ़ के इण्डिपेंडेंट दिनांक 1420, दिनांक 28/09/2021 द्वारा नक्ती महाकाश कोल वीकारेज प्राइवेट लिमिटेड, बालारा जनांक बट ऑफ 79/1, 78, 96, 80, 81, पाट ऑफ 82, 84, 86, 87, पाट ऑफ 55, 66, 59/1, 58/1 एवं 58/2, चुन शोपल-1637 एकाढ, याम-खारगाही, तहसील-लोटा, जिला-विलासनगर कोल वीकारेज लम्हा-०९९ मिलियन हजार प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसप्रकार एसईआईए.ए प्रालौसगढ़ के इण्डिपेंडेंट 31/04/2022 द्वारा पारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।
- एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 439वीं मैठक दिनांक 18/10/2022 में किये गये अनुसंदो ने आधार पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रालौकिक दिनांक 1420, दिनांक 28/09/2021 में संकीर्ण जारी करने कुर्यात् बालारा जनांक पाट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 78, 95, 80, 81, पाट ऑफ 82, 84, 86, 87, पाट ऑफ 55, 66, 59/1, 58/1, 59/2 के स्थान पर 'स्थान प्रालौकिक दिनांक पाट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, 82, 84, 87, 88/2, पाट ऑफ 55, 66, 69/1, 58/1, 58/2, पाट ऑफ 79/2, पाट ऑफ 93/1, 90/3 पर' जारी काला संकीर्ण जारी किया जाना है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के प्रत्यन में यही गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति ने यह मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कोर्टीय कार्यालय जारी सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवहन मंडलय, नवा राज्यपुर अटल नगर सी क्षेत्र में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का भालून प्रतिवेदन प्राप्त करे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



## २. यात्रा एवं पाठ्य सम्बन्धि –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय मंडल नवा राष्ट्रपुर अटल गगर द्वारा रो-प्रोत्साहितीय सम्भाला – ०.७७ मिलियन टन इकाईयों हेतु जल एवं पाठ्य सम्बन्धि सम्मिलित दिनांक ०४ / ०५ / २०२२ को जारी की गई।
- परियोजना प्रश्नावाक द्वारा कर्तव्यान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय नवार द्वारा जारी सम्भाली की पालनपाली की कार्रवाही को विन्दुपार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय मंडल द्वारा जारी सम्भाली की पालन में की गई कार्रवाही की विन्दुपार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रश्नावाक द्वारा बताया गया कि रो-जील वीजारी शमला – ०.८९ मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु नियंत्रण कार्य किया जा रहा है।
- 3. परियोजना प्रश्नावाक द्वारा बताया गया कि कौल वीजारी शमला – ०.७७ मिलियन टन प्रतिवर्ष से २४४ मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य शमला (Working Hours) ५ घंटे से बढ़ाकर ३० घंटे किया जाएगा।
- 4. निकटस्थि स्थिति क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –
  - निकटस्थि जलार्थी याम-पश्चात् ३०० मीटर, चाम-खरगहनी १०० मीटर कोटा ५ किमी एवं रेलवे स्टेशन कालमिलर १.५ किमी. की दूरी पर स्थित है। गोद्वार राजमार्ग १० किमी. एवं राजमार्ग १.५ किमी. दूर है। गोद्वार नाला १०० मीटर, छापी नाला ४.६ किमी. पीया नदी ५.६ किमी. एवं अरपा नदी ५ किमी. दूर है।
  - रामवारा अवलोकित यम ५.५ किमी. कामाजारी आवश्यित यम ०.६ किमी. जीरमी आवश्यित यम १ किमी. रामपुर सरकारी यम ७.५ किमी. एवं शिवाराई सरकारी यम १ किमी. दूर है।
  - परियोजना प्रश्नावाक द्वारा १० किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अभयारण्य केन्द्रीय प्रदूषण नियोजन बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली वीन्युट्रिट क्षेत्र, पारिवर्षिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं पीयित जीवविविधता विधि स्थित नहीं होना चाहियेंद्रिय किया है।
- 5. पाठ्य प्रश्नावाक का अनावरित उचाय पत्र – परियोजना व्यापन के संबंध में शाम प्रश्नावाक खरगहनी का दिनांक २१ / ०५ / २०२० का अनावरित प्रश्नावाक प्रस्तुत किया गया है।
- 6. यम विभाग का अनावरित प्रश्नावाक पत्र – कार्यालय भूज यम संसाक वन्यजीवन और संवीक विवेदिका अवानकामर टाईगर रिजर्व, जिला-विभागपुर के ज्ञायन क्रांति / वा.पा. / टाक.अपि./ २०२१ / १०८२ जिलामपुर, दिनांक २६ / ०३ / २०२१ से जारी अनावरित उचाय पत्र अनुसार आधिकारित क्षेत्र की सीमा अवानकामर टाईगर रिजर्व ३४.३ किमी. की दूरी पर है।
- 7. शू-स्वामित्व – गुमि महारैर कोल वीजारीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
- 8. लैथ्क द्वारिया स्टेटमेंट – कुल कोरफल १८.३८ एकड़ है, जिसमें वीजारी प्लाट २.७६ एकड़, रो-प्रोत्साहितीक पार्क, जलीन कोल एवं लिंगवटस ३.६५ एकड़, अन्य

निविलेटी 0.47 एकड़, छाटर निविलेटर इव 1.44 एकड़ हवा तीव्र फैल 0.26 एकड़ (30.46 प्रतिशत) में प्रस्तुतित है।

9. रो—मटेरियल — रो—कोल 2.48 निविलेटर द्वारा प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। एकड़ कोल 1.98 निविलेटर द्वारा प्रतिवर्ष दूध निविलेटर कोल 0.496 निविलेटर द्वारा प्रतिवर्ष उपयोग होगा। रो—कोल एवं इसी एक कोल की उदाहरणी टायक्स, गैररा एवं कुम्भुका से आयुर्वेदिक वाहनों द्वारा किया जाएगा। बीजारी से घटड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन संदर्भ वाहन से दूधे वाहनों द्वारा किया जाएगा। बीजारी से घटड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन संदर्भ वाहन से दूधे वाहनों एवं 20 प्रतिशत रेलवाहन द्वारा किया जाएगा। निविलेटर का परिवहन उपयोग वाहन से दूधे वाहनों द्वारा किया जाएगा। परिसर की बीजार पिल बीजिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तुतित है।
10. नायु प्रदूषण निविलेटर व्यवस्था — कोल जाहार द्वारा है, रोटरी ड्रेसर एवं निविलेटर से रुक्ट एक्सट्रैक्शन निविलेटर के साथ वेव निविलेटर की स्थापना ही जाएगी। सभी खेल कन्हैयर डेन्टस एवं जब्सन व्हाईटस को दूध जाहार अलिंगित वेव निविलेटर से संलग्न कर निम्नी तो और जाना प्रस्तुतित है। परिसर की जारी और 3 मीटर की दूरी वाटपट्टी बीस का निर्माण एवं ऐन गच के साथ ऊंची स्थीर स्थापित की जाएगी। जाहार ही रुक्ट राफ्ट्सन / कम्प्रेसिंग चक्क उत्सर्जन के निविलेटर द्वारा जल छिन्नकरण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तुतित है।
11. बीजार अपशिष्ट उपयोग व्यवस्था — बीजारी निविलेटर स्थापना 0.496 निविलेटर द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशारी से उत्पन्न निविलेटर को बन्हाइ द्वारा की जायेन तो इस निर्माण द्वारा जो उपलब्ध जाता या जाएगा।
12. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल उपयोग एवं संचयन — घरेलू उपयोग है एवं 30 घनमीटर प्रतिदिन रुक्ट उत्पन्न है एवं 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं 3,000 घनमीटर प्रतिदिन जल वेव उपयोग होगी। बीजारी से रुक्ट दूधित यात्र 3,600 घनमीटर प्रतिदिन की सेटलिंग बीच्छ एवं फैल्ट फैस से उपयोग उपयोग पुन उपयोग किया जाएगा। इस जलसर बुल फैस बीटर की जाहारकाल 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसकी आवृत्ति गु—जल से हो जाएगी। परियोजना है इस आवश्यक जाल की आयुर्वेदिक उपयोग है एवं 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 05/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तुतित कार्यक्रमाव उपयोग उपयोग का है एवं युक्तिपूर्ण उपयोग है एवं 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीजारी है एवं 9,312 घनमीटर प्रतिदिन जल की उपयोग होगी। बीजारी से उत्पन्न दूधित यात्र 8,812 घनमीटर प्रतिदिन की सेटलिंग बीच्छ एवं फैल्ट फैस से उपयोग उपयोग पुन उपयोग किया जाएगा। इस जलसर बुल फैस बीटर की जाहारकाल 600 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसकी आयुर्वेदिक गु—जल से ही जाएगी। परियोजना है इस आवश्यक जल की आयुर्वेदिक उपयोग बीटर अवैरिटी से जनुगति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- जल प्रदूषण निविलेटर व्यवस्था — हैकी गोकिया साक्षलौन आवारित है कोल बीजारी स्थापित किया जाएगा। ज्ञान्य लूप बीटर निविलेटर व्यवस्था की जाएगी। प्रतिवर्ष से उत्पन्न दूधित जल के उपचार है एवं निविलेटर फैल फैस एवं

संटुलित बीच द्वीपसम्पत्ति किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रविधि की उपर्यन्त दूषित जल की उपरोक्तानुसार उपर्याप्त संपत्ति में ब्रह्म संप्रदान में तथा परिशेष के भीतर तृष्णारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। लंबलू दूषित जल के उपर्याप्त संग्रहीत ट्रिटमेंट स्लॉट कामता 30 जनसीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- गू-जल उपग्रह संबंधन – परियोजना स्थल नेटवर्क ग्राहण वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ लैंग में आता है। जिसके अनुसार –

(अ) इह एवं मध्यम उद्योगों की कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वाचन एवं पुनरुपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राहण वाटर नियांत्री हेतु अपेक्षित गृह लक्षणीक यथा ऐनाटर हार्डिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिसार्व के आधार पर सू-जल नियांत्रे की अनुरूपी सेटल ग्राहण वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रारूप है। यह उपर्याप्त एवं ऐनाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. ऐन गैटर हार्डिंग व्यवस्था – ऐन गैटर हार्डिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाइनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. विशुद्ध उपर्याप्त स्वीकृति – परियोजना हेतु 1,500 के लाईए विशुद्धी की आवश्यकता है, जिसकी अन्तर्गत उत्तीर्णगढ़ राज्य विशुद्ध वितरण क्षमता से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 तम तुमा 500 के लाईए का लाईए सेट व्यवस्था किया जाएगा। लोडी सेट यो एक्सिट्या इंवेलोपर में व्यवस्था किया जाएगा। एवं श्रीपीपीसी द्वारा नियोजित छोड़ाई (10 नीटर) की विनामी संलग्न की जाएगी।

15. तृष्णारोपण की स्थिति –

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय रिपोर्ट के अनुसार कुल शेअफल में से 8.26 एकड़ (30.48 प्रतिशत) में 1,000 तम प्रति एकड़ गैरिपी का विकल्प किया जाना प्रस्तावित है। लाईए तरफ कम से कम 100 मीटर हरित पट्टी का विकल्प किया जाना प्रस्तावित है। जलावृत्त बीताई की परिवर्तन विकल्प एवं रेतवे लाईए की तरफ कम से कम 25 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर सकाने वाली कुल प्रतालियों का संघर्ष तृष्णारोपण किया जाना प्रस्तावित है। सभिते द्वारा तृष्णारोपण का जारी आगामी 6 ताह में पूर्ण किये जाने हेतु विदेशित किनारे (10 नीटर) की विनामी संलग्न की जाएगी।
- बीतामान में तृष्णारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्तावा अनुसार कुल शेअफल में से 4.26 एकड़ (30.48 प्रतिशत) में तृष्णारोपण किया जाना प्रस्तावित है। तृष्णारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाइनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- समिति का मत है कि उत्तीर्ण परिवर्त के जारी तरफ कम से कम 20 मीटर की लाईए पट्टी में तथा विशेष पूर्ण विकल्प में ऐसे जाईन की तरफ कम से कम 50 मीटर लाईए सीमा पट्टी में तृष्णारोपण आगामी भानसून में करते हुए गैरिपी में संचाराकान (Nurserieship) एवं गैरिपी के जाम का उत्पादन किया जानकर कोटीघापता संहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपर्योक्त तृष्णारोपण प्रधन एवं ही पूर्ण किया जाए तथा तृष्णारोपण की से-कारट जान के दूसरे एल फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

१६. प्रस्तुतीकार्य के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि पुर्व में जारी पार्श्वपर्याप्त स्वीकृति के समय १ अक्टूबर २०२० से ३१ दिसंबर २०२० तक विनाम्र ग्राम बॉमिटरिंग के देशलाईन बाटा का उपयोग आवंटित करका हेतु किया जाएगा। यानिकि का गति है कि उसका हेतु क्षमितिलीन है आईए रद्दी किया जाना आवश्यक है।

१७. प्रस्तुतीकार्य के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि सौ-लोड विशेष शमता-०५० मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु देशलाईन बाटा करतेकर्ता का कार्य ०१ अक्टूबर से ३१ दिसंबर २०२० तक किया गया था। याकूत देशलाईन बाटा परो प्रस्तावित शमता विस्तार हेतु ईआईए रिपोर्ट में उपयोग किये जाने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण नी-१ कोटडी का होने के बाहर भारत सरकार परिवर्तन का और जलवाया परिवर्तन भवाल्या ग्राम बड़ील २०१५ में द्रव्यालिक बैंकहॉल दम्भी औपर रिकर्स (टीओआर) और ईआईए/हाइभी रिपोर्ट और प्रोजेक्टस/एंटीप्रिटेशन रिकवर्यरिंग इन्डास्ट्रीस वर्सियरेंस बाहर ईआईए नीटिक्सिकेशन २०२० में यानित थेजी २(ए) का हेतुजड़ी टीओआर (लोक सूनवाई लिंग) कोल बीली शमता-०५० मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर २५८ मिलियन टन प्रतिवर्ष येट राईप हेतु जारी किए जाने की अनुमति निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:-

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).
- v. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- vi. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.
- vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).
- viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- ix. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).
- x. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).
- xi. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio-Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIReport.

- xiii. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the layout plan with KML file for Plantation area and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area & 55 meter wide green belt along the railway line side.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपर्युक्त प्रकाश द्वरा प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार दिनांक उपर्युक्त रद्दसम्मति से समिति की अनुशृणा को लेकर बनी हुई उपरोक्ताखुलाय हमसे शीफ रेफरेन्स (टीओआर) (जीक मुन्हाई राइल) जारी करने का नियम लिया गया।

इसीप्रीत दसावक को हमसे शीफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जाए।

#### **एवं आवश्यक आमतंक-३**

परिवारिजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित आमता जानकारी/दसावकेय/पढ़ प्राप्त घटकरणों से अपलोडन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय रद्दसम्मति / टीओआर / कला आवश्यक नियम लिया जाना।

- i. मेवार सुलगहन लाईम इटोन कंपारी (प्र).— श्री आरपी अवानाल, थाम-बुढगहन, राहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापाश (समिवालय का नम्बरी क्रमांक 2196)

अनलाईन आवेदन — इकाइल नम्बर — एनआईए/टीओ/एमआईए/ 406780 / 2022 दिनांक 17 / 11 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय नीतीकृति हेतु अनलाईन

अधिकारी द्वारा किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञानम दिनांक 23/11/2022 द्वारा ज्ञानमही प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी ज्ञान दिनांक तक उपलब्ध है। ज्ञानम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आवेदित प्रकरण को निस्सा छन्ने के लिए अनुरोध किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित घुना वायर (गौम सूचित) भवान है। भवान नाम—बुडगढ़न, ताहसील—सिपाही, जिला—बलौदाबाजार—भाटापाना स्थित ज्ञानम क्रमांक 173, 174, 175 एवं 176(पार्ट), कुल लंबाई ओव 2.91 हेक्टेएर में प्रस्तावित है। ज्ञानक्रित उत्कुणग खदान क्रमांक—25.020 टन प्रतिघण्ठा है।

ज्ञानक्रित ज्ञानम सी 000 ग्रीटर के भीतर अवस्थित जानकी का दोषकाल ५ किलोमीटर से अधिक है। अब परियोजना प्रस्तावक को टीओआर हेतु औनलाइन आवेदन विभाजन या परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु औनलाइन आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/12/2022 के बाद्यन ती प्रकरण को निरक्षत किये जाने हेतु अनुरोध वज्र प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को सम्पन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरोक्त जारीसम्बन्धि सी आवेदन को हि-लिस्ट / निरक्षत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्तावक की ज्ञानम ने प्राप्त प्रारूप में प्रधानत हि-लिस्ट / निरक्षत किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक की यह सुझाव दिया जाता है कि यह भारत गोलार पर्यावरण वर्ष और जलवायु परिवर्तन गवालय द्वारा जारी है। अर्थात् अधिसूचना 2006 (प्रथा संशोधित) एवं समव-समव पर जारी बाटूलाइन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को ज्ञानमुसार सूचित किया जाए।

2. येल्सी कूचा विनरला (पार्टनर— श्री जानेंद जालनिका एवं श्री कूचा अग्रवाल, किनारी लाईन स्टोन बाईन), शाम—किनारी, ताहसील—अकलतारा, जिला—जाओगांव—जापा (संधिवालय का नम्रती क्रमांक 1599)

**औनलाइन आवेदन** — प्रयोगश नम्बर — एनलाइन / श्रीजी / एनलाइन / 203063 / 2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु औनलाइन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औनलाइन आवेदन ५ कमियों होने से ज्ञानम दिनांक 19/03/2021 द्वारा ज्ञानकी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित ज्ञानकी दिनांक 15/12/2021 को औनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह पूर्व से संधारित घुना वलाह (गौम सूचित) भवान है। ज्ञानम नाम—किनारी, ताहसील—अकलतारा, जिला—जाओगांव—जापा स्थित ज्ञानम क्रमांक 790 / 16, 790 / 18, 792 / 1, 791, 792 / 2, 792 / 3 एवं 792 / 4, कुल हेक्टेएक्ट 1.62 हेक्टेएक्ट ने है। ज्ञानम वर्ष आवेदित उत्कुणग क्रमांक—43.420.94 टन प्रतिघण्ठा है।

ज्ञानमुसार परियोजना प्रस्तावक को लॉइटर सी अलीगांव की ज्ञानम दिनांक 23/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** —

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022

जलसुखीकरण हेतु भी प्रदीप अग्रवाल, अधिकारी प्रतिनिधि जपसिंहत हुए। नामिति द्वारा गमती जलसुखीजनकारी का जलसुखीकरण एवं पर्यावरण जनने पर निम्न निमिति घट्ट गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

१. इस अद्दन की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
२. निम्न तरीं में लिए गए जलसुखन जी जालसिक भवन जी जानकारी नामिति निम्न से इमारित भवन बहु प्रस्तुत नहीं की गई है।

नामिति का मत है कि पूर्व में खलिज शापन निम्न से जनन हेतु अनुमति में अधिसूचित शहरी के जालनार्थी जी गई कार्यकारी वी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

२. शाम पर्यावरण का अनापरित प्रमाण यज्ञ — जलसुखन के संबंध में शाम पर्यावरण निम्न जा अनापरित प्रमाण यज्ञ प्रस्तुत किया गया है। शाम पर्यावरण जी बैठक दिनांक सहित यथनीय प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
३. उत्तराखण छोड़ना — जारी फलान इन्डियनर्सेट मेनेजमेंट भान एवं जारी कलेक्टर फलान प्रस्तुत किया गया है जो उष्ण संचालक (खनिज ग्राम) जिला-कोशला के ज्ञापन अन्तर्क ३३३/खनि/८०८४/२०१७ दिनांक ०४/०३/२०२१ द्वारा अनुमोदित है।
४. ५०० बीटर की परिषि में नियत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज ग्राम) जिला-जालगांव-चापा के ज्ञापन अन्तर्क ५९३०/खनि/न.का./२०२०-२१ जालगांव दिनांक २८/०३/२०२१ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० बीटर के भौतिक अवधित ७१ खदाने रकमा ११८,७७६ रुपये हैं।
५. २०० बीटर की परिषि में नियत सार्वजनिक होत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज ग्राम) जिला-जालगांव-चापा के ज्ञापन अन्तर्क ५१७२/खनि/८०८४/२०२०-२१ जालगांव दिनांक ८०/०२/२०२१ द्वारा जारी उपलब्ध फल अनुसार उत्तर खदान से २०० बीटर की परिषि में कोई भी सार्वजनिक होत्र वैकल्पिक अवधित अस्पताल, स्कूल, पुल, एपीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल लाइन एवं जल जारूरी आदि प्रतिक्रियत होत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।
६. इत औंआई संबंधी विवरण — कार्यालय कलेक्टर (खनिज ग्राम) जिला-जालगांव-चापा के ज्ञापन अन्तर्क ५११३/गौण खनिज/न.का./२०२०-२१ जालगांव दिनांक ८८/०१/२०२० द्वारा इत औंआई फली की गई है जिसकी खेता जारी दिनांक से १ दर्ज की अवधि तक थी। अतः परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई जो फैपात्र समाप्त ही रही है।
७. बू-स्कारिन — छासना अन्तर्क ७८१/१५, ७९१/१८, ७९२/१, श्री कृष्ण अस्पताल एवं छासना अन्तर्क ७९१, ७९२/२, ७९२/३, ७९२/४ जी अनाव छालमिन के नाम पर है। उत्तराखण हेतु पार्टीजनारी ट्रोड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
८. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
९. जन विभाग का अनापरित प्रमाण यज्ञ — कार्यालय बनन्मण्डलविकारी जालगांव चापा बनमण्डल, चापा के ज्ञापन अन्तर्क/दफ्तरी/४००० चापा, दिनांक १५/१२/२०२० से जारी अनापरित प्रमाण यज्ञ अनुसार आवेदित होत्र निवाटलम वन होत्र जी सोमा से ३ फिटी की दूरी पर है।

10. नहरपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम झाराड़ी घास-किलोमीटर 1.9 किमी। न्यूल घास-किलोमीटर 2.25 किमी। एवं अस्ताल आकलतम 7.5 किमी की दूरी पर सिवाई है। राष्ट्रीय राज्यगार्ह 2.1 किमी, एवं राज्यगार्ह 24.4 किमी दूर है। जल 50 मीटर दूरी है।
11. पाइपिंगिंगिंग/जैवविभिन्नता संबद्धनशील होना – परियोजना क्षेत्रका जलगा 10 किमी की परिधि में ग्रेनरीजनरीज रीमा, राष्ट्रीय राज्यगार्ह, कॉन्ट्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेशन एवं पाइपिंगिंगिंग संबद्धनशील होना पर घोषित जैवविभिन्नता क्षेत्र नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. ऊरनन संघरण एवं ऊरनन का विवरण – रिजर्वीजिल रिजर्व 9,12,250 टन, ग्राउन्डवल रिजर्व 3,33,347 टन एवं निकालवेल रिजर्व 3,16,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर औरी सीमा चढ़ती (उत्तरानन के हिए प्रतिवर्षित होना) का संत्रक्षण 4,165 एकड़ीटर है। ओपन कास्ट सेमी नैकेनाईक्स विधि से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रसरणित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज होना में उद्दी प्रिट्टी की भोटाई 0.5 एकड़ी एवं भाड़ा 6,261.5 एकड़ीटर है। ऐन की लंबाई 3 एकड़ी एवं ऊँचाई 3 मीटर है। ऊदान ती अभावित आयु 10 वर्ष है। लीज होना में ऊहार सम्भापित नहीं किया जाएगा। लीज ईमर से फ्रिसिन एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। ऊरनन में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का रिसेप्शन किया जाएगा। वर्षायार प्रसरणित ऊरनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रसरणित ऊरनन (टन)
प्रथम	43,420.94
द्वितीय	43,420.94
तृतीय	39,932.63
चतुर्थ	39,850.13
पंचम	39,900.00

#### आवासी वर्षों का ऊरपाइन बोर्डी

वर्ष	प्रसरणित ऊरनन (टन)
प्रथम	22,443.76
द्वितीय	21,966.38
तृतीय	21,795.38
चतुर्थ	22,087.50
पंचम	21,802.50

13. ऊल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक ऊल की भाड़ा 4,48 एकड़ीटर प्रतिवर्ष होगी। ऊल की आपूर्ति ट्रैक्टर द्वारा जाम पंचायत के व्यवस्था से किया जाएगा। इस व्यवस्था द्वारा पंचायत का ऊनापासित प्रभाव पर उत्सुक नहीं किया गया है।
14. ग्रेनरीजनरी कार्य – लीज होन की सीमा में पार्श्व ओर 7.5 मीटर की गढ़ती में 831 वर्ग ग्रेनरीजनरी किया जाएगा।
15. ऊदान की 7.5 मीटर की औरी सीमा गढ़ती में ऊरनन – लीज होन की पार्श्व ओर 7.5 मीटर की सीमा गढ़ती संग्रहण 4,165 एकड़ीटर में से 1,626 एकड़ीटर होने 8.5 मीटर सहराई जल ऊरननित है। गिरफ्तका ऊरनन अड्डीनिंग प्लान में किया गया है।

18. उत्तरीखण्डीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने दिल्ली द्वारा जीव और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय को भूमध्य संसदीय गति दी गई है। इसी क्रमानुसार वर्ष 2010 की अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इसका मानक इसी की अनुसार नईन तीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी ज्वान में बृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. मानवीय एवं जीवी, प्रियाकाल बेंच, नहु दिल्ली द्वारा सलोक जारीकैया विकल्प भारत सरकार पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहु दिल्ली एवं अन्य (आर्थिक विकास एवं विकास कोष नं 106 अधीक 2016 एवं इन्ह) ने दिनांक 13/03/2019 तो पारिव आदेश में मुख्य रूप से विभागभूमार विवरित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- In a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

प्राणिति द्वारा विवार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से विभागभूमार विवरित किया गया—

- आर्थिक विकास (आर्थिक विकास), जिला-जागरीक-जागा के लाएग अन्यान 5030/स्ट्रेन/म.का./2020-21 आर्थिक विनांक 26/03/2021 के अनुसार आर्थिक खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदान रकमा 118.776 हेक्टेयर है। आर्थिक खदान (एग-फिरारी) का रकमा 162 हेक्टेयर है। इस विकास उपर्योगित खदान (एग-फिरारी) को विताकर कुल रकमा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की गीण ही 600 भीड़ की परिधि में रुदीकूल/संचालित खदानों का अनुप्रयोग 5 हेक्टेयर से अधिक वा उल्लंघन विभिन्न होने के कारण वह खदान 'दी' घंटी की मानी गई।
- माईन लौज क्षेत्र के खदानों और 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी ज्वान के ग्रुप ज्वान में विनांक गये जलवायन के क्षेत्र इस दोनों के जलवायी उपचारी (Remedial Measures) के नाम्य में तथा लौज क्षेत्र के अंदर भार्टिनिंग कियाकरायाएँ के क्षेत्र उल्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारी एवं बृक्षारोपण आविष्कार के लिये विभिन्न उपायों विकास संसाधन, संचालनालय, भीमिकी तथा लगिकर्म इकायाती सदन नया राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अन्तीमगढ़) से जननमयी प्राप्त गये जहा।
- प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी पट्टी में अर्क्ष उत्थानन किया जाना यारी जाने पर एस्ट्रियोजना प्रस्तावक को विलहू विभागभूमार आवश्यक दण्डालय कार्यालयी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा लगिकर्म एवं पर्यावरण वा अन्ति प्रदूषणीय एवं एकीकरण संस्करण अटल, नया रायपुर अटल नगर वा आवश्यक कार्यालयी किये जाने हेतु विवरित किया जाए।

4. समिति द्वारा विधान विभागीय उपराज मंत्रालय सम्मिलित संसदीय बैठकों कोटारी का होने के कारण भारतीय सरकार, पर्यावरण, बन और उत्तराखण्ड परिवेश संबंधी द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित नटुरल रेस्टर्फ़ रूपरी और लिक्षणों (टीएसडीए) और इंआईए / इंएचपी रिपोर्ट पांच प्रोजेक्ट्स / एकटीपिटीज़ विवरणपत्रिंग इन्वायरमेंट वलीयोंस आवाह इंआईए नोटिफिकेशन, 2008 में परिणाम स्थीर 14(ए) का नटुरल रेस्टर्फ़ टोलोअम लोक सुनवाई सहित) जीन वर्तमान माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विधि विभाग की अनुसंधा की गई।

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.
- vi. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.
- vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension.
- viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchrama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विधार –** सुपरिवर्त उच्चता पर प्राधिकरण की बिनाय 11/03/2022 परी संपन्न 122वीं बैठक में विधार लिया गया। प्राधिकरण द्वारा जारी का अवलोकन लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट लिया गया जिस विधार वर्षी में किए गए उत्तरालन की गान्धीजी भाजा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी रखागे जिसमें विभाग की प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा जलखनन समीक्षण से निर्णय लिया गया था कि विगत वर्ष में विशेष गए उत्तराखण की जलस्तिका मात्रा (प्रतीव वर्षी) की जानकारी सुनिश्च प्रभाव से प्रभागित करकर प्रस्तुत किये जाने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस है कार्ड एप. उत्तीर्णगढ़ की लापन दिनांक 07/06/2022 के नियंत्रण में परियोजना जलखनक द्वारा दिनांक 20/12/2022 तक 30/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारस पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संचाल 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा असती/हस्तांतर का अनलीबन विचार गया। प्राधिकरण द्वारा नोट लिया गया कि—

- प्राधिकरण कलेक्टर (सुनिश्च शासी), फिला-जांडीर-धारा के लापन उत्तरांक 3425/राजि./नज./2022 जांडीर दिनांक 28/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षी में किये गये उत्तराखण की जानकारी सिनानुसार है—

वर्ष	संतादन (टन)
2008–09	36,064
2009–10	56,843
2010–11	71,866
2011–12	1,02,890
2012–13	1,08,000
2013–14	निर्दल
2014–15	निर्दल

नोट- उत्तराखण पट्टा की अवधि समाप्ति दिनांक 12/06/2014 तक उत्तराखण कार्य किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभागी उपरात समीक्षण से निर्णय लिया गया कि सुनिश्च द्वारा अनुशासित अतिरिक्त दीजीआर के रूपी में विभासंतादन किया गया कि—

- 4 (i) "Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के रूपान पर 4 (i) "Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।
- 4 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost." के रूपान पर 4 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (i) (ii) नाईन लीज लैंड के बारे और 7.5 नीट्रो बीफ लेबल जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्तराखण के जारी इस लैंड के उपचारी उपायी (Remedial Measures) की संकेत में तथा लीज लैंड के अंतर गार्डिंग कियाकरायी के बारे उत्तराखण प्रदूषण शिप्रशम हेतु आवश्यक उपायों यथा दुकारोंका अंति के लिये समर्थित उपायों प्रयोग संकलनक संचालनालय गौविनी तथा छत्तीसगढ़

इदायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायबुर (खलीसगढ़) को पत्र लिख किया गया।

- (1) प्रतिविधि 7.5 मीटर ऊंची सीमा पट्टी में अधिक उत्तराम्ब लिया जाना पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक को पिछले नियमानुसार आवश्यक विधिविवरण दिया गया है कि इसे जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकाने को पत्र लेख किया गया।
- (2) नवीन लौज हीन की जारी और 7.5 मीटर ऊंचे सेपटी जीम के कुछ भाग में हिस्से गये उत्तराम्ब से पर्यावरण को कमी होने के कारण खलीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक अवर्युक्ती दियी जाने हेतु पत्र लेख किया गया।
- (2) टम्सी ओफिशियल रेप्रेन्टेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) में निम्न अधिविधि गती के अधीन जारी जाने का निर्णय दिया गया—
- Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
  - Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- परियोजना प्रस्तावक को सातां टम्सी ओफिशियल रेप्रेन्टेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) द्वारा किया गया। जारी संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकाने हुदायी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं खलीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया।
3. बेस्टमी श्री वारपाण्ड्य गिनरल्स (वार्टमन- श्री रुद्धेश कुमार जैन, विनाशी साईम लटोन नाईन), शाम-विनाशी, छहसील-अकलताना, जिला-खोजगीर-बांधा (साधिवालय का नामी क्रमांक 1882)
- ऑफिशाल जावेदन — प्रभावी नगर — एसएसए/ नीमी/ एसएसए/ 244382 / 2021, दिनांक 11 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरण समिक्षकी द्वारा पत्र लेख किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित खूब चल्हत (गोपनीय खानिक) जाहाज है। जाहाज शाम-विनाशी, ताहानील-अकलताना, जिला-खोजगीर-बांधा विधि संसदीय अनुक्रम 793 / 1, 793 / 4, 793 / 9 एवं 793 / 16, कुल क्षेत्रफल - 2.07 एकड़ीपर में है। यहां की आवृद्धि उत्तराम्ब अन्तरा - 1,48,090.13 टन प्रतिवर्ष है।
- उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, खलीसगढ़ के आपन दिनांक 25 / 03 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकारण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठक का विवरण —

- (अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 31 / 03 / 2022

प्रकाशित करने वाला भूमार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उन्हींनेहत हुए। शामिलि द्वारा नहीं, प्रकाशित जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित याई गई—

1. घूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीरता शांखदी विवरण—

1. घूर्ण में नूगा वालवर छादान समाप्त क्रमांक 793/1 एवं 793/9 जुल दोभवल — 1823 डेक्टेंटर प्रथम तर्फे में अधीक्षित क्रमांक 14.260 टन इनियो लेव शेष रथी में जामता माईमिन प्लाट अनुसार, घूर्ण पर्यावरणीय स्थीरता जिला बलीय पर्यावरण समाचार निकाशण प्राधिकरण, जिला—जाजगीर—बापा हासा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को याई की गई।
2. गिरत रथी में यिए गए उल्लंगन की पासलिया गाढ़ा औं जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तिकृत करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. घूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का वालन प्रतिवेदन प्रकाश नहीं की गई है।
4. शाम बाजार का अनापलित प्रमाण पत्र — उल्लंगन की संख्या में द्वाम दोबाजा जिला—जाजगीर—बापा का दिनांक 10/08/2020 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उल्लंगन बोजाना — कारी पाप, इन्हापोर्टेंट मैनेजमेंट प्लान एवं कारी कलीजर ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो दो सेप संचालक (खनिज गाला), जिला—कोसा के इलापन क्रमांक 325/खनि/क.यो.अ./2017 जोसा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुगौदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में विचल खदान — कारीलय कलीजर (खनिज गाला), जिला—जाजगीर—बापा के इलापन क्रमांक 6928/खनि/न.ज. /2020-21 जाजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अनुसिक्त 71 खदानों ग्रामा 117.526 डेक्टेंटर हैं।
7. 200 मीटर की परिधि में विचल खदान शीत/सर्वकाश — कारीलय कलीजर (खनिज गाला), जिला—जाजगीर—बापा के इलापन क्रमांक 5174/खनि/न.ज. /2020-21 जाजगीर दिनांक 03/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक शीत वैसे भी नहीं, अतः बलीय, खूब, युल, दीरीखर, राजगार्व, राधूर्या राजमार्ये एवं रेज लाईन आदि प्रतिबंधित शीत निर्दिष्ट नहीं है।
8. एलओआई संबंधी विवरण — कारीलय कलीजर (खनिज गाला), जिला—जाजगीर—बापा के इलापन क्रमांक 4900/खनि खनिज/न.ज. /2020-21 जाजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जिसकी कैफला जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः वरिकोलना प्रस्तावना द्वारा प्रस्तुत एलओआई नो वैधता समाप्त हो गई है।
9. शू—स्वामित्व — भूमि नुक्का बुमार एवं कृषेश बुमार के नाम पर है। उल्लंगन हाँगु पाटेनरशीप द्वारा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
11. वय विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र — कारीलय बन्धनकलापिकारी जाजगीर बापा बन्धनकल, बापा के इलापन क्रमांक/लक.अधि./6768 बापा, दिनांक

20/10/2020 से जारी अन्तर्वित दूमाण पर इनुसार आयोगित लेने निकटतम दून क्षेत्र से 30 किमी की दूरी पर है।

10. सहवरपुरी संरक्षनक्षेत्रों की दूरी – निकटतम आवादी जाम-किराती 1.7 किमी, उत्तर पानी-किराती 3.5 किमी, एवं अस्पताल आवादी 3.6 किमी, की दूरी पर रिक्ता है। गढ़ीय राजमार्ग 25 किमी एवं लापदमार्ग 28 किमी दूर है। लगभग 60 मीटर दूर बलादी जाम 116 मीटर दूर है।
11. पारिसिंधितीरीय/जीवविविधता संवेदनक्षेत्रील छोड़ – लीजोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अस्पतालीय लीज, गढ़ीय एवं अमरावती और दूसरा नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्लिटिकली बॉल्डर्स द्वारा, पारिसिंधितीरीय संवेदनक्षेत्रील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता क्षेत्र नहीं होना आयोगित किया है।
12. खानन संचयन एवं खानन का विवरण – जिलोलीजिकल रिक्त 20,51,282 टन, लाईफ्लैट रिक्त 10,27,287 टन एवं रिक्वेटरल रिक्त 9,76,923 टन है। लीज की 7.6 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्राचीविहित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,180 वर्गमीटर है। ओपन फलस्ट सेमी बैक्साइंड विति से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में कांचाई 3 मीटर एवं लीडाई 3 मीटर है। एकान की नामांकित उम्मीद 10 लर्ट है। लीज क्षेत्र में प्रशार रख्याया गया प्रस्ताव उत्तरान विषय क्षेत्र है, जिसमें क्षेत्रफल 1,300 वर्गमीटर है। जैक हैमर द्वारा लिखित एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। उत्तरान में यानु प्रदूषण शिवरक्षण हेतु जल का लिखानीय किया जाएगा। वर्षावाह प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
पृथम	1,44,634.38
द्वितीय	1,46,216.25
तृतीय	1,48,093.13
चतुर्थ	1,00,015.00
पंचम	1,00,106.29

#### आगामी वर्षों का उत्तरानन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	99,750.00
साप्तम	1,00,462.50
अष्टम	1,00,070.63
नृतम	18,188.75
दशम	18,026.25

13. जल आपूर्ति – भवित्वोजन हेतु अवश्यक जल की मात्रा 7.81 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा यान वेहायत के माध्यम से किया जाएगा। इस वाहन यान परिवहन का अनापत्ति प्रमाण पर इसका नहीं किया गया है।
14. दृश्याभोगण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,432 नया दृश्याभोगण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की ऊंची सीमा पट्टी में उत्तराधिकार — लैज लैज के बासे तोड़ 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुलगावन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकारण के द्वारा परियोजना प्रवर्तनक द्वारा प्रस्तुत गृहसंस्करण में पर लैज लैज से 40 मीटर की दूरी पर बरसाती भाला होना पाया गया। समिति का मत है कि लैज लैज की सीमा से बरसाती भाला तक कुल 50 मीटर की दूरी पर लैज से दूर और लैज के बीच में 10 मीटर बरसाती भाला की तरफ अल्पिक कलों द्वारा फिल्टर की गणना कर सकते हैं। अनुमति नहीं दिया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन बी टी, प्रिसियल बैष, नई दिल्ली द्वारा सर्वीस पर्सनल विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, दग और अल्पसंघ परिषदीन संज्ञालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रधानिकान्त एप्लिकेशन नं. 188 आइक 2018 एवं अन्य) में पिंडांक 13 / 09 / 2018 पर पारित आदेश में मुक्ता सब से निम्ननुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / BEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार पिंडी उपरान्त सर्वेत्यसमिति से निम्ननुसार निर्दिष्ट लिया गया—

1. काल्योलय कलेक्टर (काल्योलय शास्त्र), जिला—जालगाँव—गापा के ज़ायन वर्गमाल 6928 / राजि. / न.ज. / 2020-21 जालगाँव, दिनांक 26 / 03 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आविष्कार 21 खदानों द्वारा +17.526 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (गाम—किराडी) का रक्षा 2.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (गाम—किराडी) को मिलाकर कुल रक्षा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में रुदीकूत/लकड़लिया खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर भी अधिक जा सकता होने के कारण यह खदान बी1 क्षेत्री घोषी गयी।

2. समिति द्वारा विवार पिंडी उपरान्त सर्वेत्यसमिति से प्रकल्पण बी1 कोटेगरी का होने के बारे भारत सरकार, पर्यावरण, दग और अल्पसंघ परिषदीन संज्ञालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीआईआर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. विधाएं और दोजोड़हस./एवटीपिटीज रिक्वारीज़ बूथायरेट गतीयरेस अप्रैल 2015 नोटिफिकेशन, 2006 में वार्षिक शंखी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीआईआर (टोक सुनवाई संस्थिया) विनायक वाईकिंग प्रोजेक्ट का छेत्र विन अतिरिक्त ई.आईआर के राय जारी घोषे जाने की अनुशासा बी गया—

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit point wise compliance report of previous Environmental Clearance.

- v. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan maintaining minimum 50 meter distance from the seasonal nullah and accordingly submit the reserve calculations.
- vi. Project proponent shall submit the copy of partner deed.
- vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.
- xiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** सुनवील सम्पर्क कर प्राधिकरण ने दिनांक 11/06/2022 को संयम्न 122की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जारी एवं अदलीकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट किया गया कि—

1. आवेदित प्रकरण को पूर्ति में जून पल्लव लालन जासता इमारत 793/1 एवं 793/2 कुल क्षेत्रफल-1823 हेक्टेयर, प्रधन जामी में अधिकारमाला — 14,250 टन प्रतिवर्ष लधा जामी में जासता गाहनिंग लालन अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्थीरता किला स्थानीय पर्यावरण जासता नियरेल प्राधिकरण विज्ञा-जलवीर-जामी द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई थी। जामन में जून इमारत 793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16 कुल क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर, जून पल्लव उत्तरामन इमारत-145,093.13 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। इस प्रकार यह जासता विस्तार का प्रकरण है। अतः एकीजूल शेनील कालालीय पर्यावरण जन एवं जलवाया चरितर्हत मञ्जलप, भारत सरकार रायपुर से पूर्ति में जारी यांत्रिकरणीय स्थीरता का पालन प्रतिक्रिया काम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कालालीय लैनेकर (वनिज जाला), जिला-जलवीर-जामी का जून पल्लव दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी एलओआई की विज्ञा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एलओआई की विज्ञा की दृष्टि सभी खालील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

२. विनायक जी के लिए बाहरी सत्त्वनन की वास्तविक माजा (विलीन वर्ष) की जानकारी खुलिया दिनांक से इमारित करनन द्वारा दिया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा सत्त्वनन संवेदनभूति से परियोजना प्रकरणके द्वारा उपरोक्त वर्षों के परिणय में जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

इस ई-आईएए, छातीसगढ़ के जान दिनांक 07/06/2022 के परिवेष्ट में परियोजना प्रकरणके द्वारा दिनांक 20/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को समाप्त 130वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ का अगलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा भीट किया गया कि—

- परियोजना प्रकरणके बहु वर्षों में किसी भी पूर्व में घूमा गएवा शुद्धार जानकारी दिनांक 793/1 ऐवं 793/9 द्वारा दिया गया है अधिकातम जमता — 14,260 हेक्टेयर परिवर्ती वर्ष में जमता नियन्त्रित यात्रा अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विला-जांजीर-चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई है। जानकारी दिनांक 793/1, 793/4, 793/9 ऐवं 793/16 कुल हेक्टेयर-237 हेक्टेयर जलखनन जमता—148,063.13 हेक्टेयर द्वारा आवेदन किया गया है ऐवं इस प्रकरण हेतु नवीन एवं ओआई जारी की गई है। अतः यह जमता विलार का प्रकरण नहीं है। परियोजना प्रकरणका द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय वायावल्य पर्यावरण, एवं ऐवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, राज्यपुर के पूर्व में जारी वायावल्य पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जालन प्रतिवेदन द्वारा जनन प्रस्तुत किये जाने हेतु जलती औआई जारी के लिए अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पूर्व में जारी वायावल्य पर्यावरणीय स्वीकृति ऐवं जारीमान में टी.ओआई हेतु आवेदन से यह नियम है कि परियोजना प्रकरणके द्वारा लीक वोथ ऐवं दामता में कृषि कर टी.ओआई हेतु आवेदन किया गया है। अतः यह जमता विलार का प्रकरण है जिसे हेतु एकीकृत क्षेत्रीय वायावल्य पर्यावरण, एवं ऐवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, राज्यपुर के पूर्व में जारी वायावल्य पर्यावरणीय स्वीकृति का जालन प्रतिवेदन द्वारा एवं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- हज ओआई जी विवाद वृद्धि बबत स्वावल्य संकलन, नीमिली तथा झाँगिली, नवा रायपुर ज़ाटल नवा के गुलीझुप ज़हरण दिनांक 42/2022 हज जारी विवाद आवेदन दिनांक 23/05/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसकी अनुसार “उपरोक्त विवेचन के आधार पर चुनीजाति प्रकरण स्वीकृतर करते हुये, एवं नियमित विवाद किया जाता है कि छातीसगढ़ गौण झाँगिल नियम, 2013 के नियम 42(5) वसन्त के बाहर सकत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने वायावल्य जलखनन बट्टा स्वीकृति की जारीवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समावयि प्रदान करती हुए प्रकरण कलेगटर, विला-जांजीर-चांपा को जलखनन किया जाता है।” होना चाहया जाया है।
- वायावल्य कलेगटर (खानिज जात्या), विला-जांजीर-चांपा के ज्ञापन दिनांक 2260/वा.लि./2022 ओआई विवाद 16/06/2022 द्वारा जारी प्रवाप प्र अनुसार विवाद जारी में किये जाये जाये जलखनन की जानकारी नियमानुसार है—

वर्ष	संतापादन (टक्के)
2017–18	1,000
2018–19	39,100
2019–20	31,400

नोट: उत्थानन पट्टा की अवधि सम्पूर्ण दिनांक 27/03/2020 तक प्राप्त कर्तव्य किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपराजि सर्वसम्मिलि से निश्चय लिया गया है कि निम्नलिखि द्वारा अनुसारि अलिंगित इकाइयों के बारे में निम्न जारीपाल लिया गया है—

- 2 (ii) "Project Proponent shall inform S.E.A.C Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के स्थान पर 2 (i) "Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।
- 2 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost." के स्थान पर 2 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

आप ही यह भी निश्चय लिया करा दिया—

- (1) पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीतीकृति का आलन प्रसिद्धेन एकीकृत शीर्षक कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन समाजिक नवा दायरपुर अटल नगर नी गंगावं जाने हेतु पत्र होका किया जाए।
- (2) उसी ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनार्ह महिन) में निम्न अलिंगित जारी करने का निश्चय लिया गया—

- Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 30% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

परियोजना प्रस्तावक ने सभी दस्ती ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनार्ह महिन) जारी किया जाए। सभा की एकीकृत शीर्षक कार्यालय भासा सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन समाजिक नवा दायरपुर अटल नगर नी पत्र लेख किया जाए।



## सूचीबद्ध आवादम क्रमांक-4

टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु पापा जावेदन के संबंध में नियंत्रण लिया जाना।

- मेसर्स बी टुलसी कॉर्पोरेशन डिमिट्रु, बिरकोनी औद्योगिक बोर्ड, गुरु-बिरकोनी, राहगील व चित्ता-गहासमृद्ध (सांचिकालय का नक्सी क्रमांक 1925)

ऑनलाइन जावेदन - यूई में प्रयोजन गम्भीर - एसआईए/ रीजी/ आईएनडी/ 71891 /2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। नक्सन में प्रयोजन गम्भीर - एसआईए/ रीजी/ आईएनडी/ 218214 /2022 दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावका द्वारा डिरकोनी औद्योगिक बोर्ड, गुरु-बिरकोनी, राहगील व चित्ता-गहासमृद्ध लिखा फॉर्म नं. - 212, 213 एवं 214, युज ऑफिस - 426 हैबटेंगर ने प्रस्तावित शिंगल शूफर कॉर्पोरेट (एसएसपी), ट्रिपल शूफर बीसेट (टीएसपी) क्रमांक-1,00,000 नीट्रिक टम डिलीवरी को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवियोग क्षमता 17.5 करोड़ होगी।

एसईए.सी. उत्तीर्णगढ़ के जावेदन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकल्प बी-1 कोटेश्वरी पा. होमे के कारब भावना सरकार के पर्यावरण, डन और उत्तीर्ण परिवर्तन संभालाय. नई दिली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित एटेक्सी टर्मी ऑफ रिकरेस (टीओएसपी) कोरिं ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट कोरिं ग्रोवेंगटन/एक्टीविटीज रिक्लायरिंग इन्डस्ट्रीज ब्रांक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में पर्यावरणीय शिविर कोटेश्वर काटिलाईजनों हेतु एटेक्सी टी.ओ.आर. (लोक सुनायाई राहित) जारी किया गया है।

मानवन में परियोजना प्रस्तावका द्वारा दिनांक 13/12/2022 के मात्रामें जारी टी.ओ.आर. में क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर को रक्षान् पर 5.286 एकड़ (21,392.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया जया है, जिसके अनुसार लेखा एरिया रेटमैट निम्ननुसार है:-

Description	Area (m <sup>2</sup> )
Main plant building	4,727.2
Parking	1,493.4
Open & Road area	7,229.7
Green area	7,069.4
Area for other Activities	582.5
<b>Total Plot area</b>	<b>21,392.2</b>

प्राविकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राविकरण की दिनांक 09/01/2023 के साथम 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राविकरण द्वारा नक्सी/टरक्यूलेज का अवलोकन किया गया। प्राविकरण द्वारा विचार गिरावर्त लेखा विवरण में लिखा गया था कि मू-संवादी दस्तावेजों के परिषेध में भरीकाना उपलब्ध उपयुक्त सम्मुखीन किये जाने हेतु प्रकल्प को एसईए.ली. उत्तीर्णगढ़ के सम्म प्रदर्शित किये जाने का नियंत्रण किया गया।

एसईए.सी. उत्तीर्णगढ़ पो. राहगील सुचित किया जाए।

१. गोक्षण विचल रटील एवं पीवर लिमिटेड, नारे चतुरा ५७३ कोल माईन  
तहसील-तमनार, ज़िला-रायगढ़

अधिकारीका आवेदन - इकाइया नम्बर - एसआईए /पीजी /सीएनएडीएल /  
२०५५१७ /२०२२, दिनांक ११ /११ /२०२२।

तहसील-तमनार, ज़िला-रायगढ़, कुल लीज को ३८१.४२ हेक्टेयर, कोल माईन  
उत्तरायन खदान कामता-४ विलियन टन प्रतिवर्ष एवं कोल लीज कामता-४ विलियन  
टन प्रतिवर्ष ने निधन खदान मेसर्व विदल रटील एवं पीवर लिमिटेड द्वारा नानारिशा  
(Transfers) किया जाने हेतु आवेदन किया गया है।

#### प्रकाश का विवरण -

१. यह खदान तहसील-तमनार, ज़िला-रायगढ़ के कुल लीज को ३८१.४२ हेक्टेयर  
कोल माईन उत्तरायन खदान कामता-४ विलियन टन प्रतिवर्ष एवं कोल लीज कामता-४  
कामता-४ विलियन टन प्रतिवर्ष की है।

२. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, IA-II(Coal Mining) Division, नई  
दिल्ली के पश्चिम कामाक्षी J-11015/2014/2012-IA-II(M), दिनांक १० /०२ /२०१४ द्वारा  
कुल लीज को ३८१.४२ हेक्टेयर, कोल माईन उत्तरायन खदान कामता-४ विलियन  
टन प्रतिवर्ष एवं कोल लीज कामता-४ विलियन टन प्रतिवर्ष हेतु गोक्षण विदल  
रटील एवं पीवर लिमिटेड, नारे चतुरा ५७३ कोल माईन के नाम से पर्यावरणीय  
स्वीकृति की गई है।

३. अस्थिरायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कियागुमार है -

- पूर्व में गोक्षण विदल रटील एवं पीवर लिमिटेड ने गोक्षण का नाम  
नाला रायगढ़ आवेदन लिमिटेड को सहाय्यनी की तरीके पर कोपता खदान का  
आवेदन किया गया था।
- भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन, मंत्रालय से दिनांक १० /०२ /२०१४ की  
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कोई कठीन आवधि नहीं किया गया  
था।
- गोक्षण अलीच्छ नामावधि के आदेश दिनांक २४ /०९ /२०१४ द्वारा २०४  
लिमिटेड कीयाली खदानों के आवधि के नियम किया गया था। तत्प्रकार  
कोपता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोल माईन की अवैधता ने दिये गये  
का नियम किया गया, जिसमें गोक्षण ५७३ विदल लोल माईन भी शामिल  
था। तदोपर्यन्त मेसर्व विदल रटील एवं पीवर लिमिटेड द्वारा दिनांक  
१० /१० /२०२२ को नारे चतुरा ५७३ निधन कोल माईन को डिक्टिंग की मांडल  
से प्राप्त किया गया।
- पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन, मंत्रालय, IA-II(Coal Mining) Division  
नई दिल्ली के पश्चिम कामाक्षी J-11015/2014/2012-IA-II(M), दिनांक १० /०२ /२०१४  
द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को परिवर्याना प्रस्तावक द्वारा पुन मेसर्व  
विदल रटील एवं पीवर लिमिटेड के नाम से जारी किये जाने हेतु आगुरोद्ध  
किया गया है।



**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** सचिवत प्रबन्ध पर प्राधिकरण की विनाक 09/01/2023 की संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नामी/सलाहित का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विवरों संपर्कात् सर्वजाम्बुद्धि से विनियोग किया जाता कि भास्तु सरकार, पर्यावरण, पर्यावरण-जलवायु परिवर्तन भेदभाव द्वारा जारी ईआईए अधिकारिया, 2006 (वर्षा सहोचित) एवं समय-समय पर जारी लॉकडाउन/सोशल-डिस्ट्रॉक्यून/सोशल-डिस्ट्रॉक्यून के अनुसार याचे किया गया।  
परियोजना प्रकल्पक को अनुसार सूचित किया गया।

## 2. मेसने विकासागर हृष्टान्तकर, साझेदार- श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी - कोलेज रोड जलपुर, ताहसील व विला-जलपुर

ऑनलाइन आवेदन – प्रपीजल नम्र - एसआईए / सीजी / एमआईए / 292052 / 2022 विनाक 07/03/2022। मेसने हृष्टान्तकर, कन्नूर कानूनावान प्राइवेट लिमिटेड, डीवरेक्टर की विनोद कुमार विश्व, निवासी - जलपुर, ताहसील व विला-जलपुर की जारी पर्यावरणीय स्थीरता को मेसने विकासागर हृष्टान्तकर, साझेदार- श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी - कोलेज रोड जलपुर, ताहसील व विला-जलपुर के नाम पर नामांकित (Teamster) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

### प्रकाश का विवरण –

- यह प्रकाश घरम-निवास, ताहसील-वरीया विला-जलपुर के खंडन जनक 907/1, जूल लीज लोड 2 हैट्टेड, सालाहरण पत्थर (गोला लगिया) उत्तरान सुदान जनक-20505 ई. हर इकाईकर्ता की है।
- पूर्व में विला स्वानीय पर्यावरण समायाल निर्दिशन प्राधिकरण, विला-जलपुर की जागीर क्षमांक 40, दिनांक 28/01/2017 द्वारा उष्ण वाता हेतु नैसर्स एसएस ई.एम. कन्नूरावान डाइटेट लिमिटेड, डीवरेक्टर श्री विनोद कुमार विश्व को नामी पर्यावरणीय स्थीरता की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), विला-जलपुर के आदेश अनाक 37/खणि जा./2021 जलपुर, दिनांक 07/06/2021 द्वारा मेसने विकासागर हृष्टान्तकर, साझेदार- श्री मुकेश कुमार जैन के नाम पर हृष्टान्तिकृता गूह स्थीरता अवधि दिनांक 09/10/2014 से 08/10/2044 तक की शीष अवधि हेतु लोप का हस्तान्तरण किया गया है।
- मेसने एसएस ई.एम. कन्नूरावान प्राइवेट लिमिटेड, डीवरेक्टर श्री विनोद कुमार विश्व द्वारा उनकी यूं में जारी पर्यावरणीय स्थीरता को मेसने विकासागर हृष्टान्तकर, साझेदार- श्री मुकेश कुमार जैन के नाम पर हृष्टान्तिकृता विनोद जाने हेतु अनापरिव ग्रमाम वर्त प्रस्तुत किया गया है।
- मेसने विकासागर हृष्टान्तकर, साझेदार- श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा उनकी पर्यावरणीय स्थीरता में वालवेलिल समस्त नियम एवं शारी का विधिवाल पालन किये जाने वाला स्थान पर प्रस्तुत किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), विला-जलपुर के इकायन क्षमांक 292/खणिज जा./2022 जलपुर, दिनांक 29/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पर अनुसार विवर याची में किए गए सुलगान वी वालवेलिल माजा की जानकारी विस्तारानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (मॉन्टोर्टर)
2017	5,640
2018	6,532
2019	435
2020	416
2021	निरुद्ध
2022	निरुद्ध

T कायालय कलेक्टर (डीएसी जारी), गिला-जगदुर के द्वारा अन्तर्मुक्त अनुसार 279/वानि ता./2022 जगदुर, दिनांक 29/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार “पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति में उल्लेखित स्तैंब को लोकपक्ष में निर्मी भी प्रकार जी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।” या उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उल्लेख प्रकारण पर प्राधिकरण की विनाक 09/01/2023 को सम्म 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नमी/रासायनिक तथा अग्नीकरण विकार गया। प्राधिकरण द्वारा नमीनीय इन-टी-टी, प्रोसिपल बैष्य वर्ष दिल्ली के ओए अन्तर्मुक्त 142/2022, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी आदेश अनुसार—

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2018 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

मानवीय एन-टी-टी, प्रासिपल बैष्य वर्ष दिल्ली के ओए अन्तर्मुक्त 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश के अनुसार द्वारा विकार विवरण संवेदनभूति से आवेदन को डि-लिस्ट / फिरसत लेने का निर्देश दिया गया। इस द्वारा प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रक्रम में वापावत् डि-लिस्ट / फिरसत दिया। याता है एक परियोजना प्रसाधारण को वह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत राजकार, एवं वर्ष, इन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा जारी हुए एवं अधिकारिता, 2006 (यथा लोकोपित) एवं राजप-समय पर जारी पर्यावरणीय से अनुसार पर्यावरणीय स्थीरकृति हेतु नईन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावका को लदानुसार सुधिल किया जाए।

## एजेंटों आगरा क्रमांक-४ अधिक सहीदव की अनुसति से अन्य विषय।

१. श्री मनीष राठोर, आरटीआई, कार्यकर्ता, कोइरा द्वारा “दिलीप विल्डलैन की गाम कुटेलामुडा में स्वीकृत दो खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति की कारबाही पर स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने जावत्।” के संबंध में प्राप्त विवादत।

श्री मनीष राठोर आरटीआई कार्यकर्ता कोइरा द्वारा “दिलीप विल्डलैन की गाम कुटेलामुडा में स्वीकृत दो खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति की कारबाही पर स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने जावत्।” के संबंध में विनाय १०/१२/२०२२ को विवादत प्राप्त हुआ है। विवादत में सत्येतिष्ठत तथा निनानुसार है—

१. इस कामी द्वारा अधिक खुलग कर लगभग १० से १५०००००० टन पत्तर तथा उपर्योग गाम कुमकुम के खदान क्रमांक १०/१ पर १ से १० एकड़ पर छोड़ द्वारा कर लिया गया है।
२. इस कामी के द्वारा पत्तरापाली से छटपोता तक एक्स्ट्र का निर्माण का उद्देश ३ मर्थ में पूर्ण करने का दिनांक १५/०३/२०२० को दिया गया।
३. इस कामी द्वारा लोगों ने हरको छोड़कर पाली खदान की कामी बाहो पर जो खनिज पत्तर है उसकी विवादितता की जाए।
४. इस कामी का निर्माण काढ़ जो कि पूरी ही ओर है तो इस कामी द्वारा अपने किस तरीके एवं लोटेश्य की पूर्ति के लिए आवेदन दिया गया।
५. इस कामी द्वारा १२ पत्तर खदान कुटेलमुडा के स्वीकृति से विल्स बली खनिज गाँव की लोयल्टी ही लखता है जिससे यह अपने जारी में उपर्योगिता मात्रा का खनिज चैक्सटी ब्लीपरेस कर २०-२५ करोड़ के अधिक लगभग की जुमाने से बचने के लिए किस जाएया द्वारा स्थल स्थल कर कोई खुलग कार्य नहीं होने जाता।
६. इस कामी द्वारा क्योंकि इनका निर्माण स्थल में इतनी मात्रा में खनिज बचने के लिए कार्य के पश्चात भी बच जाए।
७. अतः खनिज पत्तर खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व N.H.A.I. के अधिकारियों से भी उड़क निर्माण पूर्णता से जबरित जानकारी प्राप्त कर कारबाही करने का काट जने की यास्तिक में इन रस्तक गाँव में अब तक एवं ऐसे बचे कार्य में जिससे गाँव में खनिज बचने की आवश्यकता है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवाद —** उपर्योग प्रकरण पर प्राधिकरण की विनाय ०९/०१/२०२३ को सम्पन्न १३६वीं बैठक में विवाद किया गया। प्राधिकरण द्वारा नहीं/किकायत का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श उपर्योग शर्वसाम्भवि ने प्राप्त विकायत के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य वस्तुओं का विवेदन करने हेतु भी एनडे चन्द्राकर एवं डी. बेहमद रहीका लाल, सदस्य, उच्च सत्रीय विजेपद्म नूतनाकान समिति, उत्तोहसगढ़ लक्ष्मी श्रीय अधिकारी, श्रीय कार्यालय, छलीसगढ़ पर्यावरण संस्कार संडल, कोरप्श को सम्मिलित करते हुये तीन वादशालीक उपसमिति गठित किये जाने का विमर्श किया गया। तीन वादशालीय उपसमिति स्थल

१. बैंकसे जिंदज रटील एवं बीचर लिमिटेड, गारे पलमा ५७८ कोल माईन  
उत्तरील-हमनार, गिला-शायगढ़

अधिकारीज्ञान आवेदन - प्रयोगल नम्बर - एसआई० / सीली / शीएसआई०८८ /  
२०२२/२०२३, दिनांक ११/११/२०२२।

उत्तरील-हमनार, गिला-शायगढ़ कुल लीज क्षेत्र ३८१.४२ हेक्टेयर, बैंक माईन  
उत्तरामन सहान कम्पनी-४ गिलियन टन प्रतिवर्ष एवं कोल गीतारी कम्पनी-५ गिलियन  
टन प्रतिवर्ष में खित्त सहान गैरपानी जिंदज रटील एवं बीचर लिमिटेड द्वारा गामोलसिा  
(Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रवास का विवरण -

१. एवं सहान उत्तरील-हमनार, गिला-शायगढ़ के कुल लीज क्षेत्र ३८१.४२ हेक्टेयर  
कोल माईन उत्तरामन सहान कम्पनी-५ गिलियन टन प्रतिवर्ष एवं कोल गीतारी  
कम्पनी-५ गिलियन टन प्रतिवर्ष की है।

२. पूर्ण ने भारत राष्ट्रकार, पर्यावरण एवं जन. मंत्रालय, M-II(Coal Mining) Division, गहू  
दिल्ली के पाँच क्रमांक J-11016/214/2012-IA.II(M), दिनांक १०/०२/२०१४ हारा  
कुल लीज क्षेत्र ३८१.४२ हेक्टेयर, बैंक माईन उत्तरामन सहान कम्पनी-५ गिलियन  
टन प्रतिवर्ष एवं कोल गीतारी कम्पनी-५ गिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु गैरपानी जिंदज  
रटील एवं बीचर लिमिटेड, गारे पलमा ५७८ कोल माईन के नाम से पर्यावरणीय  
स्थीरता की जानी चाही गई है।

३. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उस्तुत जानकारी निम्नसुनार है-

- पूर्ण ने गैरपानी जिंदज रटील एवं बीचर लिमिटेड को नेतृत्वकर्ता एवं गैरपानी  
मंत्रालय रघुज आयन लिमिटेड को जहांगीरी के नीर पर गैरपानी छोड़ान का  
आवंटन किया गया था।
- भारत सरकार, पर्यावरण एवं जन. मंत्रालय ने दिनांक १०/०२/२०१४ की  
पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने के उपरान्त कोई कल्पे प्राप्त नहीं किया गया  
था।
- पार्वतीय भवीत्व ज्ञायेदत्त के आदेश दिनांक २४/०९/२०१४ हारा २०४  
लीट्रिय औरते सहानों के आवाटन को निरसन किया गया था। उत्तरामन  
छोड़ाना बंतालय, भारत राष्ट्रकार द्वारा कोल माईन को औरतान में दिये जाने  
का निर्णय लिया गया, जिसने बारे पलमा ५७८ लिया कोल माईन में शामिल  
करा। तबौफलत गैरपानी जिंदज रटील एवं बीचर लिमिटेड द्वारा दिनांक  
१०/१०/२०२२ की गारे पलमा ५७८ लिया कोल माईन को बिडिंग के मालियम  
से प्राप्त किया गया।
- पूर्ण ने भारत सरकार, पर्यावरण एवं जन. मंत्रालय, M-II(Coal Mining) Division,  
गहू दिल्ली के पाँच क्रमांक J-11016/214/2012-IA.II(M), दिनांक १०/०२/२०१४  
हारा जारी पर्यावरणीय स्थीरता को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुन गैरपानी  
जिंदज रटील एवं बीचर लिमिटेड के नाम से जारी किये जाने हेतु अनुरोध  
किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकाश पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को सम्पन्न 13वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार की उपरात सर्वेषाम् श्री निर्णय लिया गया कि भासा समाज, पर्यावरण, जग और जलवाया परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा जारी हुए अधिसूचना 2006 (यहां संशोधित) पर रामेश-साहा पर जारी घोषित बैठकेटम/सर्कुलर के अनुसार कार्य किया जाए।  
परिवर्तन मन्त्रालय को तयानुसार सूचित किया जाए।

## 2. मैसारी विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदार— श्री मुकेश कुमार जीन, निवासी— कोलीज रोड जलापुर, लहसील ब जिला—जलापुर

**ओनलाइन आवेदन –** इलोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनआईए / 292002 / 2022, दिनांक 02/12/2022। मैसारी एस.एस.बी.एम. कन्द्रावशान प्राइवेट लिमिटेड, छोपेलहर श्री विनोद कुमार मिशा, निवासी – जलापुर, लहसील ब जिला—जलापुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मैसारी विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, साझेदार— श्री मुकेश कुमार जीन, निवासी – कोलीज रोड जलापुर, लहसील ब जिला—जलापुर को नाम पर नामालित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

### प्रवाचन का विवरण –

1. यह खदान ग्राम-विवरण, लहसील-बारीमा जिला—जलापुर के खदान क्रमांक 907/1, कुल लीज केत्र 3 हेक्टेयर, साधारण खात्यर (गोप्य विभिन्न) उत्तमनन खदान आमता-20,585.66 टन प्रतिवर्षीय है।
2. पूर्व में विवा रासीव बर्फीला समाचार निर्धारित प्राधिकारण, जिला—जलापुर के इलायन आमता 40, दिनांक 28/01/2017 द्वारा उल्ल समता हेतु मैसारी एस.एस.बी.एम. कन्द्रावशान प्राइवेट लिमिटेड, छोपेलहर श्री विनोद कुमार मिशा के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (छानिज रासायन), जिला—जलापुर की आदेश क्रमांक 37/सानि. 31/2021 जलापुर दिनांक 07/06/2021 द्वारा “मैसारी विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, साझेदार— श्री मुकेश कुमार जीन” के नाम पर खल्कानिपटा, नुल स्वीकृति द्वयमि दिनांक 09/10/2014 से 06/10/2044 तक को शीम अवधि हेतु लीज का हस्तांतरण किया गया है।
4. मैसारी एस.एस.बी.एम. कन्द्रावशान प्राइवेट लिमिटेड, छोपेलहर श्री विनोद कुमार मिशा द्वारा उनको पूरी तरह जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मैसारी विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, साझेदार— श्री मुकेश कुमार जीन के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनलिंगि द्वारा पञ्च प्रस्तुत किया गया है।
5. मैसारी विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, साझेदार— श्री मुकेश कुमार जीन द्वारा उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित समस्त लियम एवं जस्ती का विविज्ञ चलाने के लिये जाने वारत जापय चतु प्रस्तुत किया गया है।
6. कार्यालय कलेक्टर (छानिज रासायन), जिला—जलापुर के इलायन क्रमांक 2102/सानिज शा./2022 जलापुर, दिनांक 29/08/2022 द्वारा जारी प्रभाल पञ्च अनुसार विगत वर्षी में किए गए उत्तमनन की काल्पनिक मात्रा की जाग्राही निभानुसार है।

का निरीक्षण करती। अतः उपरायमिति से विशेषज्ञ चलियोदय इस दोनों की उपरायमि-  
ताध्युत्तार वाक्यांशकी भी प्राप्त है।

भी एवं जो छन्दोवाच एवं जी गृहग्राम लक्षीक व्याख् भावरथ राज्य स्वर्णीय विशेषज्ञ  
कून्याकम् समिति, छत्तीसगढ़ राज्य हीरीय अधिकारी, हीरीय वायोलिन वास्तीसगढ़  
पर्यावरण संस्करण नंदेश विदेश जो तदनुसार सूचित विषय जहर।

2. भी मनीष राठीर, जारटीआड़, कार्यकर्ता, कोरबा द्वारा “दिलीप विलक्षण को  
दिए अस्त्वार्थ पत्रपर लादान अ. 1.2.3. को पर्यावरणीय के उल्लंघन एवं 10 से  
15 लाख टन पर्यावरण के अवैध लाभ की जांच काबल्।” के नाम्यमें आपा  
विकायत।

भी मनीष राठीर, जारटीआड़, कार्यकर्ता, कोरबा द्वारा “दिलीप विलक्षण को दिए  
अस्त्वार्थ पत्रपर लादान अ. 1.2.3. को पर्यावरणीय के उल्लंघन एवं 10 से 15 लाख टन  
पर्यावरण के अवैध लाभ की जांच काबल्।” के नाम्यमें दिनांक 15/12/2022 को  
विकायत प्राप्त हुआ है। विकायत में उल्लेखित गम्य निम्नानुसार है—

1. “यह है कि औरेशा जिले के पाली के पश्चिमांशी से कटाईदा भज के निर्माण के  
लिए पर्यावरणान्वयन का अस्त्वार्थ लौजा पर इस कायमी के दीन लादानों की  
पर्यावरणीय स्वीकृति आप की समिति को द्वारा 11/11/2020 को दिया गया  
है।
2. यह है कि इन कामी लाभालि में द्वीपी एमएस से अनुमति उपरायमि द्वारा द्वारा  
उल्लंघन का उल्लेख है परन्तु इस कायमी में एवं कोरबा विभाग द्वारा इस  
विभाग से अनुमति दर्शायी उल्लंघन कार्य करवाया गया है।
3. यह है कि इन कामनी द्वारा कोरबोना में विना विसी स्वीकृति के 10–15 लाख  
टन पर्यावरण लाभान्वयन नंदेश १/१ के राम्भ ७ से १० एकड़ हेक्टर पर अवैध लाभ का  
उपर्यन्ते सद्व्यक्त निर्माण कार्य में कार लिया गया है जो कि पर्यावरण संवर्धन  
उपरिनियम 1988 का सीधा उल्लंघन है।
4. यह है कि जो अस्त्वार्थ पत्रपर लादान 1.2.3 ही नहीं है यह छूटी जागकारी के कार  
जी नहीं है जो माइनिंग प्लान में दिए गए सुखा विदेश वाले उल्लंघन कार  
जाहानों से मन्तव्य स्थानों में द्वारकर लाने कार्य परामर्शों को दिए गोंदी नहीं है।
5. दिलीप भी सकार का बीन बैठक जा दिक्षास भी नहीं दिया गया है।”

उपरोक्त विकायत की विद्युती भी भौतिक सत्यापन एवं समिति द्वारा दिक्षित  
प्राप्त करा जाविली पर एवं उन अधिकारियों पर जो इनमें दिए गए निर्दिष्ट वाले  
पालन किए विना उपर्यन्ते को उल्लंघन एवं अवैध लाभ में बदल करने पाले जो विद्य  
प्राप्त नाल उपरायमि कालक समिति लाभान्वयन एवं जीमान वाले विद्य अधिकारी, भी  
प्राप्त नालक सहित कायमी पर अवैधता करने हेतु विकायकार्ता द्वारा अनुरोध  
किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवार — उपरोक्त प्राप्त वाले उल्लंघन की दिनांक  
09/01/2023 को सम्पन्न 138वीं बैठक में विवार किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा

नमस्ते/ शिक्षायत का अवलोकन किया गया। प्राप्तिकरण द्वारा विवार विभार्ता  
रामराम सर्वसम्मति से प्राचा शिक्षालय के लोकों के निरीक्षण एवं अन्य प्रस्तुतियों का  
निरीक्षण हरने हेतु श्री एन.डॉ. बन्दाकर एवं श्री. मोहम्मद रफीक खान, राज्य  
सत्रांच शिक्षालय मूल्यांकन समिति, छलीसगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,  
छलीसगढ़ पर्यावरण लोकों को समिलित करते हुए तौन सबस्तीता  
उपसमिति गठित किये जाने का निर्भय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल  
का निरीक्षण करेंगी। अतः रामराम से निरीक्षण प्राप्तिकरण द्वारा होने के उपरांत  
ताप्तुसार कार्यकारी रूप जाएगी।

श्री एन.डॉ. बन्दाकर एवं श्री. मोहम्मद रफीक खान, राज्य सत्रीय शिक्षालय  
मूल्यांकन लोकों, छलीसगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छलीसगढ़  
पर्यावरण लोकों को समिलित करते हुए तौन सबस्तीता  
उपसमिति गठित किया जाए।

विट्ठल शत्र्याहर इनक की राज्य शिक्षा तुहं।

(अरवीन शिवारी)  
राज्य सत्रीय  
राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव लोकों  
प्राप्तिकरण, छलीसगढ़

(दिवाशीष दास)  
अवृत्त  
राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव लोकों  
प्राप्तिकरण, छलीसगढ़

(डॉ. दीपक शिंहा)  
राज्य  
एवं विधायिका पर्यावरण प्रभाव लोकों  
प्राप्तिकरण, छलीसगढ़